राजभाषा भारती

अप्रैल—जून 1984

अंक : 25

राजभाषा विभाग

गृह मंत्रालय, भारत सरकार

नई दिल्ली

राजभाषा गौरवान्वित हुई

महामहिम राष्ट्रपति जी 21 अप्रैल, 1984 से 4 मई, 1984 तक मैक्सिको तथा अर्जेण्टीना की विदेश यात्रा पर गए थे । अपनी इस ऐतिहासिक यात्रा के दौरान उन्होंने अपने सभी भाषण देश की राजभाषा हिन्दी में देकर न केवल हिन्दी के गौरव को बढ़ाया है बल्कि इससे देश की प्रतिष्ठा में भी अभिवृद्धि हुई है । इस यात्रा के दौरान महामहिम राष्ट्रपति जी ने सभी भाषणों में हिन्दी का प्रयोग किया और कहीं भी अंग्रेजी का सहारा नहीं लिया गया । इनके हिन्दी भाषणों का अनुवाद सीधे स्पैनिश भाषा में किया गया । दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के राष्ट्राध्यक्ष द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में अपने देश की भाषा का प्रयोग निश्चय ही देशवासियों के लिए प्रेरणात्मक है । इन देशों में औपचारिक तथा अनौपचारिक वार्ताओं के दौरान भी सीधे हिन्दी और स्पैनिश भाषाओं के माध्यम से ही विचार-विनिमय हुआ ।

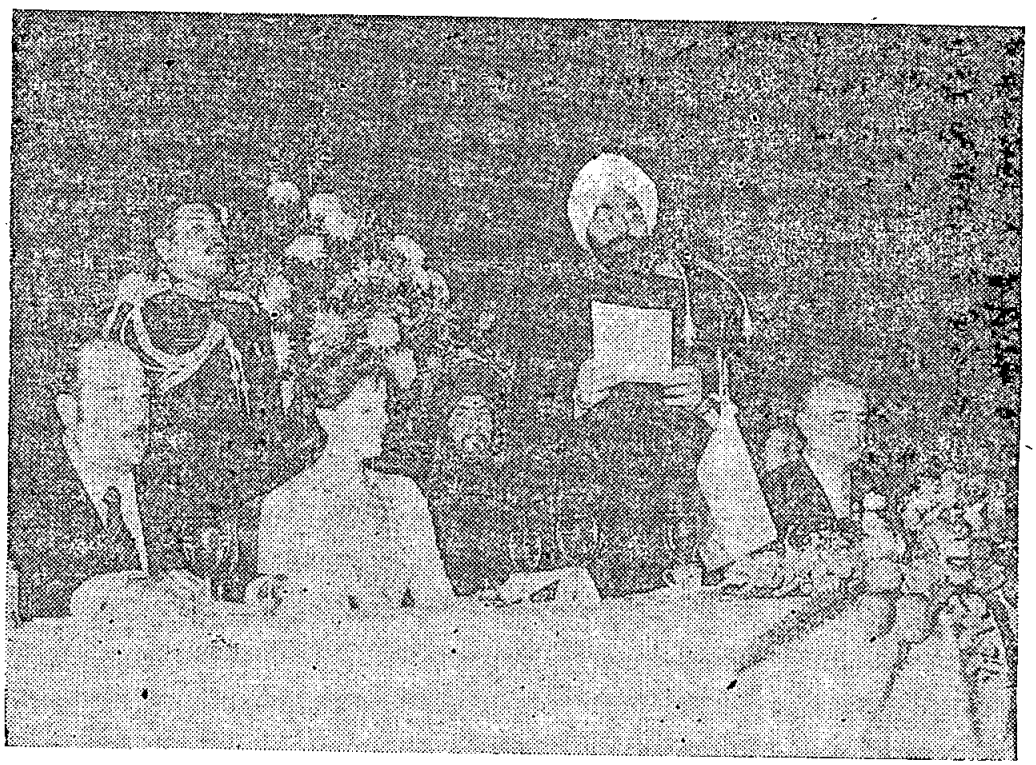

भारत के राष्ट्रपति के सम्मान में मैक्सिको के राष्ट्रपति द्वारा दिए गए राजकीय भोज के अवसर पर हिन्दी में भाषण देते हुए भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैलसिंह

मक्सिको तथा अर्जेण्टीना में जो जो भाषण हुए उनकी हिन्दी और स्पनिश प्रतियां उपलब्ध करा दी गई थी । इन दोनों ही देशों की जनता ने हिन्दी और स्पैनिश में दिए गए भाषणों की प्रशंसा की । राष्ट्रपति जी ने 27 अप्रैल, 1984 को अर्जेण्टीना की राष्ट्रीय-कांग्रेस (संसद) के संयुक्त अधिवेशन में अपना ऐतिहासिक अभिभाषण हिन्दी में पढ़ा जिसके दौरान बार-बार संसद-सदस्यों और सरकार के मंत्रियों द्वारा प्रशंसा व्यक्त की गई । भाषण के दौरान राष्ट्रपति जी ने कहा "लैटिन अमेरिका के साथ भारत के सम्बन्ध बड़े पौराणिक स्वरूप के हैं । भारत के प्राचीन महाकाव्य-महाभारत में पृथ्वी की दूसरी तरफ रहने वाले मनुष्यों का उल्लेख मिलता है । हमारा विश्वास है कि मानव प्राणियों की पहली लहर एशिया से एलास्का होते हुए बहरिंग स्टेट को पार करके विश्व के इस हिस्से में आई थीं और उसके बाद राकी पर्वतों और एण्डीज के साथ-साथ आपके प्रसिद्ध प्रान्त "लियेरा देल फुएगो" में पहुंची थी । मैं समझता हूं कि इसकी राजधानी "ऊषवाइया" का अर्थ है "प्रातःकाल के सूर्य का देश" यह केवल एक इत्तफाक की बात ही नहीं है, संस्कृत में भी "ऊषा" शब्द का अर्थ "पौ फटना" या "सूर्योदय" है । भारत के प्राचीन ग्रन्थ ऋग्वेद में कुछ मंत्र "ऊषा देवी" के सम्बन्ध में हैं जो निहायत ही काव्यात्मक और भावात्मक हैं ।

—श्री परमानन्द पांचाल
के सौजन्य से

राजभाषा भारती

राजभाषा विभाग की त्रैमासिकी

अप्रैल----जून, 1984 वर्ष 7, अंक : 25

संपादक
राजेन्द्र कुशवाहा

उप संपादक
जयपाल सिंह

पत्र व्यवहार का पता :
संपादक, राजभाषा भारती,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
लोकनायक भवन (प्रथम तल)
खान मार्केट, नई दिल्ली--110003

फोन : 698617/617807

पत्रिका में प्रकाशित लेखों की अभिव्यक्ति से राजभाषा विभाग का सहमत होना अनिवार्य नहीं है।

(निःशुल्क वितरण के लिए)

विषय-सूची

कुछ अपनी---कुछ आपकी 2

1. राजभाषा अधिनियम---अनुपालन और सरकारी कर्मचारियों की कर्त्तव्य-निष्ठता — श्री राजकुमार शास्त्री, भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार एवं सचिव, राजभाषा विभाग 9

2. सांविधानिक परिप्रेक्ष्य में राजभाषा की प्रगति---एक विवेचन — श्री देवेन्द्र चरण मिश्र, संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग 11

3. राजभाषा का स्वरूप और विकास (भाग-1) — डा० कलाश चन्द्र भाटिया, प्रोफेसर---हिन्दी एवं भारतीय भाषाएं, ला० ब० शा० रा० प्र० अ०, मसूरी 20

4. हिन्दी का अखिल भारतीय स्वरूप — डा० पाण्डुरंग राव, निदेशक (हिन्दी), संघ लोक सेवा आयोग 29

5. हिन्दी की सार्वदेशिकता — डा० शशि शेखर तिवारी, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर एवं अध्यक्ष हिन्दी विभाग, भागलपुर विश्वविद्यालय 32

6. पुरानी यादें नए परिप्रेक्ष्य
   1. जवाहर लाल नेहरू 35
   2. डा० विश्वनाथ प्रसाद 39

7. समिति---समाचार
   (1) केन्द्रीय हिन्दी समिति की 18वीं बैठक 43
   (2) पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक 48
   (3) ग्रामीण विकास मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक 48
   (4) उद्योग मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक 49
   (5) सिंचाई मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक 49
   (6) इस्पात और खान मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक 50
   (7) स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक 50
   (8) समाज कल्याण मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक 51
   (9) विशाखापत्तनम नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का पुरस्कार वितरण समारोह 51

(10) बीकानेर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक 51
(11) आगरा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक 53

8. राजभाषा हिन्दी के बढ़ते चरण :

(1) मैकन, रांची में "व्यावहारिक हिन्दी" पर लघु कार्य गोष्ठी 55
(2) भारतीय खाद्य निगम, जिला कार्यालय, ग्वालियर में हिन्दी गोष्ठी 57
(3) हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कार्पोरेशन लि०, दिल्ली के क्षेत्रीय कार्यालय में हिन्दी पुरस्कार वितरण समारोह 58
(4) ओरिएन्टल बैंक आफ कामर्स में राजभाषा हिन्दी की प्रगति 58
(5) राजभाषा सम्मेलन एवं शील्ड वितरण समारोह 58
(6) पूर्ति विभाग में हिन्दी की प्रगति 65

9. विविधा

(1) आकाशवाणी, बम्बई में प्रथम हिन्दी कार्यशाला समापन समारोह 66
(2) राष्ट्रीयकृत बैंक हिन्दी अधिकारी संगम 66
(3) स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया, आगरा में राजभाषा सप्ताह 67
(4) बैंक आफ इंडिया में 'राजभाषा सेमिनार' 67
(5) जिंक स्मेल्टर, विशाखापत्तनम में 'राजभाषा सेमिनार' 68

10. पुस्तक समीक्षा 69

11. महत्वपूर्ण अधिसूचना 71

12. नई प्रोत्साहन योजना 83

कुछ अपनी

"राजभाषा भारती" कोई साहित्यिक पत्रिका नहीं है। राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव श्री देवेन्द्र चरण मिश्र ने अपने लेख में स्पष्ट कर दिया है कि "राज भाषा विभाग" की ओर से संघ सरकार के कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए किए जा रहे कार्यों तथा राजभाषा के सम्बन्ध में संवैधानिक और कानूनी स्थिति के बारे में लोगों को आवश्यक जानकारी देने के लिए राजभाषा भारती नाम की त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है।" इस सम्बन्ध में श्रीमती कमलारत्नम के पत्र से उद्धृत करने का लोभ संवरण नहीं हो पा रहा है जिसमें उन्होंने कहा है—"मैं चाहूंगी आप अपने पत्र में कम से कम आधी सामग्री (कार्यान्वयन) के परिणामों के बारे में दें।" इस अंक में इस ओर हमने कुछ थोड़ा सा प्रयास किया है।" राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित राजभाषा सम्मेलन तथा शील्ड वितरण समारोह के अवसर पर सूचना तथा प्रसारण मंत्री श्री हरिकृष्ण लाल भगत ने अपने भाषण में कहा था कि "अंग्रेजी में काम करने की कुछ आदत बन गई है इसलिए हिन्दी जानने वाले भी हिन्दी में काम नहीं करते।" राजभाषा विभाग के सचिव श्री राज कुमार शास्त्री ने मैकन, रांची के तत्वावधान में 'व्यावहारिक हिन्दी' पर त्रिदिवसीय हिन्दी लघु-कार्य- गोष्ठी के उद्घाटन पर कहा था "हमारी नीति यह रही है कि हम इस सम्बन्ध में किसी को विवश न करें, किसी पर हिन्दी न थोपें, परन्तु इसका मतलब यह नहीं कि सरकार द्वारा दी गई सहूलियतों के प्रति उदासीनता दिखाई जाए और संवैधानिक तथा विधिक प्रावधानों का अनुपालन न किया जाए।" यह सब राजभाषा के कार्यान्वयन के क्षेत्र में लगे महानुभावों के लिए न केवल विचारणीय है अपितु इन्हें व्यावहारिक रूप देने के प्रयास के लिए भी प्रेरित करते हैं।

अभी हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने मैक्सिको तथा अर्जेन्टीना की महत्वपूर्ण विदेश यात्रा की। राजभाषा के लिए गौरव की बात है कि उन्होंने अपनी ऐतिहासिक यात्रा के दौरान अपने सभी भाषण भारत की राजभाषा हिन्दी में दिए। निःसंदेह इससे राजभाषा गौरवान्वित हुई है। भारत की प्रधान मन्त्री ने भी अन्तरिक्ष यात्री श्री राकेश शर्मा से वार्तालाप का प्रारम्भ और समापन हिन्दी में ही किया। राजभाषा के सम्मान के लिए यह एक ऐतिहासिक घटना है।

प्रस्तुत अंक राजभाषा की प्रगति का परिचय देने का एक प्रयास मात्र है, इसलिए इसमें अधिक लेखों का समावेश सम्भव नहीं हो पाया है फिर भी डा० कैलाश चन्द्र भाटिया के शोधपूर्ण व्याख्यान का एक अंश इस अंक में दिया जा रहा है जिससे राजभाषा की पृष्ठभूमि और विकास की उपयोगी जानकारी मिलती है। इस अंक में प्रकाशित अन्य लेख भी हिन्दी की व्यापकता और सामर्थ्य के परिचायक हैं। केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के 'क' तथा 'ख' वर्ग का संवर्ग वार्षिक कार्यक्रम के साथ प्रकाशित किया जा चुका है। इस अंक में 'ग' वर्ग का संवर्ग भी प्रकाशित किया जा रहा है। आशा है कि यह उपयोगी सिद्ध होगा। नई प्रोत्साहन योजना को भी प्रकाशित किया जा रहा है। आशा है इसके लाभकारी परिणाम होंगें।

1984–85 के वार्षिक कार्यक्रम की प्रतियां मंत्रालयों/विभागों उपक्रमों एवं निगमों तथा सम्बद्ध कार्यालयों आदि को भेजी जा चुकी हैं। राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी जितनी राजभाषा विभाग की है इससे कहीं अधिक व्यावहारिक जिम्मेदारी सरकारी कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भी है। सांविधिक प्रावधानों और राजभाषा अधिनियम का कार्यान्वयन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि भारत सरकार के अन्य अधिनियमों का। यह अच्छा होगा कि भारत सरकार के विभिन्न कार्यालय समय-समय पर वार्षिक कार्यक्रम को लागू करने के सम्बन्ध में किए गए प्रयासों और उनके परिणाणों की जानकारी 'राजभाषा भारती' को भेंजते रहें। हम उन्हें प्रकाशित करने का प्रयत्न करेंगे।

इस अंक के प्रति पाठकों की प्रतिक्रिया जानकर हमें प्रसन्नता होगी।

कुछ आपकी

"राजभाषा भारती" का 23वां अंक मिला। अंक की छपाई-सफाई नयनाभिराम है और सामग्री के चयन में परिश्रम तथा सूझ-बूझ की छाप है। प्रो० जी० सुन्दर रेड्डी तथा श्री गोपाल प्रसाद व्यास के लेख महत्वपूर्ण हैं।

हिन्दी भाषा मेरी मातृभाषा है, यद्यपि मेरे अध्ययन की भाषा संस्कृत और अंग्रेजी रही है। अपने दीर्घकालीन विदेश-प्रवास में मैंने विदेशी भाषा के आत्मनाशकारी प्रभाव को भली भांति देखा और अनुभव किया है। विदेशी भाषा के लम्बे प्रयोग से हम भारतीय नितांत आत्महीन हो गए हैं—पिंजरे में बन्द परकटे पक्षी की भांति हम उन्मुक्त आकाश के अस्तित्व की भी कल्पना नहीं कर सकते। भाषा के सम्बन्ध में एक बात नहीं भूलनी चाहिए। भाषा एक व्यक्ति के व्यवहार की वस्तु नहीं है। समूचे समाज के परस्पर सामूहिक व्यवहार से ही किसी भाषा का स्वरूप बनता बिगड़ता है।

श्रीमती कमला रत्नम
प्राचार्या,
ईशान, एफ० 1/7, हौज खास एन्क्लेव,
नई दिल्ली।

राजभाषा भारती का जो विशेषांक तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलन के अवसर पर प्रकाशित हुआ है, उसमें उपयोगी सामग्री है। सम्पादकों ने श्रम किया है, बधाई देना चाहूंगा।

सभी स्वीकार करेंगे कि किसी भी स्वतन्त्र समाज की अपनी भाषा होनी चाहिए। पर भारत जैसे बहुभाषा-भाषी देश में प्रश्न जटिल हो गया है और आजादी के इतने दिनों बाद भी समस्या सुलझी नहीं है।

मेरा विचार है कि संघर्ष भाषा में होते हैं, साहित्य में नहीं। इसलिए सबसे पहले सभी भाषाओं में सम्वाद की प्रक्रिया को तेज करना होगा। हिन्दी के शब्द भण्डार को बढ़ाना हमारी प्राथमिक आवश्यकता है। संस्कृत के असंख्य शब्द भारतीय भाषाओं में खप गए हैं। शोध करने पर ज्ञात होगा कि विभिन्न भाषाओं में अनेक समानार्थी शब्द हैं, जिन्हें हिन्दी में लाना चाहिए। भाषाएं तब कमजोर होती हैं, जब उनके द्वार दूसरी भाषाओं के लिए बन्द कर दिए जाते हैं और अनुदार कट्टरता आजमाई जाती है।

अच्छा होगा कि राजभाषा के क्षेत्र में काम करने वाली विभिन्न इकाइयां ऐसे शब्दों की सूची तैयार करें, जो रोजमर्रा के जीवन में काम आते हैं, और यह भी कि विभिन्न भाषाओं में उनकी समान/असमान रेखाएं क्या हैं? बहुत विनम्र भाव से कहना चाहिए कि भाषा का प्रश्न राजनीति से अलग किया जाए तो समस्या आसानी से सुलझ सकती है। पर जैसा कि मैंने निवेदन किया कि इसके लिए एक विनियम की शुरुआत करनी होगी, जैसा सांस्कृतिक आदान-प्रदान भारतीय समाज में निरन्तर होता आया है, ईमानदारी के साथ।

हमारी तरह सोवियत संघ भी एक अनेक भाषाओं वाला समाज है। वहां 'रूसी' राजभाषा के स्तर पर है, पर अन्य सभी भाषाएं अपने-अपने क्षेत्रों में पूर्ण विश्वास पा रही हैं। रचना के क्षेत्र में तो यह स्थिति है कि प्रादेशिक इकाइयों में समृद्ध रचनाएं प्रस्तुत की जा रही हैं। आज हिन्दी को महात्मा गांधी, महामना मालवीय, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टण्डन जैसे समर्पित राष्ट्र भक्तों की जरूरत है, जिनकी प्रेरणा से हिन्दी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता संग्राम से जुड़ी और पूरे देश ने उसे राष्ट्रीयता की वाणी के रूप में स्वीकारा। हिन्दी को हर तरह के व्यापारियों, व्यवसायियों से बचाना उतना ही जरूरी है, जितना कि भाषा के पेशेवरों से।

प्रेम शंकर,
आचार्य, हिन्दी विभाग, सागर विश्वविद्यालय

विशेषांक बहुत पसन्द आया। खास कर इसके विषय-वस्तु का चयन और प्रस्तुतीकरण स्तुत्य और सराहनीय रहा। अपने क्षेत्र के पारंगत और हिन्दी को राजभाषा के रूप में प्रत्येक क्षेत्र में प्रतिष्ठित करने में जुटे हुए मनीषियों के लेख प्रकाशित कर ऐतिहासिक बनाया गया है, एतदर्थ साधुवाद।

श्री देवेन्द्र चरण मिश्र, श्री राजमणि तिवारी तथा श्री हरिबाबू कंसल के लेख सूझ-बूझ और पांडित्य से भरपूर हैं। हिन्दी को न केवल अपने देश, अपितु संसार के अनेक देशों की जीवंत भाषा बनाने की दिशा में 'राजभाषा भारती' की भूमिका श्लाघनीय है। यह पत्रिका यदि बिक्री के लिए कुछ

और साज सज्जा एवं ज्ञानवर्धक रूप में आम जनता तक पहुंचाई जाए तो कदाचित ज्यादा समीचीन होगा।

ज्वलंत प्रश्न चिह्न विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिन्दी के प्रयोग की महती आवश्यकता को उजागर करना बहुत आवश्यक है। इस दिशा में मैंने पूर्ण सहयोग का आश्वासन पूर्व संपादक श्री तिवारी जी को दिया था, एक अंक विशेष नियोजित कर लेख आमंत्रित कर लें तो विशेषांक बन सकता है। विश्व हिन्दी सम्मेलन में प्रधान मंत्री जी ने भी इस आवश्यकता पर बल दिया था, इसे कार्यरूप में परिणत कर अनगृहीत करें।

मूलचन्द पांडेय,
2/10; त्रिवेणी नगर, लखनऊ–226020।

आपकी पत्रिका का अक्तूबर–दिसम्बर 1983 अंक देख कर बहुत हर्ष हुआ। इसमें राजकीय स्तर पर हिन्दी के प्रचलन, प्रसार एवं प्रसार के लिए किए जा रहे अनेकानेक प्रयासों की सुन्दर झलक प्रस्तुत की गई है। महामहिम राज्यपाल हरियाणा ने भी इसे बहुत पसन्द किया है। मेरे विचार में यदि हिन्दी भाषा–भाषी प्रदेशों के प्रयासों का भी कुछ वर्णन इस अंक में रहता तो शायद इस अंक की उपयोगिता और भी बढ़ जाती।

कृष्ण मदहोश,
लोक संपर्क अधिकारी, राज्यपाल हरियाणा, चण्डीगढ़।

आपके द्वारा प्रकाशित "राजभाषा भारती" का अंक 23 अक्तूबर, दिसम्बर, 1983 तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलन विशेषांक प्राप्त हुआ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलन से हिन्दी के प्रगामी प्रयोग में और भी तीव्र गति से प्रगति होगी। विभिन्न विचारकों और भाषाविदों की रचनाओं को पढकर ऐसा लगा कि निःसन्देह राजभाषा प्रगति के पथ पर हैं और वह दिन दूर नहीं, जब हमारे देश में यह पूरी तरह से छा जायेगी और देश की यही एकमात्र भाषा होगी। यद्यपि पत्रिका में प्रकाशित अधिकतर सामग्री सुरुचिपूर्ण और उच्च स्तरीय है, लेकिन यह साधारण पाठक की समझ से बाहर है। इस विषय में एक सुझाव है कि पत्रिका को और आकर्षक और प्रभावी बनाने के लिए कुछ रोचक सामग्री भी प्रकाशित की जाए।

राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में 'राजभाषा भारती' निःसन्देह पथ प्रदर्शक और मार्गदर्शक है। अन्त में मैं माननीय प्रकाश चन्द सेठी, गृह मन्त्री, भारत सरकार के शब्दों को दुहराना चाहूंगा कि "अभी तक हम अपने निर्धारित लक्ष्य से बहुत दूर हैं। इसके लिए हमें निष्ठापूर्ण प्रयत्न करना होगा, तभी इसमें सफलता मिल सकती है।"

अन्त में आपको व समस्त प्रकाशन मण्डल को हिन्दी के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में किए गए सराहनीय प्रयासों के लिए बार–बार बधाई।

के० एल० पहुजा
राजभाषा अधिकारी, मण्डल कार्यालय, शिमला।

तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलन विशेषांक के रूप में प्रकाशित यह अंक उत्कृष्ट है, एक अंक में इतनी अधिक प्रेरक और उपयोगी सामग्री एकत्रित कर प्रस्तुत कर देना, अपने आप में बड़ी बात है। विषय के अधिकारी विद्वानों के लेखों से विश्व स्तर पर हिन्दी के व्यापक प्रसार की स्थिति स्पष्ट हुई है। एक ओर जहां, हिन्दी के प्रचार के लिए देशव्यापी सस्थानों के योगदान की चर्चा है, वहीं विदेशों में भी किए जा रहे हिन्दी कार्य का लेखा-जोखा रेखांकित किया गया है।

"राजभाषा भारती" के इस विशेषांक के माध्यम से, देश के केन्द्रीय कार्यालयों को राजभाषा हिन्दी के बारे में वास्तविक स्थिति की जानकारी मिलेगी तथा वे इससे प्रेरणा ग्रहण करेंगे तथा पूरे उत्साह से सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ा कर, भारत सरकार की राजभाषा नीति के समुचित कार्यान्वयन में अपना योगदान देंगे।

शिवन के० धर,
समाहर्ता एवं अध्यक्ष, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति,
इन्दौर।

"राजभाषा भारती" का 23वां अंक मिला। इसे आपने 'तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलन' के विशेषांक के रूप में निकाला है। हिन्दी की प्रगति, प्रसार और प्रचार उसमें आने वाली कठिनाइयों पर विविध क्षेत्र के विद्वानों के उपयोगी लेखों से यह अंक निश्चय ही संग्रहणीय बन गया है। बधाई।

गिरजा शंकर त्रिवेदी,
सह संपादक—नवनीत, हिन्दी डाइजेस्ट।

"राजभाषा भारती" का अक्तूबर–दिसम्बर 1983 (विशेषांक) यथासमय मिल गया था। पत्रिका को आद्योपांत पढ़ गया। इतना सुन्दर आधिकारिक विवरणों सहित अधिकारी विद्वानों के निबन्धों को एक साथ उपलब्ध कराने तथा इस संग्रहणीय अंक को प्रेषित करवाने के लिए आपका अत्यन्त आभार मानता हूं।

अंक में राजभाषा हिन्दी के विकास की अद्यावधि सूचनाओं के अतिरिक्त रोचक, विचारोत्तेजक, ज्ञानवर्द्धक

सामग्रियों को सुरुचिपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया गया है। डा० भोला नाथ तिवारी का निबन्ध, जहां विदेशों में हिन्दी की स्थिति स्पष्ट करता है, वहीं विदेशियों की दृष्टि में हिन्दी के महत्व को उजागर करने में डा० विजेयन्द्र स्नातक का लेख भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। श्री राजमणि तिलारी तथा डा० रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव के निबन्ध भी काफी उपयोगी हैं। मैं इसे आपके अथक प्रयास का प्रतिफल मानता हूं और इसके लिए अपनी ओर से तथा पत्रिका परिवार की ओर से हार्दिक धन्यवाद देता हूं। सचमच यह अंक प्रस्थत कर आपने अकथनीय लेख दिया है। सम्प्रति तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलन की मैं इसे उपलब्धि मानता हूं।

जयनाथमणि त्रिपाठी, सम्पादक, अंचल भारती, देवरिया

"राजभाषा भारती" का 23वां अंक (अक्तूबर, दिसम्बर, 1983 की तिमाही) प्राप्त हुआ है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

ततीय विश्व हिन्दी सम्मेलन की जानकारी, हिन्दी के महान विद्वानों के विचार एवं हमारे देश के नेताओं के भाषा सम्बन्धी विचारों से भरपूर राजभाषा भारती का यह अंक अत्यन्त उपयोगी एवं रोचक है। उत्तम संपादन एवं उपयोगी सामग्री प्रकाशित करने पर बैरा स्यूल परिवार की ओर से सम्पादक मण्डल को बधाई। हमारे राष्ट्रपति श्री जैल सिंह जी की अभिव्यक्ति पत्रिका के माध्यम से आपने हम तक पहुंचाई है, जिसे पढ़कर मैं अत्यन्त हर्षित हुआ हूं।

राजभाषा भारतीय के माध्यम से राजभाषा हिन्दी की सरकारी कामकाज एवं अन्य क्षेत्रों में जो प्रोत्साहन मिल रहा है, यह बात किसी से छिपी नहीं है। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों आदि की राजभाषा सम्बन्धी प्रगति से एक-दूसरे को अवगत कराया जाना प्रतिस्पर्धा को जन्म दे रहा है, जो निश्चित रूप से राजभाषा हिन्दी के लिए उत्तम है।

-शीलेन्द्र कुमार जौहरी,
उप-प्रबन्धक (कार्मिक व प्रशासन) नेशनल हाइड्रो-
इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि०, सूरंगानी।

"राजभाषा भारती" का अक्तूबर-दिसम्बर, का विशेषांक प्राप्त हुआ। इस अंक में प्रकाशित राजभाषा हिन्दी के बारे में विस्तृत जानकारी अन्यन्त उपयोगी है। हिन्दी भाषा के बारे में विविध विद्वानों के रोचक लेख एवं राजभाषा के रूप में हो रहे कार्यों का विवरण इसमें दिया गया है। गोवा जैसे अहिन्दी प्रदेश में गोवा शिपयार्ड द्वारा हिन्दी के प्रचार एवं प्रसार हेतु विविध कार्य किए जा रहे हैं। आपसे आशा है कि आपके अंक में अहिन्दी प्रदेशों में किए जाने वाले कार्यों को भी प्राथमिकता दी जाएगी।

---जालन्धर पुरोहित,
हिन्दी अधिकारी, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा।

"राजभाषा भारती" का हिन्दी सम्मेलन विशेषांक प्राप्त हुआ। हिन्दी सम्मेलन के बारे में कुछ कहना उपयुक्त नहीं होगा। किन्तु अंक में समाविष्ट सामग्री अत्यन्त महत्वपूर्ण रही।

"विदेशों में हिन्दी" जानकारी अत्यन्त उपयोगी है। "विदेशी विद्वानों की दृष्टि में हिन्दी" के लिए डा० विजयेन्द्र स्नातक बधाई के पात्र हैं। "हिन्दी विधि शब्दावली" तथा "हिन्दी के प्रसार में केन्द्रीय निदेशालय का योगदान" प्रशंसनीय है।

अन्य सामग्री विषय की जानकारी की दष्टि से अत्यन्त उपयोगी एवं सामयिक है। इस सुन्दर संकलन के लिए हमारी हार्दिक शुभ कामनाएं।

---जे० के० शर्मा,
हिन्दी अधिकारी, एच० एम० टी० लि०,
जेंनाकोट, श्रीनगर।

"राजभाषा भारती" तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलन विशेषांक (अक्तूबर-दिसम्बर, 1983) प्राप्त हुआ। इसे हमारे अधिकारियों ने देखा एवं सराहा। पत्रिका में राजभाषा हिन्दी को लोकप्रिय बनाने व इसके व्यापक प्रयोग के सम्बन्ध में उपयोगी सामग्री थी। राजभाषा के विकास में राजभाषा भारती एक सशक्त माध्यम है तथा इसका योगदान प्रशंसनीय है।

मैं राजभाषा भारती की और अधिक सफलताओं की कामना करता हूं।

---एम० एन० खन्ना,
प्रबन्ध निदेशक, फैरो स्क्रेप निगम लि०, जमशेदपुर।

"राजभाषा भारती" के अंक हमेशा बराबर भेजते रहते हैं। उसके लिए हार्दिक आभारी हूं।

तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलन के अवसर पर "राजभाषा भारती" का विशेषांक निकालकर आपने अति उत्तम कार्य किया है। अंक सुन्दर है। साथ-साथ पठनीय सामग्री से ओत-प्रोत है।

---गिरधारी लाल चन्दक,
मैनेजिंग ट्रस्टी एवं कोषाध्यक्ष, दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा
एवं रेलवे हिन्दी सलाहकार समिति, सदस्य।

"राजभाषा भारती" का अक्तूबर–दिसम्बर, 1983 का अंक प्राप्त हुआ। तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलन के अवसर पर प्रकाशित राजभाषा भारती के इस विशेषांक में दी गई सामग्री बहुत ही उत्तम कोटि की है। वास्तव में आपकी यह पत्रिका देश में राजभाषा हिन्दी के सम्बन्ध में सूचना का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गई है। मेरी शुभ कामनाएं आपके साथ हैं।

—डी० एन० भटनागर,
संपादक, नेशनल रिसर्च डिवल्पमेंट
कारपोरेशन आफ इण्डिया,
नई दिल्ली।

आपके द्वारा प्रेषित राजभाषा भारती के अंक 21–22 तथा अंक 23 की एक–एक प्रति प्राप्त हुई। धन्यवाद। इस अंक में विविध प्रकार की ज्ञानवर्धक एवं उपयोगी सामग्री प्रस्तुत की गई है। "राजभाषा भारती" सरकारी काम-काज में हिन्दी के प्रयोग के निरन्तर विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है।

—डा० आर० एम० एस० विजयी,
सहायक हिन्दी अधिकारी,
नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लि०,
बदरपुर, नई दिल्ली।

"बिना अंग्रेजी के ज्ञान के भी भारतीय मस्तिष्क का सर्वोच्च विकास हो सकना चाहिए। हमारे देश के लड़के और लड़कियों को यह सोचने के लिए प्रोत्साहित करना कि अंग्रेजी के ज्ञान के बिना उनकी सर्वोच्च समाज में पैठ नहीं हो सकती, भारत के पुरुषों और महिलाओं का अपमान करना है। यह विचार इतना लज्जाजनक है कि इसे मन में लाने से ही पीड़ा होती है। अंग्रेजी का मोह छोड़ना स्वराज के अन्यतम तत्वों में से एक है.....इस आवश्यक परिवर्तन के लिए खोया गया प्रत्येक दिन हमारे देश की सांस्कृतिक हानि को बढ़ाता जा रहा है।"

—महात्मा गाँधी

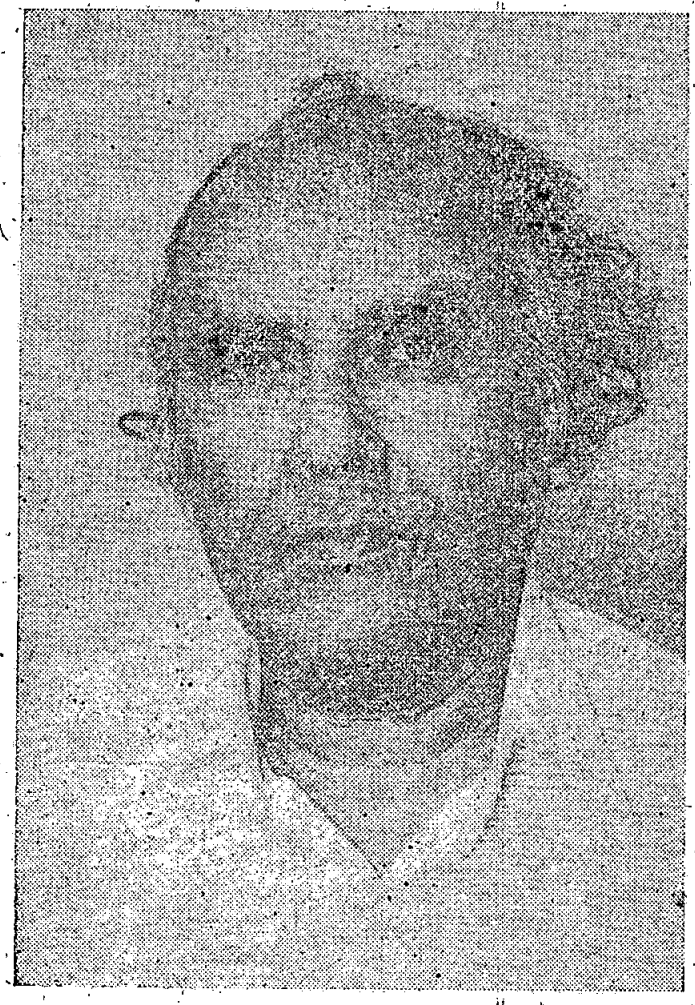

राजभाषा विभाग में श्री राजकुमार शास्त्री ने 29 फरवरी, 1984 को सचिव के पद पर कार्यभार संभाल लिया। श्री राज कुमार शास्त्री का जन्म लाहौर में और शिक्षा कलकत्ता और लाहौर में हुई थी। लाहौर के प्रसिद्ध गवर्नमेंट कालेज से उन्होंने अंग्रेजी आनर्स के साथ बी० ए०. की परीक्षा उत्तीर्ण की और उसके बाद दिल्ली से अर्थशास्त्र में एम० ए०। 1953 में वे अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा में चुन लिए गए। सेवा के दौरान उन्होंने विलियम्स कालेज मैसाचूसेट्स से मास्टर डेवलपमेंट एकोनोमिक्स की डिग्री प्राप्त की। श्री राज कुमार शास्त्री की सेवा का कुछ भाग राजस्थान में गुजरा, जिसके दौरान राजस्थान के गृह सचिव जैसे महत्वपूर्ण पद पर कार्य करने के अलावा उन्होंने विभिन्न राज्य–उपक्रमों के अध्यक्ष के रूप में अपनी प्रशासनिक योग्यता का परिचय दिया। केन्द्र के लिए वे कोई नए व्यक्ति नहीं हैं। इससे पूर्व वे केन्द्र में गृह मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, कृषि मंत्रालय तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय आदि में विभिन्न पदों पर अपनी योग्यता प्रदर्शित कर चुके हैं। राजभाषा विभाग में आने से पूर्व श्री राज कुमार शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, मसूरी के निदेशक थे। मृदुभाषी, सरलता मिश्रित गम्भीर व्यक्तित्व के श्री राज कुमार शास्त्रीजी राजभाषा हिन्दी के सटीक कार्यान्वयन के लिए बहुत सजग हैं। हिन्दी के अतिरिक्त उन्हें संगीत में भी अभिरुचि है। राजभाषा विभाग के लिए यह सौभाग्य है कि श्री राज कुमार शास्त्री जैसे अनुभवी, कर्मठ, आत्म प्रशंसा और प्रचार से दूर रहकर ठोस कार्य करने की उत्कट इच्छा वाले व्यक्ति ने राजभाषा सचिव के पद का कार्यभार संभाला। हमें पूर्ण आशा है कि "राजभाषा भारती" उनके मार्गदर्शन में उनकी आकांक्षाओं, अभिलाषाओं की पूर्ति करने में सफल हो सकेगी।

राजभाषा अधिनियम—अनुपालन और सरकारी कर्मचारियों की कर्तव्यनिष्ठता

—श्री राजकुमार शास्त्री
भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार एवं सचिव,
राजभाषा विभाग

(18 अप्रैल, 1984 को मैकन, रांची के तत्वावधान में श्यामली स्थित कम्यूनिटी हाल में आयोजित "व्यावहारिक हिन्दी" पर त्रि-दिवसीय लघु कार्य गोष्ठी के उद्घाटन के अवसर पर दिये गए भाषण से)

मुझे खुशी है कि रांची में व्यावसायिक हिन्दी पर एक कार्य-गोष्ठी का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम को देखते हुए लगता है कि इस कार्य गोष्ठी के लिए अपनाई प्रणाली अपने में एक नया प्रयास है। इसके आयोजकों को मैं बधाई देना चाहूंगा।

जैसा कि आप जानते हैं कि हिन्दी के राजभाषा के रूप में स्थापित किए जाने के बावजूद, और केन्द्रीय सरकार द्वारा सुनिश्चित ढंग से इसका प्रचार और प्रयास की व्यवस्था करने के बावजूद सरकारी काम में इसका प्रयोग उस तरह नहीं हो रहा है, जैसा कि संविधान और अधिनियम के प्रावधानों से अपेक्षा की गई थी। यह भी अफसोस की बात है कि हिन्दी भाषी 'क' क्षेत्र में भी जहां की जनता को सरकारी कामकाज में हिन्दी न होने के कारण काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, वहां भी केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में और सरकारी उपक्रमों में हिन्दी का प्रयोग समुचित रूप से नहीं हो रहा है।

देश के अधिकांश लोगों द्वारा बोली और समझी जाने वाली भाषा जिसके द्वारा भारत की सांस्कृतिक परम्पराएं जुड़ी हुई हैं, क्या कारण है कि राजभाषा के रूप में उसका प्रयोग उस स्तर पर नहीं हो रहा है, जिस स्तर पर बोलचाल की सम्पर्क भाषा के रूप में उसका इस्तेमाल देश के हर कोने में हो रहा है? हिन्दी को राजभाषा का रूप देने का कारण तो यही था कि 70 प्रतिशत से अधिक लोग देश में इसको बोलते या समझते हैं और इसके अतिरिक्त कोई दूसरी भाषा का प्रयोग सम्पर्क भाषा के रूप में नहीं था।

1950 में हिन्दी को संघ की राजभाषा घोषित किए जाने के बाद हिन्दी के माध्यम से प्रशासन का कार्य चलाने के लिए, विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शब्दावली निर्माण, प्रशासनिक साहित्य का अनुवाद आदि की व्यवस्था तो की ही गई उसके अतिरिक्त हिन्दी शिक्षण योजना के माध्यम से केन्द्रीय सरकार के हिन्दी न जानने वाले सरकारी कर्मचारियों को हिन्दी शिक्षण का कार्य शुरू किया गया। प्रारम्भ में यह प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उन लोगों के लिए था जो स्वेच्छा से हिन्दी पढ़ना चाहते थे, बाद में अप्रैल, 1960 के राष्ट्रपति के आदेश से हिन्दी का सेवा-कालीन प्रशिक्षण केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया। इस प्रकार टंककों और आशुलिपिकों के लिए भी हिन्दी टाईपिंग और हिन्दी आशुलिपि का प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया। इस समय देश में हिन्दी, हिन्दी टाईपिंग तथा हिन्दी आशुलिपि प्रशिक्षण के क्रमशः 153 तथा 25 केन्द्र चल रहे हैं। देश भर में करीब 5 लाख केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी इससे लाभान्वित हो चुके हैं। केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो में प्रतिवर्ष 40,000 पृष्ठों के असांविधिक साहित्य के अनुवाद की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त विभिन्न सरकारी कार्यालयों में हिन्दी से सम्बन्धित पदों के सृजन पर भी रोक नहीं है। इसके बावजूद हिन्दी का प्रयोग उस स्तर पर नहीं हो रहा है, जैसा कि होना चाहिए।

आशा की जाती थी कि केन्द्रीय हिन्दी समिति द्वारा की गई व्यवस्थाओं और हिन्दी सलाहकार समितियों तथा राजभाषा कार्यान्वयन समितियों आदि के सहयोग से हिन्दी के प्रयोग में काफी बढ़ोतरी होगी और हुई भी है, परन्तु अधिकारियों/कर्मचारियों के स्तर पर, जहां कि टिप्पण और आलेखन उनको हिन्दी में करना चाहिए था, वह उन्होंने नहीं किया। इसमें सन्देह नहीं कि अधिनियम आदि द्वारा की गई व्यवस्था का अनुपालन तभी हो सकता है, जबकि केन्द्रीय सरकार/उपक्रम के कर्मचारी राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रयोग से सम्बन्धित अपने कर्तव्यों का अनुपालन पूर्ण रूप से करें। हमारी नीति यह रही है कि हम इस सम्बन्ध में किसी को विवश न करें, किसी पर हिन्दी न लादें परन्तु इसका मतलब यह नहीं कि सरकार द्वारा दी गई सहूलियतों के प्रति उदासीनता दिखाई जाए और सांविधिक और विधिक प्रावधानों का अनुपालन न किया जाए।

हमें पूरी आशा है कि इस प्रकार की कार्य गोष्ठियों के आयोजन से हमें हिन्दी में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों/

उपक्रमों में काम करने में बहुत सहायता मिलेगी । जहां इस प्रकार की गोष्ठियां उपस्थित व्यक्तियों को इस सम्बन्ध में एक प्रेरणा देंगी, वहीं पर उन्हें उन कठिनाइयों को जिनके कारण वे हिन्दी में काम नहीं कर सकते हैं, दूर करने में, आपस के विचार-विमर्श से सहायता मिलेगी । हिन्दी के गहन उपयोग में आई बाधाओं को हटाने में तथा हिन्दी में काम न करने के कारण हुई जनता की कठिनाइयों को दूर करने के लिए जो सुझाव या निर्णय यहां पर लिए जा सकते हैं, वे सरकार के किसी और रुटीन प्रकार के प्रयत्नों से एकदम अलग होंगे और हमें पूरा विश्वास है कि उनसे जो सहायता मिलेगी उससे हिन्दी के प्रयोग आदि में अवश्य प्रगति होगी । अनुरोध सिर्फ यह है कि कृपया इसके प्रतिभागी इसको एक रुटीन रूप न दें और जिन मदों को मद्दे नजर रखकर इस प्रकार की कार्य गोष्ठी का आयोजन किया गया है, उसके व्यावसायिक रूप से इनकी उपलब्धियों का लाभ उठाएं ।

चूंकि उपस्थित लोगों से आशा की जाती है कि वे स्वयं वापिस जाकर अपने कार्यालयों आदि में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देंगे, इसलिए मैं उनसे विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि कुछ बातों पर खास जोर दिया जाए :—

उदाहरणस्वरूप :—

(क) वार्षिक कार्यक्रम का पूर्णरूप से कार्यान्वयन किया जाना चाहिए । आपके पास 1984–85 के कार्यक्रम की प्रति रखी हुई है, कृपया इसको आप अपने कार्यालयों में कार्यान्वित करें । यह अत्यन्त आवश्यक है ।

(ख) अधिनियम की धारा 3 (3) के अन्तर्गत सम्बन्धित दस्तावेजों को हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किया जाए ।

(ग) हिन्दी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर अनिवार्य रूप से हिन्दी में ही दिए जाएं ।

(घ) केन्द्र सरकार के कार्यालयों से 'क' क्षेत्र के किसी अन्य कार्यालय या व्यक्ति को भेजे जाने वाले पत्र आदि हिन्दी में भेजे जाएं ।

(च) केन्द्र सरकार के कार्यालयों से 'ख' क्षेत्र को भेजे जाने वाले पत्र आदि सामान्यतः हिन्दी में भेजे जाएं ।

(छ) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में 'ग' क्षेत्र के किसी कार्यालय या व्यक्ति को पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाएं । यदि ऐसा कोई पत्र हिन्दी में भेजा जाता है तो उसका अंग्रेजी अनुवाद साथ जाए ।

(ज) केन्द्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग और दूसरे मंत्रालयों या विभाग के बीच पत्र-व्यवहार हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकता है ।

(झ) राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) में निर्दिष्ट सभी दस्तावेजों के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाएगा और उसे सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति की होगी ।

(ट) केन्द्रीय सरकार का कोई कर्मचारी फाइलों में हिन्दी या अंग्रेजी में टिप्पणी या मसौदे लिख सकता है ।

(ठ) केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों से सम्बन्धित मैनुअल, संहिताएं, और अन्य प्रक्रिया साहित्य हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में द्विभाषिक रूप में तैयार और प्रकाशित किए जाएंगे ।

(ड) जिन कार्यालयों के 80 प्रतिशत या इससे अधिक कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान है, उन्हें अधिसूचित किया जाएगा ।

(ढ) प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह दायित्व होगा कि वह राजभाषा अधिनियम और उसके अधीन बने नियमों का समुचित रूप से अनुपालन सुनिश्चित करें ।

रांची शहर में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति भी बनाई गई है । इन समितियों में कुछ शहरों में बहुत अच्छा कार्य हुआ है । यहां तक कि उन्होंने स्वयं अपने निरीक्षण दल बनाए हैं और विभिन्न कार्यालयों से समन्वय स्थापित करके उन्होंने हिन्दी की प्रगति के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है । मैं चाहूंगा कि रांची की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के कार्यों को बढ़ावा दिया जाए । मैं यह भी चाहूंगा कि इस समिति की बैठक में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों/उपक्रमों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लें और संगोष्ठी आदि का आयोजन समिति की ओर से करें । इसमें अध्यक्ष के रूप में सम्बन्धित अधिकारी की जिम्मेदारियां काफी हैं और हमें पूरी आशा है कि समिति अपने कार्यकलापों में काफी प्रगति करेगी ।

मैं फिर कहना चाहूंगा कि 'व्यावसायिक हिन्दी' पर लघु कार्यगोष्ठी का आयोजन निस्संदेह एक नवीन प्रयास है । हिन्दी की प्रगति की दिशा में इसे एक ठोस कदम कहना उचित होगा । आशा है कि इसमें सम्मिलित हो रहे अधिकारी अपना समय पूर्ण-रूप से, हिन्दी के राजभाषा के रूप में प्रयोग बढ़ाने के लिए एवं उस उद्देश्य से आयोजित चर्चाओं में लगाएंगे ।

(गोष्ठी का विवरण पृष्ठ पर)

"सांविधानिक परिप्रेक्ष्य में राजभाषा की प्रगति—एक विवेचन"

— देवेन्द्र चरण मिश्र
संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग
भारत सरकार

(भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में राजभाषा विभाग द्वारा किये गये प्रयासों का विवेचनात्मक परिचय)

भाषा सरकार और जनता के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है। सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का यह एकमात्र माध्यम है और इन नीतियों को निष्ठापूर्वक प्रतिबिम्बित करना ही उसका विशिष्ट दायित्व है। देश में प्रजातन्त्र की जड़े जितनी गहरी होती जा रही हैं उतना ही प्रशासन साधारण जनता के निकट होता जा रहा है। अतः साधारण जनता में प्रशासन के प्रति आस्था उत्पन्न करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रशासन का सारा कामकाज जनता की भाषा में हो जिससे प्रशासन और जनता की बीच की खाई को पाटा जा सके। भारत एक बहु भाषी देश है। इनमें से 15 भाषाओं को संविधान में राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता दी गई है। परन्तु राजकाज चलाने एवं केन्द्र तथा राज्यों के बीच सम्पर्क भाषा की भूमिका निभाने का उत्तरदायित्व हिन्दी को ही सौंपा गया क्योंकि यह देश के अधिकांश लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है।

2. भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 (1) के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी संघ की राजभाषा है और संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए, प्रयुक्त होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अन्तर्राष्ट्रीय रूप है। अनुच्छेद 343(3) के अनुसार संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह अधिनियम पारित करके 26 जनवरी, 1965 के बाद भी सरकारी कामकाज में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रख सकती है। इसी शक्ति का उपयोग करते हुए संसद ने राजभाषा अधिनियम 1963,पारित किया। इस अधिनियम का 1967 में संशोधन किया गया। इसी क्रम में सरकार की भाषा नीति के संबंध में एक संकल्प भी जनवरी, 1968 में पारित किया गया। इस प्रकार राजभाषा अधिनियम 1963 पारित होने के बाद संघ के सरकारी काम-काज में एक द्विभाषिक स्थिति शुरू हुई। राजभाषा अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम 1976 बनाए गए। उक्त अधिनियम एवं नियम के अनुसरण में हिन्दी का प्रसार, वृद्धि और विकास की गति को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 1975 में राजभाषा विभाग की स्थापना की गई।

3. राजभाषा विभाग को केन्द्रीय सरकार की राजभाषा नीति के सूत्रीकरण और कार्यान्वयन का मिला-जुला उत्तरदायित्व सौंपा गया है। इसके उत्तरदायित्व के व्यापक क्षेत्र के अन्तर्गत मुख्यतः निम्नलिखित कार्य शामिल हैं :—

(क) संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से सम्बन्धित कार्य का समन्वय करना और राजभाषा सम्बन्धी विभिन्न सांविधानिक और कानूनी उपबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करना;

(ख) हिन्दी शिक्षण योजना के माध्यम से देश भर में फैले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिन्दी भाषा, हिन्दी टंकण और हिन्दी आशुलिपि का प्रशिक्षण देना;

(ग) केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो के माध्यम से संहिताओं, नियम-पुस्तकों, नियमों तथा अन्य असांविधिक कार्यविधि साहित्य के हिन्दी अनुवाद की सेवा सभी मंत्रालयों और विभागों तथा उनके अधीन अथवा उनसे नियंत्रित उपक्रमों, निगमों, संस्थानों आदि को उपलब्ध कराना; तथा

(घ) केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा का गठन करना और संबंधित संवग का प्रबन्ध करना।

राजभाषा अधिनियम 1963 और संशोधित अधिनियम 1967 के अनुसार राजभाषा सम्बन्धी प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं :—

(1) अधिनियम की धारा 3 के अनुसार (क) संघ के उन सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए, जिनके लिए 26 जनवरी, 1965 से तत्काल पूर्व अंग्रेजी का प्रयोग किया जा रहा था और (ख) संसद में कार्य निष्पादन के लिए 26 जनवरी, 1965 के बाद भी हिन्दी के अतिरिक्त अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जा सकेगा।

(2) केन्द्र सरकार और हिन्दी को राजभाषा के रूप में न अपनाने वाले किसी राज्य के बीच पत्राचार अंग्रेजी में होगा, बशर्ते उस राज्य ने इसके लिए हिन्दी का प्रयोग करना स्वीकार न किया हो। इसी प्रकार, हिन्दी भाषी राज्यों की सरकारें ऐसे राज्यों की सरकारों के साथ अंग्रेजी में पत्राचार करेंगी और यदि वे ऐसे

राज्यों को कोई पत्र हिन्दी में भेजती हैं तो साथ-साथ उसका अंग्रेजी अनुवाद भी भेजेंगी। पारस्परिक समझौते से यदि कोई भी दो राज्य आपसी पत्राचार में हिन्दी का प्रयोग करें तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

(3) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों आदि के बीच पत्र-व्यवहार के लिए हिन्दी अथवा अंग्रेजी का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन जब तक सम्बन्धित कार्यालयों, आदि के कर्मचारी हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त न कर लें, तब तक पत्रादि का दूसरी भाषा में अनुवाद उपलब्ध कराया जाता रहेगा।

(4) राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अनुसार निम्नलिखित कागज-पत्रों के लिए हिन्दी और अंग्रेजी, दोनों का प्रयोग अनिवार्य है :—

1. संकल्प, 2. सामान्य आदेश, 3. नियम, 4. अधिसूचनायें, 5. प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टें, 6. प्रेस विज्ञप्तियां, 7. संसद के किसी सदन या सदनों के समक्ष रखे जाने वाली प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्ट, 8. सरकारी कागज-पत्र, 9. संविदाएं, 10. करार, 11. अनुज्ञप्तियां, 12. अनुज्ञापत्र, 13. टेंडर नोटिस और 14. टेंडर फार्म।

(5) धारा 3(4) के अनुसार अधिनियम के नियम बनाते समय यह सुनिश्चित कर लेना होगा कि यदि केन्द्रीय सरकार का कोई कर्मचारी हिन्दी या अंग्रेजी में से किसी एक ही भाषा में प्रवीण हो, तो वह अपना सरकारी कामकाज उसी भाषा में कर सकता है; और केवल इस आधार पर कि वह दोनों भाषाओं में प्रवीण नहीं है, उसका कोई अहित नहीं होना चाहिए।

(6) राजभाषा (संशोधन) अधिनियम 1967 द्वारा अधिनियम की धारा 3(5) के रूप में यह उपबन्ध किया गया है कि उपर्युक्त विभिन्न कार्यों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने सम्बन्धी व्यवस्था तब तक जारी रहेगी, जब तक हिन्दी को राजभाषा के रूप में न अपनाने वाले सभी राज्यों के विधान मंडल अंग्रेजी का प्रयोग खत्म करने के लिए आवश्यक संकल्प पारित न करें और संकल्पों पर विचार करने के बाद संसद का प्रत्येक सदन भी इसी आशय का संकल्प पारित न कर दें।

(7) अधिनियम की धारा 7 के अनुसार किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से, उस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा दिए अथवा पारित किसी निर्णय, डिक्री अथवा आदेश के लिए, अंग्रेजी भाषा के अलावा, हिन्दी अथवा राज्य की राजभाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकता है। तथापि यदि कोई निर्णय, डिक्री या आदेश अंग्रेजी से भिन्न किसी भाषा में दिया या पारित किया जाता है तो उसके साथ-साथ सम्बन्धित उच्च न्यायालय के प्राधिकार से अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद भी दिया जाएगा। (अब तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार के राज्यपालों ने अपने उच्च न्यायालयों में उपर्युक्त उद्देश्यों के लिए राष्ट्रपति से हिन्दी के प्रयोग की अनुमति ली है।)

राजभाषा संकल्प—1968

संघ की राजभाषा नीति के सम्बन्ध में दिसम्बर, 1967 में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित और 18 जनवरी, 1968 को अधिसूचित सरकारी संकल्प में अन्य बातों के साथ-साथ सरकार पर संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए हिन्दी का प्रगामी प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए एक गहन और व्यापक कार्यक्रम तैयार करने और उसका क्रियान्वयन कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संकल्प में यह भी अपेक्षा की गई है कि सरकार प्रति वर्ष हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा करते हुए एक वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करे।

राजभाषा नियम—1976

सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए 1976 में राजभाषा नियम बनाए गए। यह एक महत्वपूर्ण कदम था, जिससे हिन्दी के प्रयोग में काफी सहायता मिलती है। इस नियम की महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं इस प्रकार हैं :—

(क) केन्द्र सरकार के कार्यालयों से "क" क्षेत्र के किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र (उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश राज्य और संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली) को या ऐसे राज्यों में स्थित किसी अन्य कार्यालय या व्यक्ति को भेजा जाने वाले पत्र आदि हिन्दी में होंगे। यदि किसी खास मामले में ऐसा कोई पत्र अंग्रेजी में भेजा जाता है तो उसका हिन्दी अनुवाद भी साथ भेजा जाएगा।

(ख) केन्द्र सरकार के कार्यालयों से "ख" क्षेत्र के किसी राज्य संघ राज्य क्षेत्र (पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ और और अण्डमान निकोबार द्वीप समूह के प्रशासनों को पत्र आदि सामान्यतः हिन्दी में भेजे जायेंगे। यदि ऐसा कोई पत्र अंग्रेजी में भेजा जाता है तो उसका हिन्दी अनुवाद भी साथ भेजा जाएगा। इन राज्यों में रहने वाले किसी व्यक्ति को भेजा जाने वाले पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी, किसी भी भाषा में हो सकते हैं।

(ग) केन्द्र सरकार के कार्यालयों में "ग" क्षेत्र के किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र ('क' और 'ख' क्षेत्र में शामिल न होने वाले सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र) के किसी कार्यालय या व्यक्ति को पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाएंगे।

यदि ऐसा कोई पत्र हिन्दी में भेजा जाता है तो उसका अंग्रेजी अनुवाद भी साथ भेजा जाएगा ।

(घ) केन्द्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग और दूसरे मंत्रालय या विभाग के बीच पत्र-व्यवहार हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकता है । किन्तु केन्द्रीय सरकार के किसी मंत्रालय/विभाग और 'क' क्षेत्र में स्थित सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के बीच होने वाले पत्र-व्यवहार सरकार द्वारा निर्धारित अनुपात में हिन्दी में होगा । वर्तमान व्यवस्था के अनुसार कम से कम दो-तिहाई पत्र-व्यवहार हिन्दी में होना चाहिए । 'क' क्षेत्र में स्थित केन्द्र सरकार के किन्हीं दो कार्यालयों के बीच सभी पत्र-व्यवहार हिन्दी में ही किए जाने का प्रावधान है ।

(ङ) हिन्दी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर अनिवार्य रूप से हिन्दी में ही दिए जाएंगे । हिन्दी में लिखे या हिन्दी में हस्ताक्षर किए गए आवेदनों या अभिवेदनों के उत्तर भी हिन्दी में दिए जाएंगे ।

(च) राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) में निर्दिष्ट सभी दस्तावेजों के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाएगा और इसे सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की होगी ।

(छ) केन्द्रीय सरकार का कोई कर्मचारी फाइलों में हिन्दी या अंग्रेजी किसी में भी टिप्पणी या मसौदे लिख सकता है और उससे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह उसका अनुवाद दूसरी भाषा में भी प्रस्तुत करे ।

(ज) केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों से सम्बन्धित मैनुअल, संहिताएं और अन्य प्रक्रिया साहित्य हिन्दी और अंग्रेजी, दोनों में द्विभाषिक रूप में तैयार और प्रकाशित किए जाएंगे । सभी फार्मों और रजिस्टरों के शीर्ष, नामपट्ट, स्टेशनरी आदि की अन्य मदें भी हिन्दी और अंग्रेजी में द्विभाषिक रूप में होंगी ।

(झ) जिन कार्यालयों के 80 प्रतिशत या उससे अधिक कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान है, उन्हें अधिसूचित किया जाएगा । इस प्रकार अधिसूचित कार्यालयों को विनिर्दिष्ट (स्पैसीफाई) करके उनमें काम करने वाले हिन्दी में प्रवीण कर्मचारियों को अपने प्रारूपों–टिप्पणों आदि में केवल हिन्दी का इस्तेमाल करने के लिए कहा जा सकता है ।

(ञ) प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह दायित्व होगा कि वह राजभाषा अधिनियम और उसके अधीन बने नियमों का समुचित रूप से अनुपालन सुनिश्चित करें ।

कार्यान्वयन

संघ की राजभाषा से सम्बन्धित विभिन्न सांविधानिक और कानूनी उपबन्धों को कार्यरूप में परिणत करने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार ने सन् 1976 में राजभाषा (संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम बनाए थे । राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 8 के अधीन बनाए गए ये नियम सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांतों की भूमिका निभाते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट उत्तरदायित्वों का निर्धारण करते हैं । ये नियम हिन्दी के प्रयोग में तेजी लाने में बहुत सहायक सिद्ध हुए हैं । राजभाषा विभाग द्वारा इन उपबन्धों का अनुपालन इस रूप में सुनिश्चित किया जाता है :—

(क) संविधान और कानूनी उपबन्धों का अनुपालन

सरकारी प्रयोजनों के लिए हिन्दी के अधिकाधिक उपयोग के सम्बन्ध में राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए महत्वपूर्ण अनुदेशों और राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा उसके अधीन जारी किए गए राजभाषा नियम, 1976 के उपबन्धों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की निगरानी और समीक्षा भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा भेजी जाने वाली तिमाही प्रगति रिपोर्टों के आधार पर की जाती है । राजभाषा अधिनियम तथा राजभाषा नियम में हिन्दी के प्रयोग के बारे में **3 प्रमुख प्रावधान हैं** । प्रथम यह कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) में उल्लिखित कागजात जैसे—सामान्य आदेश, अधिसूचनाएं, संकल्प, प्रेस विज्ञप्तियां संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले कागजात आदि द्विभाषी रूप से हिन्दी और अंग्रेजी में जारी किए जाएं । वर्ष 1982–83 में द्विभाषी रूप में जारी किए गए इस प्रकार के कागजातों की संख्या 80,730 थी ।

दूसरा प्रावधान यह है कि हिन्दी भाषी राज्यों तथा उन राज्यों के साथ जिन्होंने केन्द्र सरकार के साथ हिन्दी में पत्राचार करना स्वीकार कर लिया है सभी मूल पत्र हिन्दी में भेजे जाएं । इन राज्यों में स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालयों के साथ पत्राचार में हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग किया जाए । वर्ष 1982–83 में 3,98,994 पत्र मूलरूप में हिन्दी में लिखे गए ।

तीसरा प्रावधान यह है कि हिन्दी में कहीं से भी प्राप्त पत्रादि के उत्तर हिन्दी में ही दिए जाएं । वर्ष 1982–83 में ऐसे 2,32,501 पत्रों के जवाब हिन्दी में दिए गए ।

हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को सुनिश्चित करने के बारे में विभिन्न कदम उठाये जाते हैं । इन कदमों का ब्यौरा संक्षेप में इस प्रकार है :—

(1) समितियों के माध्यम से कार्यान्वयन

(क) केन्द्रीय हिन्दी समिति—प्रधान मंत्री जी की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया है । हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के सम्बन्ध में नीति निर्धारण करने वाली यह सर्वोच्च

समिति है। इस समिति की 18वीं बैठक 6–1–84 को सम्पन्न हुई जिसमें नीति सम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

(ख) **हिन्दी सलाहकार समिति**––जनता से सम्पर्क रखने वाले विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के सम्बन्धित मंत्रियों की अध्यक्षता में हिन्दी सलाहकार समिति का गठन किया गया है। यह समिति अपने मंत्रालय/विभाग/उपक्रम में हिन्दी की प्रगति की समीक्षा करती है, विभाग में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के तरीके सोचती है और राजभाषा नीति के अनुपालन के लिए ठोस कदम उठाती है। अब तक 30 मंत्रालयों/विभागों में हिन्दी सलाहकार समितियां गठित की जा चुकी हैं जिनकी बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं।

(ग) **केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति**––राजभाषा विभाग के सचिव की अध्यक्षता में केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है। इस समिति में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के हिन्दी का कार्य देखने वाले संयुक्त सचिव भाग लेते हैं। इस समिति की बैठक में हिन्दी के प्रयोग के सम्बन्ध में आई हुई कठिनाइयों को दूर करने के उपाय सोचे जाते हैं, हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए सुझाव दिए जाते हैं और उन पर प्रभावशाली कदम उठाये जाते हैं। इस समिति की 13वीं बैठक 26–9–1983 को आयोजित की गई।

(घ) **नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति**––बड़े-बड़े नगरों में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है। इनकी अध्यक्षता नगर के वरिष्ठतम अधिकारी करते हैं। इन समितियों की बैठक में नगर में स्थित सभी केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों तथा उपक्रमों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं, अपने-अपने कार्यालयों की तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करते हैं और हिन्दी के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए सुझाव देते हैं। अब तक 61 नगरों में इस प्रकार की समितियां बन चुकी हैं। हर नगर में समिति की बैठक वर्ष में दो बार बुलाए जाने की व्यवस्था है। वर्ष 1984 (मार्च तक) में इनको 110 बैठकें आयोजित की गई हैं।

(ङ) **विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति**––प्रत्येक मंत्रालय/विभाग/कार्यालय/उपक्रम में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है। इनकी बैठकें हर 3 माह में एक बार आयोजित की जाती हैं। बैठक में तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की जाती हैं। इन समितियों की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं।

(2) राजभाषा अधिनियम, 1963 के अधीन बनाए गए (संघ के शासकीय, प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10(4) के अनुसार केन्द्रीय सरकार के जिन कार्यालयों के 80 प्रतिशत या उससे अधिक कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है उनके नाम राजपत्र में अधिसूचित किए जाने की व्यवस्था है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यालयों को अधिसूचित करने की कार्रवाई तेजी से की जा रही है। 31–12–83 तक 51 मंत्रालयों/विभागों तथा 4242 केन्द्रीय कार्यालयों को अधिसूचित किया जा चुका है।

(3) **तिमाही प्रगति रिपोर्ट**––राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा राजभाषा नियम 1976 के कार्यान्वयन की स्थिति देखने के लिए प्रत्येक मंत्रालय/विभाग से तिमाही प्रगति रिपोर्ट मंगवाई जाती है। पाई गई कमियों को दूर करने के लिए प्रयत्न किये जाते हैं। सभी मंत्रालय/विभाग नियमित रूप से प्रगति रिपोर्टें भेज रहे हैं।

(4) **निरीक्षण**––हिन्दी के प्रयोग की स्थिति का जायजा लेने के लिए राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा विभिन्न नगरों में स्थित केन्द्रीय कार्यालयों का निरीक्षण किया जाता है। इन कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति देखकर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है और रिपोर्ट में बताई गई कमियों को दूर करने के लिए प्रयत्न किये जाते हैं। वर्ष 1983–84 में (दिसम्बर 83 तक) 228 कार्यालयों का निरीक्षण किया गया।

(5) **'राजभाषा भारती' का प्रकाशन**––राजभाषा विभाग की ओर से संघ सरकार के कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए किए जा रहे कार्यों तथा राजभाषा के सम्बन्ध में सांविधानिक और कानूनी स्थिति के बारे में लोगों को आवश्यक जानकारी देने के लिए अप्रैल, 1973 से 'राजभाषा भारती' नामक एक त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है। पत्रिका के अब तक 24 अंक प्रकाशित हो चुके हैं।

(6) **वार्षिक कार्यक्रम**––हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग के सम्बन्ध में प्रति वर्ष वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया जाता है और सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा अनुपालन किये जाने के लिए उसे प्रचारित किया जाता है। सन् 1984–85 के कार्यक्रम की प्रतियां छप चुकी हैं और उनका वितरण कर दिया गया है। खेद है कि सांविधिक प्रावधानों एवं सरकार द्वारा प्रदत्त विभिन्न प्रोत्साहनों के बावजूद पिछले वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को आशा के अनुरूप प्राप्त नहीं किया किया जा सका है। अतः 1984–85 का वार्षिक कार्यक्रम भी लगभग वही रखा गया है जो कि 1983–84 में रखा गया था और यह आशा की जाती है कि

सभी सम्बन्धित मंत्रालय/विभाग आदि इस वर्ष इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का भरसक प्रयास करेंगे ।

(7) **प्रोत्साहन**—राजभाषा हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए सरकार ने प्रोत्साहन योजनाएं चालू की हैं जो इस प्रकार हैं :—

(क) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में हिन्दी का सर्वाधिक प्रयोग करने वाले मंत्रालय/विभाग, को राजभाषा की ओर से शील्ड दी जाती है। इसके अतिरिक्त कुछ प्रोत्साहन भी दिए जाते हैं ।

चौथा शील्ड वितरण समारोह 28 अप्रैल, 84 को मनाया गया जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री महोदय ने की । पुरस्कार वितरण सूचना और प्रसारण मंत्री द्वारा किया गया । पुरस्कार का वितरण इस प्रकार रहा :—

1. प्रथम पुरस्कार,	शील्ड	—खान विभाग
2. द्वितीय पुरस्कार,	ट्राफी	—पूर्ति विभाग
3. तृतीय पुरस्कार,	ट्राफी	—विधायी विभाग

प्रोत्साहन के रूप में निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों को एक-एक छोटी ट्राफी से पुरस्कृत किया गया :—

1. इलैक्ट्रानिकी विभाग
2. गृह मंत्रालय
3. समाज कल्याण मंत्रालय
4. पुनर्वास विभाग
5. रक्षा मंत्रालय

इनके अतिरिक्त प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय तीन स्थानों पर आने वाले मंत्रालयों/विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों को अपने-अपने मंत्रालयों/विभागों में हिन्दी में सर्वाधिक कार्य करने के लिए पदक एवं राशि भी प्रदान की गई । सबसे अच्छा कार्य करने वाली नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सम्बन्धित अधिकारियों को भी प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कार देने का निर्णय लिया गया है । इस वर्ष ये पुरस्कार इलाहाबाद नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अधिकारियों को प्राप्त हुए हैं ।

(ख) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में वर्ष भर में हिन्दी का सर्वाधिक प्रयोग करने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों को प्रथम/द्वितीय व तृतीय पुरस्कार के रूप में क्रमशः 250/-, 150/-, 75/- रुपए नकद इनाम दिये जाते हैं ।

(ग) अंग्रेजी टाइपिस्टों और अंग्रेजी आशुलिपिकों को हिन्दी में भी टाइपलेखन तथा आशुलिपि का कार्य करने के लिए प्रति माह क्रमशः 20/- रुपए और 30/- रुपए का भत्ता दिया जाता है ।

(8) **वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट**—हिन्दी के प्रसार तथा विकास और संघ के विभिन्न सरकारी प्रयोजनों के लिए उसके उत्तरोत्तर प्रयोग में गति लाने के लिए राजभाषा विभाग एक वार्षिक कार्यक्रम तैयार करता है और तदनुसार सभी मंत्रालयों/विभागों से उसे कार्यान्वित करने का अनुरोध करता है और वर्ष के अन्त में उनसे कार्यान्वयन की रिपोर्ट मंगाकर उसके आधार पर वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार कर संसद-पटल पर प्रस्तुत करता है । 13वीं मूल्यांकन रिपोर्ट मार्च, 1984 में संसद में प्रस्तुत की जा चुकी है । 14वीं अर्थात् 1982–83 की रिपोर्ट मुद्रणाधीन है और 1983–84 की रिपोर्ट को प्रेस कापी बनाई जा रही है ।

(9) **यांत्रिक साधन**

राजभाषा के प्रयोग, प्रचार और प्रसार में यांत्रिक साधनों का महत्व असंदिग्ध है । अब तक ये साधन केवल अंग्रेजी के लिए ही उपलब्ध थे परन्तु राजभाषा विभाग के सतत प्रयास से इस क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है । इसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :—

(i) देवनागरी टाइप राइटर

इस प्रकार के टाइपराइटरों का निर्माण आवश्यकतानुसार किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त बिजली चालित टाइपराइटरों की मई, 1984 तक बनने की संभावना है । हिन्दुस्तान टेलीप्रिण्टर्स लिमिटेड भी 1985–86 में उक्त प्रकार के टाइपराइटर विदेशी कम्पनी के सहयोग से उपलब्ध करा सकेगा ।

(ii) पिन प्वांइट टाइप राइटर

इस प्रकार के टाइपराइटरों से छेद वाले अक्षर बनते हैं । इनका प्रयोग चैक और बिल आदि में किया जाता है । पिनपवांइट टाइपराइटर अब तक रोमन लिपि में थे । राजभाषा विभाग के प्रयत्नों द्वारा देवनागरी के पिनपवांइट टाइपराइटर बन गये हैं । इनके प्रयोग से वाणिज्यिक क्षेत्र में हिन्दी का प्रयोग बढ़ सकेगा । मेसर्स गोदरेज एवं रायला कम्पनी यह टाइपराइटर बना रही है ।

(iii) मोटे टाइप के बुलेटिन टाइपराइटर

अब तक रेलवे आरक्षण चार्ट रोमन के मोटे टाइप वाले टाइपराइटरों से तैयार किये जा रहे हैं । राजभाषा विभाग ने पूर्ति एवं व्ययन महानिदेशालय (डी० जी० एस० एण्ड डी०) और टाइपराइटर बनाने वाली कम्पनी के सहयोग से मोटे टाइप के देवनगारी टाइपराइटर बनवा लिये हैं । मेसर्स गोदरेज कम्पनी ऐसे टाइपराइटर भी बना रही है । मे० फेसीट, रेमिंगटन और गोदरेज इलीट टाइपराइटर के निर्माण का विचार कर रही हैं ।

(iv) देवनागरी कम्प्यूटर

कम्प्यूटरों में देवनागरी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के प्रयोग के सम्बन्ध में राजभाषा विभाग इलैक्ट्रानिकी विभाग से निरन्तर सम्पर्क रखता आ रहा है । इलैक्ट्रानिकी विभाग और इलैक्ट्रानिकी आयोग ने देवनागरी कम्प्यूटरों के सम्बन्ध में अनेक कदम

उठाये हैं। सबसे पहले ई० सी०, आई० एल० हैदराबाद में देवनगारी के प्रयोग को देखते ए एक कम्प्यूटर प्रदर्शित किया। इसके बाद आई० टी० एस०, पिलानी ने भी देवनागरी कम्प्यूटर का प्रोटो-टाइप बनाया। इसके अतिरिक्त गैर-सरकारी क्षेत्रों में भी देव-नागरी कम्प्यूटरों के निर्माण का कार्य आरम्भ हुआ। डी० सी० एम०, टाटा प्रोडक्ट ने तो ऐसा कम्प्यूटर बनाकर बिक्री के लिए बाजार में प्रस्तुत कर दिया है। सचिव (रा०भा०) तथा गृह मंत्री जी के स्तर से इलैक्ट्रानिकी विभाग को स सम्बन्ध में पत्र लिखे गए हैं।

(v) इलैक्ट्रानिकी टेलीप्रिंटर

ये टेलीप्रिण्टर देवनागरी में भी बने, इसके लिए संचार मंत्रालय से सम्पर्क किया गया। सचिव (राजभाषा) की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है और टेलीप्रिंटर के कुंजीपटल के सम्बन्ध में एक समिति का गठन किया गया है। संचार मंत्रालय के अन्तर्गत हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर लिमिटेड से इलैक्ट्रानिकी टेली-प्रिंटर बनाने के लिए कहा गया है। संचार मंत्रालय पहले रोमन के इलैक्ट्रानिकी टेलीप्रिंटर बनाना चाहता था और बाद में हिन्दी के। संचार मंत्रालय 5 विट कोड वाले इलैक्ट्रानिक टेलीप्रिंटर के बनाने के पक्ष में था। राजभाषा विभाग ने यह जोर दिया है कि विट कोड वाले द्विभाषी इलैक्ट्रानिक टेलीप्रिंटर बनायें जायें। इससे सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन हो सकेगा।

(vi) पुलिस बेतार

पुलिस बेतार द्वारा हिन्दी में निदेश भेजने के लिए समन्वय निदेशालय, पुलिस बेतार (गृह मंत्रालय) की ओर से कदम उठाये जा रहे हैं। यदि पुलिस बेतार हिन्दी में भेजने के लिए उच्च पदों की व्यवस्था हो जाती है तो इस क्षेत्र में भी हिन्दी का प्रयोग बढ़ सकेगा।

(vii) पतालेखी मशीन

बड़े-बड़े कार्यालयों में काफी संख्या में पत्र भेजे जाते हैं। पत्रों के लिफाफे पर हिन्दी में पते लिखने के लिए पतालेखी मशीन का निर्माण हो चुका है।

(viii) हिन्दी में छपाई

कुछ समय पहले भारत सरकार के प्रेसों में हिन्दी मुद्रण क्षमता 400 पृष्ठ प्रति दिन थी। राजभाषा विभाग तथा आवास और निर्माण मंत्रालय ने इस मुद्रण क्षमता को बढ़ाने के लिए निरन्तर प्रयास किये। इस समय मुद्रण क्षमता का अनुमान 1350 पृष्ठ प्रति दिन लगाया गया है। जयपुर में एक नया मुद्रणालय स्थापित करने के प्रयास किये जा रहे हैं। मुद्रण निदेशालय की ओर से इस सम्बन्ध में और भी कई कदम उठाये जा रहे हैं।

(ख) हिन्दी शिक्षण योजना के माध्यम से हिन्दी, हिन्दी टंकण और हिन्दी आशुलिपि का प्रशिक्षण —

जब तक सभी सरकारी कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता, केन्द्र में लागू द्विभाषिक नीति सफल नहीं हो सकती, राष्ट्रपति के 27 अप्रैल, 1960 के आदेशानुसार कुछ श्रेणी के कर्मचारियों को छोड़कर केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए हिन्दी सीखना अनिवार्य कर दिया गया है। हिन्दी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग के अन्तर्गत सन् 1955 से चल रही है। इस योजना के अन्तर्गत अहिन्दी भाषी अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय समय में हिन्दी में प्रशिक्षित किया जाता है। हिन्दी प्रशिक्षण के अतिरिक्त हिन्दी टंकण तथा हिन्दी आशु-लिपि में भी प्रशिक्षण की व्यवस्था है। हिन्दी प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद विभिन्न हिन्दी पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ परीक्षाएं ली जाती हैं।

हिन्दी परीक्षाओं तथा हिन्दी आशुलिपि और हिन्दी टंकण की परीक्षाओं का संचालन पहले अजमेर बोर्ड और बाद में दिल्ली प्रशासन द्वारा किया जाता था। दिसम्बर, 1980 से परीक्षाओं के संचालन का कार्यभार राजभाषा विभाग ने लिया है और परीक्षाओं को सुचारु रूप से चलाने के लिए अलग परीक्षा स्कन्ध की स्थापना की गई है।

परीक्षा स्कन्ध के अलावा हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत पांच क्षेत्रीय कार्यालय हैं। ये नई दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता, बम्बई और जबलपुर में स्थित हैं। इन क्षेत्रों में दो प्रकार के प्रशिक्षण चलते हैं। पहला पूर्णकालिक और दूसरा अंशकालिक। इस समय 72 पूर्णकालिक और 80 अंशकालिक केन्द्र कार्यरत हैं।

केन्द्रीय सरकार के कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने की दृष्टि से हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत हिन्दी टाइपलेखन तथा हिन्दी आशुलिपि प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है। इस समय देश के 19 नगरों में 25 हिन्दी टाइपलेखन व हिन्दी आशुलिपि के प्रशिक्षण केन्द्र हैं।

देश के अहिन्दीभाषी क्षेत्रों में काम करने और हिन्दी न जानने वाले डाकियों को देवनागरी लिपि का ज्ञान कराने के लिए एक अल्पकालीन प्रशिक्षण की योजना बनाई गई है। तदनुसार केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, हैदराबाद के सहयोग से इस प्रशिक्षण के लिये एक अल्पकालिक पाठयक्रम तैयार किया गया है। फरवरी, 84 के सत्र में 22 विद्यार्थी परीक्षा में बैठे और परिणाम शत-प्रतिशत रहा।

हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत अब तक 40,462 कर्मचारियों ने हिन्दी टंकण तथा हिन्दी आशुलिपि की परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं।

सरकारी उपक्रमों के कर्मचारी भी निजी रूप से हिन्दी, हिन्दी टाइपलेखन तथा आशुलिपि परीक्षाएं योजना के अंतर्गत उत्तीर्ण करते हैं। ऐसे कर्मचारियों को परीक्षा में बैठने के लिए परीक्षा शुल्क देना पड़ता है।

नवम्बर, 1983 तक हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत लगभग 4,90,938 कर्मचारियों ने हिन्दी की विभिन्न

परीक्षाएं उत्तीर्ण की । अहिन्दी भाषी कर्मचारियों को हिन्दी प्रशिक्षण दफ्तर के समय में ही दिया जाता है । इस प्रशिक्षण कार्य में 245 प्राध्यापक तथा 24 सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि) कार्यरत हैं। हिन्दी प्रशिक्षण पाने वाले कर्मचारियों को अनेक प्रोत्साहन तथा नकद पुरस्कार दिये जाते हैं। इनका विवरण इस प्रकार है :—

हिन्दी सीखने के लिए सुविधाएं एवं प्रोत्साहन

सुविधाएं

1. परीक्षा और पढ़ाई की कोई फीस नहीं ली जाती।
2. पाठ्यपुस्तकें मुफ्त दी जाती हैं।
3. कक्षाएं दफ्तर के समय में लगाई जाती हैं।
4. कक्षाओं में आने जाने के मार्ग-व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है ।
5. परीक्षाओं में बैठने के लिये नियमानुसार यात्रा-भत्ता/वास्तविक खर्च दिया जाता है।
6. परीक्षाओं के लिये विशेष छुट्टी दी जाती है।
7. राजपत्रित अधिकारियों की हिन्दी सीखने के लिये अलग कक्षाएं भी लगाई जाती हैं।
8. परीक्षाओं में प्राइवेट रूप में बैठने की छूट है।
9. केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय की ओर से पत्राचार द्वारा भी हिन्दी पढ़ाई जाती है।
10. केन्द्रीय हिन्दी संस्थान में 2–3 महीने में गहन प्रशिक्षण द्वारा पूरा पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है।
11. निर्धारित परीक्षा पास करने पर सेवापंजी में इन्दराज किया जाता है।
12. नकद और एक मुश्त पुरस्कारों की राशि पर आयकर नहीं लगता।

प्रोत्साहन

(क) वैयक्तिक वेतन (12 महीने के लिए एक वेतन वृद्धि के बराबर) दिया जाता है।

1. अराजपत्रित कर्मचारियों को प्राज्ञ परीक्षा पास करने पर।
2. जिन अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए प्रवीण या प्रबोध की परीक्षा ही अंतिम परीक्षा है उन्हें उक्त परीक्षाएं पास करने पर ।
3. राजपत्रित कर्मचारियों को अंतिम परीक्षा के रूप में प्रवीण या प्राज्ञ परीक्षा पास करने पर।
4. जहां हिन्दी शिक्षण योजना के केन्द्र नहीं हैं, वहां के कर्मचारियों को स्वैच्छिक हिन्दी संगठनों की मैट्रिक या उससे उच्च स्तर की मान्यता प्राप्त हिन्दी परीक्षा पास करने पर।

(ख) नकद पुरस्कार (विशेष योग्यता के साथ परीक्षा पास करने पर)

5. प्रवीण और प्राज्ञ	प्रबोध
300/- रु०	200/- रु० 70 प्रतिशत या अधिक अंकों पर
200/- रु०	100/- रु० 60 प्रतिशत या अधिक अंकों पर
100/- रु०	50/- रु० 55 प्रतिशत या अधिक अंकों पर

(ग) एक मुश्त पुरस्कार (निजी प्रयत्नों से परीक्षा पास करने पर)

6. परिचालन कर्मचारियों तथा उन कर्मचारियों को जो ऐसे स्थानों पर नियुक्त हैं, जहां हिन्दी शिक्षण योजना के केन्द्र नहीं हैं :—

प्राज्ञ	प्रवीण	प्रबोध
300/- रु०	250/- रु०	250/-रु०

7. मद 4 में लिखी योग्यता वाले कर्मचारियों को को 300/- रु०

हिन्दी टाइपिंग और आशुलिपि सीखने के लिए सुविधाएं एवं प्रोत्साहन

सुविधाएं

1. परीक्षा और पढ़ाई की कोई फीस नहीं ली जाती।
2. पाठ्यपुस्तकें मुफ्त दी जाती है।
3. कक्षाएं दफ्तर के समय में लगाई जाती हैं।
4. कक्षाओं में आने व जाने के मार्ग-व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती हैं।
5. परीक्षाओं में बैठने के लिये नियमानुसार यात्रा भत्ता/वास्तविक खर्च दिया जाता है।
6. परीक्षाओं में प्राइवेट रूप में बैठने की भी छूट है।
7. परीक्षाओं के लिए विशेष छुट्टी दी जाती है।
8. मान्यता प्राप्त टाइपिंग/आशुलिपि प्रशिक्षण केन्द्रों पर दफ्तर के समय प्रशिक्षण के लिए जाने की इजाजत दी जाती है।
9. निर्धारित परीक्षा पास करने पर सेवापंजी में इन्दराज किया जाता है ।
10. नकद और एकमुश्त पुरस्कारों को राशि पर आयकर नहीं लगता।

प्रोत्साहन :—

(क) **वैयक्तिक वेतन** (12 महीने के लिए एक वेतन वृद्धि के बराबर) :

1. अराजपत्रित कर्मचारियों को हिन्दी टाइपिंग/हिन्दी आशुलिपि परीक्षा पास करने पर।
2. राजपत्रित आशुलिपिकों को भी हिन्दी आशुलिपि परीक्षा 90 प्रतिशत या उससे अधिक अंक लेकर पास करने पर।

विशेष :— जिन आशुलिपिकों की मातृभाषा हिन्दी नहीं है, उन्हें हिन्दी आशुलिपि की परीक्षा पास करने पर पहले 12 महीनों के लिए दो वेतन वृद्धि और अगले 12 महीनों के लिए एक वेतन वृद्धि के बराबर वैयक्तिक वेतन दिया जाता है ।

(ख) **नकद पुरस्कार** (विशेष योग्यता के साथ परीक्षा पास करने पर) :

राशि	हिन्दी टाइपिंग	हिन्दी आशुलिपि
300/-रु०	97 प्रतिशत	95 प्रतिशत या अधिक अंकों पर
200/-रु०	95 प्रतिशत	92 प्रतिशत या अधिक अंकों पर
100/-रु०	90 प्रतिशत	88 प्रतिशत या अधिक अंकों पर

(ग) **एक मुश्त पुरस्कार** (निजी प्रयत्नों से परीक्षा पास करने पर) :

4. उन कर्मचारियों को, जो ऐसे स्थानों पर नियुक्त हैं, जहां हिन्दी टाइपिंग/हिन्दी आशुलिपि सिखाने के केन्द्र नहीं खोले गये हैं :—

हिन्दी आशुलिपि	हिन्दी टाइ ग
300/- रु०	150/-रु०

(ग) केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो के माध्यम से अजांविधिक साहित्य का अनुवाद

केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, निकायों तथा कार्यालयों के मैनुअलों, संहिताओं, फार्मों आदि के विविध असांविधिक कार्यविधि साहित्य के अनुवाद के लिए गृह मंत्रालय (अब राजभाषा विभाग) के अधीन केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना 1-3-1971 को की गई थी । पिछले 13 वर्षों में इस ब्यूरो ने लगभग 3,89,068 मानक पृष्ठों का अनुवाद करके केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों तथा निगमों आदि को उपलब्ध करा दिया है।

अब तक ब्यूरो की सामान्य क्षमता प्रति वर्ष लगभग 30,000 मानक पृष्ठों के अनुवाद की थी । कुछ नए पदों का सृजन हो जाने के कारण अब लगभग 40,000 मानक पृष्ठों का अनुवाद सम्पन्न किये जाने की आशा है । केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों आदि से प्राप्त सामग्री के अतिरिक्त ब्यूरो सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन कंपनियों और निगमों की असांविधिक कार्यविधि सामग्री का अनुवाद भी करता है । इसके अतिरिक्त सरकारी दफ्तरों में हिन्दी के काम में विशेष रूप से अनुवाद के क्षेत्र में लगे कर्मचारियों को अनुवाद की प्रक्रिया और सिद्धांत से अवगत कराने के लिये केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरों में तीन-तीन महीने के अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। इनमें मंत्रालयों, विभागों, निगमों आदि द्वारा नामित कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए लिया जाता है । 31 मार्च, 1984 तक इस प्रकार के 41 सत्र आयोजित किए जा चुके हैं जिनमें 1136 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया है।

प्रशिक्षणार्थियों की सुविधा के लिए होस्टल की व्यवस्था भी की गई है जिसमें 20 व्यक्तियों के ठहरने और सहकारी भोजनालय का प्रबन्ध है।

(घ) केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा का गठन और सम्बन्धित संवर्ग का प्रबन्ध

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और उनके संबद्ध कार्यालयों में कुछेक को छोड़कर हिन्दी से संबंधित पदों के वेतनमान, सेवा शर्तों, भर्ती पद्धति आदि में एकरूपता लाने और इन पदों पर काम कर रहे व्यक्तियों को पदोन्नति के समान और समुचित अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा नाम की एक पृथक सेवा गठित करने का निर्णय लिया गया था । इस सेवा में समूह 'क', 'ख' तथा 'ग' के पदों के निम्नलिखित पांच ग्रेड होंगे :—

पदनाम तथा वेतनमान	वर्गीकरण
1. निदेशक (रु० 1500–1800)	केन्द्रीय सिविल सेवा समूह 'क'
2. उप निदेशक (रु० 1100–1600)	—वही—
3. सहायक निदेशक (रु० 650-1200)	केन्द्रीय सिविल सेवा समूह 'ख'
4. वरिष्ठ अनुवादक (रु० 550-800)	केन्द्रीय सिविल सेवा समूह 'ग'
5. कनिष्ठ अनुवादक (रु० 425-700)	—वही—

सेवा के समूह 'ग' में सम्मिलित पदों के लिए नियम 19-9-1981 को अधिसूचित किए गए थे । इन नियमों में किए गए प्रावधान के अनुसार सेवा का आरंभिक गठन पूरा कर लिया गया है और इस संबंध में अनुदेश 28 मई, 1983 को जारी कर दिए गए हैं।

सेवा के समूह 'क' तथा समूह 'ख' में सम्मिलित पदों के नियम भी 24 सितम्बर, 1983 को अधिसूचित कर दिए

गए हैं। इन नियमों में किए गए प्रावधान के अनुसार सेवा के आरंभिक गठन के संबंध में कार्रवाई की जा रही है। विभागीय अभ्यर्थियों के सेवा विवरण आदि संघ लोक सेवा आयोग को भेज दिए गए हैं और उनसे अनुरोध किया गया है कि चयन समिति का गठन कर विभागीय अभ्यर्थियों की वरीयता निश्चित करने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई शीघ्र करें।

सरकार भाषा के प्रश्न के साथ अभिन्न रूप से जुड़े भावनात्मक पहलुओं के प्रति पूरी तरह से सजग है और उसकी यह सुविचारित नीति है कि राजभाषा हिन्दी किसी पर थोपी न जाए अपितु सदभावनापूर्ण वातावरण में इसका प्रयोग धीरे-धीरे बढ़ाया जाए। परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं कि राजभाषा संबंधी सांविधानिक और कानूनी प्रावधानों की जानबूझकर अवहेलना की जाए तथा संघ के कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग में किसी प्रकार की ढील दी जाए अथवा इस संबंध में किए जा रहे प्रयासों में कोई शिथिलता आने दी जाए। हम सभी का यह नैतिक दायित्व है कि अन्य सभी अधिनियमों और नियमों की भांति इन प्रावधानों का भी निष्ठा के साथ पालन करें ताकि राष्ट्र अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सके।

प्रेम और धन्यवाद की भाषा हिन्दी

महाराजा शेर सिंह पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह के पुत्र और प्रसिद्ध सेना नायक थे। प्रथम सिख युद्ध में उन्होंने अंग्रेजों के दांत कई लड़ाइयों में खट्टे कर दिए थ। वे भी काव्य प्रेमी थे। ग्वाल कवि महाराजा रणजीत सिंह के कृपापात्र और आश्रित थे। महाराजा शेर सिंह जी की ग्वाल कवि पर बड़ी कृपा रहती थी। एक बार उन्होंने ग्वाल कवि को केसरिया रंग का एक बहुत बढ़िया और मूल्यवान कश्मीरी दुशाला भेंट किया। ग्वाल कवि ने तत्काल उसे ओढ़ लिया और धन्यवाद के रूप में तुरन्त यह छन्द बनाकर सुनाया :—

आंगन उमंगे महाराजा सिरी सेरसिंह,
बक्स्यो दुसाला आला अजब नबीनो है ॥
केसर की क्यारी सों निकारी मनो देह जाकी,
तोल मोल भारी, कौ हजारी जो नगीनो है ॥
"ग्वाल कवि" ओढ़त दुफेरे दै दै नीठि नीठि,
दीठ न परत, फेर करत मसीनो है।
और बक्सीस तौ लपेटी जाय बकुचा में,
तेरी बक्सीस ने लपेटि मोहि लीनो है ॥

—श्री नारायण चतुर्वेदी के
मनोरंजक संस्मरण से साभार

राजभाषा का स्वरूप और विकास—(भाग-1)

—डॉ कैलाश चन्द्र भाटिया

प्रोफेसर लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अधिकारी, मंसूरी

(भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता के तत्वावधान में डॉ० धीरेन्द्र वर्मा व्याख्यान माला के अन्तर्गत डॉ० भाटिया का दिया गया शोधपूर्ण व्याख्यान का पहला भाग। दूसरा भाग आगामी अंक में)

राजभाषा के रूप में हिन्दी का विकास

'राजभाषा' का सामान्य अर्थ है—राजकाज चलाने की भाषा अर्थात् भाषा का वह रूप जिसके द्वारा राजकीय कार्य चलाने में सुविधा हो। शब्द की दृष्टि से 'राजभाषा' शब्द बहुत पुराना नहीं है। पहले 'राष्ट्रभाषा' का प्रयोग चलता था, अब 'राष्ट्रभाषा' तथा राजभाषा में भेद किया जाता है। राष्ट्रभाषा वह भाषा है जिसका प्रयोग सम्पूर्ण राष्ट्र में हो। देखा जाए तो यह 'स्टेट लैंग्वेज' का अनुवाद है और स्टेट लैंग्वेज का सर्वप्रथम प्रयोग राजाजी द्वारा किया गया। संविधान में स्वीकृति के बाद इसका प्रयोग प्रारम्भ हुआ। यदि इसकी सर्वसामान्य रूप में स्वीकार किया जाय कि वह भाषा जो किसी राज्य में केन्द्रीय या प्रादेशिक सरकार द्वारा पत्र-व्यवहार व सरकारी कामकाज चलाने के लिये प्रयोग में आती हो तो इसका प्रयोग काफी प्राचीन काल से चला आ रहा है, चाहे इसके नाम समय-समय पर भिन्न रहे हों। स्वयं हिन्दी नाम विदेशियों का दिया हुआ है। हिन्दी के अतिरिक्त हिन्दुई, हिन्दवी, दहलवी आदि नाम चलते रहे। हिन्दी का प्रयोग दक्खिनी के लिए भी किया जाने लगा :

ये हिन्दी बोलू सब।
उस अर्तो के संबब। (खुशनामा—शम्सुउलशाक पृ० 1447)

ये सब बोलू हिन्दी बोल। (जानम, 1582 ई०),

हिन्दी के प्रारम्भिक स्वरूप का विकास उत्तर अपभ्रंश-कालीन युग से ग्यारहवीं शताब्दी में हुआ। दानपत्र तथा शिलालेख सन् 1972 ई० के मिलते हैं। पृथ्वीराज के सिंहासन पर आरूढ़ होने का उल्लेख 1178 में मिलता है। प्राचीन-काल के सिक्कों से पता चलता है मुहम्मद गोरी के सिक्कों पर देवनागरी का प्रयोग मिलता है। शहाबुद्दीन (1192 ई०) ने ब्रजमिश्रित भाषा का प्रयोग किया।

इस सम्पर्क भाषा का और अधिक विकास तब हुआ जब अल्लाउद्दीन (13वीं शताब्दी) तथा तुगलक (देवगिरि-राजधानी—1327 ई०) के कारण उत्तर भारत के लोग बड़ी संख्या में दक्षिण में गये। बाद में प्रशासनिक दृष्टि से अकबर ने मालवा, बरार खानदेश और गुजरात को मिलाकर दक्खिन प्रदेश बनाया। औरंगजेब ने छह इकाइयों में विभाजित किया। उस समय कुछ मुस्लिम परिवारों के अतिरिक्त शेष सभी व्यापारी और श्रमिक घर-बाहर सभी जगह खड़ी बोली का प्रयोग करते थे। दक्खिनी के विशेषज्ञ डा० श्रीराम शर्मा के अनुसार, 'इन सेनाओं के नायकों में ऐसे लोगों की संख्या अधिक थी जो दिल्ली में बस गये थे या दिल्ली में जन्मे थे। वे लोग खड़ी बोली से अच्छी तरह परिचित थे। खड़ी बोली पर हरियाणा, मेवात, शेखावाटी तथा ब्रज से सम्बन्धित बोलियों का प्रभाव था। उत्तर भारत के विभिन्न प्रान्तों से आये हुये वे परिवार घरेलू जीवन में अपनी बोली बोलते थे और दूसरे क्षेत्रों के व्यक्ति से मिलते समय खड़ी बोली का प्रयोग करते थे। ईरान, ईराक के मुसलमान आफाकी कहलाते थे। यह कभी मराठी भाषी क्षेत्र में नियुक्त होता था कभी तेलुगु भाषी प्रदेश में और कभी कर्णाटक में। यही कारण है कि आफाकी लोगों ने भी खड़ी बोली को सामान्य बोलचाल के लिये स्वीकार कर लिया। हैदरअली और टीपू सुल्तान इस को सुदूर केरल तक ले गये जहां यह भाषा गोसायि भाषा के रूप में जानी गई। उत्तरी भारत से आने वाले सन्त लोगों के अर्थ में, विशेष रूप से तीर्थयात्री के अर्थ में गोसायि का सामान्य प्रयोग बढ़ा। हैदरअली और टीपू की कोच्चीन के राजा के साथ जो सन्धि हुई, उसके अनुसार राज्य परिवार के लोगों को हिन्दुस्तानी सिखाने के लिए कहा गया। फलतः हिन्दुस्तानी मुंशी की नियुक्ति हुई और हिन्दुस्तानी को प्रशासन में स्थान मिला।

सिकंदर लोदी के शासनकाल में राज्य का हिसाब किताब हिन्दी में होता था (डा० आबिद हुसैन)। शेरसाह सूरी के सिक्कों में नागरी और फारसी दोनों का उल्लेख मिलता है। मुगलों की दरबारी अर्थात् राजकाज की भाषा ऊपरी तौर पर फारसी भले ही रही हो पर बोलचाल की भाषा न होने के कारण उस समय भी काश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश आदि में हिन्दी भाषा ही आंतर-

भाषा के रूप में विकसित हुई। ऐसी स्थिति में 'सह राजभाषा' हिन्दी ही मानी जा सकती है। अकबर स्वयं हिन्दी में लिखते थे। जहांगीर को हिन्दी भलीभांति आती थी। डा० जान मार्शल (1668–1672 ई०), ने आलमगीर औरंगजेब के शासन में नागरी भाषा के विषय में जो कुछ सुना व लिखा, देखा जाए तो जिला स्तर पर जो आज प्रशासनिक भाषा का ढांचा है उसकी बहुत कुछ देन मुगल काल की है–– तहरीर, याददाश्त, खाते–नक्शा, मिसिल, इत्तलानामा, रसीद, सनदी फरमान, हकीकत फरद, दस्तूर, रोजनामा आदि। सभी उस समय से प्रशासन का अभिन्न अंग बन गये हैं। औरंगजेब के काल तक तो हिन्दी की विविध शैलियां प्रयोग में आने लगी थीं साथ ही ब्रजभाषा व राजस्थानी का भी प्रशासन में प्रयोग होने लगा। डा० रामबाबू वर्मा के अनुसार पत्र का ढांचा जिन शीर्षकों में तैयार होता था वे थे (1) मंगलवाचक शब्द, (2) पूर्वपत्र का संदर्भ, (3) अन्य प्रासंगिक अप्रासंगिक घटनाएं/आदेश (4) मूल विषय का वर्णन (5) सम्राट की आज्ञाओं को कार्यान्वित करने का मुजरा, (6) पत्र प्रेषण का मास, तिथि, संवत् आदि (7) प्राप्तकर्त्ता के कार्यालय द्वारा सम्मानार्थ प्रेषक दीवान तथा वकील का उल्लेख, (8) प्रेषण तथा प्राप्ति तिथि का उल्लेख। आचार्य चन्द्रबली पांडेय ने 'राष्ट्रभाषा पर विचार' में मुगलकाल में हिन्दी के प्रयोग का विस्तृत विवरण दिया है।

मराठा प्रशासन में हिन्दी का प्रयोग राजभाषा के रूप में व्यापक रूप में मिलता है। मराठों के राजकाज से सम्बद्ध सैंकड़ों पत्र पूणे तथा बीकानेर के अभिलेखों में सुरक्षित हैं। इन पत्रों के आधार पर डा० केलकर ने '18वीं शती के हिन्दी पत्र' शीर्षक शोध प्रबन्ध प्रस्तुत किया है। 17 वीं शताब्दी तक हिन्दी गद्य में अभिव्यंजकता भरपूर आ गई थी। पत्र व्यवहार के लिए हिन्दी अथवा हिन्दी भाषा को अपना माध्यम बनाया। उत्तरी भारत के नरेश, कर्मचारी आदि तो पेशवा, मराठा सरदारों, मराठा शासन के अधिकारियों आदि को हिन्दी में पत्र लिखते ही थे परन्तु उधर पेशवा मराठा सरदारों और सेनानायकों को मराठा राज्य के अधिकारियों आदि की ओर से भी जो कागजपत्र इन हिन्दी भाषी राजपूत नरेशों, उनके राजघरानों, कर्मचारियों आदि को लिखे जाते थे वे भी हिन्दी में ही होते थे। यही नहीं, उन प्रदेशों के राजकीय कार्य सम्बन्धी अनेकानेक प्रमाणपत्र, निर्देश, राजनीतिक या आर्थिक समझौते, संधिपत्र आदि भी अनिवार्य रूपेण हिन्दी में ही लिखे जाते रहे।

'पेशवा दफ्तर' में मराठी पत्रों के साथ पर्याप्त हिन्दी के पत्र भी हैं। इन सरकारी पत्रों में 78 विभिन्न प्रकार प्राप्त हुए हैं (राजवाड़े-इतिहास संशोधक मंडल, पूणे)। इन पत्रों में प्रशासन संबंधी पर्याप्त शब्दावली मिलती है। मराठा प्रशासन के मध्य ताम्रपत्र लिखने, मराठी से हिन्दी भाषा में अनुवाद, राजनीतिक समझौते, सेना-प्रशासन में हिन्दी का पर्याप्त प्रयोग मिलता है। डा० केलकर का अध्ययन 1701 से 1800 ई० तक की राजभाषा के स्वरूप पर आधारित है जिनमें सहस्रों दानपत्रों, पट्टों, परवानों, बहियों आदि में सुरक्षित हिन्दी भाषा पर प्रकाश पड़ता है। 'टाड कलेक्सन्ज' में अठारहवीं-उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ के 86 प्रकार के सरकारी पत्र हिन्दी में मिलते हैं। लन्दन में प्राप्त कर्नल टाड के इस संग्रह से कतिपय राजकीय पत्र डा० केसरीनारायण शुक्ल ने 'नागरी प्रचारिणी पत्रिका' के ही एक जयन्ती अंक में प्रकाशित करवाये। सन् 1738, 1759, 1760 के पत्रों से तत्कालीन गद्य की स्थिति और भाषा का रूपात्मक विकास स्पष्ट होता है। 1745 में बीकानेर के राजा गजेसिंह ने जयपुर के महाराजा माधोसिंह को हिन्दी में पत्र लिखा।

राजस्थान की विभिन्न रियासतों में तो पूरा पत्राचार हिन्दी में होता था। ग्वालियर नरेश महाराज जायाजी राव सिंधिया ने दीवान शेख गुलाम हुसैन को 21-11-1853 को यह आज्ञा प्रचारित की कि फारसी शब्दों का प्रयोग करने पर दण्ड की व्यवस्था है। जयपुर के दीवान पं० शिवदीन का 1857 ई० का पत्र, बीकानेर के महाराज ने सन् 1872 में सर टामस जार्ज बेरन, नाथब्रूक तक को हिन्दी में पत्र लिखा सन् 1807 ई० में अलवर में उर्दू के स्थानपर हिन्दी के प्रयोग का राज्यादेश निकाला गया। इन सबसे यही निष्कर्ष निकलता है कि सम्पूर्ण राजस्थान की रियासतों के कामकाज की भाषा हिन्दी थी, निस्संदेह स्थानीय बोलियों/भाषाओं का उसमें प्रभाव रहा है। इस सामग्री पर डा० महेश चन्द्र गुप्त ने 'राजस्थान के प्रशासनिक कार्यों में हिन्दी का प्रयोग' शीर्षक से शोध प्रबंध प्रस्तुत किया है। हिन्दी क्षेत्र से इतर देशी राज्यों में भी हिन्दी को प्रश्रय मिला था। बड़ौदा नरेश की आज्ञा से 'सयाजी शासन शब्द कल्पतरू' शीर्षक से प्रशासन शब्दकोश तैयार किया गया। उसमें गुजराती, बंगला, मराठी, फारसी के अतिरिक्त हिन्दी रूप भी दिये गये हैं। इस कोश से यह ज्ञात होता है कि इस शताब्दी के प्रारम्भ में वहां मध्यस्थ, पंच, नित्यावास, बंदोपाला, काराध्यक्ष, कर्मसचिव, अन्तिम आज्ञा, निक्षेप, सम्मिति, व्यवस्थापक, टीपण व्यवस्थापत्र, उत्तराधिकारी, वादी, विवादी जैसे, सहस्रों शब्द चल रहे थे। सत्रहवीं शताब्दी में ही 'राजव्यवहार कोश' 'शब्दरत्न समन्वय', शब्दार्थ संग्रह जैसे कोश तैयार कर लिये गये थे।

हिन्दी की सरलता, देश के अधिकांश जनसमुदाय में बोलचाल का माध्यम होना, राजनीतिक व्यवहार क्षमता, शब्दावली की उपलब्धता ने ही विदेशियों को भी इस भाषा की ओर आकर्षित किया।

विदेशी शासनकाल में विदेशियों के आगमन के साथ-साथ इस आवश्यकता को और भी अधिक महसूस किया जाने लगा कि देश में आपसी विचार-विमर्श के लिये कोई सामान्य भाषा हो और यह भाषा उन शताब्दियों में भी परम्परा से हिन्दी/हिन्दुस्तानी

ही हो सकती है । मिली-जुली शब्दावली भी विकसित हुई जिसका प्रमाण 'हाब्सन जाब्सन' कोश है । एडवर्ड टेरी (1655 ई०) ने कहा था "इन्दोस्तान देश की बोलचाल की भाषा अरबी-फारसी जबानों से बहुत मिलती-जुलती है पर बोलने में ज्यादा सुखकर और आसान है । इनमें काफी रवानी है और थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहा जा सकता है । लोग हमारी ही तरह बायें से दायें को लिखते हैं ।' हिन्दी का पहला व्याकरण सन् 1698 में हालैंड निवासी जान जोशुआ केटेलर ने 'हिन्दुस्तानी भाषा' शीर्षक से डच भाषा में लिखा । केटेलर पहले सूरत में आया फिर आगरा भी रहा । गुजरात के सूबेदार से उसका मित्र भाव था । राजदूतावास (अम्बेसी) के कागजों में यह उल्लेख है कि केटेलर ने अमीर उल उमरा जुलफिकर खां से हिन्दुस्तानी में ही बातें की थीं और उसके सहायक ने फारसी में बातचीत की । इसके बाद 'हिन्दुस्तानी व्याकरण' (1745 ई०) बेंजामिन सूल्ज तथा अल्फावेतुम ब्रहममनिकुज (1771 ई०), कैसियानी बेंलिगत्ती, दो व्याकरण महत्वपूर्ण हैं ।

हेनरी टामस कोलब्रूक (1765–1837), जो अगस्त, 1782 में बंगाल सर्विस में आ गये थे (आगे चलकर संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान हुए), ने अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा था, 'जिस भाषा का व्यवहार भारत के प्रत्येक प्रांत के लोग करते हैं, जो पढ़े-लिखे तथा अनपढ़े दोनों की साधारण बोलचाल की भाषा है, और जिसको प्रत्येक गांव में थोड़े बहुत लोग अवश्य समझ लेते हैं, उसी का यथार्थ नाम हिन्दी है ।' इसी समय सर विलियम जोन्स ने संस्कृत के प्रति रुचि दिखाई और एशियाटिक सोसायटी की कलकत्ता में स्थापना की । 'मुद्रा' तथा 'चपरास' में अनिवार्य प्रयोग 1793 ई० से प्रारम्भ हुआ । इसी समय मुद्रण के लिये टाइप के जक कैनरी (1796) ने कहा कि सम्भवत: संस्कृत की शाखा-प्रशाखा से विकसित हिन्दी विस्तृत भूभाग में फैली हुई है । राजमहल से दिल्ली तक आम भाषा है और इसके भी आगे शायद परे हिन्दुस्तान में इसके माध्यम से मैं समझा जा सकता हूं । यह वही वर्ष है जब गिलक्राइस्ट ने अपनी व्याकरण लिखी जिस के पहले वह हिन्दुस्तानी इंगलिश डिक्शनरी' (1787–91) दो खण्डों में दे चुके थे । 1798 में उन्होंने हिन्दुस्तानी भाषा की भूमिका के रूप में (ओरियन्टल लिंग्विस्ट प्रस्तुत की और ओरियन्टल सेमीनरी की स्थापना की जिसमें फरवरी 1799 से हिन्दुस्तानी भाषा का अध्ययन कराया जाने लगा । दिनांक 21-12-1798 के आदेश द्वारा हिन्दुस्तानी का ज्ञान आवश्यक कर दिया गया ।

फोर्ट विलियम कालेज की भूमिका

दिनांक 4 मई, 1800 ई० को मार्किस वेलेजली द्वारा स्थापित फोर्ट विलियम कालेज का, हिन्दी के स्वरूप को विकसित करने में महत्वपूर्ण स्थान रहा है । जान गिल-क्राइस्ट की नियुक्ति दिनांक 1-11-1800 को हुई और वह जनवरी, 1804 तक ही रहे है पर तत्कालीन परिस्थितियों में उनका योगदान ऐतिहासिक कहा जायेगा और जब कि उन्होंने एक सर्वमान्य भाषा के रूप में विस्तृत भूभाग में बोली जाने वाली भाषा को 'खड़ीबोली' नाम से अभिहित किया । मेरी राय में स्टेंडर्ड हिन्दी के लिए यह नाम दिया गया । कम्पनी प्रशासन सरकार को कामकाज की भाषा के प्रति सचेत था । कालेज में नियुक्त लल्लू लालजी तथा सदल मिश्र से 'खड़ी-बोली' हिन्दी में पुस्तकें तैयार करवायीं । गिलक्राइस्ट ने हिन्दी के प्रारंभिक स्वरूप को किस प्रकार संबंधित किया यह अपने में विस्तृत विषय है । यहां तो इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि इसके फलस्वरूप ठीक एक वर्ष बाद ही यह घोषणा कर दी गई कि सन् 1801 के प्रारम्भ से ऐसा कोई भी सिविल सर्वेंट किसी विश्वास तथा उत्तरदायित्व के पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक यह निश्चित न कर लिया जाय कि उसे गर्वनर जनरल द्वारा बनाये गये कानूनों–नियमों तथा उन भाषाओं का ज्ञान है जो उसके पद से संबंधित कार्यकलाप के लिये आवश्यक है । गिलक्राइस्ट की सेवाओं के महत्व पर श्री एच० एल० विल्सन ने लिखा, 'बड़े श्रम और सूझ से गिलक्राइस्ट ने प्रयोगों के नियम निकाले और एक स्टेंडर्ड स्थापित किया जिससे अपील का अवसर ही नहीं आया और जो न केवल उस भाषा को सीखने वरन उसकी रक्षार्थ आवश्यक था । अस्थिर तथा लचकीली बोली की स्थिति से उठाकर नियमित स्थिरता और एकरूपता दी' । 'कालेज की स्थापना के वर्ष में ही कम्पनी के 2 सितम्बर, 1800 ई० के डिस्पैच में हिन्दी-हिन्दुतानी के संदर्भ में गिलाक्राइस्ट की सेवाओं की भूरि-भूरि प्रशंसा की गई और किस प्रकार उन्होंने जूनियर सर्वेन्टस के लिये हिन्दुस्तानी के ठीक-ठीक और विस्तृत ज्ञान की आधारशिला रखी । आज की तरह उस समय भी नौकरशाही ने उनके कार्य में पर्याप्त बाधा पहुंचायी जिससे क्षुब्ध होकर उन्होंने दिनांक 20-1-1802 को लिखा कि बाधाओं से मेरा काम महीनों पीछे हो गया । योजनाओं के प्रसार में बाधा पड़ी । फलत: 1804 में उन्होंने त्यागपत्र दे दिया । बाद में इंग्लैंड पहुंचकर भी वह हिन्दुस्तानी की सेवा मृत्यु पर्यन्त करते रहे ।

बाद में इसी पद पर कैप्टन माउंट (6-1-1806 से 27-2-1808), कैप्टन विलियन टेलर (22--1808 से 1823) तथा विलियम प्राइस (23-5-1823 से दिसम्बर 1831) रहे । इग्लैंड में भी हेलीबरी में 12-5-1806 को कालेज की स्थापना की गई जिसका उद्देश्य था कि आधार इंग्लैंड में तैयार किया जाए और शेष पढ़ाई भारत में । इस कालेज में भी सन् 1806 तक गिलक्राइस्ट रहे । ये दोनों कालेज क्रमश: 1854 तथा 1857 तक रहे ।

कालेज के अन्य व्यक्तियों में लल्लू लाल जी तथा सदल मिश्र के अतिरिक्त विलियम प्राइस (1780-1830) का योगदान महत्वपूर्ण है । कृतियों में हिन्दुस्तानी की व्याकरण (लंदन 1823), हिन्दुस्तानी की नई व्याकरण (लंदन 1828) तथा हिन्दी व हिन्दुस्तानी सिलेबस महत्वपर्ण है । स्कूल के

स्टविक महोदय (1813-1884) ने हिन्दुस्तानी का व्याकरण लिखा।

फोर्ट विलियम कालेज के इतर

उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में फोर्ट विलियम कालेज में एकदम अनायास हिन्दी-हिन्दुस्तानी के प्रति राग पैदा नहीं हो गया। उस समय का वातावरण क्या था और हिन्दी का कितना अधिक महत्व था। आर्नो (Dr. Sandford Arno) के 'हिन्दुस्तानी व्याकरण' में विलियम बटरवर्थ बेली (1802) का उद्धरण दिया गया है:

It is moreover the general medium by which persons communicate their wants and ideas to each other. Of the truth indeed we ourselves are an evidence, as are the Portuguese, Dutch, French, Danee, Arabs, Turks, Greeks, Armenians, Georgians, Persians, Moguls and Chinese.

इस पर टिप्पणी करते हुए डा० रामविलास शर्मा ने 'हिन्दी भाषा की विकास परम्परा' में विचार व्यक्त किया है:—

'आगरा जैसे व्यापार केन्द्रों में किसी समय विदेशी व्यापारी, राजदूत आदि न केवल यहां की जनता से विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए वरन आपस में अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क भाषा के रूप में हिन्दी या हिन्दुस्तानी का व्यवहार करते थे। × × × उस समय अंग्रेजी विश्व भाषा न बनी थी। पुर्तगाल, हालैण्ड, यूनान, फ्रांस, डेनमार्क आदि अन्य देशों की तरह ब्रिटेन के व्यापारी भी यहां माल खरीदकर यहां बेचने के उद्देश्य से भारत आये थे। एशिया और यूरोप की तरह वे भी यहां की भाषा का व्यवहार करते थे। एशिया और यूरोप की इन जातियों की सम्पर्क भाषा कम से कम आगरा जैसे शहरों में हिन्दी या हिन्दुस्तानी थी'।

विलियम बटरवर्थ बेली (1782-1860) सिविल सर्विस के बड़े प्रतिभा सम्पन्न अधिकारी थे जिन्होंने सन 1799 में सेवा में प्रवेश किया और सन् 1800 ई० में हिन्दुस्तानी की परीक्षा में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। सन् 1802 में हुई प्रथम वाद-विवाद प्रतियोगिता में हिन्दी में प्रथम स्थान प्राप्त होने पर 1500 रु० नकद व मैडल प्राप्त किया। बाद में सुप्रीम कौंसिल के सदस्य रहे और विलियम बेंटिंक से पूर्व कुछ समय गवर्नर जनरल भी रहे। उनकी थीसिस का विषय था, हिन्दुस्तान में कारवाई के लिए हिन्दी जबान और जबानों से जीआदन दरकार है। (पृष्ठ 209-220)।

इस समय व्यापारिक सैनिक और राजनैतिक सभी क्षेत्रों के सारे कामकाज की भाषा यही थी:

How universally are commercial and military concern, and even political correspondence of the highest consequence, connected with it that carried on in it × × × that language is the most proper and necessary for conducting the affairs of civl government and commerces of military as well as judicial cases

कंपनी का इस के बारे में सन् 1803 का आदेश था:

'Every regulation with the original notes shall be translated in the Hindustanee.'

आर्नो ने इस व्याकरण के अतिरिक्त 'आन द ओरिजिन आफ स्ट्रक्चर आफ द हिन्दुस्तानी टंग' एन्ड जनरल लैंग्वेज' (लंदन 1828) तथा 'ए न्यू सेल्फ इन्स्ट्रक्टिंग ग्रामर आफ द हिन्दुस्तानी टंग (1831) लिखी। आर्नो के ही काम को डंकन फोर्ब्स (1798–1868) ने आगे चलकर और बढ़ाया।

A Grammar of the Hindustani Tongue by Sandford Arno to which is added A Selection of Easy extracts for Reading by Duncan Forbes (London, 1844).

फोर्ब्स ने एक 'हिन्दी मैनुअल' दो भागों में लंदन से सन् 1845 में तथा एक कोश हिन्दी-अंग्रेजी तथा अंग्रेजी-हिन्दी दो खंडों में सन् 1884 में प्रकाशित किया। बाद में किंग्स कालेज में प्राच्य भाषाओं के प्रोफेसर हुए। बटरवर्थ बेली जैसे अधिकारी अकेले नहीं थे, वरन् उसी समय के वरिष्ठ अधिकारी विद्रोही प्रवृत्ति के फ्रेडरिक जानशोर (1799–1837) भी थे जिन्होंने हिन्दुस्तानी के पक्ष में ही नहीं, अंग्रेजी के विषय में अकाट्य तर्क प्रस्तुत किए। उन्होंने बड़े विस्तार से अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। इस सम्बन्ध में उनकी पुस्तक 'नोट्स आन इंडियन एफेयर्स (1837), पठनीय है। जेम्स रोबर्ट बैलन्टाइन ने व्याकरणिक अभ्यासों की पुस्तक सन् 1838 में बनाई और पहली बार हिन्दी के साथ ब्रज तथा दकनी (लंदन 1842) को जोड़ा।

उन्नीसवीं शताब्दी के पहले दशक में दिल्ली के रेजिडेंट सी० टी० मेटकाफ़ ने अपने दिनांक 29–8–1806 के पत्र में लिखा, 'भारत के जिस भाग में मुझे काम करना पड़ा है, मुझे हर जगह ऐसे लोग मिले हैं जो हिन्दुस्तानी बोल सकते हैं। हिन्दुस्तानी एक ऐसी जुबान है जो आमतौर पर उपयोगी साबित होती है और मेरी समझ में संसार की किसी भाषा से उसका व्यवहार बहुत बड़े पैमाने पर होता है। 'लगभग ऐसे ही विचार मद्रास के लेफ्टिनेंट टामस रोबक (1781–1819) ने रखें थे 'हिन्दुस्तानी सामान्य जनता की बोलचाल की भाषा तथा भारत की महान लोकप्रिय भाषा है।' 'रोबक ने ही 'कम्पलीट कम्पंड आफ हिन्दुस्तानी-हिन्दुस्तानी-अंग्रेजी' नेवल डिक्शनरी 1811 में बनाई थी जो बाद में 'लश्करी डिक्शनरी' शीर्षक से सन् 1882 में प्रकाशित हुई। आपने ही सर्वप्रथम मुहावरे तथा कहावतों का संग्रह सन् 1824 में कलकत्ते से प्रकाशित किया। एच० एच० विलसन (1786–1860) ने प्रशासनिक शब्दावली को 'ग्लोसरी आफ जुडिशियल एण्ड रेवेन्यू टर्म्स' (लंदन, 1855) शीर्षक से सर्वप्रथम प्रस्तुत किया।

वस्तुत: प्रथम चार दशकों में सिविल सर्विस के अधिकारियों में जो हिन्दी/हिन्दुस्तानी की लहर बढ़ रही थी उसको कठोरता से रोकने के लिए ही मैकोले ने सन् 1835 में सुप्रसिद्ध 'मिनट' प्रस्तुत किया।

मैकाले और उसके पीछे पूरी ब्रिटिश संरकार के प्रयत्नों के बावजूद सन् 1951 तक भारत में अंग्रेजी का प्रतिशत

मात्र एक रहा। हो सकता है, मैकाले के मानसपुत्रों और उसके पीछे लगी ताकतों से यह सब कुछ बढ़ गया हो। पर दूसरी ओर हिन्दी के महत्व और उसकी गति को कोई शक्ति रोक नहीं की। स्वयं अंग्रेजी के विरुद्ध अंग्रेज ही लड़ते रहे। इसमें सर्वाधिक शीर्ष पर नाम है : फ्रेडरिक पिन्काट। ब्रिटिश सरकार से उनकी यह लड़ाई सन् 1868 ई० से प्रारम्भ हो गई थी जबकि उनकी अवस्था मात्र बत्तीस वर्ष की थी। सन् 1888 में श्रीधर पाठक को लिखे पत्र में उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा था :

> "बीस साल पहले मैं एकमात्र योरोपियन था, जिसने सरकार पर हिन्दी के बारे में दबाव डाला और दस साल बाद इस नियम के बनवाने में सफल रहा कि भारत जाने वाले अंग्रेजों को हिन्दी की परीक्षा पास करना अनिवार्य किया जाए।"

आज इस 'अनिवार्य' शब्द से सभी बिदकते हैं। हिन्दी या मात्र किसी भारतीय भाषा को अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण करने की व्यवस्था की गत वर्ष कितनी छीछालेदर हुई यह किसी से छिपी नहीं। पिन्काट जब इस लड़ाई को लड़ रहे थे तो एक ओर श्रीमान ग्रिफ़िथ ने सन् 1878 की रिपोर्ट में यह बात खोलकर रख दी थी कि "इस देश की भाषा हिन्दी है" तो दूसरी ओर हिन्दी का विश्लेषण-विवेचन कर केलाग ने सन् 1976 में 'हिन्दी व्याकरण' प्रकाशित किया और उसमें इस घोषणा के साथ 'भारतीय आर्य भाषाओं में महत्व की दृष्टि से हिन्दी का स्थान पहला है। "स्तरीय हिन्दी के भविष्य की भी आपने कल्पना की "यदि कोई भविष्य बताने का साहस करे तो वह यह भी कह सकता है कि भविष्य में उत्तर भारत की जो भाषा राजकाज या साहित्य की भाषा बनेगी वह ऐसी भाषा होगी जो उर्दू की भाँति अरबी-फारसी से कम प्रभावित होगी, साथ ही उसमें वर्तमान हिन्दी की अपेक्षा संस्कृत तथा प्राकृत के शब्द भी कम रहेंगे।

भाषा के जिस रूप की कल्पना की गई है, उसी रूप को भारतेन्दु ने अपनाया और नए चाल की हिन्दी से अभिहित किया जिससे प्रभावित होकर पिन्काट ने उन्हें लिखा यह सच बात है कि आपकी हिन्दी और हिन्दुस्तान सबसे मनोहर है, इसके बदले राजा शिवप्रसाद को अपना ही हित सबसे भारी बात है। हिन्दी का सार्वदेशिक रूप तो काफी पहले से स्वीकृत किया जा चका था। जान शेक्सपियर ने बहुत पहले लिखा था, 'जो साधारणतया हिन्दुस्तान खास या दकन में, दिल्ली, आगरा, हैदराबाद या कर्नाटक में प्रचलित है मूलतः एक है फिर भी देश के विस्तार के कारण बोलियों में अनेक अंशों में भेद हुए बिना नहीं रह सकता।

ऐसी स्थिति में अंग्रेजी सरकार के सामने इसके अतिरिक्त कोई अन्य रास्ता नहीं था कि भारत में प्रशासन में आने वाले सिलवि सर्विस के उच्च अधिकारियों के लिए हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य कर दिया जाए। इस सम्बन्ध में इंडिया आफिस, लन्दन से सं० 1975–81 जे० पी०, दिनांक 12–8–1881 को सेक्रेटरी, सिविल सर्विस कमीशन को आदेश भेजा जिस में काफी विस्तार से इस पर विवेचन किया गया और अन्त में इन प्रस्तावों को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया (इन मूल–पत्रों की प्रतिलिपि के लिए लेखक राष्ट्रीय अभिलेखागार के निदेशक के प्रति आभारी है)।

प्रेसीडेंसी या गवर्नमेंट	अभ्यर्थी के लिए अनिवार्य भाषा	वैकल्पिक भाषाएं, पद यदि ली जाएं तो इनाम तथा मार्क्स से प्रोत्साहित किया जाए
बंगाल का दक्षिणी प्रांत	बंगाली	हिन्दुस्तानी तथा कोई एक प्राचीन भाषा
उत्तर-पश्चिमी प्रांत, अवध तथा पंजाब	हिन्दी	हिन्दुस्तानी तथा कोई एक प्राचीन भाषा
मद्रास	तमिल	तेलगु तथा कोई एक प्राचीन भाषा
बम्बई	मराठी	हिन्दुस्तानी तथा कोई एक प्राचीन भाषा
वर्मा	बर्मी	हिन्दुस्तानी तथा कोई एक प्राचीन भाषा

इसके साथ ही यह व्यवस्था भी की गई कि मद्रास जाने वाले अधिकारियों के लिए हिन्दुस्तानी के लिए विशेष पुरस्कार दिया जाए। जैसा कि ऊपर के विवरण से स्पष्ट है सन् 1881 का वर्ष प्रशासन में हिन्दी तथा भारतीय भाषाओं के लिए चिर-स्मरणीय माना जाना चाहिए।

आगे चलकर इसी आदेश का स्पष्टीकरण करते हुए 26 जनवरी 1882 को सिविल सर्विस कमीशन के नाम भेजे गए पत्र में पुनः जोर दिया गया कि मद्रास जाने वाले अभ्यर्थियों की फाइनल परीक्षा में हिन्दुस्तानी के लिए विशेष पुरस्कार की व्यवस्था की जाए। इसी आदेश में यह भी स्वीकार किया गया कि हिन्दुस्तानी जो एक प्रकार से समस्त भारत की सार्वदेशिक भाषा है, राजनैतिक दृष्टि से, विशेषतः बम्बई में इतनी महत्वपूर्ण है कि उसे कतई छोड़ा नहीं जा सकता। इस पत्र के अन्त में पुनः जोर देकर दोहराया गया कि मद्रास में हिन्दुस्तानी के विशेष पुरस्कार की व्यवस्था की जाय यद्यपि यह वहां की वर्नाक्यूलर नहीं है और उसी प्रकार बम्बई प्रांत में गुजराती के लिए पुरस्कार दिया जाए। हिन्दी तथा भारतीय भाषाओं के सन्दर्भ में यह आदेश कितना अधिक महत्वपूर्ण रहा होगा इसकी ओर ध्यान देकर हमें यह भी देखना चाहिए कि इस बीच हम कितने आगे बढ़े। परीक्षा पास करना, पुरस्कार इनामों की व्यवस्था तो आज से सौ वर्ष पूर्व कर दी गई थी आखिर हमने और क्या किया ? ब्रिटिश सरकार ने एक शताब्दी पूर्व ही सन 1881 में राजकाज की दृष्टि से हिन्दी/हिन्दुस्तानी तथा भारतीय भाषाओं का महत्व स्वीकार कर लिया था। आज तो अधुनातन पद्धतियां हिन्दी के पठन-पाठन में अपनायी जा रही है। काफी छानबीन के बाद पाठ्यक्रम तैयार हो रहे हैं। हिन्दी

के पाठ्यक्रम के लिए अधिक समय अपेक्षित है। इस प्रकार की अनेक समस्याएं आए दिन खड़ी होती हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में यह स्वाभाविक है कि हमें यह भी ज्ञात हो कि आखिर एक शताब्दी पूर्व इन सिविल सर्विस के अधिकारियों को क्या क्या पढ़ाया जाता था। इसका उत्तर फ्रेडरिक पिन्काट के उस 1 जनवरी, 1884 के पत्र में मिल जाता है जो उन्होंने तत्कालीन मूर्धन्य साहित्यकार भारतेन्दु हरिश्चन्द को लिखा था :—

"वह सिविल सरवेन्टस् केवल चार पोथी पढ़ते हैं अर्थात् डाक्टर हाल साहब का हिन्दी रीडर, किल्लोग साहब का हिन्दी व्याकरण, मेरा हिन्दी मानूअल और मेरा शकुंतला इन चार पोथियों को छोड़ कोई लोग और किसी ग्रंथ को नहीं पढ़ते।"

गिलक्राइस्ट द्वारा लिखित हिन्दी मैनुअल या कास्केट आफ इंडिया (कलकत्ता, 1802), उकन फोर्ब्स की हिन्दी मैनुअल (1845 ई०) की परम्परा में पिन्काट द्वारा सम्पादित मैनुअल की प्रति डा० पद्मधर पाठक जी के पास सुरक्षित है जिसका विवरण उनके अनसार ही इस प्रकार है : आरम्भ के कुछ पृष्ठ गायब हैं, वैस पृ० 71 तक ग्रामर है, 72 में भी ग्रामर है किन्तु प्रोविन्सियल हिन्दी शीर्षक से मुहावरेदार वाक्य पृ० 243 तक, फिर संख्यावाचक (पृ० 244–254 तक), अभ्यास (पृ० 258–290), वार्तालाप (पृ० 292–336), शब्दावली (पृ० 337–387)। अंग्रेजी जानने वालों को ध्यान में रखते हुए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों ही के शब्द आमने सामने रख उनकी उच्चारण प्रक्रिया बतलाई गई है। लंदन से 1890 ई० में प्रकाशित है। 1882 तथा 1883 के विभिन्न पत्रों में प्रकाशित है।

'हिन्दी मैनुअल एक प्रकार से व्याकरण तथा पाठ्य पुस्तक थी। इसका पूरा नाम था 'द हिन्दी मैनुअल कम्प्राइजिंग ए ग्रामर आफ हिन्दी लैंग्वेज विद लिटरेरी एण्ड प्राविसिअल, कम्पलीट सनटैक्स। 'श्रीधर पाठक को लिखे गए सन् 1890 के पत्र में सूचित किया गया कि इसकी 500 प्रतियां बिक चुकी हैं। इसके अगले संस्करण में संशोधन किया गया और पिन्काट ने लिखा, "इस सप्ताह मैं आपको हिन्दी मैनुअल के तृतीय संस्करण की एक प्रति भेजता हूं, जिसमें आपके ऊजड़ गांव के दो उद्धरण दिए गए हैं। इस देश की सिविल सर्विस के पाठ्यक्रम में मेरी पुस्तक लगी है, इस कारण भविष्य में भारत को जाने वाले प्रत्येक अधिकारी आपकी पुस्तक के इन दो उद्धरणों को देखेंगे।" इससे स्पष्ट होता है कि दस वर्ष से भी कम समय में इसके तीन संस्करण बिक गए।

विधिवत् हिन्दी क्षेत्र में विहार में हिन्दी का प्रारम्भ सन् 1875 में ही हो गया था पर 1880 में कड़ा आदेश निकाला गया कि जनवरी 1881 से प्रांत की अदालती भाषा एक मात्र नागरी लिपि में लिखित हिन्दी होगी। मध्य प्रदेश में यही सन् 1881 में तथा यू० पी० में सन् 1900 में जबकि माघ 1898 में मालवीय जी के नेतृत्व में शिष्टमंडल गर्वनर से मिला।

सन् 1882 में हंटर महोदय की अध्यक्षता में शिक्षा की समस्याओं पर विचार करने के लिए आयोग गठित किया गया। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1893 ई० में प्रस्तुत की। आयोग के समक्ष काफी लोगों ने साक्ष्य दिए जिनमें हिन्दी/जनभाषाओं का महत्व प्रतिपादित किया गया। हंटर महोदय ने स्वयं "प्रि एमीनेन्स आफ वर्नाक्यूलज़" (लंदन 1896) शीर्षक से पुस्तक प्रकाशित की। वैसे हंटर से जितनी आशा थी उसके अनुरूप फल नहीं निकला। 1901 की जनगणना की रिपोर्ट के प्रथम खंड में भारतीय संदर्भ में हिन्दी के महत्व को प्रतिपादित करते हुए क्राइस्ट महोदय ने लिखा 'हिन्दी के पास ऐसा शब्दकोश और अभिव्यक्ति की ऐसी सामर्थ्य है; जो अंग्रेजी, से किसी भी प्रकार कम नहीं।'

इस प्रकार यह देखा गया कि कम्पनी सरकार तथा ब्रिटिश सरकार दोनों के समक्ष महत्वपूर्ण प्रश्न सरकार की कामकाज की भाषा से संबंधित हमेशा रहा। यहां तक की मैकाले के 'मिनट' के बाद भी थामसन ने अपनी रिपोर्ट (1843–44) में यह स्पष्ट आदेश दिया कि इंगलिश अफसरों के सिवाय जनता के साथ सभी कामकाज वर्नाक्यूलर भाषा में किया जाय। आगे चलकर 'होम' विभाग के अन्तर्गत एक तर्जुमा (अनुवाद) विभाग था। कम्पनी प्रशासन में पत्रों के विविध प्रकार अर्जी, जमानतपत्र, शर्तनामा, कबूलनामा, सनद, दस्तक, अहदनामा, मुख्तारनामा, राजीनामा, यादियाददास्त, फाइलनोट, कैफियत, दरखास्त, खसरा, फरद मिलते हैं। ब्रिटिश शासन की देन अर्द्ध शासकीय पत्र (डी० ओ०) है। कम्पनी प्रशासन में प्रचलित जिन कतिपय हिन्दी पत्रों तथा कचहरी के नमूने डा० रामबाबू शर्मा ने अपनी पुस्तक में उद्धृत किए हैं वे हैं—मोहर, अर्जी, शर्तनामा, कबूलनामा, सनद परवाना, इकरारनामा, इज़हार, वजिबउल अर्ज (वह ऐसा सरकारी पत्र था जिसमें प्रार्थी के प्रश्नों के साथ-साथ उनका उत्तर भी सरकार की और से सामने अंकित कर दिया जाता था)। अहदनामा, हुकूमनामा (आदेशपत्र)। जिला स्तर पर स्थानीय प्रशासन में भी भोजपुरी, अवधी, ब्रज, बुन्देलखंडी, मगही राजस्थानी आदि जनभाषाओं का प्रचलन था। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी हिन्दी का प्रचलन था। नेपाली के साथ पत्र व्यवहार हिन्दी में ही होता था। ऐसी रियासतों के साथ पत्र व्यवहार में भी देशी भाषाएं प्रयोग में आती थीं।

हिन्दी के प्रचलन के लिए गैर सरकारी प्रयत्न

कांग्रेस की स्थापना से पूर्व ही बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात तथा पंजाब के राष्ट्रीय नेताओं द्वारा हिन्दी का प्रचार-प्रसार उसी प्रकार व्यापक रूप से किया गया जिस प्रकार मध्यकाल में सूफी संतों, फकीरों तथा भक्तों ने किया था। सर्वप्रथम विद्यासागर ने और फिर बाद में 1857 ई० में बंगाल में केशवचन्द्र सेन ने अपने समाचार पत्र में हिन्दी ही अखिल भारत की जातीय भाषा या राष्ट्रभाषा बनाने के योग्य है; इस विषय पर निबंध लिखा। 1882 में राजनारायण बोस ने और 1886 में भदेव मुखर्जी ने भारत को एक जातीयता के सूत्र में बांधने के लिए हिन्दी की उपयोगिता के विषय पर विचार कर उसकी वकालत की।' (विशाल भारत, मार्च 1950) राजा राममोहन राय ने कलकत्ते से 'बंगदूत' सन् 1826 में हिन्दी अंग्रेजी तथा बंगला में निकाला। दयानन्द ने बाबू केशवचन्द्र सेन के कहने पर ही आर्य

भाषा में लिखना तथा व्याख्यान देना शुरू किया। नवीनचन्द्र राय ने सन् 1868 में 'ज्ञान प्रदायिनी' के माध्यम से हिन्दी का प्रचार पंजाब में किया। इस प्रकार धार्मिक, सामाजिक तथा राजनैतिक आंदोलन की यह भाषा हिन्दी शताब्दियों से चली आ रही थी। उसका विकास पत्रकारिता के क्षेत्र में भी हुआ। सन् 1824 में कलकत्ते से 'उदन्त मार्तण्ड' प्रकाशित हुआ। राजा रामपाल सिंह ने सन् 1883 में लंदन से 'हिन्दुस्तान' नामक पत्र निकाला। बंकिमचन्द्र ने सन् 1884 में हिन्दी का समर्थन किया। महाराष्ट्र में तिलक ने मराठी के साथ 'हिन्दी केसरी' निकाला। माधवराचे सप्रे ने घोषणा की हिन्दी अवश्य राष्ट्रभाषा बनाई जाए। भारतवर्ष की कोई दूसरी भाषा राष्ट्रभाषा बनने का दावा नहीं कर सकती। 'वंदेमातरम्' 'समाचार पत्र' के सन 1905 के एक अग्रलेख में संपादक अरविन्द घोष ने हिन्दी को सर्वमान्य भाषा बनाने की वकालत की जिसके आधार पर ही शारदाचरण मित्र ने 1905 में 'एक लिपि विस्तार परिषद' की स्थापना की। महर्षि अरविन्द, रवीन्द्रनाथ टैगोर तथा सुप्रसिद्ध भाषाविद् डा० सुनीतिकुमार चाटुर्ज्या ने हिन्दी का पर्याप्त समर्थन किया। श्रद्धानन्द प्रारम्भ से ही हिन्दी के समर्थक थे।

राष्ट्रीय मंच पर आने से पहले ही सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने इस ओर ध्यान दिया। 'इंडियन ओपीनियन' में आपने सन् 1906 में लिखा "यह संभव नहीं कि अंग्रेजी के जरिए भारत एक राष्ट्र बन जाए। यह हिन्दी भाषा उत्तर भारत में सब लोग बोलते हैं। इसकी माता संस्कृत और फारसी होने के कारण यह हिन्दू और मुसलमान दोनों को अनुकूल पड़ सकती है। इस के सिवा चूंकि फकीर और सन्यासी यही भाषा बोलते हैं, इसलिए इसका प्रचार सब जगह होता है। अनेक अंग्रेज भी इसे सीखते हैं" सन् 1915 में भारत आते ही उन्होंने हिन्दी के लिए बाकायदा आंदोलन चलाया। समय-समय पर आपे हिन्दी का पक्ष लेते रहे जैसे नागरी प्रचारिणी सभा, काशी (1916) हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इंदौर (1018) आदि। द्वितीय गुजरात शिक्षा सम्मेलन, भड़ौंच (1917) के अध्यक्ष पद से भाषण देते हुए आपने ऐसी भाषा के पांच आवश्यक गुण बताए :—

1. वह भाषा सरकारी नौकरों के लिए आसान होनी चाहिए।
2. उस भाषा के द्वारा भारत का आपसी धार्मिक, आर्थिक और राजनैतिक कामकाज पूरा होना चाहिए।
3. उस भाषा को भारत के ज्यादातर लोग बोलते हों।
4. वह भाषा राष्ट्र के लिए आसान होनी चाहिए।
5. उस भाषा का विचार करते समय क्षणिक या अस्थायी स्थिति पर जोर न दिया जाए।

यह भी कहा कि अंग्रेजी भाषा में इनमें से एक भी लक्षण नहीं है। यह माने बिना काम नहीं चल सकता कि हिन्दी भाषा में ये सारे गण मौजूद हैं। उन्हीं के प्रयत्न से सन् 1918 में मद्रास में 'दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा' की स्थापना हुई।

कांग्रेस संस्था की कार्यवाही हिन्दी में चले इसके लिए वह तीसरे दशक से प्रयत्न करते रहे। कांग्रेस के विधान में भी इसका उल्लेख बहुत पहले करवा दिया था कि हिन्दुस्तानी में ही काम हो। गांधी जी के अनुरोध के फलस्वरूप कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में सन् 1925 में यह प्रस्ताव पास हुआ कि कांग्रेस की महासभा प्रस्ताव पास करती है कि कांग्रेस अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और वर्किंग कमेटी की कार्रवाई आमतौर पर हिन्दुस्तानी में चलेगी।' इससे पहले कोकोनाड़ा के 1923 के अधिवेशन में भी इस तरह का विचार प्रकट किया था कौंसिल आफ़ स्टेट में सेठ गोविन्ददास ने (दिनांक 16–3–1927) इस बात को उठाया कि हिन्दी में भी भाषण दे सकते हैं।

स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के लिए सभी दलों (मुस्लिम, हिन्दू महासभा, नानब्राह्मण, सिक्ख, लिबरल तथा लेबर) की 1928 में जो कांग्रेस हुई उसने पं० मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 'नेहरू रिपोर्ट' प्रस्तुत की। उसमें हिन्दुस्तानी को सर्वमान्य भाषा घोषित किया गया। रिपोर्ट पृ० 165–166)। यहां यह उल्लेखनीय है कि पं० जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और सुभाषचन्द्र बोस का सक्रिय सहयोग इस कमेटी को मिला था।

इसी वर्ष (1928) दक्षिण भारत में चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने तमिल भाषा-भाषियों से हिन्दी पढ़ने की वकालत करते हुए कहा, "उत्तरी और केन्द्रीय भारत की मुख्य भाषाओं में एक ऐसा सामान्य तत्व है जो इन भाषाओं के बोलने वालों को बिना उनकी अपनी भाषाओं में विशेष परिवर्तन के ही एक दूसरे को समझ सकने में सहायता प्रदान करता है और यह सामान्य आधार ही भारत के अधिकतर भाग की जनभाषा बनाने में सहायक है। केन्द्रीय सरकार और विधान सभाओं और प्रान्तीय सरकारों को भारत सरकार से व्यवहार की भाषा हिन्दी ही होनी अनिवार्य होगी। राजनैतिक कारणों से कम महत्वपूर्ण नहीं ऐसी भारत की सांस्कृतिक एकता की मांग भी सामान्य रूप से बोली जाने वाली भाषा का ज्ञान है। यदि वृहत् भारत में प्रतिदिन का संपर्क नहीं बनाए रखा गया, तो दक्षिण प्रदेश उस सांस्कृतिक वृक्ष की निर्जीव शाखा मात्र रह जाएगा।" सन् 1929 में 'हिन्दी प्रचारक' में लिखा "हिन्दी भावी भारत की राजभाषा है, हमें अभी से उसे जरूर सीख लेना चाहिए।" इस योगदान में ऐन्ड्रयूज तथा एनीबेसेंट ने भी पूरा-पूरा योगदान दिया।

पं० जवाहर लाल नेहरू ने भी हिन्दी को प्रारम्भ से ही अपनाया और सन् 1937 में प्रांतीय सरकार बनने पर कहा, 'हर प्रांत की सरकारी भाषा राज्य के कामकाज के लिए उस प्रांत की भाषा होनी चाहिए। परन्तु हर जगह अखिल भारतीय भाषा होने के नाते 'हिन्दुस्तानी' को सरकारी तौर पर माना जाना चाहिए। अखिल भारतीय भाषा कोई हो सकती है तो वह सिर्फ हिन्दी या हिन्दुस्तानी कुछ भी कह लीजिए—ही हो सकती है। ('राष्ट्र भाषा का सवाल' प० 23 तथा 33) मेरा विश्वास है कि लगभग दूसरी हर चीज़ की वनस्पति भाषा किसी राष्ट्र के चरित्र की ज्यादा बड़ी कसौटी है। अगर भाषा शक्तिशाली और ज़ोरदार होती है, तो उसके इस्तेमाल करने वाले लोग भी वैसे ही होते हैं, अगर वह छिछली, लच्छेदार और पेचीदा है, तो उसे बोलने वाली प्रजा में वही लक्षण देखने को मिलेंगे।'

गांधी जी के नेतृत्व में भारत स्वतन्त्र हुआ और बागडोर प्रधान मंत्री के रूप में पं० जवाहरलाल नेहरू के हाथों में आई।

संविधान में राजभाषा

सन् 1946 में संविधान सभा बनी जिसमें मुख्यतः राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे, साथ ही मुस्लिम लोग तथा अन्य स्वतन्त्र आदि। संविधान सभा की पहली बैठक दिनांक 9-12-1946 को हुई और दिनांक 11-12-1946 को बाबू राजेन्द्र प्रसाद इसके अध्यक्ष चुने गये। इस बीच 15-8-47 को भारत को स्वतन्त्रता प्राप्त हुई और पाकिस्तान बन जाने के कारण मुस्लिम लीग के सदस्य भी नहीं रहे। संविधान सभा की नियम समिति ने पहले ही डा० राजेन्द्र प्रसाद की अध्यक्षता में यह निर्णय 1946 में ही ले लिया था कि सभा की कामकाज की भाषा हिन्दुस्तानी या अंग्रेजी होगी पर कोई भी सदस्य अध्यक्ष की अनुमति से सदन में अपनी मातृ-भाषा में भाषण दे सकेगा। दिनांक 14 जुलाई 1947 को संविधान सभा के चौथे सत्र के दूसरे दिन ही यह संशोधन प्रस्तुत किया गया कि 'हिन्दुस्तानी' के स्थान पर 'हिन्दी' शब्द रखा जाए। संविधान सभा कांग्रेस पार्टी में इस विषय पर विचार-विमर्श प्रारम्भ हुआ। मतदान में हिन्दी के पक्ष में 63 वोट थे और हिन्दुस्तानी के पक्ष में 32 और इसी प्रकार देवनागरी के सन्दर्भ में हुए मतदान में पक्ष में 63 तथा विपक्ष में 18 वोट।

फरवरी, 1948 में 'संविधान' का जो प्रारूप प्रस्तुत किया गया उसमें राजभाषा विधेयक की कोई धारा नहीं थी मात्र इतना उल्लेख था कि संसद की भाषा अंग्रेजी या हिन्दी होगी। सन् 1948 के प्रारूप में हिन्दी के सम्बन्ध में अनेक पक्ष-विपक्ष में मत प्राप्त होते रहे। पं० नेहरू ने 'एक अखिल भारतीय भाषा की आवश्यकता पर बल दिया और यह भी स्पष्ट किया कि स्वतन्त्र देश की अपनी ही भाषा में राजकाज चलाना चाहिए। यह भाषा अन्ततः जनता के मध्य से ही विकसित होगी। (कान्स्टीट्यून्ट असेम्बली डिबेट्स दिनांक 8-11-1948)। 10 नवम्बर, 1948 को स्टीयरिंग कमेटी में यह निश्चय किया गया कि साथ ही साथ संविधान हिन्दी में भी तैयार होना चाहिए। इस विषय पर मुख्य बहस अगस्त से सितम्बर, 1949 में हुई। अगस्त में ही कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में भाषा पर काफी चर्चा हुई जिसमें द्विवार्षिक स्थिति पर प्रस्ताव पास किये गए और यह भी स्पष्ट किया गया कि अखिल भारतीय कामकाज के लिए भी 'स्टेट लैंग्वेज' होनी चाहिए। इसी बीच 6-7 अगस्त को हिन्दी साहित्य सम्मेलन के तत्वाधान में भी 'राष्ट्रीय भाषा सम्मेलन' का आयोजन किया गया जिसमें नागरी लिपि में लिखी हिन्दी को एकमत से स्वीकार किया गया और यह भी अनुभव किया गया कि बीच की अवधि 10 वर्ष से अधिक न हो। 8 अगस्त को संशोधनों पर काफी बहस हो चुकी थी और संविधान सभा में मत लेने पर 'हिन्दी' के पक्ष में 82 तथा अंग्रेजी के चलते रहने को 10 वर्ष की अवधि पर्याप्त रखी गई जबकि दूसरे पक्ष पन्द्रह वर्ष की अवधि चाहता था। देवनागरी लिपि पर आम सहमति थी। मुख्य बहस का मुद्दा था कि हिन्दी का स्वरूप क्या हो? ऐसी स्थिति में एक प्रारूप समिति बना दी गई जिसमें आयंगर, टी० टी० कृष्णमाचारी, अय्यर, मुंशी, अम्बेडकर, सआदुल्ला तथा राव थे साथ ही आजाद, पंत, टंडन, नवीन, श्यामाप्रसाद मुकर्जी तथा के० सन्तानम् का भी सहयोग लिया जाए। यह भी माना जाता है कि घनश्याम गुप्त, सत्य नारायण तथा श्रीमती अमृतकौर से भी सहायता ली गई। आठ अगस्त को अनेक प्रस्ताव आये। एक प्रस्ताव पर 82 सदस्यों के हस्ताक्षर थे (अनेक दक्षिण भारत के भी थे) जिनमें पहला नाम आचार्य जुगल किशोर का था जो उस समय कांग्रेस के महामंत्री भी थे। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप चवालीस सदस्यों (28 मद्रास तथा दक्षिण के थे जिनमें के० सन्तानम् सर्वोपरि थे) ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसमें अरेबिक नम्बरों की व्यवस्था थी जिसको आगे बहस का मुख्य मुद्दा बना लिया गया। दस से सत्रह अगस्त तक तूफानी बैठकें चलती रहीं। सोलह अगस्त को प्रारूप कमेटी ने रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें दस वर्ष तक अंग्रेजी के चलते रहने की व्यवस्था थी जिसको 2/3 के बहुमत से संसद में पांच वर्ष के लिए व्यवस्था रखी गई साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय अंकों को मान्यता दी गई। बाद में 22 अगस्त को अम्बेडकर साहब ने नया फार्मूला रखा जिसमें (1) पन्द्रह वर्ष की अवधि का प्रस्ताव था जिसको बाद में भी संसद बढ़ा सकती थी (2) अन्तर्राष्ट्रीय अंक (3) उच्च न्यायालयों में अंग्रेजी (4) प्रादेशिक भाषाओं की अनुसूची (5) भाषा आयोग आदि की मुख्य व्यवस्थाएं थीं।

छब्बीस अगस्त को कांग्रेस पार्टी में इस विषय पर काफी बहस हुई पर मुख्य मुद्दा अन्तर्राष्ट्रीय अंकों को स्वीकार करने पर केन्द्रित रहा। विषय पर हुए मतदान में समान मत पड़े अतएव पं० नेहरू ने कहा कि 'फर्क बहुत ही कम है इसलिए उसके आधार पर पार्टी निर्णय नहीं ले सकती और यह बेहतर होगा कि सदस्य को अपनी राय देने के लिए छूट दी जाए'। (हिन्दुस्तान टाइम्स 27-8-1949) इस सभा की अध्यक्षता पट्टाभि सीतारामैया कर रहे थे। उन्होंने अपना कोई मत व्यक्त नहीं किया। वस्तुतः इस दिन का विवाद ही है जिसने इतना बाद में तूल बांधा। नागरी और अन्तर्राष्ट्रीय बैंकों पर विभिन्न सदस्यों का मत विभाजन ही इतना अधिक चर्चित हुआ कि काफी गणमान्य व्यक्तियों ने इसको 'हिन्दी पर थोप दिया। इस मसले पर तीन बार मतदान हुआ, अन्ततः सभी अपने मत पर दृढ़ रहे क्योंकि दिनांक 2-9-49 को हुए मतदान में भी यही स्थिति रही। इसी दिन सांय को 'फार्मूला' जो मुंशी आयंगर के नाम से जाना जाता है, पेश हुआ। सरदार पटेल उस दिन अस्वस्थ थे पर उनका समर्थन इसको प्राप्त था। इस फार्मूले पर 65 संशोधन तो दिनांक 5 सितम्बर तक ही आ गये। सर्वाधिक बहस अंकों पर हुई जिसमें भाग लेते हुए डा० श्यामप्रसाद मुकर्जी को कहना पड़ा, अंकों के मसले पर हम एक छोटा-मोटा युद्ध लड़ रहे हैं। यह ऐसा मामला नहीं है जिस पर बहुमत से निर्णय हो। अगर उनमें से कुछ लोग हिन्दी के अंकों के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय अंकों को मान्यता और अखिल भारतीय प्रयोग के विरुद्ध भी हैं और सोचते हैं यह न्यायसंगत और उचित नहीं है, फिर भी चूंकि उनके प्रांत की भाषा को भारत के सभी लोग स्वीकार कर रहे हैं इसलिए उनके अन्दर इतना राजनीतिक विवेक होना चाहिए कि वे उठ खड़े हों और कहें कि अपनी भावनाओं के बावजूद हम समझौते को स्वीकार करते हैं और संकल्प का अनुमोदन करते हैं।' (डिबेट्स, पृ० 1392-93) मौलाना

आजाद ने भी समझाने का प्रयत्न किया कि 'ये अंक असल में हिन्दुस्तान की देन हैं जो सदियों पहले हमने दुनिया को दिया था, उनको अपनाकर हम अपनी चीज वापस ले रहे हैं' (वही, पृ० 1458)

मसौदा प्रस्तुत करते हुए यह कहा गया था कि 'मसौदे के रचयिताओं के अनुसार हमारी मूल नीति यह होनी चाहिए कि संघ के कामकाज के लिए हिन्दी देश की सामान्य भाषा हो और देवनागरी सामान्य लिपि हो। मूल नीति का यह भी एक मुद्दा है कि सभी संघीय प्रयोजनों के लिए वे अंक काम में लाये जाएं जिन्हें भारतीय अंकों का अन्तर्राष्ट्रीय रूप कहा जाता है। (डिबेट्स 1/1 319). पं० नेहरू ने भी हिन्दी के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा था कि "परित्यागमूलक (एक्सक्लूसिव) के बदले समावेश मूलक (इन्क्लूसिव) बनायें और उसमें भारत के सभी भाषाई तत्वों को शामिल करें जिनसे यह बनी है, कुछ उर्दू के छींटें हों, और हिन्दुस्तानी भी हों।'

मुख्य बहस 12 से 14 सितम्बर तक चली। दस सितम्बर तक प्रस्तुत अनेक संशोधन 45 पृष्ठों में थे। संशोधनों की संख्या बढ़ते बढ़ते चार सौ तक हो गई अन्ततः 14 सितम्बर को ही आपस में दोनों पक्षों में राजीनामा हुआ। दोपहर एक बजे बैठक स्थगित हुई। 3 बजे संविधान सभाई पार्टी में समझौते के प्रयास हुए। 5 बजे के लगभग कुछ सहमति हुई अतएव उन्होंने (मुन्शीजी) आकर एक घंटे का समय और मांगा। 6 बजे तक सभी पहलुओं पर विचार-विमर्श कर मुंशी-आयंगर फार्मूले को कुछ सुधार कर स्वीकार कर लिया गया और आशा की गई कि सभी 400 संशोधन वापिस ले लिए जायेंगे। अन्ततः पांच संशोधन नहीं लिये गये जिनमें तीन कांग्रेस (ब्रिजेश्वर प्रसाद, सक्सेना तथा टण्डन) तथा दो लीग के (अहमद तथा जेड० एच० लारी) थे। राजर्षि टंडन ने पार्टी से इस्तीफा देकर संशोधन प्रस्तुत किया (जो बाद में पार्टी के अनुरोध पर उन्होंने 16 सितम्बर को वापस ले लिया)। इस प्रकार भारी तालियों की गड़गड़ाहट में मुंशी-आयंगर फ़ार्मूला स्वीकार कर हिन्दी को राजभाषा पद पर प्रतिष्ठित किया गया (डिबेट्स 1312, 1320, 1489–91) मुंशी-आयंगर फार्मूले के नाम से विख्यात अनुच्छेद संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक हैं। इस अवसर पर संविधान सभा के अध्यक्ष ने बड़े मार्मिक ढंग से घोषणा की 'आज पहली बार हम अपने संविधान में एक भाषा स्वीकार कर रहे हैं जो भारत संघ के प्रशासन की भाषा होगी और समय के अनुसार अपने आपको ढालना और विकसित करना होगा। हमने अपने देश का राजनैतिक एकीकरण सम्पन्न किया है। राजभाषा हिन्दी देश की एकता को कश्मीर से, कन्याकुमारी तक अधिक सुदृढ़ बना सकेगी। अंग्रेजी की जगह भारतीय भाषा को स्थापित करने से हम निश्चय ही और भी एक दूसरे के नजदीक आयेंगे।

संविधान के इन अनुच्छेदों/परिशिष्ट में मात्र दो संशोधन बाद में हुए। एक संशोधन के अनुसार अनुच्छेद संख्या 350 के साथ 350 अ तथा 350ब जोड़े गये जिसमें भाषाजात अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की व्यवस्था की गई है सातवां संशोधन 1951 और दूसरे संशोधन के द्वारा अष्टम अनुसूची में सिंधी' भाषा को जोड़ दिया गया है जिससे अब यह संख्या 15 हो गई है।

सरदार पटेल ने दिनांक 28-11-1949 को मगनभाई देसाई के नाम जो पत्र लिखा उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि 'राष्ट्रभाषा राजभाषा का अन्तिम निर्णय तो संविधान सभा ने कर लिया है इसलिए अब तो उस निर्णय पर अमल करना सब का कर्तव्य हो जाता है इससे पूर्व दिल्ली में हुए 'हिन्दी सम्मेलन' को दिनांक 23-11-1946 को उन्होंने संदेश भेजते हुए अपने विचार इस प्रकार प्रकट किए "हिन्दी का पेट महासागर की तरह ऐसा विस्तृत होना चाहिए कि जिसमें मिलकर भाषाएं अपना बहुमूल्य भाग ले सकें। राष्ट्रभाषा न तो किसी एक प्रांत की है। वह तो सारे भारत की भाषा है और इसके लिए यह आवश्यक है कि सारे भारत के लोग उसे समझ सकें और अपनाने का गौरव हासिल कर सकें।" उक्त परिप्रेक्ष्य में ही संविधान के अनुच्छेद 351 को लेना चाहिए।

संसार की कोई भी भाषा ऐसी नहीं है जो सरलता और अभिव्यक्ति की क्षमता में हिन्दी की बराबरी कर सके। इसकी लिखाई और उच्चारण में आश्चर्यजनक अनुरूपता है जिस कारण इसका लिखना और पढ़ना सबसे आसान है।

—फादर कामिल बुल्के

हिन्दी का अखिल भारतीय स्वरूप

--डा० पाडुरंग राव
निदेशक (हिन्दी), संघ लोक सेवा आयोग

(संविधानिक परिप्रेक्ष्य में हिन्दी को एक अखिल भारतीय रूप में स्थापित करने की दिशा में एक हिन्दीतर लेखक के द्वारा विचारोत्तेजक विश्लेषण)

भारत के संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में जब हिन्दी को घोषित किया गया था, उस समय संविधान के निर्माताओं के सामने हिन्दी का बहुत ही व्यापक रूप विद्यमान था, किसी प्रांत विशेष तक सीमित संकीर्ण रूप नहीं था। यही कारण है कि संविधान में परिकल्पित इस व्यापक स्वरूप के स्पष्टीकरण और निर्वचन में उनको नौ अनुच्छेदों में बहुत कुछ कहना पड़ा। इस भाषानवमी में अनुच्छेद 343 केवल राजभाषा का नाम-निर्देशन करता है और हिन्दी को संघ की राजभाषा के रूप में प्रयोग में लाने के लिए निश्चित अवधि का उल्लेख करता है। संविधान के निर्माताओं को इस बात की पूरी-पूरी जानकारी थी कि हिन्दी उसी प्रकार भारत की एक क्षेत्रीय भाषा है जैसे बंगला, पंजाबी, मराठी, तमिल आदि अपने-अपने क्षेत्रों की भाषाएं है। लेकिन किसी एक प्रांतीय या क्षेत्रीय भाषा को अखिल भारतीय स्वरूप देकर भारत के जनमानस को प्रतिबिंबित करने की लिए उसको एक सशक्त साधन बनाने के लिए विचार से हिन्दी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। यह भूमिका किसी भारतीय भाषा को ही सौंपी जा सकती थी। विदेशी भाषा के माध्यम से स्वदेशी शासन का कार्य चलाना न तो सुसंगत है और न वांछनीय।

इस निर्णय के पीछे महात्मा गांधी की अन्यान्य राष्ट्रीय मान्यताओं के साथ-साथ भाषा संबंधी मान्यता भी एक प्रबल प्रेरणा थी। स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान देश की जनता में राष्ट्रीय भावना को जाग्रत करते समय बापू ने अनुभव किया था कि इस बहुभाषी राष्ट्र के लिए एक संपर्क भाषा की बहुत बड़ी आवश्यकता है जो सब को जोड़ सके। मनीषी महात्मा ने यह भी देखा कि इस प्रकार का संपर्क सूत्र खोजने का प्रयास इस देश में युग-युग से चला आ रहा है और पिछली कुछ शताब्दियों से किसी न किसी रूप में हिन्दी के माध्यम से यह काम होता रहा। अंग्रेजी केवल सीमित प्रयोजन के लिए और चुने हुए लोगों के बीच संपर्क सूत्र बन सकी है। लेकिन जन-साधारण को एक समन्वित चेतना में बांधने का काम कोई भारतीय भाषा ही कर सकती है। इसीलिए बापू का विचार था कि हिन्दी का प्रत्यय लेकर भारत की सब भाषाएं अपनी सामासिक संस्कृति और चेतना को मुखरित कर सकती हैं। उनके मन में हिन्दी की जो परिकल्पना थी, उसमें तथाकथित आधुनिक हिन्दी या खड़ी बोली का पुट नाममात्र के लिए था। सार्वजनिक या अखिल भारतीय संपर्क सूत्र के रूप में हिन्दी का जो व्यापक रूप है, वह हिन्दी केवल सर्वनाम क्रिया रूप और विभक्ति प्रत्यय आदि लेकर तथा भारत की समस्त भाषाओं से शब्द-संपत्ति, वाक्य विन्यास और पद रचना आदि लेकर ही निष्पन्न हो सकता है।

इसी परिकल्पना को संविधान का राजभाषा-प्रकरण स्पष्ट करता है। इस प्रकरण के 4 अध्याय हैं। पहले अध्याय में संघ की भाषा का उल्लेख है, दूसरे अध्याय में प्रादेशिक भाषाओं के महत्व को समझाया गया है, तीसरे में उच्चतम न्यायालयों और उच्च न्यायालयों में राजभाषा का स्वरूप और स्वभाव स्पष्ट किया गया है और अंतिम अध्याय में हिन्दी को अखिल भारतीय भाषा बनाने के लिए अपनाई जाने वाली विधि की ओर विवेकपूर्ण संकेत किया गया है। संघ की भाषा के रूप में हिन्दी तभी कार्यकर बन सकती है जब प्रत्येक राज्य मे वहां की प्रादेशिक भाषा को भी उतना ही महत्व दिया जाए जितना कि संघ में हिन्दी को। संघ के शासन को राज्य के शासन से अलग करके विचार नहीं किया जा सकता। विभिन्न राज्यों में जो भी भाषाएं प्रचलित होती हैं उन्हीं के आधार पर संघ की भाषा का रूप अपने आप निर्धारित हो जाता है। अगर राज्यों में अंग्रेजी चलती है तो संघ की भाषा भी अंग्रेजी रहेगी। इसके विपरीत अगर राज्य में प्रादेशिक भाषाएं प्रचलित हों और हिन्दी भाषी राज्यों में इसी नीति के अनुसार वहां की भाषा हिन्दी बन जाए तो संघ की भाषा सहज रूप से हिन्दी बन जाएगी। संविधान का यह आशय कदापि नहीं था कि संघ की भाषा ही राज्यों की राजभाषा बन जाए। अंग्रेजी और हिन्दी में यही मूलभूत अंतर है। अंग्रेजी प्रादेशिक भाषाओं के स्थान पर चल रही है जबकि हिन्दी प्रादेशिक भाषाओं के बल पर चलेगी। इसलिए हिन्दी का विकास प्रादेशिक भाषाओं के विकास के साथ जुड़ा हुआ है। एक प्रकार से देखा जाए तो भारत की विभिन्न भाषाओं का एक समेकित, समन्वित और सामाजिक रूप ही हिन्दी है।

हो सकता है कि आज हिन्दी का जो रूप हिन्दी भाषी राज्यों में और हिन्दी भाषी समाज में प्रचलित है, वह इतना व्यापक न हो। इसका कारण यह है कि हिन्दी का प्रयोग

अब केवल कुछ ही प्रांतों तक सीमित है। भविष्य में जब समस्त भारत में शिक्षित और अशिक्षित–सभी लोग लिखित और मौलिक––दोनों प्रकार से हिन्दी का प्रयोग करने लगेंगे तो हिन्दी का एक सार्वजनिक रूप अपने आप उभर आयेगा जिसमें हर प्रादेशिक भाषा का अपना योगदान रहेगा और भारत का प्रत्येक नागरिक हिन्दी को अपनी ही भाषा समझ कर अपना सकेगा। इस प्रक्रिया में, संभव है, कई वर्षों तक हिन्दी के विभिन्न रूप प्रचलित हों। तमिलभाषी की हिन्दी बंगलाभाषी की हिन्दी से अलग हो सकती है। इसी प्रकार पंजाबीभाषी को हिन्दी गुजराती भाषी की हिन्दी से भिन्न हो सकती है। लेकिन जब भाषा विकसित होकर सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक और बौद्धिक क्षेत्रों में प्रवेश करेगी तब समस्त देश के लिए सम्मान्य इस सामान्य भाषा का एक सर्व-मान्य परिनिष्ठित रूप सहज रूप से विकसित हो सकेगा। इन्हीं बातों को दृष्टि में रखकर संविधान में हिन्दी भाषा के विकास के लिए अनुच्छेद 351 में स्पष्ट निर्देश दिया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार हिन्दी भाषा का प्रसार बढ़ाना और उसका विकास करना संघ का कर्तव्य है और इस विकास का उद्देश्य है ––भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति के लिए हिन्दी को सक्षम माध्यम बनाना। इसके अनुसार संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित सभी भाषाओं के शब्द-भंडार, शैली और अन्य भाषागत विशेषताओं को आत्मसात करते हुए हिन्दी को आगे बढ़ाना है। इस संबंध में देश के बुद्धिजीवियों को, भाषाविदों को, लेखकों को और शिक्षा शास्त्रियों को सोचकर एक निर्दिष्ट दिशा में आगे बढ़ना था। लेकिन इस दिशा-दर्शन और पुरोगमन पर पिछले 30-40 वर्षों में जितना ध्यान दिया जाना था, उतना शायद नहीं दिया गया। इसीलिए आज़ हमें लगता है कि हिन्दी को अखिल भारतीय रूप देने में अब तक जितना काम हुआ है, उसकी तुलना में अभी जो होना है, वह और कहीं ज्यादा है।

भारत की विभिन्न भाषाओं की शब्दावली आदि से हिन्दी को समृद्ध और परिपुष्ट बनाने के लिए यह आवश्यक है कि भारत के विभिन्न भाषा भाषी अपनी मातृभाषा के अलावा हिन्दी में भी लिखे और इसी प्रकार हिन्दी भाषी विभिन्न भारतीय भाषाओं में लिखें। इस दिशा में साहित्यिक आदान-प्रदान के नाम से पिछले 30-35 वर्षों से काफी प्रशंसनीय कार्य हुआ है। हिन्दी का लगभग सारा प्रशस्त साहित्य भारत की विभिन्न भाषाओं में आ चुका है। इसी प्रकार भारत की विभिन्न भाषाओं में जो उत्कृष्ट साहित्य है, वह सारा का सारा नहीं, तो बहुत कुछ आज हिन्दी के माध्यम से उपलब्ध है। आदान-प्रदान के इस क्षेत्र में नेशनल बुक ट्रस्ट, साहित्य अकादमी, प्रकाशन विभाग आदि राष्ट्रीय संस्थाओं ने उल्लेखनीय कार्य किया है। यह कार्य दो प्रकार से हुआ है –– अनुवाद के माध्यम से और परिचयात्मक ग्रंथों के द्वारा। अनुवाद के माध्यम से जो कार्य हुआ है, उससे न केवल साहित्य का आदान-प्रदान हुआ है बल्कि शब्द, वाक्य, मुहावरा, आदि भाषागत विशेषताओं का भी महत्वपूर्ण विनियम हुआ है। लेकिन यह अनुवाद कार्य अधिकतर हिन्दीतर भाषी लेखकों के द्वारा हुआ है। इसलिए भारत की विभिन्न भाषाओं के जो भी शब्द और वाक्य विन्यास हिन्दी में आ चुके हैं, वे हिन्दी में रचपचकर हिन्दी भाषा के अभिन्न अंग नहीं बन पाए हैं। लेकिन इस कार्य में हिन्दीभाषी लेखकों का भी अभीष्ट सहयोग यथेष्ट मात्रा में मिलता तो विभिन्न भाषाओं की विशेषताओं को आत्मसात कर हिन्दी की अभिव्यंजना को अखिल भारतीय स्वरूप देने में अधिक सुविधा होती। हिन्दी से विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने का काम हिन्दीतर भाषियों ने किया है, यह अच्छा ही हुआ। परंतु विभिन्न भाषाओं से हिन्दी में जो अनुवाद हुआ है, उसे हिन्दी भाषियों को करना था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे विभिन्न भारतीय भाषाएं जिस मात्रा में हिन्दी की वैचारिक और शाब्दिक संपत्ति से लाभांवित हुई है, उतनी मात्रा में अन्य भारतीय भाषाओं से हिन्दी नहीं हो पाई है। नई भाषा सीखने से किसी भी व्यक्ति की अपनी भाषा में एक नया निखार आता है। अगर यह काम कोई प्रतिष्ठित साहित्यकार करता है तो उसकी लेखनी में नई भाषा के शब्द नैसर्गिक शोभा से निखर उठते हैं। आज हिन्दी में अनुवाद के अतिरिक्त कविता, उपन्यास, नाटक आदि सृजनात्मक रचना में निष्णांत और ख्यातिप्राप्त हिन्दीतर भाषी लेखक सैंकड़ों की संख्या में उपलब्ध हैं। लेकिन इसी प्रकार भारत की विभिन्न भाषाओं में लिखने वाले या कम से कम इन भाषाओं का साहित्य मूल भाषा में पढ़ कर समझने वाली हिन्दी लेखक बहुत कम हैं। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 351 की अपेक्षा के अनुसार भारत की विभिन्न भाषाओं की जो पद-संपदा हिन्दी में आ चुकी है, वह केवल हिन्दी के प्रांगण में संकोचशील अतिथि के रूप में स्वागत की प्रतीक्षा में खड़ी है। खड़ी बोली के विशाल भवन में अभी उसका प्रवेश नहीं हुआ है। आदान-प्रदान और भावात्मक एकता के क्षेत्र में जब इन दोनों वर्गों के लेखकों का सहयोग समान मनोयोग से प्राप्त होगा तभी हिन्दी का अखिल भारतीय स्वरूप जिस रूप में हम चाहते हैं, उस रूप में सम्पन्न हो सकेगा।

यह केवल साहित्यक हिन्दी से संबंधित समस्या है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। शिक्षा, प्रशासन, कानून, भर्ती आदि विविध क्षेत्रों में प्रचलित हिन्दी की समस्या भी इससे जुड़ी हुई है। साहित्य समाज से बहुत कुछ लेता है और बदले में उसको बहुत कुछ देता भी है। जन साधारण में प्रचलित भाषा को ही लेकर साहित्यिक सर्वसाधारण भाषा की सृष्टि करता है। इसी से शिक्षा और प्रशासन की भाषा को भी पुष्टि मिलती है। आजकल राजभाषा के रूप में जो हिन्दी चल रही है, उसके संबंध में अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि वह अटपटी है, बोझिल है और आसानी से समझ में नहीं आती है। इसका एक कारण अनुवाद पर उसकी निर्भरता अवश्य है। पर साथ ही जनभाषा और साहित्यिक भाषा का जो पोषण उसे

मिलना चाहिए, उसका अभाव भी एक प्रबल कारण है। भाषा का सहज व्यवहार तभी संभव होता है जब वह आम जनता में बोली जाए और शिक्षित समाज अपने विचार प्रकट करने के लिए उसे स्वाभाविक माध्यम बना लें। भाषा को सरल या कठिन बनाने वाला तत्व शब्द नहीं, वाक्य है। वाक्य स्वाभाविक हो, तो दो चार कठिन शब्द अर्थ-बोध में बाधक नहीं बनते। इसलिए हिन्दी को अखिल भारतीय स्वरूप देने में उसकी प्रांजल और परिमार्जित वाक्य रचना बहुत कुछ साधक बन सकती है। विशेषकर कानून, विज्ञान और प्रशासन के क्षेत्रों में सरल, सुबोध और स्वाभाविक वाक्य रचना को अपनाने से राजभाषा हिन्दी अधिक लोकप्रिय बन सकती है। वास्तव में राजभाषा और जनभाषा का समन्वित विकास आज अखिल भारतीय माध्यम के रूप में हिन्दी के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। राजपथ और जनपथ का मंगलमय संगम ही राष्ट्रवाणी को एक चरितार्थ तीर्थ का रूप दे सकता है।

अक्सर यह कहा जाता है कि हिन्दी में बहुत सारे तत्सम शब्द हैं, और ये लगभग सभी भारतीय भाषाओं में प्रायः समान रूप से प्रचलित हैं। यह बहुत हद तक सही भी है। लेकिन इनमें से कई शब्द ऐसे हैं जो विभिन्न भाषाओं में विभिन्न अर्थों से प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण के लिए "अनुवाद" शब्द का प्रयोग मलयालम में "अनुमति" के अर्थ में किया जाता है। "उपन्यास" का मतलब तेलुगू में "भाषण" होता है। "शिक्षा" शब्द का अर्थ मराठी में 'दंड' होता है। हिन्दी में जिसको "खाद्यमंत्री" कहते हैं, उसको तेलुगू में "आहारमंत्री" कहते हैं और मलयालम में "भक्ष्यमंत्री"। हिन्दी का "संसार" तेलुगू में "परिवार" बनता है। हिन्दी की "परिभाषा" तेलुगु में "निवर्तन" का रूप धारण करती है। तत्सम शब्दों के इसी अर्थ-भेद के कारण हिन्दीतर भाषियों की रचनाओं में कहीं-कहीं कुछ विलक्षण प्रयोग मिलते हैं। वाक्य रचना में भी यह विलक्षणता प्रायः देखी जाती है। वैज्ञानिक और पारिभाषिक पदावली में एकरूपता लाने का जो प्रयास किया गया है और किया जा रहा है, उसमें भी यह अर्थ-भेद बाधक बन रहा है। लेकिन इन सब बातों के होते हुए भी यदि साहित्यिक क्षेत्र में आदान-प्रदान का कार्य समन्वित और संतुलित रूप से संपन्न हो जाए और राजभाषा के रूप में हिन्दी का मौलिक और स्वाभाविक प्रयोग होने लगे तो संभव है कि निकट भविष्य में हिन्दी का एक ऐसा परिनिष्ठित और सार्वदेशिक रूप देश के प्रबुद्ध समाज के सामने प्रस्तुत हो जिसमें किसी प्रांत या भाषा विशेष की नहीं, बल्कि समस्त भारत की भाषा भारती का बृहत स्वरूप प्रतिबिंबित हो। उस दशा में हिन्दी किसी प्रांत विशेष की भाषा न रहकर सर्वभाषा सरस्वती का सच्चा प्रतिनिधित्व कर सकेगी।

आजकल सरल हिन्दी के संबंध में काफी चर्चा हो रही है और इस संबंध में जन-साधारण में और शिक्षित समाज में भी काफी मतभेद है। उत्तर में जिस भाषा को सरल या आसान समझा जाता है, वह दक्षिण के पढ़े-लिखे आदमी के लिए दुर्बोध बन जाती है। संस्कृतनिष्ठ भाषा समझने में किसी को सुविधा होती है तो किसी को उर्दू के रोजमर्रे की ताज़गी में अधिक आनंद आता है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना पर्यावरण होता है। भाषा भी पर्यावरण का एक अंग है। अपनी मातृभाषा के जिस पर्यावरण में एक व्यक्ति पलता है, उसी को लेकर वह दूसरी भाषा के क्षेत्र में भी प्रवेश करता है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। हमारे देश में विभिन्न परिवेश, परंपरा और पर्यावरण से परिपुष्ट अनेक भाषाएं हैं तो इससे भारत की सामासिक संस्कृति को अभिव्यक्त करने में हिन्दी जैसी संपर्क भाषा को सुविधा ही होगी, कठिनाई नहीं आवश्यकता केवल सद्भावना, समरखता और सहृदयता के साथ भारत की सामासिक भाषा-संपत्ति को सही ढंग से समझ कर स्वीकार करने की है। भाषा सहज रूप से जन मानस के बल पर बनती, पलती और फैली है। उसे उसी रूप में आगे बढ़ने देना है। कृत्रिम सुधार से भाषा विकृत बन जाती है। प्रत्येक भाषा की प्रकृति में उसके विकास के बीज विद्यमान होते हैं।

भारत को प्रायः बहुभाषी देश कहा जाता है और इसी कारण से यहां की भाषा-समस्या को जटिल समझा जाता है। यह सही है कि इन भाषाओं में काफी वैविध्य है। लेकिन इसके साथ-साथ इन सबको एक सूत्र में पिरोने वाली एक मूलभूत सांस्कृतिक चेतना भी है। भाषा संबंधी वैविध्य साहित्य के क्षेत्र में बहुत हद तक समेकित और समीकृत हो जाता है और सांस्कृतिक धरातल पर यह भेद भाव लगभग समाप्त हो जाता है। भाषा से परे की समरस भावना के सुन्दर समतल में समस्त भारत-भारती एक सार्वजनिक और सार्वदेशिक भाषा-नीड़ बन जाती है। इसी नीड़ की छाया में हिन्दी का अखिल भारतीय स्वरूपनिष्पन्न, सम्पन्न और समृद्ध बन सकता है। □□□

हिन्दी की सार्वदेशिकता

—डा० शशि शेखर तिवारी,
यूनिवर्सिटी प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर।

(पूर्ववर्ती लेख की मूल भावना पर एक भिन्न दृष्टिकोण से विवेचन)

राष्ट्रभाषा हिन्दी की सार्वदेशिकता संपूर्ण भारत के सामासिक स्वरूप का प्रतिफलन है। शताब्दियों पूर्व से ही इस देश में भावना, विचारणा और जीवन-प्रणाली के स्तरों पर राष्ट्रीयता के मूलभूत सूत्र विकसित होते रहे हैं।[1] विश्व-संस्कृति के विख्यात विचारकों ने भारत की उच्चतर मूल्य-संबंधी साधना और आराधना के बहुविध प्रयत्नों में उदार राष्ट्रीयता के साथ उदात्त विश्व-मानवता का उद्घाटन किया है। निस्सन्देह जो राष्ट्र सभ्यता के ऊषा-काल से ही "सर्वे च सुखिनः" सदृश[2] अमृत-छंदों द्वारा समस्त मानवता के कल्याण के प्रति आन्तरिक आस्था व्यक्त करता आया है, वह युगपद रूप से अपने राष्ट्रीय स्तर पर भी स्वभावतः विविधता में विद्यमान समान संस्कारों के संरक्षण और संवर्द्धन के प्रति सचेष्ट रहा है। इसी उपर्युक्त सन्दर्भ में हिन्दी-भाषा की सार्वदेशिकता सर्वथा उल्लेखनीय है।

जिस प्रकार भारत को स्वतंत्र व उन्नत करने में संपूर्ण राष्ट्र के त्याग, तपस्या और सद्भाव का महान योगदान है, उसी प्रकार हिन्दी को राष्ट्रभाषा रूप में प्रतिष्ठित करने में सुदूर दक्षिण के हिंदी महासागर-तटवर्ती नारिकेल-कुंजों से लेकर हिमालय की उपत्यका और गुजरात से लेकर नगा भूमि के सीमान्तीय वन-प्रांतरों में जीवन बसर करने वाले जनगण की आशा और आस्था प्रतिफलित है। भारत की रागात्मक, बौद्धिक और भौगोलिक सत्ताओं पर भारत के प्रत्येक नागरिक का समान अधिकार है और भारत की सभी भाषाएं भी, राष्ट्रीय निधि का अभिन्न अंग हैं। इसलिए अन्य राष्ट्रीय दाय की तरह यहां की सभी भाषाओं की सुरक्षा और विकास का उत्तरदायित्व समान रूप से यहां के प्रत्येक भारतीय पर है। किसी विशेष क्षेत्र में, विशेष भाषा के प्रयुक्त होने पर भी उसके उन्नयन की चिन्ता का विषय आचार-विचार से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीयता के उक्त गहरे अर्थ में राष्ट्रभाषा हिंदी का रागात्मक संबंध देश की अन्य भाषाओं के साथ सुदृढ़ फलक पर स्थापित है।

हिंदी, राष्ट्र भाषा रूप में एक ऐसी वृहद् इकाई है, जो अन्तर्प्रान्तीय संपर्क-भाषा और राजभाषा के रूपों में मान्य है। हिंदी को किसी एक व्यक्ति अथवा क्षेत्र ने राष्ट्रभाषा का पद नहीं दिया है। यह भारत की प्रवहमान समन्वयात्मक प्रक्रियाओं से उपजने वाले अन्तर्भावात्मक राष्ट्रीय मानस का प्रफुल्लित भाषिक पद्म है। जिस प्रकार कमल के विभिन्न दल अपने रंग-रूप में अलग-अलग छवियों को प्रतिभासित करते हुए भी पुष्प की संपूर्णता को उदाहृत करते हैं, उसी प्रकार हिंदी और राष्ट्र की अन्य भाषाएं परस्पर हिल-मिलकर एक अन्वित भाषिक राष्ट्रीयता की शोभा-श्री बिखेरती हैं। हमारे देश में सार्वदेशिक विचार-विनिमय के संवहन और संप्रेषण के लिए राष्ट्रवाणी के प्रतिमान सदा से विकसित होते रहे हैं। प्राचीन काल में संस्कृत ने विशेषतः उत्तर और दक्षिण के योगदान से भारत की राष्ट्रीय भाषा बनकर सांस्कृतिक एकता की पुष्ट और प्रमाणित किया है। आज संस्कृत के स्थान पर अपनी समन्वयात्मक प्रकृति के कारण हिंदी उक्त राष्ट्रीय कर्त्तव्य का संपादन कर रही है।

हिन्दी की अन्तर्प्रान्तीय स्थिति कई शताब्दियों पूर्व से प्रतिष्ठित है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि हिंदी के प्रारंभिक कवि स्वयंभू, पुष्पदंत आदि दक्षिण और पश्चिम भारत के हैं। ईसा की ग्यारहवीं शताब्दी में लिखी जाने वाली मनोरम काव्यकृति "संदेशरासक' के रचयिता मुल्तान-निवासी अब्दुर्रहमान हैं। हिन्दी ने ही दक्षिण के महान संतों की समुज्वल साधना की वाणी बनकर उत्तर भारत के जन-समुदाय में सत्य और प्रेम के मानवीय भावों को स्पन्दित किया है। हिंदी के मध्यकालीन लोकनायक कविगण कबीर, सूर, तुलसी-रहीम, रसखान आदि के दीक्षा और शिक्षा गुरू किसी न किसी रूप में हिंदीतर प्रांतों के निवासी रहे हैं। इसी प्रकार देश के महान सन्तों और समाज-सुधारकों ने अपनी

1—समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः।
समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति॥' ऋग्वेद 10/191/4
'तुम्हारे कर्म और हृदय तथा मन समान हों। तुम एकमति होकर सब प्रकार से संगठित होओ।

2—सर्वेच सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद दुःख भाग्भवेद॥' —व्यास-कथन

तपःपूत यात्राओं से हिंदी-भाषा द्वारा देश की सांस्कृतिक एकता को संपुष्ट किया है। फलस्वरूप आज भी हिंदी-साहित्य की भाव-सम्पदा का बहुमूल्य अंश वह माना जाता है, जो मुख्यतः हिंदीतर प्रदेशों के महापुरूषों द्वारा समर्पित है। यहीं कारण है कि हिंदी के परम्परागत सार्वदेशिक, सहज स्वरूप की आन्तरिक प्रतीति करते हुए स्वतन्त्रता-आंदोलन के राष्ट्र-भक्त सूत्रधारों ने हिंदी को आन्दोलन के साधन के साथ साध्य भी बनाया। देश की समग्र चेतना, उच्चतर आदर्श और अखंडित अस्मिता आदि से अनुप्रेरित होकर आधुनिक भारत के नव-निर्माताओं ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का व्रत लिया और हिंदी की ध्वजा फहराई*।

प्रथम और द्वितीय भाषा के रूप में हिन्दी का व्यवहार करने वाली जनसंख्या के आधार पर तो इस भाषा का सीधा रिश्ता देश के सभी निवासियों के साथ जुड़ता है। हिन्दी का राष्ट्रभाषा हिन्दी को साहित्यिक हिन्दी या संस्थानों का प्रतिरूप या पर्याय मानना सही नहीं है। इसलिए कि नद-नदियों के तटों की स्पष्ट सीमा में प्रवाहित जल-प्रवाह ही सागर के वृहत्तर स्वरुप को सींचते हैं और सुरक्षित रखते हैं। अतः प्रकारान्तर से नदियों की सीमाएं, सागर की असीमता के कारण और कार्य दोनों बनती हैं। यह उपमा हिन्दी पर ही घटित होती है। हिन्दी की राष्ट्रीय धारा में जो जीवन-जल प्रवाहित है, वह निश्चयपूर्वक दक्षिण-उत्तर तथा पूरब-पश्चिम की दिशाओं से आकर एकत्र होता है। हिन्दी इस मानो में राष्ट्रभाषा है कि इसमें समस्त देश के लहजे, मुहावरे और बोल-चाल के ढांचे समाहित हैं और समाहित होते रहने की भी संभावना रखते हैं। व्यावहारिक हिन्दी-भाषा में अन्य भारतीय आर्यभाषाओं के शब्द, पद-बंध एवं वाक्य-विन्यास किंचित् क्षेत्रीय भेदों के साथ विद्यमान हैं। साथ ही इसमें द्रविड़, आस्ट्रिक, तिब्बती, मंगोल-भोट वर्ग की भाषाओं के साथ अरबी-फारसी और तुर्की के पर्याप्त भाषा-तत्व मिल-जुल गये हैं। आधुनिक काल में तो यूरोप की कुछ भाषाओं, विशेषतः अंग्रेजी की आत्मसात शब्दावली ने तो हिन्दी की सार्वदशिकता को अन्तर्राष्ट्रीयता की ओर अभिमुख होने में अद्भुत सहायता की है।

*सन् 1875 में आचार्य केशवचन्द्र सेन ने अपने बंगला अखबार में लिखा कि हिंदी ही अखिल भारत की जातीय भाषा बनने योग्य है। 1877 ई० में बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय द्वारा संचालित 'बंगदर्शन' पत्रिका में राष्ट्रीय ऐक्य के क्षेत्र में हिंदी की उपयोगिता के विषय में एक महत्वपूर्ण लेख प्रकाशित हुआ। 1886 ई० में बंगाल के भूदेवशास्त्री ने भी देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए हिंदी-भाषा के पक्ष में अपने सबल विचार प्रकट किए। 1920 ई० में तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में घोषित करते हुए कहा कि 'कोई भी देश सच्चे अर्थ में तब तक स्वतन्त्र नहीं, जब तक अपनी भाषा में नहीं बोलता।'

भारत ने स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद अपनी एकता और अखंडता की सुरक्षा और सबलता के लिए अनेक योजनाएं बनाई और उन पर अमल करने की दिशा में ठोस कदम उठाये। यह भी सही है कि देश की सामासिक संरचना और उसकी पोषक शक्तियों को कमजोर बनाने वाली विघटनकारी स्थितियां भी बीच-बीच में उभरती रही हैं। किंतु इन बिखराव के वातावरणों को देशवासियों ने सदभाव तथा त्याग के राष्ट्रीय भावों द्वारा प्रदूषित होने से बचाया है। उपर्युक्त प्रासंगिकता में हिन्दी-राष्ट्रभाषा के प्रचार और प्रसार-संबंधी सारे कार्यक्रम अपनी बाधाओं को दूर करते हुए राष्ट्रीय आशा-आकांक्षा की पूर्ति में नियोजित रहे हैं। निस्सन्देह देश की अधिकाधिक जनसंख्या द्वारा समझी, बोली और लिखी जाने वाली हिन्दी छोटे-मोटे विवादों से घिरती रहेगी तो हिन्दी के साथ भारत भी कमजोर होगा और प्रदेशों से बनने वाले इस देश का प्रजातान्त्रिक संघीय स्वरूप चरमराने लगेगा। संसार के सभी देशों में भाषाई विविधता के नातिदीर्घ लक्षण विद्यमान हैं। विकसित वर्ग के राष्ट्र भी उक्त भाषिक भिन्नता की समस्याओं से प्रभावित हुए हैं। किंतु इन देशों के राष्ट्रीय विवेक ने भाषात्मक समस्याओं का अंतिम निदान ढूंढ निकाला और उस पर सच्चाई से अमल किया। इस प्रसंग में सोवियत संघ की भाषिक व्यवस्था एक अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत करती है। भारत की सारी भाषाएं राष्ट्र की अचल धरोहर हैं। किन्तु अन्तर्प्रान्तीय व्यावहारिक सम्पर्क की सिद्धि और राष्ट्रीय चेतना की सार्थकता के लिए राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत आदि के सदृश सार्वदेशिकता से सम्पन्न हिन्दी ही राष्ट्र की वृहत् भाषात्मक इकाई मानी जायेगी।

हिन्दी, भाषा और साहित्य के गुण तथा गणना की दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय भाषा की सामर्थ्य एवं संभावना रखती है। यह यूरोप की अपेक्षा अधिक विस्तृत भू-भाग में बोली और लिखी जाती है। भाषी-संख्या के सन्दर्भ में संचार में चीनी के बाद हिन्दी का स्थान आता है। हिन्दी-भाषा में प्राप्त अन्य समान आकृति-प्रकृति वाले अनेक उपभाषा-समूहों के अतिरिक्त विश्व के प्रमुख तीन भाषा-वर्गों शब्द-तत्व हिन्दी के विस्तार को प्रामाणिक आधार प्रदान करते हैं। संस्कृत-सदृश कल्पवृक्ष भाषा का मातृत्व पाकर हिन्दी नित नूतन विचारों की अद्भुत अभिव्यक्ति शक्ति से सम्पन्न है। हिन्दी-साहित्य में ऐतिहासिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक सम्पर्कों के कारण विश्व-मानवता की विराट् भाव-सम्पदा, उच्चतर मानव-मूल और बौद्धिक प्रयत्नों की सार्वभौमिक छवियां संचित होती रही हैं। यह साहित्य, लगभग सातवीं शताब्दी से ही सिद्ध, संत और भक्त कवियों के विश्वमंगल भावों को स्पन्दित करता रहा है। आज के संसार को घृणा-द्वेष, युद्ध-विभीषिका, आंतक आदि की विनाशकारी अंधी प्रवृत्तियों से मानव-जाति के अस्तित्व को बचाने के लिए सर्वाधिक हिन्दी-साहित्य के उस मुख्य स्वर की आवश्यकता है, जहां प्रेम, सद्भाव, सहिष्णुता आदि मानवीय संवेदनशीलता की प्रगाढ़ता और प्रबलता है। भावना के साथ भौगोलिक धरातल पर ही भारत के बाहर

विश्व के प्रायः महानगरों आदि में रहने वाले भारतीयों की भाषा के रूप में हिन्दी अब संसार की पर्याप्त यात्रा कर चुकी है। वर्मा, मारिशस, ट्रिनिडाड, सूरीनाम (भारत के बाहर संभवतः फीजी ही एक ऐसा देश है कि जहां के संविधान में हिंदी को स्थान दिया गया है)। में तो हिन्दी को राष्ट्रभाषा-वत स्थिति है। इस प्रकार हिन्दी के उपयुक्त व्यापक प्रसार के कारण संसार के प्रायः विदेशी संस्थान हिन्दी के प्रयोग में गहरी रुचि ले रहे हैं। इसका सबसे ताजा और उल्लेखनीय उदाहरण ताशकंद-स्थित लाल बहादुर शास्त्री विद्यालय में सत्रहवर्षीया कुमारी एनकोवा द्वारा भौतिकशास्त्र पर हिन्दी में दिया जाने वाला अनुपम भाषण का समाचार है।

विश्वभाषाओं में हिन्दी की महिमान्वित स्थिति है। यह भारत का भाषात्मक तीर्थ है। यह देश के साथ अन्य भू-खंडों में भी विशाल लोकसमुदाय के प्रयोजन, चिन्तन-मनन और रागात्मक समन्वय की संवाहिका तथा संयोजिका के कार्य-निष्पादन में संलग्न है। इस प्रकार हिन्दी अपनी प्राप्त सार्व-देशिकता को पुष्ट करती हुई प्राप्य सार्वभौमिकता को भी प्रति-भासित करती है। □□□

कथा शब्दों की

"अनुरोध" एक सामान्य शब्द है। कार्यालय में टिप्पणी करते हुए उच्च अधिकारी से "अनुरोध" किया जाता है और उच्च अधिकारी उस पर अपना आदेश देते हैं। "अनुरोध' शब्द का सामान्य अर्थ है "विनय पूर्वक आग्रह" के रूप में प्रचलित है। "ताहाद अनुरोध" उसके आग्रह/प्रार्थना से। मराठी में यह रुख मान्यता, और झुकाव के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। गजराती में अनुरोध का प्रयोग अनुसार के अर्थ में किया जाता है—"आकायदामा अनुरोधे" —इस नियम के अनुसार।

अनुरोध शब्द अनु उपसर्ग पूर्वक रुध "रोकना" धातु से प्रत्यय लगाकर बना है। इस प्रकार इसका भौतिक अर्थ हुआ "रोकना" परन्तु अनरोध शब्द का प्रयोग अपने इस मौलिक अर्थ के रूप में कभी प्रचलित नहीं हो पाया। संस्कृत में भवभूति ने उत्तरकांड के प्रथम अंक में अनुरोध शब्द का प्रयोग "इष्ट समापन" के अर्थ में किया है। "तदनुरोधात् कठोरगर्भादिवधू जनकी विभुच्च गुरुजन स्तत्रगतः"—उनके इष्ट का समापन करने के विचार से पूर्णगर्भ वाली वधु जानकी को भी छोड़कर गुरु-जन वहां चले गए हैं।

संस्कृत साहित्य में अनुरोध शब्द का प्रयोग आदर, रुचि, प्रेम, आसक्ति, प्रेरणा, निवेदन आदि के अर्थ में भी हुआ है।

"विनयपूर्वक आग्रह" के अर्थ में अनुरोध का प्रयोग हिन्दी का अपना प्रयोग है इसी अर्थ में इसका प्रयोग प्रचलित है। आप भी टिप्पणी या आवेदन पत्रादि लिखते समय इसी अर्थ में इसका प्रयोग करें।

राष्ट्रभाषा का प्रश्न

—जवाहर लाल नेहरू

(भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू यदि राजनीति में न आए होते तो भी उनकी महानता में कोई कमी नहीं होती। उनके व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण पक्ष विचारक और लेखक का भी था। देश की सभी महत्वपूर्ण समस्याओं पर उन्होंने गंभीरता से विचार किया था और समय पर उन्हें अपने लेखों और भाषणों में व्यक्त भी किया। फरवरी, 1949 में उन्होंने राष्ट्रभाषा जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर एक लेख लिखा था। उस महत्वपूर्ण लेख में उठाये गए मुद्दे आज भी विचारणीय हैं।)

मैं यह लेख प्रधानमंत्री की हैसियत से नहीं, बल्कि एक लेखक और एक ऐसे शख्स के तौर पर लिख रहा हूं, जिसे भाषा के सवाल में गहरी दिलचस्पी है। इस प्रश्न में मेरी दिलचस्पी उसके राजनैतिक और बदकिस्मती से साम्प्रदायिक पहलुओं में है।

मैं किसी भाषा का पण्डित तो नहीं हूं, फिर भी मुझे भाषा के सौन्दर्य से, उसके शब्दों से संगति से और शब्दों में भरे हुए जादू और ताकत से प्रेम रहा है। मेरा विश्वास है कि लगभग दूसरी हर चीज के बनिस्बत भाषा किसी राष्ट्र के चरित्र की ज्यादा बड़ी कसौटी है। अगर भाषा शक्तिशाली और जोरदार होती है तो उसको इस्तेमाल करने वाले लोग भी वैसे ही होते हैं, अगर वह छिछली, लच्छेदार और पेचीदा है तो उसे बोलने वाली प्रजा में भी वही लक्षण देखने को मिलेंगे।

बेशक, ज्यादा सच्चे ढंग से यह कहना चाहिए कि प्रजा के लक्षण उसकी भाषा में देखने को मिलते हैं, क्योंकि भाषा को बनाने वाले लोग ही होते हैं। लेकिन इस बात में भी कुछ सच्चाई है कि भाषा लोगों को बनाती है। जो भाषा ठीक-ठीक या यथार्थ होती है, वह लोगों को ठीक-ठीक विचार करने वाले बनाती है। शब्दों या वाक्यों के अर्थ में यथार्थता और निश्चितता न होने से विचारों की गड़बड़ पैदा होती है और उसके परिणामस्वरूप काम भी वैसा ही होता है।

किसी भाषा को ऐसी तंग कोठरी में बंद कर दिया जाए जिसमें कोई दरवाजे और खिड़कियां न हों, और प्रगतिशील-परिवर्तन आने की गुंजाइश न रहे तो उसमें निश्चितता और छटा भले ही हो सकती है, परन्तु बदलते हुए वातावरण और जनसाधारण के साथ उसका सम्पर्क टूट जाने की संभावना रहती है। इसका अनिवार्य परिणाम यह होता है कि उसमें ओज नहीं रहता और एक तरह का बनावटीपन आ जाता है। यह किसी भी समय अच्छी बात न होगी, परन्तु मौजूदा प्राणवान और तेजी से बदलने वाले युग में, जिसमें हमारे आसपास की लगभग सभी चीजें बदल रही हैं, तो बंद कमरे में भाषा मर ही जायेगी।

पहले के जमानों की ललित भाषाओं में कई अच्छी बातें थीं, परन्तु वे ऐसे लोकतंत्री युग के बिलकुल अनुकूल नहीं हैं, जिसमें हमारा उद्देश्य आम जनता को शिक्षित बनाना है। इसलिए भाषा को दो काम पूरे करने ही चाहिए: उसका आधार उसकी प्राचीन धातुएं हों और साथ ही वह आम जनता की, न कि कुछ चुने हुए साहित्यकारों की, बढ़ती हुई जरूरतों के साथ बदलती और बढ़ती हो और असल में उसी की भाषा हो। विज्ञान, शिल्पविज्ञान (टैक्नालाजी) और विश्व-व्यापी समागम के इस युग में यह और भी जरूरी है। जहां तक संभव हो, उस भाषा के विज्ञान और शिल्प-विज्ञान संबंधी शब्द दूसरी भाषाओं के जैसे ही होने चाहिए। इसलिए उसे एक संग्राहक भाषा होना चाहिए, जो अपने साधारण ढांचे मेल खाने वाले हर बाहरी शब्द को अपनाती है। कभी-कभी वह शब्द उस भाषा की प्रतिभा के अनुकूल बनाने के लिए कुछ बदला भी जा सकता है।

संस्कृत, लैटिन वगैरह उच्च कोटि की यह पंडिताऊ भाषाओं का मानव समाज के विकास में बहुत बड़ा हाथ रहा है। साथ ही उन्होंने लोक भाषाओं के विकास को कुछ रोका भी है। जब तक विद्वान लोग उच्च कोटि की भाषाओं में सोचते और लिखते रहे, तब तक लोक भाषा का सच्चा विकास नहीं हुआ। यूरोप में लैटिन 16वीं सदी के आस-पास तक यूरोप की भाषाओं के विकास में बाधक रही। भारत में संस्कृत का इतना जबरदस्त प्रभाव था कि प्राकृत और बाद में जो प्रान्तीय भाषाएं बनीं, वे कुछ कुण्ठित हो गईं। बाद में हिन्दुस्तान के बड़े-बड़े भागों में फारसी भी आलिमों की भाषा बन गई और वह भारत के कुछ भागों में लोक भाषाओं के विकास में बाधक बनी हुई।

हिन्दुस्तान में हम अपनी प्रान्तीय भाषाओं का विकास करने के लिए बंधे हुए हैं और यह ठीक ही है कि हमारी महान प्रांतीय भाषाओं का विकास हो। साथ ही हमें एक अखिल भारतीय भाषा भी चाहिए। यह भाषा अंग्रेजी या कोई विदेशी जबान नहीं हो सकती, हालांकि मैं मानता हूं कि उसकी जगत-व्यापी स्थिति और हिन्दुस्तान में उसके वर्तमान व्यापक ज्ञान के कारण अंग्रेजी का हमारी भावी प्रवृत्तियों

में महत्वपूर्ण हाथ रहेगी। अखिल भारतीय भाषा कोई हो सकती है तो वह सिर्फ हिन्दी या हिन्दुस्तानी कुछ भी कह लीजिए—ही हो सकती है।

ये कुछ बुनियादी बातें हैं, जिन्हें इस अत्यन्त महत्व के सवाल पर विचार करते समय हमें ध्यान में रखना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि इसका राजनैतिक दृष्टि से, या क्षणिक आवेग, या पूर्वाग्रहों के आधार पर जल्दी में किया हुआ फैसला हानिकारक साबित हो सकता है। हमें भविष्य की इमारत खड़ी करनी है और गलत बुनियाद न सिर्फ भाषा के क्षेत्र में बल्कि संस्कृति और मानव-प्रगति के व्यापक क्षेत्र में भी हमारे विकास को कुण्ठित कर सकती है। इस लिए इस वक्त धीरे-धीरे चलना और हर तरह की कट्टरता से बचना कहीं ज्यादा अच्छा है। भाषा एक बहुत नाजुक साधन है, जिसके ऊंचे पहलुओं का विकास सूक्ष्म बुद्धिवाले लोग करते हैं, लेकिन उसे बल मिलता है आम जनता के इस्तेमाल से। वह फूल की तरह बढ़ती है। इसलिए बहुत ज्यादा बाहरी दबाव उसकी प्रगति को रोक देता है या तोड़-मरोड़ कर उसे गलत दिशा में ले जाता है।

यह कोई बड़े महत्व की बात नहीं है कि हम इस भाषा को हिन्दी कहें या हिन्दुस्तानी, क्योंकि हकीकत यह है कि हर शब्द के पीछे एक इतिहास होता है और वह किसी-न-किसी निश्चत चीज का द्योतक होता है, जिससे उसका अर्थ सीमित हो जाता है। जिस बात के बारे में हमारे दिमाग साफ रहने चाहिए, वह है भाषा का भीतरी सार और यह कि वह भाषा संसार को किस दृष्टि से देखती है—यानी वह सीमित करने वाली, आत्म-निर्भय, अलग-अलग रहने वाली और संकीर्ण है या उससे उल्टी है? मेरे ख्याल से हमारा लक्ष्य जान-बूझ कर ऐसी जबान होनी चाहिए, जो इनसे विपरीत गुणों वाली हो और जिसमें विकास की बड़ी शक्ति हो। शायद आज और किसी भाषा से अंग्रेजी में यह संग्राहकता, लचीलापन और विकास का गुण ज्यादा है। इसीलिए भाषा की हैसियत से उसका इतना बड़ा महत्व है। मैं चाहता हूं कि हमारी भाषा भी संसार के सामने इसी रूप में आए।

जिस ढंग से भाषा के सवाल पर आजकल हिन्दुस्तान में वाद-विवाद होता है, उस पर मुझे बहुत दुःख है। इन दलीलों के पीछे पाण्डित्य बहुत थोड़ा है और संस्कृति की समझ तो और भी कम है। उनमें भविष्य की कोई दृष्टि या कल्पना नहीं है। भाषा को एक प्रकार की विस्तृत पत्रकारी ही अधिक माना जाता है और राष्ट्रवाद का विपर्यास यह मांग करता है कि जहां तक हो सके, उसे संकीर्ण और सीमित बनाया जाये। उसके विस्तार की किसी भी कोशिश को इस फिक्स के राष्ट्रवाद के खिलाफ गुनाह करार देकर उसकी निन्दा की जाती है। अक्सर भाषा का सौन्दर्य इसमें मान लिया जाता है कि वह अत्यन्त आलंकारिक हो और उसमें लम्बे और पेचीदा शब्द प्रयोग हों। उस भाषा में शक्ति या गौरव बहुत कम दिखाई देता है और आप यही पड़ती हैं कि उसमें ऊपरीपन और छिछलापन बहुत ज्यादा है।

जैसे काव्य कोरा तुकबन्दियों और अनुप्रासों का समूह नहीं होता, वैसे ही भाषा भी खाली पेचीदा और कठिन शब्दों का प्रदर्शन नहीं है। अंग्रेजी के सुपरिचित और साधारण शब्दों का अनुवाद करने की हाल में जो कोशिशें हुई हैं वे निहायत ऊटपटांग हैं। भाषा को गढ़ने में अगर यही वृत्ति रही तो निश्चय ही विचारों को प्रकट करने के एक सुन्दर साधन की हत्या हुए बिना न रहेगी।

अगर मुझे से पूछा जाय कि भारत के पास सबसे बड़ा खजाना कौनसा है और उसकी सबसे बढ़िया विरासत क्या है तो मैं निःसंकोच उत्तर दूंगा कि वह संस्कृत भाषा, साहित्य और उसका भंडार है। यह एक शानदार विरासत है जब तक वह कायम रहेगी और हमारी जनता के जीवन को प्रभावित करती रहेगी, तब तक भारत की मूल प्रतिभा बनी रहेगी। यह एक भूतकालीन निधि होने के अलावा एक सजीव परम्परा भी है, जो ऐसी प्राचीन भाषा के लिए इतनी मात्रा में होना आश्चर्य की बात है। मैं संस्कृत के अध्ययन को प्रोत्साहन देना चाहूंगा और चाहूंगा कि हमारे पंडित इस भाषा के दबे हुए साहित्य की, जिसे लगभग भुला दिया गया है, खोज करें और उसे प्रकाश में लाएं। यह आश्चर्य की बात है कि जहां हम राष्ट्रवाद की पराकाष्ठा पर पहुंचकर भाषा को इतनी ज्यादा बातें करते हैं, वहां उसकी भक्ति खाली जबानी है, या राजनैतिक उद्देश्यों के खातिर हम उसका दुरुपयोग करते हैं। जिस तरह एक भाषा की सेवा की जानी चाहिए, उस तरह उसकी सेवा बहुत कम की जाती है।

संस्कृत में देखिए या आधुनिक भारतीय भाषाओं में देखिए रचनात्मक कार्य बहुत ही कम होता है। हम अक्सर "न खाएं न खाने दें" की नीति बरतते हैं। खुद कुछ नहीं करते और साथ ही दूसरा कोई भाषा के विकास की कोशिश करे तो उसे पसन्द भी नहीं करते। अन्त में तो किसी भाषा का विकास उसकी अपनी योग्यता से होगा, न कि कानूनों और प्रस्तावों से। इसलिए किसी भाषा की सच्ची सेवा उसका मूल्य, उसकी व्यावहारिकता और उसके भीतरी गुण बढ़ाना है।

संस्कृत कितनी ही महान् हो और हम उसके अध्ययन को कितना ही प्रोत्साहन देना चाहें, जैसा हमें देना चाहिए, तो भी वह जीवित भाषा नहीं हो सकती। लेकिन जैसे वह अब तक रही है, उसी तरह आगे भी हमारी अधिकांश भाषाओं का आधार और भीतरी सार रहनी चाहिए। यह अनिवार्य है, लेकिन उसे जबर्दस्ती जनता पर लादना न तो अनिवार्य है और न वांछनीय और इसका नतीजा बुरा हो सकता है।

पिछली कुछ सदियों में हमारी कई प्रान्तीय भाषाओं और खास तौर पर हिन्दुस्तानी के विकास में फारसी का महत्वपूर्ण भाग रहा है और उसने किसी हद तक हमारे

विचार करने के तरीकों पर भी असर डाला है। यह हमारी एक कमाई है और इससे उतनी मात्रा में हमारी पूंजी बढ़ी है। हमें यह याद रखना चाहिए कि कोई भाषा संस्कृत के इतनी नजदीक नहीं है, जितनी फारसी है और वैदिक संस्कृत व प्राचीन पहलवी जितनी एक दूसरी के नजदीक है, उतनी ही वैदिक संस्कृत और उच्च कोटि की साहित्यिक संस्कृत भी नहीं है।

इसलिए दोनों का एक-दूसरी के क्षेत्र में कुछ हद तक प्रवेश करना आसान है और इससे हमारी भाषा या जाति की प्रतिभा को कोई आघात नहीं पहुंच सकता।

कुछ भी हो, इतिहास की कुछ सदियों ने और उस बीच की जनता की जिन्दगी ने आज हम जैसे हैं, वैसा हमें बना दिया है और मुझे यह बेहूदा और निश्चित रूप से बेवकूफी भरी बात मालूम होती है कि इतिहास के इस किये-कराये पर पानी फेरने की कोशिश की जाय। संस्कृति के ख्याल से इस किये-कराये को मिटाने और पीछे जाने के ऐसे प्रयत्न का अर्थ होगा अपने हाथ आई हुई सांस्कृतिक सम्पत्ति से अपने को वंचित करना। इसका मतलब अपने आप को कंगाल बनाना होगा। हमारा लक्ष्य तो अपनी दौलत बढ़ाने और उस सांस्कृतिक पूंजी को बढ़ाने वाली हर चीज को अंगीकार करने का होना चाहिए। इसलिए जिसे हमने पहले ही हजम कर लिया है, उसे बाहर निकालने की कोशिश करना हर तरह गलत है।

अगर ये बातें ध्यान में रखी जाएं तो परिणाम यह निकलता है कि हम जिस भाषा को अखिल भारतीय भाषा बनाना चाहते हैं, उसे लचीली और संग्राहक जरूर होना चाहिए तथा उसने युगों से जो सांस्कृतिक लक्षण प्राप्त कर लिए हैं, उन्हें कायम रखना चाहिए। यह भाषा असल में जनता की भाषा होनी चाहिए न कि विद्वानों के एक छोटे से गुट की। वह गौरवपूर्ण और शक्तिशाली होनी चाहिए। उसे कृत्रिमता, छिछलेपन और आलंकारिकपन को जोर से दबाना चाहिए। उसका आधार तो लाजमी तौर पर संस्कृत ही होगी और उसकी बहुत कुछ सामग्री भी उसी से ली जायेगी, लेकिन उसमें असंख्य शब्द, पद और विचार दूसरे जरियों से, खास तौर पर फ़ारसी, अंग्रेजी तथा दूसरी विदेशी भाषाओं से भी लिए गए होंगे। रही बात पारिभाषिक शब्दों की सो सबसे पहले तो हमें ऐसे हर शब्द को ले लेना चाहिए, जो आम लोगों के व्यवहार में चालू हो चुका है। नये शब्द गढ़ने में भी हमें लोगों के आम इस्तेमाल के शब्दों और लोगों की समझ के साथ यथासंभव मेल साधना होगा और पारिभाषिक शब्दों के बारे में हमें जहां तक संभव हो, दुनिया की जो एक भाषा आज बन रही है, उससे अलग नहीं होना चाहिए।

यह अच्छा होगा कि हम बुनियादी शब्दों की एक ऐसी संख्या, कोई 3000, जमा कर लें, जो आम लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले, सुपरिचित और साधारण शब्द समझे जा सकें। एक ही विचार के लिए अक्सर दो पर्यायवाची शब्द भी हो सकते हैं, बशर्ते कि दोनों आम तौर पर काम के लिए जाते हों। यह वह बुनियादी शब्दकोष होना चाहिए, जिसे अखिल भारतीय भाषा के ज्ञान की इच्छा रखने वाले हर शख्स को जानना चाहिए।

ऊपर बताये ढंग पर पारिभाषिक शब्दों की एक और सूची तैयार होनी चाहिए। यहां मैं यह जरूर कहूंगा कि आज पारिभाषिक शब्दों के लिए जो शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं उनमें से बहुत से इतने असाधारण रूप में बनावटी और सचमुच बेमानी हैं कि मुझे उनसे डर लगता है। इसका कारण यह है कि उनके पीछे कोई पृष्ठ भूमि या इतिहास नहीं है।

अगर ये दोनों सूचियां तैयार कर ली जाएं तो बाकी का काम भाषा के स्वाभाविक विकास पर छोड़ देना चाहिए। फिर कोई शुद्ध साहित्यिक हिन्दी कही जाने वाली या शुद्ध साहित्यिक उर्दू कही जाने वाली शैली में लिखे या दोनों के बीच की शैली में लिखें, उस पर कोई पाबन्दी न होनी चाहिए। जब शिक्षा का विस्तार होगा और पढ़ने वाली जनता की तादाद बढ़ेगी तो खुद उसी का लेखकों और वक्ताओं पर जबरदस्त असर पड़ेगा। मुझे कोई शक नहीं कि धीरे-धीरे एक बढ़िया और जोरदार भाषा बन जाएगी और वह ऊपर के किसी दबाव के बिना बढ़ेगी।

यह आश्चर्य की बात है कि हम भाषा की चर्चा तो इतनी करते हैं, परन्तु हमारे पास अच्छा शब्दकोष एक भी नहीं है। दुनिया की और किसी भी बड़ी भाषा को देखिए उसमें कितने शब्दकोष, विश्वकोष और उसी तरह के दूसरे ग्रन्थ हैं। भाषा की हमारी कसौटी कुछ ऐसी हो गई है कि अदालतों के कमरों में या स्कूल की पाठ्य-पुस्तकों में बरती जाने वाली ही भाषा है। हमारे शब्दकोश पाठशालाओं के लड़कों के काम के होते हैं। इसलिए जल्दी-से-जल्दी करने का एक काम यह है कि संस्कृत और हमारी आधुनिक भाषाओं के विद्वतापूर्ण और व्यापक शब्दकोश तैयार करने में सारी शक्ति लगायी जाए।

जैसा मैं ऊपर कह चुका हूं, भाषा के नाम का इतना महत्व नहीं है, जितना उसकी भीतरी सामग्री का। अखिल भारतीय भाषा का भीतरी सामग्री के बारे में मैंने ऊपर जो जिक्र किया है, उसे देखते हुए और जो शब्द आज इस्तेमाल हो रहे हैं, उन्हें उसी तरह काम में लेते हुए हिन्दुस्तानी शब्द ही मेरी पसन्द की सामग्री वाली भाषा के अधिक-से अधिक नजदीक हैं।

रही बात लिपि की, सो स्पष्ट है कि नागरी ही प्रमुख लिपि होगी। लेकिन यहां भी चूंकि मेरे विचार से एकांगी बनना सांस्कृतिक और राजनैतिक दोनों दृष्टियों से गलत है, इसलिए मेरा ख्याल है कि उर्दू लिपि को मान्यता दी जानी

चाहिए, और जहां मांग हो, वहां उसे सिखाया जाना चाहिए। हम सभी लोगों से ये दोनों लिपियां सीखने को नहीं कर कह सकते। यह बहुत भारी वजन हो जाएगा। लेकिन उर्दू लिपि को खास तौर पर दस्तावेज और दूसरे कागजात पेश करने और जहां काफी संख्या चाहती हो, वहां स्कूलों में पढ़ाने के लिए मंजूर करना चाहिए।

यह बात हमारी साधारण भाषा सम्बन्धी नीति से मेल खाती है। वह नीति कांग्रेस और विधान सभा दोनों में यों घोषित हो चुकी है कि हर बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जानी चाहिए, बशर्ते कि किसी खास जगह पर इसे व्यावहारिक बनाने के लिए काफी तादाद में छात्र हों। इस प्रकार बम्बई या कलकत्ता या दिल्ली में तमिलभाषी बच्चों की काफी तादाद हो तो उन्हें तमिल में अपनी प्रारम्भिक शिक्षा पाने का मौका मिलना चाहिए। अगर हिन्दुस्तान के किसी हिस्से में ऐसे बच्चों की काफी संख्या है, जिनकी घर की जबान उर्दू है तो उन्हें प्रान्त की की भाषा के अलावा उर्दू लिपि सिखाना चाहिए। यह सिद्धांत मान लिया गया है और इस पर जितना जल्दी अमल हो सके, उतना अच्छा है। आजकल बहुतसी कठिनाइयां पैदा होती हैं, खास तौर पर उन इलाकों में जहां दो प्रान्त मिलते हैं। इस सरहद के दोनों तरफ दो भाषाएं बोलने वाला प्रदेश होता है। दूसरी किसी जगह के बनिस्पत यहां यह ज्यादा जरूरी है कि प्रारंभिक शिक्षा बच्चों को मातृभाषा में दी जाए।

मेरे ख्याल से हमारे लिए किसी व्यापक पैमाने पर रोमन लिपि को अपनाना संभव नहीं है, लेकिन यह याद रखना चाहिए कि फौज में रोमन लिपि बड़ी सफलतापूर्वक इस्तेमाल की गई है। फौज में रोमन लिपि सिखाना बड़ा आसान पाया गया है और वह एक प्रकार की एकता पैदा करने वाली शक्ति साबित हुई है। इसलिए रोमन लिपि की संभावनाओं को खोज करना और जहां संभव वांछनीय हो, वहां उसे इस्तेमाल करना अच्छा होगा।

इस लेख के शुरू में मैंने कहा है कि मैं एक लेखक की हैसियत से यह लिख रहा हूं। यहां दो शब्द लेखकों के लिए, खास तौर पर हिन्दी और उर्दू के लेखकों के लिए, कह दूं। मुझे यह देखकर बड़ा दुःख हुआ है कि हमारे बढ़िया से बढ़िया और होनहार लेखकों को प्रकाशकों के हाथों कैसी-कैसी मुसीबतें उठानी पड़ी हैं और किस तरह इन लोगों ने उनका शोषण किया है। जहां पत्रकार खुशहाल है, वहां सच्ची प्रतिभावाले लेखक के लिए तरक्की का बहुत कम मौका होता है।

मुझे ऐसी मिसालें मालूम हैं कि प्रकाशकों ने हिन्दी की किताबों का कानूनी अधिकार इसलिए कौड़ियों में खरीद लिया है कि गरीब लेखक भूखों मर रहा था और उसके सामने दूसरा कोई उपाय नहीं था। उन प्रकाशकों ने ने इन पुस्तकों से काफी रुपया कमा लिया तो भी लेखक भूखों ही मरता रहा। मेरे ख्याल से यह बहुत बड़ी बदनामी और सार्वजनिक कलंक की बात है और मैं ऐसी पुस्तकों के प्रकाशकों से अपील करूंगा कि वे लेखकों से ऐसा बेजा फायदा न उठायें।

प्रकाशक तभी फलें-फूलेंगे, जब लेखक खुशहाल होंगे। प्रकाशकों के दृष्टिकोण से भी लेखक को भूखों मरने देना या उसे कोई योग्य काम करने से रोकना मूर्खताभरी नीति है। लेकिन राष्ट्रीय हित के ख्याल से यह सवाल और भी अहम है और यह देखना राष्ट्र का काम है कि हमारे प्रतिभाशाली लेखकों को अच्छा काम करने का मौका मिले।

("राजनीति से दूर" पुस्तक से साभार)

"आधुनिक भारत की संस्कृति एक विकसित शतदल कमल के समान है, जिसका एक एक दल एक-एक प्रांतीय भाषा और उसकी साहित्य संस्कृति है। किसी एक को मिटा देने से उस कमल की शोभा ही नष्ट हो जाएगी। हम चाहते हैं कि भारत की सब प्रांतीय बोलियां जिनमें सुन्दर साहित्य-सृष्टि हुई है, अपने-अपने घर में (प्रांत में) रानी बन कर रहें, प्रांत के जन-गण की हार्दिक चिन्ता की प्रकाश भूमि-स्वरूप कविता की भाषा होकर रहें और आधुनिक भाषाओं के हार की मध्य मणि हिन्दी भारत भारती होकर विराजती रहे।

—गुरुदेव रवीन्द्र नाथ टैगोर

हिंदी का अखिल भारतीय स्वरूप

—डॉ० विश्वनाथ प्रसाद

(केन्द्र में हिन्दी के लिए ठोस कार्य करने वालों में स्वर्गीय डा० विश्वनाथ प्रसाद का स्थान अन्यतम था। भाषा-विज्ञान के अधिकारी विद्वान, सन्तों-जैसा सरल स्वभाव, वाद-विवाद से दूर रहकर रचनात्मक कार्य में ही तल्लीन रहे। बम्बई-हिन्दी विद्यापीठ की रजत जयन्ती के अवसर पर देश भर से आये हुए हिन्दी-अध्येताओं और प्रचारकों के समक्ष दीक्षांत भाषण देते हुए 1963 में उन्होंने हिन्दी के अखिल भारतीय स्वरूप का विवेचन किया था। इस ऐतिहासिक भाषण ने हिन्दी के अनेक लेखकों को प्रेरणा दी और हिन्दीतर विद्वानों को विचार करने की सामग्री दी।)

हिन्दी के प्रत्येक विद्यार्थी को मैं राष्ट्रीय एकता का दूत समझता हूं। चाहे आपने विशुद्ध ज्ञानार्जन के लिए, चाहे व्यवसाय के लिये और यश के लिए, चाहे किसी अन्य वृत्ति के लिए हिन्दी का अध्ययन किया हो, आपके सिर पर एक राष्ट्रीय दायित्व भी आ जाता है। आपने देश की ऐसी भाषा का अध्ययन किया है जो इस देश की बहुसंख्यक लोगों की —लगभग 50 प्रतिशत लोगों की—व्यवहारी भाषा है, जिसका क्षेत्रफल यदि मध्य देश में सीमित करके अनुमानित किया जाए, तो भी किसी समस्त देश के क्षेत्रफल का लगभग अर्द्धांश है, जिसका संसार की भाषाओं के बीच जनसंख्या की दृष्टि से अंग्रेजी के बाद तीसरा स्थान है। आपने एक ऐसी भाषा का अध्ययन किया है जिसका आमूल विकास बहुजनहिताय, बहुजनसुखाय की भावना से हुआ है। आरम्भ से ही देश की एकता के मूल-मंत्र के रूप में हिन्दी को हमने ग्रहण किया है। जिस दिन असम के शंकर-देव ने एक ऐसी भाषा में "अंकिया" नाटक की रचना की, जो असम में ही सीमित नहीं थी, जिन दिन बंगाल के अनेकानेक कवियों ने एक ऐसी भाषा में साहित्य सृष्टि की जो बंग प्रदेश की सीमा में ही आबद्ध न होकर ब्रज-बुलि के रूप में सुदूर ब्रज तक गुंजित हो जाने को उन्मुख थी, जिस दिन नरसिंह ने ऐसी वाणी में भजन गाए जो गुजरात की परिधि के बाहर भी लोगों के प्राणों और मन में अमृत घोल सके, जिस दिन नामदेव और तुकाराम ने ऐसे राग छेड़े जो महाराष्ट्र के दायरे से बाहर भी दूर-दूर के अगणित हृदयों में जीवन का नया प्रकाश और उमंग भर सके, जिस दिन राजस्थान के वीर कवियों ने डिंगल को पिंगल के रंग में रंगकर राजस्थान के बाहर भी बहुसंख्यक लोगों की भावनाओं को कुछ गजब की मस्ती और जोश से भर दिया, उसी दिन हिन्दी के उस उदार अभिनव रूप का निर्माण हुआ, जो प्रदेशव्यापी न होकर देशव्यापी कहा जा सकता है। पंजाब के गुरु नानक और गुरु गोविन्द सिंह तथा काशी के वासी कबीर ने इसी देशव्यापी भाषा का आश्रय ग्रहण किया था। हमारे समस्त भक्ति-साहित्य में हिन्दी का यही व्यापक रूप विकसित हुआ था। चाहे मिथिला के विद्यापति के पद हों, चाहे राजस्थान की मीराबाई के, सबसे सर्वग्राह्य केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। इस प्रकार हिन्दी के विकास में विभिन्न प्रदेशों और उनकी भाषाओं का योग सदियों से रहा है।

हमारे संविधान के अनुसार 14 भाषाओं को राष्ट्र-भाषा की संज्ञा मिली है। इनमें बंगला, गुजराती, तमिल, तेलुगू इत्यादि भाषाओं का संबंध किसी न किसी प्रदेश विशेष से है। पर हिन्दी एक प्रदेश की भाषा न होकर अनेक प्रदेशों की भाषा है। यों हिन्दी के लिए भी एक क्षेत्र तो निर्धारित है, जिसके अन्तर्गत पूर्वी पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश और बिहार प्रदेश आते हैं। पर ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से हिन्दी केवल इसी परिधि में सीमित नहीं है। जैसा कि उसके नाम से ही स्पष्ट है, वह एक सांस्कृतिक भाषा है। वह किसी एक प्रदेश-विशेष या वर्ग-विशेष की भाषा न होकर समस्त देश की स्वाभाविक राष्ट्रभाषा है। जैसे अंग्रेजी इंग्लैण्ड की भाषा है, फ्रेंच फ्रांस की भाषा है, वृहत् रूसी रूस की भाषा है और चीनी चीन की भाषा है, वैसे ही हिन्दी भी समस्त देश की प्रतिनिधि राजभाषा है। हमारे संविधान ने इसे देश की राजभाषा स्वीकार करके उसके इसी रूप को बहुमान प्रदान किया है। उसके गौरव में सभी देशी भाषाओं का गौरव है, वैसे ही जैसे सभी देशी भाषाओं की गरिमा में ही उसकी भी गरिमा सन्निहित और एकता का प्रतीक है। यदि ऐसी बात नहीं है, तो हिन्दी मेरी दृष्टि में निरर्थक है।

हिन्दी के विकास का रोचक इतिहास

हिन्दी के संबंध में दक्षिण और उत्तर का भेद-भाव भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि हिन्दी के समस्त प्राचीन

साहित्य के मूल में, चाहे वह राम-काव्य हो या कृष्ण-काव्य दक्षिण के आचार्यों की ही मंगलमयी प्रेरणा काम कर रही थी। प्रसिद्ध है:

भक्ती द्रविड़ ऊपजी, लाए रामानन्द।
परगट करी कबीर ने सप्तदीप नौखण्ड।।

चाहे निर्गुण-धारा का साहित्य हो, चाहे सगुण-धारा का, सभी में दक्षिण से उमड़ती हुई भक्ति-भावना की तरंग उद्वेलित है। तुलसीदास पर जैसे रामानन्द का प्रभाव है, वैसे ही सूरदास आदि अष्टछाप के कवियों की वाणी में वल्लभाचार्य के अमर सन्देश मुखरित हैं। हमारे वीर-साहित्य में भी भूषण जैसे कवियों के प्रेरणा-स्रोत का उद्गम दक्षिण में ही वीर शिवाजी के उदात्त चरित्र में था। इस दृष्टि से हिन्दी जिस अंश में उत्तर की भाषा कही जाएगी, उसी अंश में दक्षिण की भी। वस्तुत: दक्षिण की ही भाषा बाद में चलकर आज की साहित्यिक खड़ी बोली यानी उर्दू के रूप में विकसित हुई है।

किस प्रकार इस भाषा का विस्तार उत्तर से दक्षिण में और फिर एक नये रूप में दक्षिण से उत्तर में हुआ, इसका इतिहास बड़ा रोचक है। जब उत्तर भारत के मुसलमान बीजापुर, गोलकुण्डा तथा दक्षिण के अन्य निकट-वर्ती क्षेत्रों में जा बसे, तो उन्होंने अनुभव किया कि दिल्ली, पंजाब, गुजरात तथा राजस्थान में समान रूप से बोली जाने वाली जिस भाषा को उन्होंने इस देश में पहले-पहल बसते समय सीखा था, दक्षिण में शासक-वर्ग के रूप में उनके व्यवहार का समर्थतम साधन वही भाषा है। इस समय तक ऐसी स्थिति आ गई थी कि जब इस भाग के मूल निवासियों के लिये इस भाषा को समझना कठिन नहीं था और गठन तथा वाक्य रचना उनकी अपनी बोलियों के समान ही थी। इसलिये उन्होंने इस भाषा को कुछ आदर-भाव से ग्रहण किया, जो कि शासक-वर्ग की भाषा के प्रति स्वाभाविक ही है। समय क्रम से इस भाषा ने विकसित होकर वहां दक्खिनी नाम से एक साहित्यिक भाषा का रूप ग्रहण कर लिया। धीरे-धीरे दक्षिण भारतीयों के प्रयोग ने इसे प्रभावित किया और यह दक्षिण की भाषाओं को जोड़ने वाली उनके बीच की एक मजबूत कड़ी बन गई।

हिन्दी के संबंध में हिन्दू भक्त-कवियों की जितनी देनें हैं, उससे कम मस्लिम फकीर या सूफी कवियों की नहीं। खुसरो, रहीम, और रसखान हिन्दी के वैसे ही अभिन्न अंग हैं, जैसे सूर, तुलसी या केशव।

हमारे संविधान ने अपनी 351 वीं धारा में हिन्दी के विकास और प्रसार को इसी परम्परासिद्ध आधार को ग्रहण करके इसे राजभाषा घोषित किया है और निर्देश दिया है कि:

"हिन्दी भाषा की प्रसारवृद्धि करना उसका विकास करना, ताकि वह भारत की संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके, तथा उसकी आत्मीयता में हस्तक्षेप किये बिना हिन्दुस्तानी और अष्टम अनुसूची में उल्लिखित अन्य भारतीय भाषाओं के रूप, शैली और पदावली को आत्मसात करते हुए, तथा जहां आवश्यक हो वहां उस शब्द के भंडार के लिए मुख्यत: संस्कृत से तथा गौणत: उसी उल्लिखित भाषा से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना संघ का कर्त्तव्य होगा।"

आज मुख्य प्रश्न यह है कि संविधान में हिन्दी के जिस व्यापक रूप की कल्पना की गई है उसका विकास शीघ्रातिशीघ्र कैसे हो सके। लेकिन इस बारे में यदि कोई यह समझे कि कृत्रिम ढंग से विकसित भाषा से शब्दों को जैसे-तैसे ठूंस-ठांस करके एक कृत्रिम भाषा गढ़ डाली जाए, तो सफलता कभी नहीं मिल सकती, उपहास ही हाथ लगेगा। भाषा के ऐसे व्यापक रूप का निर्माण तो प्राचीन परम्पराओं के अनुसार विकास की प्रक्रिया से ही सम्भव है। विभिन्न प्रदेशों के लोग हिन्दी में स्वत: साहित्य-निर्माण करने लगेंगे और उसे व्यवहार में लाने लगेंगे, तो आपसे-आप उनके साथ उनकी मातृभाषाओं और बोलियों के प्रयोग हिन्दी में स्वाभाविक रूप से और बरबस आते जाएंगे। उदाहरण के लिए हिन्दी में आपत्ति और सम्भव शब्दों में क्रमश: उच्च और भद्र पुरुष इन नए अर्थों का जो विकास हुआ है, वह बंगला के अनुवादों की देन है। चालू लागू आदि जैसे मराठी के अनेक शब्द हिन्दी में स्वर्गीय श्री माधवराव सप्रे तथा श्री पराड़करजी की कृतियों और लेखों के द्वारा व्यवहृत होने लगे। बगल के अर्थ में, बाजू में और खत्म हो जाने के अर्थ में खलास हो जाना जैसे प्रयोगों का हमें सानन्द स्वागत करना चाहिए।

अहिन्दी क्षेत्रों के लेखकों, कवियों की रचनात्मक इच्छा-शक्ति जाग्रत होकर जब हिन्दी में स्वर भरने लगेगी, तो स्वाभावत: उसके साथ सहस्रों अर्थ-पूर्ण शब्द, बहुरंगी प्रयोग सहज ही प्रविष्ट होंगे और वे किसी प्रकार फिर अलग नहीं रखे जा सकेंगे। इस रचनात्मक प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने के लिये सभी साधनों का उपयोग होना चाहिए।

भारतीय भाषाओं के शब्दकोष का लगभग 60-70 प्रतिशत अंश पहले से ही समान है। हिन्दी, बंगाली, गुजराती आदि किसी एक के भी शब्दकोश को लीजिए और गुजराती और मराठी किसी अन्य भाषा के शब्दकोष से तुलना कीजिए तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि अधिकांश शब्द दोनों में व्यवहृत हैं। सच पूछिए तो साहित्यिक तमिल और व्यावहारिक उर्दू के भी शब्दकोश को इसका अपवाद नहीं कहा जा सकता। विभिन्न भाषाओं के शब्दों के अर्थ में प्राय: कुछ भेद अवश्य दिखाई देता है। पर वह अर्थभेद भी आदान-प्रदान के क्रम में धीरे-धीरे कम होता जा रहा है।

आज तो विज्ञान, जो देश-देशांतर की दूरी समाप्त करता जा रहा है, हमारी उस, अन्तर-वाहिनी आधारभूत

एकता को और परिपुष्ट ही करेगा, जिसने वाह्य विभिन्नताओं के बीच एक सामान्य भारतीय जीवन-मार्ग तथा विचार-धारा को जन्म दिया है। देश में औद्योगीकरण की वृद्धि (एवं नागरीकरण की वृद्धि) तथा रेडियो, सिनेमा, टेलीविजन आदि विचार-वहन के वैज्ञानिक साधनों के द्रुत विकास और वर्द्धमान सांस्कृतिक ,साहित्यिक आदान-प्रदान के साथ-साथ भाषा-सम्मिश्रण और हेल-मेल की प्रवृत्ति बढ़ती ही जाएगी और इसका प्रस्फुटन सामान्य वक्ता के भाषण-व्यवहार में भी निश्चित रूप से होगा।

विरोध की बात

प्रायः बताया जाता है कि कुछ अहिन्दी-प्रदेशों में हिन्दी के खिलाफ विरोध की भावना फैल रही है, परन्तु सच बात तो यह है कि यह भावना कुछ राजनीतिक वर्गों तक ही सीमित है। असल में हिन्दी का विरोधी कौन है?- मेरी समझ में हिन्दी विरोध को अहिन्दी भाषी प्रदेशों पर लादना सरासर अन्याय करना है, क्योंकि हिन्दी के सबसे प्रबल विरोधी तो उत्तर भारत के वे ही प्रदेश हैं जो हिन्दी भाषा-भाषी कहे जाते हैं। उनके मन में भय भर गया है कि कहीं उन्होंने हिन्दी पर अधिक ध्यान दिया, उसे माध्यम के रूप में प्रयुक्त किया तो उसके कारण उनके यहां अंग्रेजी का स्टैण्डर्ड और गिर जाएगा। फिर तो उनके यहां के लोगों को बड़ी बड़ी नौकरियां नहीं मिल सकती, क्योंकि वे अखिल भारतीय प्रतियोगिता-परीक्षाओं में सफलता नहीं प्राप्त कर सकेंगे। इसलिये विश्वविद्यालयों में जब कभी हिन्दी अथवा देशी भाषाओं के माध्यम के विस्तार का प्रश्न उठता है, तो उसका निषेध किया जाता है। अंग्रेजी के स्टैण्डर्ड को ऊंचा करने के लिये अब उन प्रदेशों में, कुछ समय पहले जहां पांचवीं कक्षा से अध्ययन शुरू किया जाता था, वहां अब तीसरी कक्षा से अध्ययन प्रारम्भ करने की योजना कार्यान्वित की गई यह सही है कि दक्षिण में तथा अन्य अहिन्दी-भाषी प्रदेशों में भी यह डर व्याप्त है। तमिलनाडु में भी तो यही डर प्रकट किया जाता है कि यदि अंग्रेजी माध्यम गया और हिन्दी माध्यम आया, तो फिर तथाकथित हिन्दी-क्षेत्र के लोगों को विशेष लाभ मिल जाएगा और अहिन्दी भाषी प्रदेश नौकरियों तथा परीक्षाओं में पिछड़ जाएंगे। इसलिये अंग्रेजी माध्यम को छोड़ने में और मातृभाषा के माध्यम को अपनाने में वे भय खा रहे हैं। उत्तर और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम सर्वत्र फैले हुए इस भ्रम का निवारण आखिर कौन करे? नौकरियों में और प्रतियोगिता-परीक्षा में आखिर कितने लोग आते हैं? उनकी संख्या एक प्रतिशत भी नहीं होगी। तो फिर ऐसा विचार क्यों न किया जाए कि हम एक आने के लिए पन्द्रह आने की बरबादी से बच सकें। मातृभाषाओं के माध्यम को अपनाने में हम पन्द्रह आने का हित कर सकेंगे और बहुसंख्यक लोगों को ज्ञान-विज्ञान में शिक्षित कर सकेंगे।

इस भ्रांति और भय को दूर करने के लिये हमारे प्रधान मंत्री श्री नेहरू ने स्पष्ट शब्दों में यह घोषित कर दिया है कि जब तक अहिन्दी भाषी प्रांतों के लोग स्वतः हिन्दी स्वीकार करने को तैयार नहीं हों, तब तक वहां राज-भाषा के रूप में हिन्दी का प्रयोग कदापि नहीं हो सकता। इस विवेकपूर्ण घोषणा से तो अब सारे भाइयों को सन्तोष हो जाना चाहिए।

वस्तुतः समस्त राष्ट्र की समान भाषा अथवा राजभाषा के रूप में हिन्दी का भविष्य हिन्दी-तर भाषा-भाषियों के ही हाथ में है। हिन्दी के राष्ट्र भाषा के रूप की कल्पना का श्रेय उन्हीं को है। केशवचन्द्र, राममोहन राय, बंकिम चंद्र, सुभाष बोस, दयानन्द, माधवराव सप्रे, पराडकरजी, तिलक, महात्मा गांधी आदि हमारे जिन चिरस्मरणीय नेताओं ने हिन्दी के अखिल भारतीय रूप की प्रतिस्थापना की, वे सब-के-सब तथाकथित हिन्दी क्षेत्र के बाहर के ही थे। आज भी हिन्दीतर क्षेत्रों के अनेक यशस्वी और सुकृत साहित्य-कार हिन्दी के निर्माण की साधना में लगे हैं।

अभी उर्नाकुलम में एक "अखिल केरल हिन्दी कन्वेंशन" हुआ था, जिसमें संविधान की धारा 343 के अनुसार, हिन्दी को जल्दी से जल्दी भारत की राजभाषा बनाने की मांग की गई, जिससे केन्द्र, प्रशासनिक ,वैज्ञानिक, न्याय विभागिक तथा प्रशासकीय कार्य-क्षेत्रों में उसका अविलम्ब व्यवहार किया जा सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये इस कन्वेंशन में केन्द्रीय सरकार से जोरदार सिफारिश की गई। केरल प्रदेश ने इस संबंध में जो कदम उठाया है उसे देखकर ही निश्चय हो जाता है कि हिन्दीतर भाषा-भाषी प्रदेशों पर हमारे प्रधान मंत्री नेहरू ने जो दायित्व डाला है, उसका निर्वाह वे बड़ी मुस्तैदी के साथ कर रहे हैं, और करेंगे। केरल का यह नेतृत्व उदाहरणीय है।*

अंग्रेजी मात्र झरोखा है, दरवाजा नहीं

गांधी जी ने अंग्रेजी को हम लोगों के लिये एक झरोखा कहा था, जिस झरोखे से हम बाहर का प्रकाश और हवा ले सकते हैं और कमरे के अन्दर से बाहर की रोशनी देख सकते हैं, परन्तु यदि झरोखे के बदले अंग्रेजी से दरवाजे का ही काम लिया जाने लगे और कमरे के चारों ओर दरवाजे ही दरवाजे लगा दिए जाएं, तब तो घर ही कमजोर हो जाएगा।

किसी विदेशी भाषा के द्वारा, चाहे वह कितनी भी समृद्ध हो, अपने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा कदापि नहीं कर सकते और न उससे हम जनता में जीवन का मंत्र फूंक

* केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री आर० शंकर ने कहा था कि "राज्य में हिन्दी की शिक्षा एवं अध्ययन और राज्य के शैक्षणिक पाठ्यक्रम में हिन्दी को महत्वपूर्ण स्थान दिलाने के लिये सरकार पूरी तरह प्रोत्साहन देगी। केरल सरकार हिन्दी की शिक्षा के प्रति सप्ताह तीन घण्टों में वृद्धि और छठे दर्जे के बजाय पांचवें दर्जे से हिन्दी की शिक्षा अनिवार्य करने पर विचार कर रही है।"

सकते हैं। जन जीवन को तो हम देशी भाषाओं के द्वारा ही जागृत कर सकते हैं और उन्हीं के द्वारा हम जनता के प्राणों में रस घोल सकते है। इस दृष्टि से यह आवश्यक है कि हम अब अंग्रेजी का मोह शीघ्र-से-शीघ्र छोड़कर हिन्दी तथा अपने राष्ट्र की अन्य सभी भाषाओं को समृद्ध बनाएं और शिक्षा, शासन तथा कानून, इन सभी क्षेत्रों में उनका व्यवहार करें। प्रादेशिक भाषाओं के विकास और संवर्धन से ही हिन्दी को भी बल मिलेगा और वैसे ही हिन्दी के विकास से प्रादेशिक भाषाओं को। अपने देश के इस निर्विरोध तादात्म्य की ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए।

भारतीय भाषाओं के प्रयोग के विषय में महसूस किया जा रहा है कि यदि कोई ऋंखला-भाषा ऐसी न रही, जो हम सबको एकान्वित कर सके, तो हमारे राष्ट्रीय जीवन में विशृंखलता आ जाएगी। इनके लिए आज हिन्दी और अंग्रेजी, इन दोनों भाषाओं को शृंखला-भाषा के रूप में ग्रहण करना आवश्यक माना जाता है, परन्तु इस संबंध में हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जहां हिन्दी की जड़ें भारतीय सभ्यता और संस्कृति में जमी हुई हैं, वहां अंग्रेजी हमारे लिए सर्वथा निर्मूल है। अंग्रेजी जहां केवल कुछ पढ़े-लिखे लोगों को शृंखलाबद्ध करती है, वहां अल्प-जन-सुलभ विदेशी भाषा होने के कारण समाज के अल्प-संख्यक-वर्ग और दूसरे बहुसंख्यक-वर्ग के बीच एक बहुत बड़ी खा भी खोद देती है। दूसरी ओर हिन्दी समाज कैसे भी वर्गों की भावनाओं को एक सूत्र में बांधने में सहज समर्थ है।

याद रखिए, हिन्दी केवल एक भाषा नहीं, एक भावना है और वह पुनीत भावना इस समस्त राष्ट्र के एकीकरण की भावना है। इस दृष्टि से महात्मा गांधी ने हिन्दी को अपने रचनात्मक कार्यक्रम का अंग बनाया था। इसलिए हिन्दी-सेवियों को तो किसी से विरोध होना ही नहीं चाहिए। हिन्दी के विकास और प्रसार में केवल उदारता और प्यार की ही बात की जा सकती है, विरोध की बिल्कुल नहीं, क्योंकि हिन्दी हमारे भावात्मक ऐक्य का ही साधन है, फूट का नहीं। हिन्दी को तो देश की सभी भाषाओं की ऋंखला की कड़ियों के रूप में लेकर चलना है। उन सबका दिल एक-दूसरे के हित में आकर्षित है। यहां में वन्देमातरम् के रचियता बंकिमचन्द्र के द्वारा पचास वर्ष पहले के घोषित इस उद्‌बोधन को आपके सामने उद्‌धृत करने के लोभ का संवरण नहीं कर सकता।

'हिन्दी भाषा साहाय्यें भारतवर्षर विभिन्न प्रदेशेर मध्ये जाहारा ऐक्य बन्धन संस्थापन करिते पारिबेन, ताहांराइ प्रकृत भारतबन्धु नामे अभिहित हइबार योग्य। सकले चेष्टा करुन, यत्न करुन जतो दिन परेइ हउक, मनोरथ पूर्ण हइवे। हिन्दी भाषार पुस्तक ओ वक्तृता द्वारा भारतेर, अधिकांश स्थानेर मंगल-साधना करिबेन...।"

'अर्थात् हिन्दी भाषा की सहायता से भारतवर्ष के विभिन्न प्रदेशों के बीच जो लोग एक बन्धन स्थापित कर सकेंगे, वे ही सच्चे भारतबन्धु नाम से अभिहित किए जाने योग्य हैं। सभी चेष्टा करें, चाहे कितने ही दिन बाद क्यों न हो मनोरथ पूर्ण होगा। हिन्दी भाषा में पुस्तक और वक्तृता द्वारा भारत के अधिकांश स्थानों की मंगल साधना कीजिए।'

□□□

"हिन्दी के बिना भारत की राष्ट्रीयता की बात करन व्यर्थ है।"

—वी० वी० गिरि

"उत्तर और दक्षिण भारत का सेतु हिन्दी ही हो सकती है।"

—प्रो० चन्द्रहासन

चित्र समाचार

राजभाषा विभाग के सचिव, श्री राज कुमार शास्त्री, इण्डियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (मार्केटिंग डिवीजन) प्रधान कार्यालय, बम्बई में हिन्दी प्रगति की समीक्षा करते हुए। सचिव महोदय के साथ इंडियन आयल के निदेशक (मार्केटिंग) श्री भीष्म बख्शी और चीफ मैनपावर प्लानिंग मैनेजर हैं। मार्केटिंग डिवीजन के सहायक प्रबन्धक (हिन्दी कार्य) उन्हें जानकारी दे रहे हैं।

कैनरा बैंक, नई दिल्ली में हिन्दी कार्यशाला के उद्घाटन के अवसर पर बोलते हुए श्री सुरजीत कुमार तुली, राजभाषा अधिकारी, कैनरा बैंक। साथ में बैठे हैं, श्री सुधाकर पांडेय, संसद सदस्य (मुख्य अतिथि) एवं श्री एम० एल० मैत्रेय, अनुसंधान अधिकारी, राजभाषा विभाग।

दक्षिण मध्य रेलवे, गुंतकल मण्डल द्वारा तिरुपति में राजभाषा सप्ताह के आयोजन के अवसर पर उद्घाटन भाषण देते हुए श्री बी० रामसंजीवैया, सदस्य रेल मंत्रालय हिन्दी सलाहकार समिति। बैठक की अध्यक्षता श्री आर० अनन्त कृष्णन, मण्डल रेल प्रबन्धक ने की।

इलाहाबाद बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना में हिन्दी कार्यशाला के उद्घाटन के अवसर पर बोलते हुए क्षेत्रीय प्रबन्धक श्री शिव मोहन मिश्र, उनके बायीं ओर बैठे हैं, सहायक निदेशक, राजभाषा विभाग श्री जगत पांडेय "यगल"।

आयकर आयुक्त कार्यालय, रामपुर में हिन्दी कार्यशाला के उद्घाटन के अवसर पर अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए श्री जे० आर० टामटा, निरीक्षीय सहायक आयकर आयुक्त, जबलपुर।

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, विशाखापत्तनम में राजभाषा स्मारिका का विमोचन करते हुए, सांसद श्री लाड़ली मोहन निगम।

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग (शिक्षा तथा सांस्कृतिक मंत्रालय) के तत्वावधान में आयोजित "भारतीय भाषाएं—शिक्षा माध्यम" पर विचार गोष्ठी का उद्घाटन करते हुए महामहिम राष्ट्रपति जैल सिंह। साथ में हैं, श्रीमती शीला कौल, शिक्षा मंत्री तथा अन्य अधिकारी गण।

हिन्दुस्तान जिंक, विशाखापत्तनम में राजभाषा सेमीनार के उद्घाटन के अवसर पर अध्यक्ष पद से बोलते हुए श्री वन्देमातरम् रामचन्द्रराव।

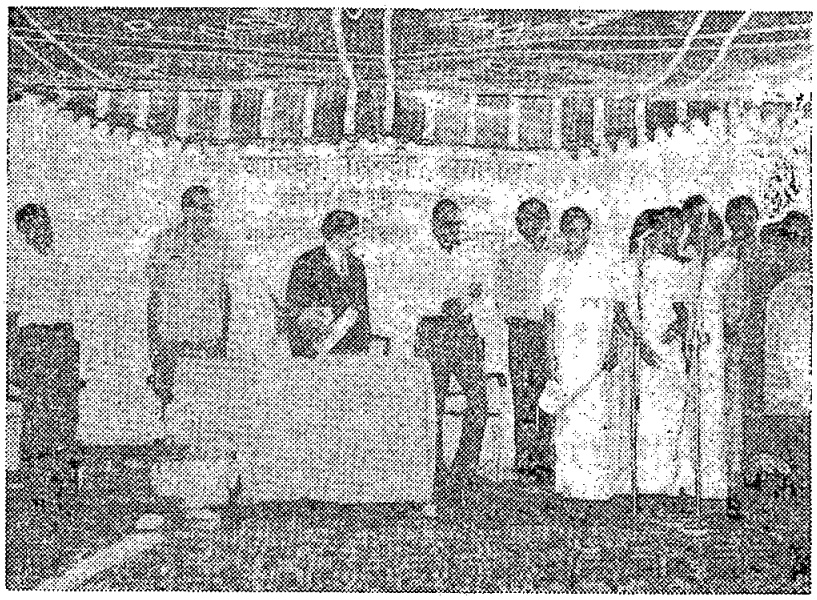

भारतीय सर्वेक्षण विभाग, देहरादून की ज्योडीय एवं अनुसन्धान शाखा द्वारा आयोजित वार्षिक हिन्दी समारोह के अवसर का दृश्य।

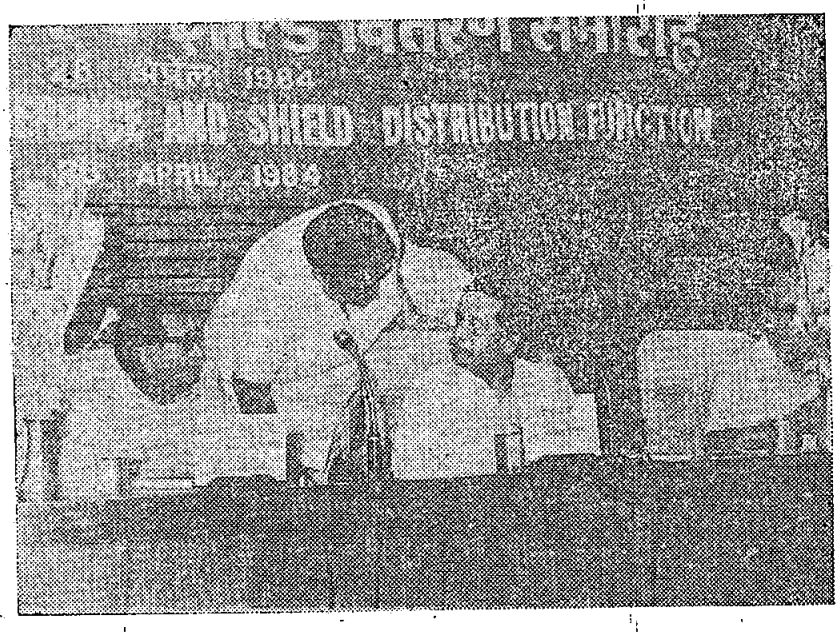

28 अप्रैल, 1984 को विज्ञान भवन में आयोजित राजभाषा शील्ड एवं पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर गृह मंत्री श्री प्रकाश चन्द सेठी से विचार-विमर्श करते हुए राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव श्री देवेन्द्र चरण मिश्र । उनके दायीं ओर बैठे हैं सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री एच० के० एल० भगत तथा बायीं ओर हैं राजभाषा विभाग के सचिव श्री राजकुमार शास्त्री ।

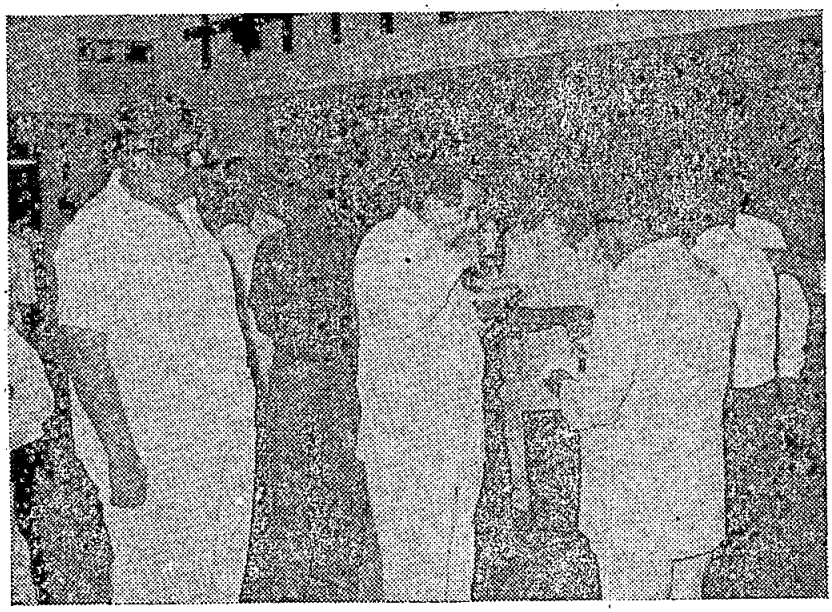

राजभाषा शील्ड तथा पुरस्कार वितरण समारोह में जलपान के अवसर पर आपस में चर्चा करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री श्री हरिकिशन लाल भगत एवं गृह मंत्री श्री प्रकाश चन्द सेठी । साथ में खड़े हैं राजभाषा सचिव श्री राजकुमार शास्त्री एवं संयुक्त सचिव, राजभाषा श्री देवेन्द्रचरण मिश्र ।

समिति समाचार

1. केन्द्रीय हिन्दी समिति की 18वीं बैठक

केन्द्रीय हिन्दी समिति की बैठक प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में 6 जनवरी, 84 को संसदीय सौध, नई दिल्ली में प्रातः 11.30 बजे आयोजित हुई। इस बैठक में केन्द्रीय सरकार के 10 मंत्रियों एक राज्यपाल, 4 राज्यों के मुख्य मंत्रियों, 4 संसद-सदस्यों, 9 विशिष्ट विद्वानों ने सदस्य के रूप में, गृह सचिव ने सदस्य-सचिव के रूप में भाग लिया।

बैठक के आरम्भ में केन्द्रीय गृह मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में हिन्दी की राजभाषा के रूप में हुई प्रगति की जानकारी सदस्यों को दी। उन्होंने बताया कि राजभाषा विभाग के अधीन हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत अब तक 478430 कर्मचारियों को हिन्दी में तथा 40462 कर्मचारियों को हिन्दी टाइपिंग और हिन्दी आशुलिपि का सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इसी विभाग के अधीन कार्य कर रहे केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरों ने 1982–83 में 41,239 मानक पृष्ठों का अनुवाद किया तथा 1982–83 के अन्त तक 37 सत्र आयोजित करके 995 प्रशिक्षार्थियों को अनुवाद का प्रशिक्षण दिया। देश के 60 नगरों में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है जिनमें स्थानीय केन्द्रीय सरकार के कार्यालय एवं अन्य सरकारी उपक्रम के अधिकारी भी सदस्य हैं। इन समितियों में संबंधित नगरों में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों एवं सरकारी उपक्रमों में हिन्दी की राजभाषा के रूप में प्रगति की समीक्षा की जाती है और इनकी गतिविधियों को और प्रभावी करने का विचार है। उन्होंने अपने वक्तव्य में यह भी बताया कि छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत योजना आयोग ने सरकारी नीति के कार्यान्वयन को अधिक प्रभावी बनाने, यांत्रिक साधनों के विकास और प्रशिक्षण सुविधाओं को बढ़ाने के लिए 8 योजनाएं स्वीकृत की हैं। मंत्रालयों/विभागों तथा उनके सम्बद्ध कार्यालयों में हिन्दी सम्बन्धी पदों के वेतनमानों, सेवा शर्तों आदि में एकरूपता लाने की दृष्टि से केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा का गठन किया गया है। इसके बाद गृह मंत्री जी ने प्रधान मंत्री जी से सदस्यों द्वारा दिए गए प्रस्तावों पर समिति द्वारा विचार करने की अनुमति चाही।

समिति की पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

समिति की पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई। श्री सुधाकर पाण्डेय, संसद सदस्य ने माननीय अध्यक्ष महोदय का ध्यान राजभाषा के रूप में हिन्दी की प्रगति के लिये बनाई गई योजनाओं एवं विभिन्न दूसरे प्रस्तावों पर वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमति देने में विलम्ब करने पर क्षोभ प्रगट करते हुए अनुरोध किया गया कि इस प्रकार की स्कीमों के लिए वित्तीय साधनों को उपलब्ध कराने का औचित्य है और इस सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय द्वारा राजभाषा विभाग को सुविधाएं उपलब्ध कराना उचित होगा।

त्रिभाषा सूत्र के अन्तर्गत हिन्दी का वर्चस्व कम न हो

इस विषय पर श्री के० राधाकृष्णामूर्ति ने कहा कि त्रि-भाषा सूत्र का आरम्भ जिस भावना से हुआ था उस भावना से उसका कार्यान्वयन अब नहीं हो पा रहा है। हिन्दी भाषी राज्यों को उस भावना का निष्ठापूर्वक और ईमानदारी से उसका अनुपालन करना चाहिए। शिक्षा मंत्री ने इसके विषय में स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि यह राज्यों का विषय है, फिर भी शिक्षा मंत्रालय इस दिशा में पूर्ण रूप से प्रयत्नशील है। उड़ीसा के राज्यपाल ने सुझाव दिया कि यदि इसके लिए अपेक्षित साहित्य तैयार कर दिया जाए तो भाषाओं को सीखने में सुविधा हो जाएगी। मध्य प्रदेश तथा हरियाणा के मुख्य मंत्री ने कहा कि भौगोलिक परिस्थितियों के कारण उनके राज्यों में चार भाषाओं के प्रयोग की व्यवस्था की जा रही है। राजस्थान के मुख्य मंत्री ने बताया कि उनके राज्य में दक्षिण भारतीय भाषा को मिडिल और हायर सैकेण्डरी तक पढ़ने की व्यवस्था की गई जो सफल नहीं हो सकी। श्री सुधाकर पाण्डेय, श्री वे० राधाकृष्णामूर्ति तथा श्री श्याम नन्दन किशोर, डा० रामकुमार वर्मा, आदि विद्वानों ने भी इस सम्बध में अपने विचार प्रकट किए।

प्रधान मंत्री जी ने कहा कि वे इससे सहमत हैं और इसके लिए निष्ठापूर्वक प्रयत्न किया जाना चाहिए।

हिन्दी और उर्दू के बीच की दीवार ढहाने तथा राष्ट्रीय एकता के वातावरण को मजबूत करने की दृष्टि से शिक्षा मंत्रालय ऐसी पाठ्य-पुस्तकें तैयार कराए जिनमें सूर, तुलसी, कबीर जैसे हिन्दी कवियों के अतिरिक्त उर्दू के मीर, गालिब, जौक, इकगाल जैसे कवियों की भी रचनाएं हों। विश्वविद्यालय स्तर तक की हिन्दी परीक्षाओं के लिए इन कवियों को अनिवार्य माना जाए।

श्री श्रीकान्त, वर्मा, संसद सदस्य के इस मद पर श्री कर्तार-सिंह दुग्गल, श्री योगेन्द्र शर्मा, संसद, सदस्य, श्री ओम मेहता एवं उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने सहमति व्यक्त करते हुए कहा

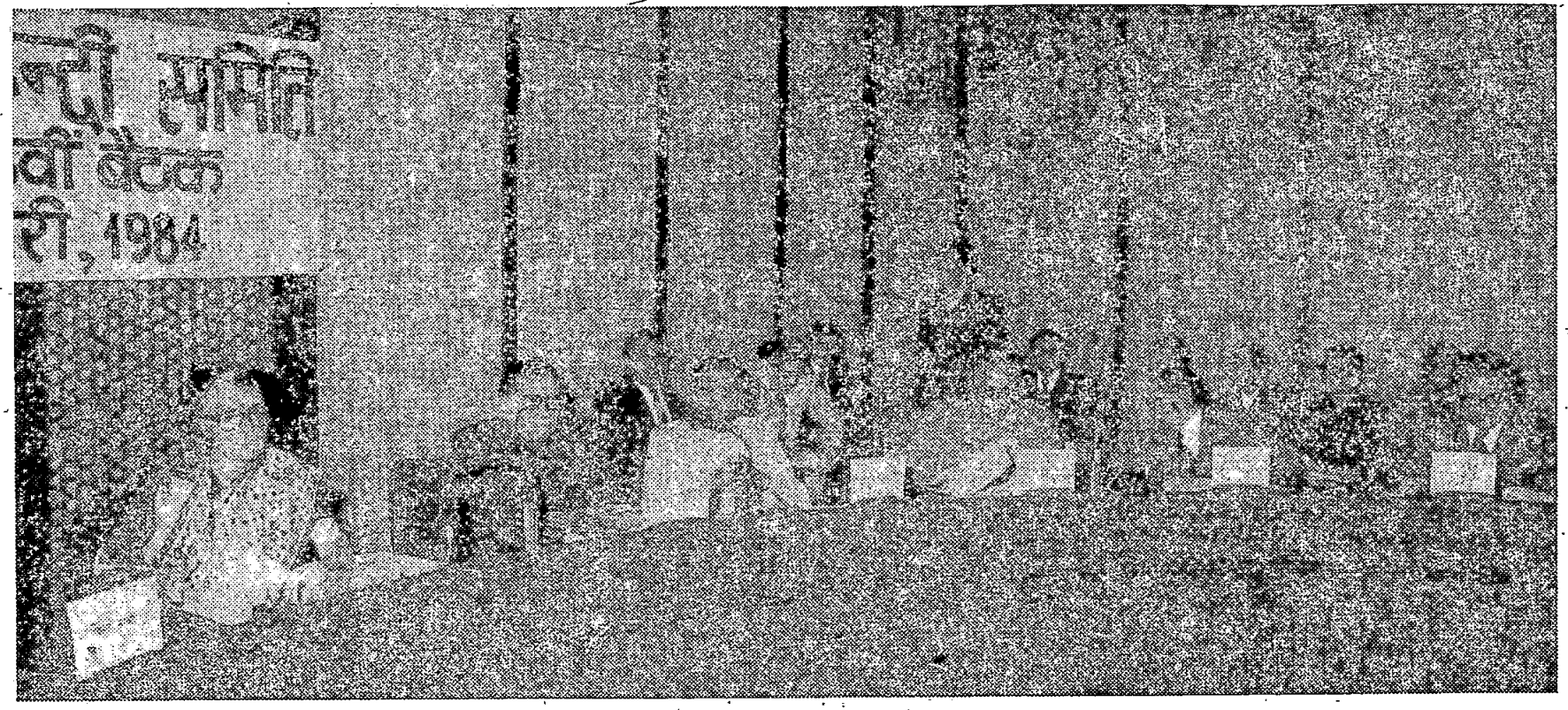

दिनांक 6-1-84 को संसदीय सौध, नई दिल्ली में आयोजित केन्द्रीय हिन्दी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए माननीया प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी। साथ में बैठे हैं गृह मंत्री श्री प्रकाशचन्द्र सेठी, गृह राज्य मंत्री श्री निहार रंजन लश्कर, गृह राज्य मंत्री श्री वैन्कटसुब्बैया और गृह सचिव श्री टी० एन० चतुर्वेदी।

कि समाज्ञान्तर विषय के रूप में उर्दू लेखकों की सुबोध रचनाओं को हिन्दी के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। शिक्षा मंत्री ने इस सम्बन्ध में किए गए प्रयत्नों के विवरण समिति के सम्मुख प्रस्तुत किए और आश्वासन दिया कि इस दिशा में शिक्षा मंत्रालय आवश्यक कदम उठा रहा है। श्री ओम मेहता ने इस सम्बन्ध में सुझाव दिया कि पाठ्यक्रम में फारसी-गर्भित रचनाएं नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश ने कहा कि विषयों के हिसाब से इनका संकलन हो और वे विषय-प्रधान हों, तो ठीक है। डा० श्याम नन्दन किशोर का मत था कि इन रचनाओं का विषय देश से संबंधित होना चाहिए।

राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार, हिन्दी भाषा शिक्षण तथा विभिन्न सरकारी विभागों के अफसरों व कार्यकर्त्ताओं को हिन्दी का परिचय कराने के लिए भारत सरकार द्वारा हर साल काफी धन खर्च किया जा रहा है। इन कार्यों के लिए कुछ संस्थाओं को पूरा अनुदान भारत सरकार की ओर से दिया जा रहा है।

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में राजभाषा विभागों की स्थापना भी की गई है। कितने ही पद मंजूर किए गए हैं, परंतु जो सहयोग भारत सरकार की ओर से दिया जा रहा है, उसके अनुपात में राजभाषा का काम हो रहा है कि नहीं, उसका सही मूल्यांकन नहीं हो रहा है। विशेषज्ञों की एक मूल्यांकन समिति गठित की जाए और पांच-छः मास के अन्दर उसका निवेदन इस समिति के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय लिया जाए।

श्री वे० राधाकृष्णामूर्ति ने कहा कि इस वर्ष अभी तक कई स्वैच्छिक संस्थाओं को शासन की ओर से मिलने वाले अनुदान की स्वीकृति नहीं मिली है। उनको स्वीकृति मिलनी चाहिए और उनको दी जाने वाली अनुदान की राशि में वृद्धि होनी चाहिये। मूल्यांकन के लिए एक कमेटी गठित की जानी चाहिए। शिक्षा मंत्री ने इस संबंध में बताया कि अखिल भारतीय हिन्दी संस्था संघ के अन्तर्गत यह कार्य पहले से ही किया जा रहा है। श्री वे० राधाकृष्णामूर्ति ने तमिलनाडु में हिन्दी के दूरदर्शन कार्यक्रम पर लगी हुई रोक को हटाकर इसे जारी करने का अनुरोध किया।

जनतांत्रिक परिवेश में सार्वदेशिक सम्पर्क की भाषा के विकास की एक निश्चित योजना होनी चाहिए। इस योजना के चार अंग हों :—

(1) पहला तो भाषा प्रयोग के विविध प्रयोजनों के अनुकूल अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए उपाय सोचना।

(2) जो शब्दावली बनाई गई है उसका इस दृष्टि से परीक्षण कि उनकी प्रेषणीयता का शैक्षिक स्तरों में अनुपात क्या है।

(3) आम आदमी के भाषा प्रयोग को महत्व देने के उद्देश्य से यह सर्वेक्षण कि आम आदमी के द्वारा विभिन्न व्यवसायों में कौन-सी शब्दावली प्रयोग में लाई जा रही है और हिन्दी भाषी तथा औद्योगिक क्षेत्रों में प्रयुक्त शब्दावली में शब्दावली का कितना अंग समान है जिससे कि उस समान शब्दावली को मानक शब्दावली का अंग स्वीकार किया जा सके।

(4) विभिन्न हिन्दी संस्थानों अकादमियों और हिन्दी निदेशालय के कार्य की समीक्षा करते हुए सुझाव देना। इस योजना को कार्यरूप देने के लिये एक उच्चाधिकार प्राप्त भाषा योजना समिति का गठन किया जाए।

श्री विद्यानिवास मिश्र ने कहा कि भाषाविदों, वैज्ञानिकों आदि की सहायता से इस कार्य को सम्पन्न किया जाना चाहिए। उन्होंने प्रचलित शब्दावली के सम्बन्ध में सर्वेक्षण की राय दी और कहा कि भाषा योजना के लिये अलग से व्यवस्था की जानी चाहिए। इस मद पर उड़ीसा के राज्यपाल ने अपने विचार व्यक्त करते हुए शब्द निर्माण पर अधिक ध्यान देने पर जोर दिया। श्री पटनायक का सुझाव था कि सचिव, राजभाषा के पद को बदलकर सचिव, भारतीय भाषाएं बनाया जाना चाहिए। जिनके अधीन भाषा संबंधी विकास के कार्यान्वयन का दायित्व रह सके। इस पद पर श्री श्रीकान्त वर्मा और संचार मंत्री महोदय ने भी अपने मत व्यक्त किए। समिति का विचार था कि जो प्रयत्न शिक्षा मंत्रालय द्वारा इस सम्बन्ध में किए जा रहे हैं उनमें तेजी लाई जाए और निश्चित रूप से हिन्दी की शब्दावली, इस प्रकार की हो जिससे सार्वदेशिक सम्पर्क भाषा के रूप में इसका सार्वांगीण विकास हो।

भारत तथा विदेशों में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, मेलों, खेलकूद संबंधी प्रतियोगिताओं में हिन्दी का प्रयोग

सूचना और प्रसारण मंत्री ने इस मद पर जानकारी दी कि बम्बई में हुए फिल्म फैक्टीवल में फिल्मों का सार हिन्दी में भी रखा गया था और इसी प्रकार अन्य प्रैस कान्फेंस आदि में भी अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी का भी प्रयोग किया जाता है। श्री ओम मेहता ने सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में जारी किए हुए अनुदेशों पर प्रसन्नता प्रकट की।

देवनागरी लिपि के इलैक्ट्रानिक टेलीप्रिन्टर का निर्माण

(क) भाषायी यन्त्रों के अधुनातन रूपों की खोज राजभाषा के संबंध में किए जाने तथा उनके प्रयोग के संबंध में विचार

(ख) कम्प्यूटर में देवनागरी लिपि के प्रयोग की व्यवस्था

विभिन्न सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया कि रोमन इलैक्ट्रानिक टेलीप्रिन्टर के साथ देवनागरी इलैक्ट्रानिक टेलीप्रिन्टर भी होना चाहिए। श्री सुधाकर पाण्डेय, संसद सदस्य और योगेन्द्र शर्मा, संसद सदस्य ने कहा कि जब राजभाषा नीति द्विभाषिक है तो टेलीप्रिन्टर भी द्विभाषिक ही बनाना था न कि केवल रोमन लिपि के टेलीप्रिन्टरों का निर्माण शुरू किया जाना चाहिए।

संचार मंत्री श्री वी० एन० गाडगिल ने सदस्यों से यह कहा कि देवनागरी टेलीप्रिन्टर बनाने वाली विदेशी कंपनियों से सम्पर्क किया गया है और उन्होंने इसके लिए 18 महीने का समय मांगा है। प्रधान मंत्री जी का विचार था कि देवनागरी लिपि के इलैक्ट्रानिक टैलीप्रिन्टर के लिए व्यवस्था करने के लिए तुरन्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

श्री सुधाकर पाण्डेय ने जोर दिया कि सरकार में जितने भी कम्प्यूटर विदेशों से आयात किए जा रहे हैं या बनाये जा रहे हैं वे सब द्विभाषिक होने चाहिए जिससे रोमन और देवनागरी दोनों में उस पर काम किया जा सके। उन्होंने समिति का ध्यान रेलवे द्वारा रिजर्वेशन के लिये केवल रोमन लिपि के टैलीप्रिन्टर की व्यवस्था करने का एक ऐसा कदम बताया जिससे जनता को भी चार्ट आदि पढ़ने में कष्ट होगा। उनका सुझाव था कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा कम्प्यूटराइज्ड शिक्षा देने के लिए जो कम्प्यूटर लिए जा रहे हैं उन्हें भी देवनागरी में होना चाहिए। इस सम्बंध में उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार द्वारा जांच-बिन्दु निश्चित किए जाने चाहिए जिससे केवल द्विभाषिक कम्प्यूटरों की व्यवस्था हो। विभिन्न विभागों से प्राप्त सूचना के आधार पर गृह सचिव ने बताया कि देवनागरी लिपि के कम्प्यूटर के विकास की व्यवस्था इलैक्ट्रानिकी विभाग द्वारा की जा रही है और उनका विचार था कि व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए द्विभाषिक टेलीप्रिन्टर की व्यवस्था की जाए तो बेहतर होगा।

द्विभाषिक भारतीय भाषाओं के कोशों की रचना और उनके प्रकाशन की प्रगति पर विचार

इस सम्बन्ध में श्री सुधाकर पाण्डेय, संसद सदस्य का मत था कि यदि सरकार इस कार्य को अच्छी तरह से नहीं कर सकती तो इसमें स्वैच्छिक संस्थाओं की भी सहायता लेनी चाहिए। शिक्षा मंत्री ने ऐसे शब्द-कोशों की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी। श्री विद्यानिवास मिश्र ने इस सम्बन्ध में सुझाव दिया कि वाक्यांश (फ्रेज) शब्द-कोश बनवाना बहुत आवश्यक है। प्रधान मंत्री जी का भी विचार था कि इस सम्बन्ध में स्वैच्छिक संस्थाओं की भी सहायता लेनी चाहिए।

भारत में अभी तक ऐसी कोई ढंग की व्यवस्था नहीं है, जो योजनाबद्ध तरीके से किसी एक क्षेत्रीय भाषा के उत्कृष्ट सृजनात्मक साहित्य को निरंतर दूसरी भाषाओं में पहुंचाती रहे। मूल भाषा में प्रकाशित रचना और उसके अन्य भाषाओं के अनुवाद में आजकल जितनी देर लगती है उसे कम करना होगा। प्रकाशन संस्थाओं के मुकाबले में आकाशवाणी/दूरदर्शन इस दिशा में तेजी से कदम उठा सकते हैं। इस योजना में हिन्दी को एक महत्वपूर्ण कड़ी बनाना होगा।

श्री कर्तार सिंह दुग्गल ने सदस्यों को बताया कि "आदान-प्रदान" सीरीज के अन्तर्गत नेशनल बुक ट्रस्ट ने इस योजना को प्रारम्भ किया था। ऐसा ही प्रोजेक्ट नई रचनाओं के बारे में भी शुरू किया गया था लेकिन अपेक्षित प्रभाव न होने के कारण यह बन्द कर दिया गया जिसे पुनः शुरू किया जाना चाहिए।

केन्द्रीय सरकार के द्विभाषिक (हिन्दी-अंग्रेजी) आशुलिपिकों को विशेष भत्ता देना

15 अगस्त, 1983 से जारी की गई प्रोत्साहन योजना के संदर्भ में श्री ओम मेहता ने इस कार्य के लिये भारत सरकार को धन्यवाद दिया। विधि मंत्री ने स्पष्ट किया कि उनके मंत्रालय में दो भाषाओं के नहीं बल्कि अनेक भाषाओं के आशुलिपिक हैं, उन्हें विशेष भत्ता दिया जाना चाहिए।

श्री सुधाकर पाण्डेय, संसद सदस्य ने आगे कहा कि यद्यपि अंग्रेजी के आशुलिपिकों को, जो हिन्दी में काम कर रहे हैं, प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत ले लिया गया है परन्तु अभी भी कुछ ऐसे हिन्दी के आशुलिपिक हैं जो विभागीय परीक्षाएं पास कर चुके हैं फिर भी उनको "कन्फर्म" नहीं किया जा रहा है। यह उचित नहीं है कि जो हिन्दी आशुलिपिक 15 वर्षों से अधिक समय से संतोषजनक सेवा कर रहे हैं और विभाग जिनकी सेवाओं से संतुष्ट है उन्हें कन्फर्म न किया जाए।

गोपनीय रिपोर्टों में एक कालम इस आशय का जोड़ा जाए कि अमुक कर्मचारी/अधिकारी राजभाषा अधिनियम तथा नियमों के परिपालन की ओर समुचित ध्यान देता है या नहीं।

श्री योगेन्द्र शर्मा, संसद सदस्य ने कहा कि अधिनियम का उल्लंघन करने पर कुछ-न-कुछ अवश्य किया जाना चाहिए इस सम्बन्ध में सदस्यों का मत था कि राजभाषा हिन्दी के प्रयोग के सम्बन्ध में किसी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्रवाई करने से इसकी प्रगति में बाधा आयेगी। इसलिये ऐसा नहीं होना चाहिए।

अधिवक्ता के रूप में रजिस्ट्रेशन के लिए अंग्रेजी परीक्षा पास करने की अनिवार्यता का अनौचित्य

इस सम्बन्ध में सुधाकर पाण्डेय, संसद सदस्य आदि के विचारों को सुनकर प्रधानमंत्री जी ने यह निदेश दिया कि इस संबंध में बार-कान्सिल आफ इंडिया से पुनः विचार-विमर्श किय जाए।

पुलिस वायरलैस में तारों को देवनागरी लिपि में भेजने की व्यवस्था करना।

इस सम्बन्ध में गृह मंत्री जी ने सदस्यों को अवगत कराया कि इसकी शुरुआत के लिये व्यवस्थाएं की जा रही हैं।

(1) हिन्दी आशुलिपि के विकास के लिए किया गया सर्वोत्तम कार्य

(2) हिन्दी आशुलिपि के क्षेत्र में उच्चतम गति के रिकार्ड की स्थापना

इस सम्बन्ध में सदस्यों का मत था कि आशुलिपिकों की भर्ती करते समय उसने जिस प्रणाली से आशुलिपि सीखी है उस पर ध्यान न देकर उसकी गति पर ध्यान दिया जाए। गृह मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग आदि से राय लेकर इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जाएगी।

केन्द्रीय सरकार की विभिन्न सेवाओं के लिए ली जाने वाली परीक्षाओं में हिन्दी का विकल्प देने की व्यवस्था।

श्री योगेन्द्र शर्मा, संसद सदस्य ने सूचित किया कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये अंग्रेजी का पेपर अनिवार्य रखा गया है। यह उचित नहीं है। इसे वैकल्पिक कर दिया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय ने बताया कि जिन प्रदेशों ने अंग्रेजी का पठन-पाठन बन्द कर दिया वहाँ के विद्यार्थियों को बाद में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा क्योंकि आजकल अन्तर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में अंग्रेजी का ही बोलबाला है अन्य विदेशी भाषाओं को अंग्रेजी ने पीछे धकेल दिया है। संसदीय संकल्प के परिप्रेक्ष्य में सदस्यों का सुझाव था कि इस विषय में कुछ किया जाना चाहिए। प्रधान मंत्री जी ने विचार व्यक्त किया कि अंग्रेजी के अनिवार्य पर्चे के बदले में हिन्दी का पर्चा देने के विकल्प पर विचार किया जा सकता है परन्तु कठिनाई है कि बहुत से प्रान्तों में अंग्रेजी उन लोगों की मातृभाषा नहीं है और परीक्षाओं में बैठने में उनके सामने भाषा सम्बन्धी कठिनाई आ सकती है। इस कारण सावधानी पूर्वक ही इस सम्बन्ध में कार्रवाई की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ सभा की कार्रवाई समाप्त हुई। □□□

तारीख 6-1-1984 को प्रातः 11-30 बजे संसदीय सौध बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे :

1. श्रीमती इन्दिरा गांधी, प्रधान मंत्री, नई दिल्ली	अध्यक्ष
2. श्री प्रकाश चन्द सेठी, गृह मंत्री, नई दिल्ली	सदस्य
3. श्री वी० एन० गाडगिल, संचार मंत्री, नई दिल्ली	सदस्य
4. श्री ए० बी० ए० गनीखान चौधरी, रेल मंत्री, नई दिल्ली	सदस्य
5. श्री हरकिशन लाल भगत, सूचना और प्रसारण मंत्री, नई दिल्ली	सदस्य
6. श्री जगन्नाथ कौशल, विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री, नई दिल्ली	सदस्य
7. श्री खुर्शीद आलम खान, पर्यटन और नागर विमानन मंत्री, नई दिल्ली	सदस्य
8. श्रीमती शीला कौल, शिक्षा और संस्कृति मंत्री, नई दिल्ली	सदस्य
9. श्री भजनलाल, मुख्य मंत्री, हरियाणा, चंडीगढ़	सदस्य
10. श्री अर्जुनसिंह, मुख्य मंत्री, मध्य प्रदेश, भोपाल	सदस्य
11. श्री शिवचरण माथुर, मुख्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर	सदस्य
12. श्री श्रीपति मिश्र, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	सदस्य
13. श्री निहार रंजन लस्कर, गृह राज्य मंत्री, नई दिल्ली	सदस्य
14. श्री पी० वेंकटसुब्बय्या, गृह राज्य मंत्री, नई दिल्ली	सदस्य
15. श्री आरिफ मोहम्मद खान, राज्य मंत्री, कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली	सदस्य
16. श्री ओम मेहता, 30, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली	सदस्य
17. श्री योगेन्द्र शर्मा, संसद सदस्य, 16, विन्डसर प्लेस, नई दिल्ली	सदस्य
18. श्री चिरंजीलाल शर्मा, संसद सदस्य, 15 बलवन्तराय मेहता लेन, नई दिल्ली	सदस्य
19. श्री श्रीकान्त वर्मा, संसद सदस्य, 4 सफदरजंग लेन, नई दिल्ली	सदस्य
20. श्री बिश्वम्भरनाथ पांडे, राज्यपाल, उड़ीसा राज्य, भुवनेश्वर	सदस्य
21. डा० रामकुमार वर्मा, साकेत, 4, प्रयाग स्ट्रीट, इलाहाबाद, (उत्तर प्रदेश)	सदस्य
22. श्री अक्षयकुमार जैन, सी-47, गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली-49	सदस्य
23. श्री वे० राधाकृष्णमूर्ति, विशेष अधिकारी दक्षिण भारत, हिंदी प्रचार सभा, हिंदी संघ, हैदराबाद	सदस्य
24. श्री सुधाकर पाण्डेय, संसद सदस्य, 26, डा० राजेन्द्रप्रसाद मार्ग, नई दिल्ली	सदस्य
25. श्री के० एस० दुग्गल, पी-7, हौजखास एन्क्लेव, नई दिल्ली-16	सदस्य

26. श्री विद्यानिवास मिश्र, निदेशक, क० मु० हिंदी तथा भाषा विज्ञान विद्यापीठ, आगरा, विश्वविद्यालय, आगरा .. सदस्य

27. श्री जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी, 55, काकानगर, नई दिल्ली-13 सदस्य

28. श्री, डी० पी० पटनायक, जवाहरलाल नेहरू, फैलो, पी 8, मानस गंगोत्री, मैसूर-570006 सदस्य

29. डा० श्याम नन्दन किशोर, (भूतपूर्व कुलपति) प्रोफेसर, एवं अध्यक्ष हिंदी विभाग, बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ़रनगर, (बिहार) सदस्य

30. श्री त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी, गृह सचिव एवं राजभाषा सचिव, भारत सरकार, नई दिल्ली सदस्य सचिव

(2) पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक श्री खुर्शीद आलम खान, पर्यटन और नागर विमानन मंत्री महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 31 अक्तूबर 83 को होटल अकबर में हुई इस बैठक में सर्वश्री गंगाशरण सिंह, क्षेमचन्द 'सुमन' डा० शशिशेखर तिवारी, श्रीमती मनुहरि पाठक, जगदम्बी प्रसाद यादव, डा० इन्दनाथ चौधरी, घनश्याम पंकज, श्रीकान्त त्रिपाठी, रमा प्रसन्न नायक, डा० एन० चन्द्रशेखर नायर, विट्ठलभाई पटेल तथा देवेन्द्र चरण मिश्र, संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग ने भाग लिया। पिछली बैठक में राजभाषा विभाग के भूतपूर्व सचिव श्री के० के० श्रीवास्तव के सम्मिलित न हो सकने के कारण उत्पन्न कुछ शंकाओं का निवारण करते हुए, संयुक्त सचिव (रा० भा०) ने सदस्यों को बताया कि पिछली बैठक के समय सचिव, राजभाषा दिल्ली से बाहर दौरे पर गए हुए थे, इस कारण उपस्थित न हो सके थे। यह उल्लेखनीय है कि उनके समय में ही पहली बार हिन्दी के कार्य को "योजनेत्तर" कार्य से "योजनागत" बना दिया गया है और कई योजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

उपर्युक्त सदस्यों के विचार-विमर्श, सुझाव आदि के निष्कर्ष रूप में की गई प्रमुख सिफारिशें संक्षेप में इस प्रकार हैं :—

1. तीर्थ स्थानों के विकास की योजना—
   (वृज भूमि के विकास की विशेष योजना)
2. तीर्थ स्थानों के लिए पुस्तकों का प्रकाशन करना, पर्यटन विभाग द्वारा चारों धाम पर पुस्तकें प्रकाशित करने और प्रमुख तीर्थ स्थानों पर रंगीन ब्रोशर तैयार करने का कार्य शामिल है।
3. मैनुअल, फार्म और अन्य कार्यविधि साहित्य को हिन्दी में तैयार करना और उपयोग करना।
4. विभागाध्यक्षों की हिन्दी कार्य में अधिक सहभागिता।
5. हवाई अड्डों पर हिन्दी में घोषणा करने की व्यवस्था किया जाना।
6. विमान चालकों द्वारा हिन्दी में घोषणाएं करना।
7. हिन्दी के कार्य के लिए उपयुक्त और पर्याप्त हिन्दी स्टाफ की व्यवस्था करना।
8. राजभाषा कार्यान्वियन के निरीक्षण की व्यवस्था करना।
9. फार्मों, प्रकाशनों आदि के हिन्दी अनुवाद की भाषा को सरल और छपाई की शुद्धता सुनिश्चित करना।

अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों के उपर्युक्त विचारों, सुझावों आदि के लिए उनके प्रति आभार प्रकट किया। उन्होंने सदस्यों को बताया कि देश के विभिन्न तीर्थ स्थानों का विकास करते हुए वहां के यात्रियों की सुविधा के लिए व्यवस्था करने के साथ ब्रजभूमि के विकास के लिए विशेष और व्यापक योजना तैयार की गई है—इनमें पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के अलावा कई मंत्रालय मिलकर काम कर रहे हैं।

हिन्दी सलाहकार समितियों की बैठकों में विभागाध्यक्ष को समिति के सदस्य के नाते उपस्थित होना आवश्यक है। इससे हिन्दी के विभिन्न कार्यों में उनकी संबद्धता से हिन्दी के कार्य को अधिक बढ़ावा मिलेगा।

(3) ग्रामीण विकास मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक

ग्रामीण विकास मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की चौथी बैठक माननीय विकास मंत्री जी की अध्यक्षता में 22 नवम्बर, 1983 को प्रातः 10.30 बजे हुई थी।

अध्यक्ष महोदय के स्वागत भाषण के बाद विचार-विमर्श प्रारम्भ हुआ।

संयुक्त सचिव (आई० आर० डी०) ने उपस्थित सदस्यों को हिन्दी सलाहकार समिति की उप समिति के गठन और उसकी पहली बैठक में हुए विचार-विमर्श के बारे में जानकारी दी। माननीय मंत्री जी ने निर्देश दिया कि उप समिति का निर्णय लेकर ग्रामीण विकास के बारे में हिन्दी में शीघ्र साहित्य प्रकाशित कराया जाए।

उक्त बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए—

1. पिछली बैठक में लिए गए निर्णय पर पुनर्विचार करके यह तय किया गया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय से सम्बन्धित विषयों पर मूलरूप से हिन्दी में लिखने की

योजना का नाम "ग्रामीण विकास साहित्य पुरस्कार योजना" रखा जाए ।

2. मंत्रालय हिन्दी भाषी राज्यों को अधिक से अधिक हिन्दी में मूलरूप में पत्र भेजने के लिए ठोस कदम उठायें । यह भी तय किया गया कि अगली बैठक में अन्य मंत्रालयों और इस मंत्रालय के तुलनात्मक आंकड़े प्रस्तुत किए जाए ।

3. राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा निकाले जा रहे अनुसंधान अध्ययनों के प्रकाशन अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी में भी प्रकाशित किया जाए । इसमें यदि कोई व्यावहारिक कठिनाई आने की संभावना हो तो उस विषय में, मंत्रालय तथा राजभाषा विभाग से विचार-विमर्श करके उसे हल किया जाए ।

(4) उद्योग मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक

उद्योग मंत्रालय की पुर्नगठित हिन्दी सलाहकार समिति की पांचवीं बैठक माननीय उद्योग मंत्री जी श्री नारायण-दत्त तिवारी की अध्यक्षता में दिनांक 26 दिसम्बर, 1983 को सम्मेलन कक्ष उद्योग भवन, नई दिल्ली में सम्पन्न हुई ।

अध्यक्ष महोदय ने अपने स्वागत भाषण में यह उल्लेख किया कि जहां तक उनका अपना सम्बन्ध है वह अपना अधिकाधिक कार्य राजभाषा हिन्दी में करने में अपने आपको गौरवान्वित महसूस करते हैं । उन्होंने यह भी बताया कि जितना कार्य मूलरूप में हिन्दी में किया जाना चाहिए, उतना अभी नहीं हो रहा है, इसलिए इस दिशा में और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है । इसके लिए उन्होंने सदस्यों का सहयोग और मार्गदर्शन मिलते रहने का अनुरोध किया ।

सर्वश्री हरिबाबू कंसल, राम सिंह यादव, तथा अधिकारियों ने बैठक में अनेक विषयों पर चर्चा की और निम्नलिखित निर्णय लिए गए —

1. मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की वर्ष में कम से कम एक बैठक किसी दक्षिण राज्य में रखी जाए । इससे हिन्दी में कार्य के प्रति दक्षिण भारत में रुचि उत्पन्न करने के अतिरिक्त भावात्मक एकता भी उत्पन्न होगी । सदस्यों के इस सुझाव पर मंत्री जी ने बताया कि बैठक का आयोजन करने में एच० एम० टी०, भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमि० तथा हिन्दुस्तान केबल्स लिमि० आदि में से किसी भी कार्यालय को कठिनाई नहीं होनी चाहिए । इसके लिए अध्यक्ष ने निर्देश दिया कि सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के अध्यक्षों/प्रबन्ध निदेशकों की एक बैठक आयोजित की जाए ताकि कठिनाइयों का पता लगाया जा सके ।

2. हिन्दी कार्यशालाओं की उपयोगिता की पुष्टि करते हुए अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया कि सभी कार्यालयों में और अधिक हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए ।

3. मंत्रालय के अधीन विभिन्न कार्यालयों में हिन्दी की प्रगति की समीक्षा करने की दृष्टि से जरूरी है कि समय-समय पर निरीक्षण किए जाए । इस सम्बंध में विचार व्यक्त किए गए कि 'क' और 'ख' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों पर अधिक ध्यान दिया जाए, लेकिन दक्षिण भारत में स्थित कार्यालयों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है । निरीक्षण दल में हिन्दी सलाहकार समिति के स्थानीय सदस्य को सम्मिलित किया जाए । इस सम्बंध में निर्णय लिया गया कि राजभाषा विभाग से भी इस सम्बन्ध में परामर्श किया जाए ।

4. अध्यक्ष महोदय ने उद्योग विभाग में हिन्दी निदेशक के पद का सृजन करने के सम्बंध में शीघ्र निर्णय लिये जाने का आश्वासन दिया ।

5. मंत्रालय के अधीन विभिन्न कार्यालयों में जब तक समुचित हिन्दी का स्टाफ स्वीकृत नहीं किया जाता तब तक उनसे हिन्दी कार्य में प्रगति की आशा नहीं की जा सकती । राजभाषा विभाग के पत्र सं० 13035/3/80-रा० भा० (ग) दिनांक 27-4-81 में हिन्दी स्टाफ की व्यवस्था के सम्बन्ध में जो निर्देश जारी किए गए हैं जिसमें कहा गया है कि हिन्दी स्टाफ स्वीकृत करने के लिए कोई वित्तीय आपत्ति नहीं है । अतः निर्णय लिया गया कि जिन कार्यालयों में अधिकतम मापदण्ड के अनुसार हिन्दी स्टाफ की व्यवस्था नहीं है उनके सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही की जाए । उत्तर प्रदेश सचिवालय को काफी संख्या में अंग्रेजी में पत्र भेजने के बजाए हिन्दी में पत्र भेजने की व्यवस्था करने का भी निर्णय लिया गया । अध्यक्ष महोदय द्वारा औद्योगिक विकास विभाग में आयोजित हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता के सफल प्रतियोगियों को पुरस्कार प्रदान करने के पश्चात बैठक की कार्यवाई समाप्त हुई ।

(5) सिंचाई मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक

सिंचाई मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की तीसरी बैठक सिंचाई राज्य मंत्री श्री रामनिवास मिर्धा की अध्यक्षता में दिनांक 24 जनवरी, 1984 को संसद भवन, नई दिल्ली में सम्पन्न हुई ।

अध्यक्ष महोदय ने अपने स्वागत भाषण में मंत्रालय में हिन्दी के प्रचार और प्रसार से संबंधित किए जा रहे कार्यों का उल्लेख

करते हुए कहा कि राजभाषा अधिनियम और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों की पूरी-पूरी अनुपालना करने के लिए तत्परता से कदम उठाया जा रहा है ।

विचार विमर्श में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :—

सर्वश्री वीर कुमार मजोत्रा, निदेशक (रा० भा०), रत्नाकर पाण्डेय, बाल्मीकी चौधरी, अकर्त, नेमीचन्द जैन, "भावुक" तथा अधिकारीगण । बैठक में नीचे लिखे विषयों पर चर्चा हुई—

बैठक में भाग लेने गए निदेशक (रा० भा०) ने सुझाव दिया कि मंत्रालय में एक ऐसे अनुभाग का निर्धारण किया जाए जहां-जहां सारा स्टाफ ऐसा हो जो भलीभांति हिन्दी लिख पढ़ सकता हो तो उस काम को शुरू करने में कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी । प्रशासन अनुभाग को कार्यवाई करने के लिए निदेश दिए गए ।

सिंचाई के विषयों पर हिन्दी में मूल पुस्तकें तैयार करने के कार्यक्रम पर विचार विमर्श के दौरान निदेशक (राजभाषा विभाग) ने सूचित किया कि कई मंत्रालयों में मूल पुस्तकें तैयार करने के सम्बन्ध में पुरस्कार योजना आरम्भ की गई है । इस सम्बन्ध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और कृषि मंत्रालय से सूचना मंगवा ली जाए । इस सम्बन्ध में हिन्दी अनुभाग कार्यवाही करेगा ।

सदस्यों का सुझाव था कि हिन्दी सलाहकार समिति की अगली बैठक दिल्ली से बाहर किसी ऐसे स्थान पर आयोजित की जाए जहां सिंचाई मंत्रालय की कोई परियोजना क्रियान्वित की जा रही हो, उसे देखने का अवसर मिलेगा तथा वहां के कार्यालय में हिन्दी में क्या कार्य हो रहा है, देखने का अवसर मिलेगा ।

(6) इस्पात और खान मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक

इस्पात और खान मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक श्री नरेन्द्र साल्वे, राज्य मंत्री जी की अध्यक्षता में जनवरी, 1984 को प्रातः 11.30 बजे 'सेल' के सभा कक्ष में आयोजित की गई ।

बैठक में विचार-विमर्श के दौरान निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया—

सर्वश्री लाड़ली मोहन निगम, जगन्नाथ मिश्र, गिरधारी गोमागो, कृष्णमाधव चौधरी, धर्मराज सिंह, अर्जुन कुमार अग्रवाल, आचार्य भगवान देव, श्रीमती कमला रत्नम, कृष्णकुमार विद्यार्थी, रामचन्द्र भारद्वाज, वीरकुमार मजोत्रा, निदेशक (राजभाषा विभाग) तथा काली चरण शर्मा आदि ।

हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए मंत्री महोदय द्वारा जारी की गई अपील की सराहना की गयी । बैठक में सदस्यों ने अनेक सुझाव दिए । सभी सुझावों पर चर्चा हुई और अध्यक्ष महोदय ने उन पर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया ।

(7) स्वास्थ्य और परिवार एवं कल्याण मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक

मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री श्रीमती मोहसिना किदवई की अध्यक्षता में दिनांक 9 मार्च, 1984 को सम्पन्न हुई ।

सदस्यों का स्वागत करते हुए अध्यक्ष महोदया ने मंत्रालयों के विभिन्न क्षेत्रों में हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति से सदस्यों को अवगत कराया और आश्वासन दिया कि मंत्रालय हिन्दी की प्रगति के लिए सदस्य जो भी सुझाव देंगे, मंत्रालय उनको कार्यान्वित करने का हर सम्भव प्रयास करेगा ।

विचार-विमर्श में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :—

श्री वी० राधकृष्णमूर्ति, श्री हरि शंकर, डा० सुरेन्द्र नाथ गुप्ता

प्रमुख निर्णय लिए गए—

1. दवाइयों के लेबलों पर दवाइयों का नाम आदि हिन्दी में लिखने का प्रस्ताव रसायन और उर्वरक मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के विचारार्थ उस मंत्रालय को ही दे दिया जाए ।

2. सिगरेटों के पैकेटों पर सांविधिक चेतावनी हिन्दी में भी लिखा जाए, के बारे में अध्यक्ष महोदया ने सम्बन्धित कानून में संशोधन करने पर विचार करने का आश्वासन दिया ।

3. एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए ली जाने वाली परीक्षा में प्रश्न पत्र हिन्दी में तैयार करने के बारे में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद से उत्तर प्राप्त होने के बाद उसी के अनुसार इस पर आगे कार्रवाई की जाएगी ।

4. भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए शीघ्र कार्यशाला आयोजित की जाए ।

5. चिकित्सा विषयों पर मूलतः हिन्दी में लिखी जाने वाली पुस्तकों पर पुरस्कार की योजना के बारे में तय किया गया कि चिकित्सा विषयों में स्वास्थ्य शिक्षा के विषय

को भी शामिल करके इस योजना को अविलम्ब कार्य-रूप दे दिया जाए ।

6. मंत्रालय में एक अनुभाग का सारा काम हिन्दी में ही किया जाएगा ।

7. देवनागरी टाइपराइटरों के कमी के कारण हिन्दी के काम को रुकने नहीं दिया जाएगा । जरूरत के अनुसार देवनागरी टाइपराइटर खरीदे जाते रहेंगे ।

8. हिन्दी कार्य के लिए सृजित पदों को राजभाषा विभाग के बनाए भर्ती नियमों के अनुसार फिलहाल मंत्रालय आदि से व्यक्तियों का चयन करके तदर्थ आधार पर भर लिये जांए ।

(8) समाज कल्याण मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक

मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की दूसरी बैठक 5 मार्च, को शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्री श्री पी० के०. थुंगन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई । बैठक की कार्रवाई प्रारम्भ करते हुए अध्यक्ष ने सभी सदस्यों का स्वागत किया और पिछली बैठक के बाद मंत्रालय में हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति पर ब्यौरा देते हुए सदस्यों को बताया कि पिछली बैठक में "बसुधैव कुटुम्बकम" वाक्यांश को इस मंत्रालय के पत्रों पर अंकित करने का सुझाव स्वीकार कर लिया है । उन्होंने यह भी बताया कि मंत्रालय द्वारा 'क' तथा 'ख' क्षेत्रों को सभी मूल पत्र हिन्दी में अथवा हिन्दी अनुवाद के साथ अंग्रेजी में भेजे जाते हैं । केन्द्रीय रजिस्ट्री अनुभाग चैक प्वांइट के रूप में कार्य कर रहा है इससे स्थिति में काफी सुधार हो रहा है । अध्यक्ष जी ने आशा व्यक्त की कि इस बैठक में सदस्यगण जो सुझाव देंगे उनसे मंत्रालय और इसके मातहत कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग की दिशा और प्रोत्साहन मिलेगा ।

सदस्यों ने खेद प्रकट करते हुए कहा कि सदस्यों द्वारा नाम हिंदी में लिखें जाने पर भी स्वागत अधिकारी प्रवेश पत्र अंग्रेजी में तैयार करता है । निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में गृह मंत्रालय से अनुरोध किया जाए कि वे सभी स्वागत अधिकारियों को अनुदेश जारी कर दें कि हिन्दी में प्रयोग सम्बन्धी आदेशों का कड़ाई से अनपालन करते हुए हिन्दी में प्रविष्टि करने वाले आगन्तुकों को प्रवेश-पत्र हिन्दी में ही जारी करें ।

(9) विशाखापत्तनम नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का पुरस्कार वितरण समारोह

दिनांक 19-11-83 को अपराह्न तीन 3-00 बजे रेलवे विद्युतीकरण/वाल्टेयर की खुली रंगशाला में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, विशाखापत्तनम की विभिन्न इकाइयों का पुरस्कार वितरण समारोह धूमधाम से मनाया गया । यह पहला अवसर था, जब समिति के अध्यक्ष एवं मण्डल रेल प्रबन्धक श्री रमेश चन्द वर्मा ने नगर की सभी इकाइयों को एक जगह एक भव्य समारोह में पुरस्कार देने के लिए आमंत्रित किया था । श्री वर्मा ने समारोह की अध्यक्षता की और श्री ए० भीमाराव, मुख्य इंजीनियर (सर्वेक्षण एवं निर्माण)। वालतेरू ने मुख्य अतिथि के रूप में पुरस्कार वितरण किया । इसमें उन अधिकारियों/कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया, जिन्होंने मई, 1983 की प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ परीक्षाओं में 55 या उससे अधिक अंक प्राप्त किये थे । डेसिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लि०/विशाखापत्तनम के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रमाण-पत्र भी दिये गये ।

इस अवसर पर पुरस्कार विजेताओं को संबोधित करते हुए मंडल रेल प्रबन्धक महोदय ने कहा कि भारतीय संविधान में हिन्दी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है । जिसका तात्पर्य यह है कि सरकारी दफ्तरों का कामकाज हिन्दी में किया जाय और यह तभी संभव है, जब सभी अधिकारी/कर्मचारी हिन्दी सीख जायें । इसलिए सरकार की तरफ से हिन्दी पढ़ाने का मुफ्त इंतजाम किया गया है । इन्होंने आगे कहा कि यह स्पष्ट है कि पुरस्कार पाने वाले अधिकारी/कर्मचारी मेधावी हैं और उनमें लिखने-पढ़ने और सोचने की अच्छी सूझ-बूझ है । इनसे हीं राजभाषा के प्रचार-प्रसार करने की काफी उम्मीद की जा सकती है । मैं देखना चाहूंगा कि आप जिस तरह इन परीक्षाओं में पुरस्कार ले रहे हैं, उसी तरह अपने कामकाज में हिन्दी का प्रयोग करके पुरस्कार लें । हिन्दी में काम करने की पूरी छूट है । मुख्य अतिथि श्री ए० भीमाराव ने कहा कि उन्होंने हिन्दी उस समय सीखी, जब दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के कार्यकर्त्ता घूम-घूम कर लोगों को हिन्दी सीखने के लिए प्रोत्साहित करते थे और पढ़ाते थे । उन्होंने आगे कहा कि हिन्दी सीखना संवैधानिक अपेक्षाओं की पूर्ति करना है । उन्होंने नगर की सभी इकाइयों से हिन्दी के अनुकूल माहौल बनाने के लिए एक जुट होकर काम करने का आह्वान किया ।

रामाधार सिंह यादव
सहायक हिन्दी अधिकारी

(10) बीकानेर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक

बैठक के आरम्भ में समिति के अध्यक्ष श्री राजेन्द्र भंसाली (मण्डल रेल प्रबन्धक, बीकानेर) ने सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया । इसके बाद सभी उपस्थित सदस्यों ने अपने-अपने कार्यालय की हिन्दी प्रगति सम्बन्धी रिपोर्ट प्रस्तुत की । जो प्रतिनिधि निर्धारित प्रपत्र में अपनी रिपोर्ट नहीं ला सके, उन्होंने मौखिक रूप से अपने कार्यालय की मोटे रूप में हिन्दी कार्यान्वयन सम्बन्धी स्थिति का उल्लेख किया । रिपोर्ट वाचन के दौरान विभिन्न कार्यालयों के प्रतिनिधियों ने हिन्दी टाइप की मशीनों तथा आशुलिपिकों के अभाव की ओर ध्यान दिलाया तथा अन्य कई कठिनाइयों

भी प्रस्तुत की । गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग से पधारे हुए श्री पी० एन० जोशी ने समस्त कठिनाइयों का यथा-सम्भव समाधान प्रस्तुत किया ।

श्री पी० एन० जोशी, वरिष्ठ इण्टरप्रेटर, राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय द्वारा मार्ग दर्शन

श्री जोशी ने कहा कि सदस्य अपने कार्यालय की हिन्दी प्रगति सम्बन्धी रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में अवश्य भर कर भेजें, ताकि सही स्थिति का जायजा लिया जा सके और कमियों को दूर करके, हिन्दी क्रियान्वयन को अधिकाधिक गति दी जा सके ।

संक्षेप में उन्होंने बताया कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अनुपालन में सभी प्रकार के सामान्य आदेश एवं परिपत्रों की हिन्दी अंग्रेजी द्विभाषिक रूप में जारी करना संवैधानिक अनिवार्यत: है, वैसे हिन्दी भाषी क्षेत्रों को जारी किये जाने वाले परिपत्रों आदि को केवल हिन्दी में जारी कर सकते हैं । हिन्दी पत्रों के उत्तर सुनिश्चित रूप से हिन्दी में ही दिये जाने चाहिए । मूल पत्राचार भी कम से कम 66 प्रतिशत हिन्दी में किया जाना चाहिए । 25 कर्मचारियों वाले प्रत्येक कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया जाना चाहिए ।

कठिनाइयों का समाधान

श्री जोशी ने कहा कि 25 कर्मचारियों वाले किसी भी केन्द्रीय कार्यालय द्वारा प्रति 25 कर्मचारियों के पीछे एक हिन्दी सहायक का पद, एक हिन्दी टाइपिस्ट का तथा 100 कर्मचारियों वाले कार्यालय में एक हिन्दी अधिकारी के पद का सृजन किया जा सकता है । ऐसे आदेश गृह मंत्रालय द्वारा काफी पहले ही जारी किये जा चुके हैं । कम संख्या वाले कार्यालय भी अपने प्रधान कार्यालय से हिन्दी टाइपराइटर की मांग कर सकते हैं, क्योंकि नये खरीदे जाने वाले टाइपराइटरों में 50 प्रतिशत टाइपराइटर हिन्दी के खरीदे जाने चाहिए । उन्होंने यह भी बताया कि हिन्दी में तार देना किफायती होता है, क्योंकि इसमें 10 अक्षरों का एक शब्द माना जाता है । जैसे 'जा रहा है' को एक शब्द माना जाता है । डाक घर के प्रतिनिधि ने भी इस बात की पुष्टि की ।

वार्षिक कार्यक्रम 1983–84 के लक्ष्यों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि चूंकि पिछले वर्षों का कार्यक्रम पूर्ण रूपेण पूरा नहीं हो पाया, अत: इस वर्ष भी वही पुराना कार्यक्रम रखा गया है । जिन कार्यालयों में हिन्दी जानने वाले कर्मचारियों की संख्या 80 प्रतिशत से अधिक हो, वहां कम से कम 66 प्रतिशत मूल पत्राचार हिन्दी में किया जाना चाहिए ।

दैनिक कार्य में कर्मचारियों का हिन्दी अभ्यास बढ़ाने की दृष्टि से कार्यशालाओं का गठन किया जाना चाहिए । व्यावहारिक रूप से प्रत्येक कार्यालय में कुछ मदें निर्धारित की जानी चाहिए, जिनमें केवल हिन्दी में काम करना सुनिश्चित किया जाय ।

भाषा की कठिनता एवं सरलता के बारे में उन्होंने कहा कि यह प्रश्न व्यक्तिसापेक्ष्य एवं क्षेत्र सापेक्ष्य है, क्योंकि अलग-अलग क्षेत्र के लोग, हिन्दी में अलग-अलग भाषा के शब्दों की बहुलता चाहेंगे । फिर भी यह परिवर्तन काल है, इसमें विभिन्न कठिनाइयाँ आयेंगी और हमें उसका समाधान ढूंढ़ना होगा । वैसे वार्षिक कार्यक्रम 1983–84 के साथ 10 महत्वपूर्ण परिपत्र जोड़े गये हैं, जो कठिनाइयों का समाधान ढूंढ़ने में उनकी मदद करेंगे । मण्डल राजभाषा अधिकारी, उत्तर रेलवे/बीकानेर ने अपने कार्यालय में उपलब्ध वार्षिक कार्यक्रम की कुछ प्रतियां उपस्थित सदस्यों में वितरित कीं ।

टाइपिस्टों एवं आशुलिपिकों को प्रोत्साहन देने के संदर्भ में श्री जोशी ने बताया कि गृह मंत्रालय से ऐसे आदेश जारी किये जा चुके हैं कि अंग्रेजी कार्य के अतिरिक्त प्रतिदिन चार-पांच हिन्दी के छोटे-छोटे पत्र टाइप करने वाले टाइपिस्टों को प्रतिमाह 20 रु० तथा आशुलिपिक को प्रतिमाह 30 रुपए का प्रोत्साहन देना निश्चित किया गया है ।

अन्त में उन्होंने कहा कि राजभाषा हिन्दी के बारे में पारित नियम तथा अधिनियमों का पालन करना हम सबका कर्तव्य है और इसका निर्वाह संयुक्त जिम्मेदारी से ही किया जा सकता है । यद्यपि इसमें कोई दण्ड व्यवस्था नहीं है, फिर भी हम अपने नैतिक एवं संवैधानिक कर्तव्य का पालन करते हुए राजभाषा हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग में अपना सक्रिय योगदान देवें ।

विचार–विमर्श

सहायक आयकर आयुक्त ने कहा कि उनके कार्यालय में काफी काम हिन्दी में होते हुए भी उन्हें कुछ कठिनाइयां हैं, क्योंकि कर निर्धारण आदेश आदि कई महत्वपूर्ण दस्तावेज उन्हें केवल अंग्रेजी में बनाने पड़ते हैं । फिर भी उनका सुझाव था कि तृतीय श्रेणी के स्तर तक के कर्मचारी के लिए अनिवार्य रूप से सारा काम हिन्दी में किये जाने की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि राजस्थान में सभी कर्मचारी हिन्दी जानते हैं और उन्हें हिन्दी में काम करने में कोई वास्तविक दिक्कत नहीं है ।

समिति के अध्यक्ष श्री भंसाली ने कहा कि कम से कम अधिसूचित कार्यालयों के तृतीय श्रेणी तक के कर्मचारियों के लिए तो हिन्दी में अनिवार्य रूप से काम करने के आदेश होने ही चाहिए ।

श्री अनूप झिंगरन (मण्डल राजभाषा अधिकारी, उत्तर रेलवे/बीकानेर) ने कहा कि प्रत्येक अधिकारी को प्रेरणा की दृष्टि से फाइलों पर प्रतिदिन चार-पांच छोटे-छोटे आदेश हिन्दी में देने चाहिए, इससे सबको प्रेरणा मिलेगी । हमारे मण्डल में ऐसा करना शुरू कर दिया गया है । हमारे मण्डल रेल प्रबन्धक तो अंग्रेजी नोटिंग की फाइलों पर भी अपने आदेश हिन्दी में देते हैं । कर्मचारियों में हिन्दी की भावना का अधिकाधिक विकास करने की दृष्टि से उन्होंने सुझाव दिया कि कर्मचारी की गोपनीय रिपोर्ट में एक ऐसा कालम बनाया जाय, जिसमें इस बात का उल्लेख हो कि कर्मचारी हिन्दी में रुचि लेता है या नहीं ।

अन्त में समिति के अध्यक्ष श्री राजेन्द्र भंसाली (मण्डल रेल प्रबन्धक, उत्तर रेलवे, बीकानेर) ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि यदि किसी काम में पूर्ण सफलता नहीं मिलती है, तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि हमारे ही प्रयासों में कहीं कमी है। दृढ़ इच्छा से किसी काम में निरन्तर लगे रहने से अवश्य ही सफलता मिलती है। राजभाषा हिन्दी के सम्बन्ध में विविध संवैधानिक नियमों एवं अधिनियमों के उपरान्त भी यदि हिन्दी को अपना पूरा एवं यथोचित स्थान नहीं मिला है तो जरूर इसमें हमारे प्रयत्नों में कहीं न कहीं कमी है। अतः हमें अपनी लगन में और तीव्रता लानी चाहिए। कठिनाइयों का समाधान स्वतः होता चला जावेगा।

उन्होंने कहा कि रेलवे में तो हिन्दी का प्रयोग केवल राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा के रूप में ही नहीं अपितु कर्मशियल बेसिस पर भी करना आवश्यक है। क्योंकि रेल के ग्राहक तथा कर्मचारी, दोनों अंग्रेजी की बजाय हिन्दी में अधिक समझते हैं। एक सफल वाणिज्य संगठन की यह पहली आवश्यकता है कि वह ऐसी भाषा का प्रयोग करें, जो अपने ग्राहकों एवं कर्मचारियों को सरलता से समझ में आ जावे, तभी वह अपने उद्देश्यों की सरलता-पूर्वक पूर्ति कर सकता है।

अध्यक्ष ने अन्त में कहा कि ये बैठकें केवल रुटीन में नहीं होनी चाहिए। हमें हिन्दी के प्रति व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा एवं अपनी पूरी लगन एवं कर्तव्य-निष्ठा से इसमें अपना योगदान देना पड़ेगा, तभी इसमें सफलता मिलेगी।

अन्त में अध्यक्ष ने सबका धन्यवाद देते हुए सभा की कार्रवाई विसर्जित की।

—अनूप झिंगरन
सचिव, बीकानेर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति,
एवं मण्डल राजभाषा अधिकारी, उत्तर रेलवे,
बीकानेर

---

(11) आगरा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक

आगरा नगर की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 5वीं बैठक आयकर आयुक्त श्री देवेन्द्र सिंह संधू की अध्यक्षता में दिनांक 2-12-1983 को सायंकाल 3.30 बजे उनके जयपुर हाउस स्थित कार्यालय में हुई। बैठक में केन्द्रीय सरकार के विभिन्न कार्यालयों, बैंकों, निगमों के कार्यालय प्रमख और उनके प्रतिनिधि अधिकारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर केन्द्रीय सरकार के राजभाषा विभाग, नई दिल्ली से श्री पूर्णानन्द जोशी विशेष कार्य अधिकारी और निरीक्षण निदेशालय, गवेषणा सांख्यिकी व जन-सम्पर्क विभाग, नई दिल्ली से श्री श्यामचन्द्र प्रसाद, हिन्दी अधिकारी उपस्थित हुए। सर्वप्रथम बैठक प्रारम्भ होने से पूर्व समिति की ओर से श्री इन्द्रसेन गुप्त, निदेशक हवाई वितरण अनुसंधान एवं विकास संस्थापन, आगरा कैंट, श्री बालक राम शुक्ल, मण्डल अभियन्ता (फोन्स) (प्रशा०), श्री महेन्द्र कपूर, हिन्दी अधिकारी (स्टेट बैंक) और डा० शिवशंकर शर्मा, प्रतिनिधि, केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद्, आगरा ने समिति के अध्यक्ष श्री देवेन्द्र संधू, आयकर आयुक्त, उपाध्यक्ष श्री जे० पी० शर्मा, आय कर आयुक्त (अपील) और दिल्ली से आये हुए प्रतिनिधि अधिकारियों का माल्यार्पण करते हुए स्वागत किया। अध्यक्ष महोदय ने विभिन्न विभागों, बैंकों, निगमों आदि से आये हुए अधिकारियों से कहा कि समिति की यह 5वीं बैठक है। इस प्रकार की बैठकें हिन्दी का प्रयोग सरकारी कामकाज में बढ़ाने के लिए उपयोगी और कारगर सिद्ध हुई है, जिसका परिणाम यह दिखाई दे रहा है कि आज हर कार्यालय में सरकारी कार्य काफी मात्रा में हिन्दी में हो रहा है। यह सत्य है कि द्विभाषी स्थिति है, जिसमें हिन्दी अंग्रेजी, दोनों का प्रयोग जारी है और कुछ दिनों तक रहेगा, किन्तु आगे आने वाले दिनों में हिन्दी हमारे सरकारी कार्य में अंग्रेजी का स्थान शीघ्र ही ग्रहण करेगी और भारत के संविधान में हिन्दी की जो स्थिति दी गई है, वह अवश्य प्राप्त होगी। इसके पश्चात उपस्थित प्रतिनिधियों ने अपना परिचय दिया।

सर्व प्रथम 13 मई, 1983 को आयोजित बैठक का कार्यवृत सदस्य सचिव श्री रामचन्द्र मिश्र, हिन्दी अधिकारी, आयकर आयुक्त, आगरा द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसे सर्व सम्मति से पारित किया गया और इसकी पुष्टि करते समय विंग कमाण्डर श्री इन्द्रसेन गुप्त, निदेशक, हवाई वितरण अनुसंधान एवं स्थापन, आगरा ने बैठक में यह प्रस्ताव रखा कि आगरा में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति आज जो दिखाई दे रही है, उसका श्रेय समिति के सदस्य सचिव श्री रामचन्द्र मिश्र को है, जिनके अथक परिश्रम व्यक्तित्व सम्पर्क से यह स्थिति दृष्टिगत हुई है और समिति के सभी सदस्यों ने इसका समर्थन किया। इसके पश्चात सर्व श्री बालकराम शुक्ल (फौन्स), महेन्द्र कपूर (स्टेट बैंक), उपेन्द्र नारायण सेवक (कनारा बैंक), विंग कमांडर श्री इन्द्रसेन गुप्त (हवाई-वितरण संस्थापन), विनोद शंकर (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, प्रो० न० वि० राज गोपालन (केन्द्रीय हिन्दी संस्थान) श्री विलायती राम गोयल (हिन्दी प्राध्यापक) श्री सुखदास (आयकर आयुक्त अपील) श्री आर० के० बंसल, क्षेत्रीय अधीक्षक, आगरा छावनी मध्य रेलवे) और डा० शिव शंकर शर्मा (केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद) तथा केन्द्रीय आयुद्ध डिपो ने अपने-अपने विचार तथा सुझाव रखे। आयकर आयुक्त अपील श्री जे० पी० शर्मा ने बैठक में उपस्थित अधिकारियों से अनुरोध किया कि हम लोगों को चाहिए कि हम आपस में टेलीफोन पर अथवा आमने-सामने बैठकर बातचीत करते हैं तो अंग्रेजी के बजाय हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग करें। वे स्वयं वकीलों से तथा अन्य अधिकारियों से समय-समय पर बात करते हैं, उसमें हिन्दी का ही प्रयोग करते हैं। इसके अलावा पत्रों पर हस्ताक्षर करें तो अपवाद के मामलों को छोड़ कर हिन्दी में ही हस्ताक्षर करने की आदत डालें। प्रो० राज-गोपालन ने केन्द्रीय हिन्दी संस्थान में हिन्दी के प्रयोग का उल्लेख

करते हुए कहा कि आज उनके संस्थान में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है। लगभग शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में हो रहा है। उन्होंने यह इच्छा व्यक्त की कि भावना प्रधान होनी चाहिए और जहां तक सम्भव हो शुद्ध हिन्दी का प्रयोग किया जाना चाहिए।

श्री विलायती राम गोयल, हिन्दी प्राध्यापक ने हिन्दी शिक्षण योजना द्वारा चलाई जा रही योजना हिन्दी प्रोत्साहन भत्ते हिन्दी परीक्षाओं आदि के बारे में सदस्यों को जानकारी दी। डा० शिवशंकर ने आगरा में कार्यरत केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् की गतिविधियों से अवगत कराया। तत्पश्चात श्री पूर्णानन्द जोशी, राजभाषा विभाग ने सदस्यों का ध्यान राजभाषा विभाग द्वारा चलाये जा रहे वार्षिक कार्यक्रम के अनुपालन की ओर आकर्षित किया और यह इच्छा प्रकट की कि वार्षिक कार्यक्रम की प्रगति 31 जनवरी, 1984 तक राजभाषा विभाग को भेजी जाए। राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का पूरी तरह पालन किया जाए। जिन कार्यालयों में हिन्दी टाइपराइटर अभी तक नहीं हैं, उनमें कम से कम एक टाइपराइटर रखवाया जाय और जो नई खरीद की जाय, उनमें निर्धारित प्रतिशत हिन्दी टाइपराइटरों की खरीद के लिए रखा जाए। बिल आदि हिन्दी में ही बनवाये जायें। हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए। हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर अनिवार्यतः हिन्दी में दिए जाएं और 'क' क्षेत्र में भेजे जाने वाले पत्र अधिकांश हिन्दी में ही भेजे जाएं। तार प्रायः अभी भी हिन्दी में नहीं भेजे जा रहे हैं। यदि तार हिन्दी में भेजे जायेंगे तो विभाग के व्यय में भी किफायत होगी। आगरा में आज की इस बैठक में इतनी अधिक संख्या में अधिकारियों की उपस्थिति पर हर्ष व्यक्त किया गया। अन्त में बैठक में उपस्थित अधिकारियों और दिल्ली से पधारे हुए प्रतिनिधि अधिकारियों को श्री कृष्ण स्वरूप, निरीक्षीय सहायक आयकर आयुक्त एवं प्रधान केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद्, आगरा ने धन्यवाद देते हुए उनके प्रति आभार व्यक्त किया।

बैठक का संचालन श्री रामचन्द्र मिश्र, हिन्दी अधिकारी एवं सदस्य सचिव, आयकर आयुक्त कार्यालय, आगरा ने किया।

राम चन्द्र मिश्र
हिन्दी अधिकारी, एवं सदस्य सचिव, नगर
राजभाषा कार्यान्वयन समिति, आगरा।

"खास तौर से भारत के नवयुवकों से मेरा अनुरोध है कि वे हिन्दी पढ़ें। आगे चलकर हिन्दी प्रचार का भार उन्हीं पर पड़ेगा। यह कार्य बड़ा दूरदर्शितापूर्ण है और इसका परिणाम बहुत दूर आगे चलकर निकलेगा। प्रान्तीय ईर्ष्या, द्वेष को दूर करने में जितनी सहायता इस हिन्दी प्रचार से मिलेगी, उतनी दूसरी किसी चीज से नहीं मिल सकती।"

राजभाषा हिन्दी के बढ़ते चरण

1. मैकन, रांची में 'व्यावहारिक हिन्दी' पर लघु कार्य-गोष्ठी

भारत सरकार के राजभाषा विभाग के सहयोग एवं मैकन, रांची के तत्वावधान में 18 से 20 अप्रैल, 1984 तक रांची में व्यावसायिक हिन्दी पर एक लघु कार्यगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी का उद्घाटन भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार एवं राजभाषा विभाग के सचिव श्री राज कुमार शास्त्री ने किया। गोष्ठी की अध्यक्षता बिहार राज्य के मुख्य सचिव श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव ने की। गोष्ठी में मुख्यत: केन्द्रीय सरकार के रांची स्थित निम्नलिखित कार्यालयों, उपक्रमों, निगमों एवं संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया :—

1. बेतार अनश्रवण केन्द्र (2)
2. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
3. भारतीय लाख अनसंधान संस्थान
4. भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण
5. भारतीय स्टेट बैंक
6. केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान
7. केन्द्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र
8. भारी अभियंत्रण निगम
9. पंजाब नेशनल बैंक (क्षेत्रीय कार्यालय)
10. सी० एम० पी० डी० आई० (सेंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट)।
11. भारतीय सर्वेक्षण विभाग
12. कैनरा बैंक
13. आयकर आयुक्त का कार्यालय
14. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क महालेखाकार कार्यालय
15. सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड
16. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग
17. माडर्न फूट इंडस्ट्रीज (इं) लि०
18. रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट सेन्टर (सेल)

प्रारम्भ में मैकन के अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक श्री प्रकाश चन्द्र लाहा ने आगत अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा व्यावसायिक हिन्दी पर आयोजित यह सेमिनार देश में अपने ढंग का पहला सेमिनार है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस आयोजन से राजभाषा हिन्दी को लागू करने की गति तेज होगी

मैकन, रांची में "व्यावहारिक हिन्दी" पर आयोजित लघ कार्य गोष्ठी के उद्घाटन के अवसर पर आमंत्रितों को सम्बोधित करते हुए बिहार के मुख्य सचिव श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव। उनके दायीं ओर हैं श्री प्रकाशचन्द लाहा, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, मैकन, श्री राज कुमार शास्त्री, सचिव (राजभाषा) एवं भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार। बांयी ओर हैं डा० एस० के० गुप्ता, निदेशक अनुसन्धान एवं विकास केन्द्र, सेल।

तथा इससे हिन्दी के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने मैकन में हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग की स्थिति पर प्रकाश डाला।

राजभाषा विभाग के सचिव श्री राज कुमार शास्त्री ने दीप जला कर गोष्ठी का विधिवत् उद्घाटन किया। केन्द्रीय सरकार के कार्यालय एवं उपक्रमों में हिन्दी के प्रयोग के प्रति उदासीनता बरते जाने पर चिन्ता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि सन् 1950 में हिन्दी को संघ की राजभाषा घोषित किए जाने के बाद केन्द्रीय सरकार द्वारा अनेक व्यवस्थाओं और हिन्दी का अनवरत प्रचार

किए जाने के बावजूद सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग उस रूप में नहीं किया जा रहा है, जिस रूप में संविधान में अपेक्षित है। उन्होंने कहा हमारी नीति किसी पर हिन्दी थोपना नहीं है, पर इसका यह भी मतलब नहीं कि राजभाषा के सांविधिक नियमों का अनुपालन न किया जाए। श्री शास्त्री ने सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने तथा राजभाषा की उत्तरोत्तर प्रगति के लिए कई व्यावहारिक सुझाव देते हुए इस प्रकार की गोष्ठी के आयोजन की सराहना की। अपने अध्यक्षीय भाषण में बिहार सरकार के मुख्य सचिव श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव ने सरकारी कामकाज में व्यावहारिक हिन्दी के स्वरूप की व्याख्या करते हुए कहा कि साधारण बोलचाल की हिन्दी के प्रयोग से हिन्दी का ज्यादा प्रचार-प्रसार हो सकता है। उन्होंने कई दृष्टांत पेश करते हुए कहा कि हिन्दी टिप्पण और प्रारूपण में अंग्रेजी का हूबहू अनुवाद न कर मौलिक लेखन की ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अनुवाद की हिन्दी सरल नहीं होती। उन्होंने कहा राजभाषा हिन्दी में कामकाज के लिए प्रयुक्त आवश्यक यांत्रिक उपकरणों की अनुपलब्धता, विधि सम्बन्धी सरल मानक हिन्दी शब्दों का अभाव एवं अनुवाद पर आश्रित रहने की प्रवृत्ति से सरकारी कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग की गति मंथर है।

अनुसंधान एवं विकास केन्द्र (सेल) के निदेशक डा० एस० के० गुप्ता ने अपने संस्थान में हिन्दी के प्रयोग पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़े, इस पर समुचित चर्चा होनी चाहिए।

अन्त में मैकन के महाप्रबन्धक श्री स० च० दास ने सभी अतिथियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन किया।

कार्य-गोष्ठी के अवसर पर आमंत्रित श्रोताओं का एक दृश्य।

19 अप्रैल, 1984 की गोष्ठी के लिए निर्धारित विषय था—'रोजमर्रा के कामकाज में हिन्दी का प्रयोग'। गोष्ठी की अध्यक्षता केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के निदेशक श्री राजमणि तिवारी ने की।

विषय का प्रवर्तन करते हुए भारत सरकार की हिन्दी शिक्षण [illegible] के संयुक्त निदेशक डा० अशोक कुमार भट्टाचार्य ने स्पष्ट किया कि कामकाजी भाषा की आधारशिला दैनिक कार्यों में प्रयुक्त होने वाले शब्दों पर ही आधारित है। अपने निजी अनुभवों के आधार पर अनेक रोचक दृष्टांतों के द्वारा उन्होंने इस भाषा के प्रयोग न होने के कारणों पर प्रकाश डाला। उनके अनुसार इनमें से प्रमुख कारण हैं—अपने शब्द-ज्ञान के प्रदर्शन की प्रवृत्ति; संक्रमण काल में उपयुक्त शब्दों का तत्काल न सूझना; अंग्रेजी तथा उर्दू के प्रचलित शब्दों को विदेशी मानकर ग्रहण न करना; मौलिक लेखन की बजाए अनुवाद की प्रवृत्ति तथा हिन्दी में मूल चिन्तन का अभाव। इनके समाधान की ओर संकेत करते हुए उन्होंने कई दृष्टांतों के सहारे यह स्पष्ट किया कि भाषा को बोधगम्य बनाने के लिए उसमें सम्प्रेषणीयता की कमी को दूर करना जरूरी है।

प्रश्नोत्तर काल में पंजाब नेशनल बैंक के श्री अरुण कुमार झा, महालेखाकार कार्यालय के श्री बाबूलाल शर्मा, इस्पात अनुसंधान व विकास केन्द्र के श्री वी० के० श्रीवास्तव, भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान के श्री कृष्णमणि त्रिपाठी, सी० एस० पी० डी० आई० के श्री राजेन्द्र सिंह, जन संचार विभाग के श्री रजनीकान्त मिश्र एवं अन्य प्रतिभागियों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किए। कैनरा बैंक के हिन्दी अधिकारी श्री प्रेम नारायण शुक्ल ने एक सरस और मधुर कविता के माध्यम से राजभाषा के महत्व को व्यक्त किया। मुख्य वक्ता के रूप में बिहार के महालेखाकार श्री प्रद्युम्न चन्द्र अस्थाना ने अपने कार्यालय में राजभाषा हिन्दी की प्रगति पर प्रकाश डालते हुए स्पष्ट किया कि वहां पर अधिकांश कार्य हिन्दी में ही किया जा रहा है।

केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क के हिन्दी अधिकारी श्री सिद्धिनाथ झा ने उठाई गई विभिन्न समस्याओं का रोचक ढंग से समाधान प्रस्तुत करते हुए कहा कि हिन्दी का प्रयोग करते समय देश, काल और पात्र का ध्यान रखा जाए तो भिन्नता काफी हद तक कम हो सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि देश का अर्थ वह स्थान है, जहां पत्र भेजा जाना है, काल का अर्थ है विषय से तथा पात्र का अर्थ उन व्यक्तियों से है, जिन्हें पत्र लिखा जा रहा है।

अपने अध्यक्षीय भाषण में श्री राजमणि तिवारी ने कहा कि कामकाजी भाषा ऐसी होनी चाहिए, जो आम जनता की समझ में आए और उसमें सभी क्षेत्रीय भाषाओं के शब्दों को आवश्यकता के अनुसार बेहिचक इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

मैकन की ओर से कार्मिक अधिकारी श्री कृष्ण बल्लभ प्रसाद सिंह ने सभी प्रतिभागियों, अधिकारियों एवं उपस्थित अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापन किया।

20 अप्रैल, 1984 की गोष्ठी के लिए निर्धारित विषय था "फील्ड में काम करने वाले कर्मचारियों की कठिनाइयां, उनका निराकरण एवं फील्ड में प्रयुक्त शब्दावली।" गोष्ठी की अध्यक्षता केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के निदेशक श्री राजमणि तिवारी ने की।

विषय की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए राजभाषा विभाग की हिन्दी शिक्षण योजना के संयुक्त निदेशक डा० अशोक कुमार भट्टाचार्य ने कहा कि फील्ड में काम करने वालों की कठिनाई मुख्यत: चार प्रकार की हो सकती है, जैसे—उपयुक्त शब्द न मिलना; अभ्यास की कमी; बाधक परम्पराएं; तथा अपनी भाषा को आकर्षक बनाने की प्रवृत्ति। "फील्ड" का तात्पर्य स्पष्ट करते हुए उन्होंने बताया कि इसका सम्बन्ध प्रतिदिन के कार्यक्षेत्र से है, जैसे—बैंकिंग, रेलवे आपरेशन, माइनिंग आदि।

विभिन्न कार्यालयों, उपक्रमों एवं संस्थानों के प्रतिभागियों ने अपने-अपने कार्यक्षेत्र में प्रयुक्त कुछ खास-खास शब्दों का उल्लेख करते हुए सुझाव दिया कि बहु-प्रचलित क्षेत्रीय तथा अंग्रेजी शब्दों को ज्यों का त्यों ग्रहण कर लिया जाए। कुछ वक्ताओं का मत था कि एक शब्द के लिए एकाधिक पर्याय दिए जाने चाहिएं, ताकि सभी विभाग अपनी-अपनी आवश्यकता के अनुसार उन्हें ग्रहण कर सकें।

मैकन के मुख्य तकनीकी अर्थशास्त्री श्री गिरधारी लाल शर्मा ने भिलाई में पधारे श्री कृश्चेव की भाषा के प्रति कथन का उल्लेख करते हुए बताया कि मैकन राजभाषा में कार्य करने के लिए कृत संकल्प है।

मुख्य अतिथि डा० बालगोविन्द मिश्र (निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा) ने भाषा विज्ञान की पृष्ठभूमि में प्रस्तुत विषय के सभी पहलुओं पर अपने विचार व्यक्त करते हुए निष्कर्ष निकाला कि (क) उपक्रमों में उतना मनोवैज्ञानिक प्रतिरोध नहीं है, अत: उनकी ओर से ऐसी कार्यगोष्ठियों का आयोजन नियमित रूप से किया जा सकता है, (ख) महत्वपूर्ण हिन्दी प्रकाशनों को एकत्रित करके एक स्थायी प्रदर्शनी का प्रबन्ध किया जा सकता है और ऐसी एक प्रदर्शनी-बस देश भर में घुमाई जा सकती है, (ग) हिन्दी अधिकारी एवं राजभाषा अधिकारी आदियों के समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, (घ) भाषा प्रयोगशाला व्यावहारिक है और बड़े-बड़े उपक्रमों में ऐसी प्रयोगशालाएं आयोजित की जानी चाहिए, (च) देश-भर के कतिपय प्रमुख स्थलों पर सूचना केन्द्र (रिसोर्स सेन्टर) खोले जाने चाहिए, ताकि संबंधित व्यक्तियों को उनसे अपेक्षित जानकारी मिल सके।

अपने अध्यक्षीय भाषण में श्री तिवारी ने सूचना दी कि मानविकी के अतिरिक्त विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में भी पर्याप्त शब्दों का निर्माण किया जा चुका है। समयानुसार इनका सर्वेक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अन्त में मैकन की ओर से कार्मिक प्रबन्धक श्री ओमेश्वर प्रसाद ने उपस्थित प्रतिभागियों, अधिकारियों एवं अतिथियों को धन्यवाद दिया और उनके सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।

—श्री आर० के० सैन,
अनुसंधान अधिकारी,
राजभाषा विभाग।

2. भारतीय खाद्य निगम, जिला कार्यालय, ग्वालियर (म० प्र०) में हिन्दी गोष्ठी

पिछले वर्ष जनवरी–83 में विभागीय हिन्दी समिति द्वारा लिये गए निर्णयानुसार गत फरवरी, 1983 से प्रत्येक माह के प्रथम शनिवार के हिसाब से हिन्दी गोष्ठी नियमित रूप से आयोजित की जाती रही है। इस आयोजन में अधिकारियों के साथ-साथ कर्मचारी-बन्धु भी विशेष संख्या में सहर्ष उपस्थित होकर हिन्दी सम्बन्धी कार्यालयीन ज्ञान प्राप्त करते रहे।

प्रत्येक गोष्ठी को सम्बोधित करने के लिए बाहर से भी हिन्दी विद्वान तथा न्यायाधीश, कुलपति, प्राचार्य, प्राध्यापक, हिन्दी अधिकारी, साहित्यकार निरन्तर रूप से आते रहे और राजभाषा को सभी कर्मियों के बीच विशेष लोकप्रिय बनाते रहे। विशेष अवसर पर सरस काव्य गोष्ठी का भी आयोजन होता रहा।

वर्ष पूर्ति के उपलक्ष्य में दिनांक 7–1–84 अर्थात् जनवरी, 1984 के प्रथम शनिवार को आयोजन बड़े पैमाने पर दो चरणों में मनाया गया है। प्रथम चरण में आयोजित परिचर्चा "कार्यालय में राजभाषा हिन्दी" विषय पर आयोजित की गई, जिसमें स्थानीय कमलाराजा कन्या महाविद्यालय के हिन्दी प्राध्यापक डा० पूनम चन्द तिवारी, महारानी लक्ष्मीबाई कला एवं वाणिज्यिक महाविद्यालय के प्राध्यापक डा० कोमल सिंह सोलंकी, म० प्र० शासन के उपपंजीयक, सहकारिता विभाग के श्री प्रभुदयाल मिश्र, महालेखाकार कार्यालय (नगर राजभाषा क्रियान्वयन समिति) के हिन्दी अधिकारी श्री मदन गोपाल शर्मा आदि ने अपने-अपने सार गर्भित विचार रखे। इस प्रथम चरण की अध्यक्षता जीवाजी विश्वविद्यालय के उपकुलपति डा० कृष्ण कुमार तिवारी ने की जबकि पुलिस उपमहानिरीक्षक श्री अयोध्यानाथ जी पाठक ने मुख्य अतिथि का पद सुशोभित किया। इस अवसर पर राजभाषा हिन्दी के अधिकतम प्रयोग के लिए खाद्य निगम केन्द्र, अम्बाह (ग्वालियर) के प्रभारी श्री रमाशंकर उपाध्याय को एवम् केन्द्र शिवपुरी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम के दूसरे चरण के रूप में राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवियों ने अपना सरस काव्य पाठ कर वातावरण को जीवन्त बना दिया। इस अनूठे आयोजन के मुख्य अतिथि प्रमुख दण्डाधिकारी श्री शंकर विनायक चराटे (म० प्र० हाई कोर्ट) रहे। नगर के वयोवृद्ध कवि श्री शांति स्वरूप जी चाचा ने अध्यक्ष का पद सुशोभित किया।

प्रारम्भ में जिला प्रबन्धक श्री धरम चन्द, जो कि विभागीय हिन्दी समिति के अध्यक्ष भी हैं, ने आगन्तुक अतिथियों का स्वागत किया तथा अन्त में उपाध्यक्ष श्री कल्पनाथ राय, सहायक प्रबन्धक (तक०) ने सभी के प्रति आभार प्रदर्शित किया। कार्यक्रम का संचालन सचिव श्री अशोक साहू ने किया।

—श्या० शू० गुप्ते
सहायक प्रबन्धक (प्रशासन)
वास्ते जिला प्रबन्धक

3. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड—दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय में हिन्दी पुरस्कार वितरण समारोह

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय में हिन्दी पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन दिनांक 23-2-84 को किया गया। हिन्दी शिक्षण योजना द्वारा नवम्बर 83 में संचालित प्रबोध परीक्षा में इस कार्यालय के 16 अहिंदी भाषी कर्मचारी बैठे और सभी 60 प्रतिशत से ज्यादा अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण हुए। इन सफल कर्मचारियों और दिसम्बर 83 में आयोजित हिंदी निबन्ध प्रतियोगिता के 8 पुरस्कार विजेताओं को नकद पुरस्कारों का वितरण स्थानिक प्रतिनिधि श्री इन्दर मल्होत्रा ने किया। समारोह की अध्यक्षता मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक श्री रविन्दर धीर ने की।

इस अवसर पर हिन्दी शिक्षण योजना, गृह मंत्रालय के उप-निदेशक (उत्तर) श्री तुलसी दास और उप निदेशक (परीक्षा) श्री पी० एल० कनोजिया ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। समारोह का संचालन करते हुए हिन्दी अधिकारी श्री राम सिंह ने हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से सम्बन्धित प्रगति और इस कार्यालय के कर्मचारियों को दिए जाने वाले विभिन्न प्रोत्साहनों पर विस्तार से प्रकाश डाला।

4. ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स में राजभाषा हिन्दी की प्रगति

बैंक राष्ट्रीयकरण के पश्चात, जहां ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स जमा राशि संग्रहण में निरन्तर वृद्धि कर रहा है, वहां राजभाषा हिन्दी के विकास हेतु सरकारी नीतियों के कार्यान्वयन में पूर्णरूप से दृढ़ संकल्प हैं। बैंकिंग कार्यों में हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि राजभाषा हिन्दी के प्रयोग की शुरुआत उच्चाधिकारियों से की जाए। इसी आवश्यकता को मद्देनज़र रखते हुए हमारे बैंक द्वारा प्रादेशिक प्रबन्धकों/सहायक प्रादेशिक प्रबन्धकों/वरिष्ठ प्रबन्धकों/प्रबन्धकों के लिए हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया, जिसमें राजभाषा अधिनियम व नियमों के प्रावधान के अनुसार बैंक में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के सम्बन्ध में जानकारी दी गई। इसके साथ ही, अधिकारियों को हिन्दी में पत्राचार, टिप्पण और प्रारूप लिखने के सम्बन्ध में सैद्धांतिक और व्यावहारिक जानकारी दी गई। ये कार्यशालाएं काफी रुचिकर व उपयोगी सिद्ध हुई तथा हिन्दी के कार्यान्वयन कार्य के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार हुआ है। हमारे बैंक के कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय में सभी पाठ्यक्रम हिन्दी-अंग्रेजी की मिली-जुली भाषा में पढ़ाये जाते हैं तथा ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में हिन्दी के दो सत्र अनिवार्य होते हैं जिसमें राजभाषा नीति और उसके कार्यान्वयन व हिन्दी में पत्राचार, नोटिंग, ड्राफ्टिंग करने के सम्बन्ध में जानकारी दी जाती है। हमारे बैंक ने विशेष रूप से "क" क्षेत्र में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है जिसके अन्तर्गत हिन्दी भाषी क्षेत्रों में मुख्यतया ग्रामीण इलाकों में स्थित शाखाओं को अपना अधिकांश कार्य हिन्दी में करने के लिए चुना गया है। अब तक इस प्रकार की 81 शाखायें हिन्दी शाखा के रूप में चुनी जा चुकी हैं। ये शाखायें हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में ही देने, मूल पत्र हिन्दी में ही लिखने के अतिरिक्त सभी रजिस्टरों/खातों/पास बुकों, विवरणियों इत्यादि में हिन्दी में प्रविष्टियां कर रही हैं। बैंक की लगभग सभी शाखाओं/कार्यालयों द्वारा हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर अनिवार्यतः हिन्दी में ही दिया जा रहा है। उदाहरणतया सितम्बर, 1983 को समाप्त हुई तिमाही में हिन्दी में प्राप्त हुए पत्रों में से 99% पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया गया। बैंक के सभी कार्यालय/शाखाएं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मूल हिन्दी पत्राचार के लक्ष्य को प्राप्त करने में सतत प्रयास कर रही हैं तथा ऐसे पत्रों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है।

सरकार की राजभाषा नीति/कार्यक्रम और इससे सम्बन्धित समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों का कारगर ढंग से शीघ्र अनुपालन करने हेतु बैंक के प्रधान कार्यालय और "क" व "ख" क्षेत्र में स्थित प्रादेशिक कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित की गई हैं। महाप्रबन्धक-प्रादेशिक अध्यक्ष इन समितियों के पदेन अध्यक्ष हैं तथा समिति के अन्य सदस्य विभिन्न विभागों से लिए गए हैं। इन समितियों की नियमित रूप से प्रत्येक तिमाही में एक बैठक आयोजित की जाती है। राजभाषा अधिनियम, 1976 (यथा संशोधित) और उसके अधीन बनाए गए राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 का कार्यान्वयन किस सीमा तक हो रहा है, यह सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर प्रधान कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों सहित राजभाषा अधिकारियों द्वारा शाखा कार्यालयों का निरीक्षण किया जाता है। इस वर्ष के दौरान अब तक लगभग 125 शाखाओं/कार्यालयों का निरीक्षण किया जा चुका है। इसके साथ ही निरीक्षण विभाग द्वारा जब भी किसी शाखा कार्यालय का निरीक्षण किया जाता है तो हिन्दी का विशेष रूप से निरीक्षण किया जाता है।

कर्मचारियों को अपना हिन्दी ज्ञान बनाए रखने और उसमें वृद्धि करने के लिए प्रधान कार्यालय सहित अधिकांश प्रादेशिक कार्यालयों में हिन्दी पुस्तकालयों की स्थापना की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त प्रादेशिक कार्यालय व हिन्दी में अधिकांश कार्य करने के लिए चुनी गई शाखाओं में हिन्दी पत्रिकाएं मंगवाने की अनुमति दी जा चुकी है। बैंक से प्रकाशित होने वाली गृहपत्रिका व अन्य पत्रिकाओं में हिन्दी खण्ड को प्राथमिकता दी जाती है।

समय-समय पर बैंक के कर्मचारियों के मध्य हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाता है।

5. राजभाषा सम्मेलन तथा शील्ड वितरण समारोह

राजभाषा विभाग द्वारा विज्ञान भवन के कक्ष "एच" में 28, अप्रैल 1984 को राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के अध्यक्षों, हिन्दी शिक्षण योजना के सर्वकार्यभारी अधिकारियों तथा विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों में कार्यरत कार्यान्वयन समितियों के अध्यक्षों का राजभाषा सम्मेलन आयोजित किया गया। यह अपने ढंग का पहला सम्मेलन था। सर्वप्रथम राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव श्री देवेन्द्रचरण मिश्र ने माननीय गृहमंत्री श्री प्रकाश चन्द सेठी, सम्मेलन के मुख्य अतिथि सूचना एवं प्रसारण

मंत्री श्री हरि किशन लाल भगत तथा सम्मेलन में भाग लेने आए अधिकारियों का स्वागत करते हुए कहा--

"राजभाषा विभाग की ओर से मैं सहृदय आप सबका स्वागत करता हूं और माननीय गृह मंत्री जी की अनुमति से सम्मेलन की कार्यवाही शुरू करता हूं। उपस्थित लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतने अल्प समय की सूचना के बावजूद भी आपने इस सम्मेलन में आने का कष्ट किया। योजना आयोग द्वारा स्वीकृत राजभाषा विभाग की 1983-84 की योजनाओं के कारण ही हम इस राजभाषा का आयोजन कर पा रहे हैं। इन योजनाओं में सम्मेलन के लिये अलग से धनराशि आवंटित की गई है। यह अपने में एक नया कदम है और इसकी सफलता आप सब के सहयोग पर निर्भर है।

राजभाषा सम्मेलन एवं शील्ड वितरण समारोह के अवसर पर आमंत्रित अतिथियों का स्वागत करते हुए राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव श्री देवेन्द्र चरण मिश्र।

राजभाषा शील्ड वितरण समारोह के अवसर पर गृह मंत्री श्री प्रकाश चन्द सेठी और सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री हरि किशन लाल भगत का स्वागत करते हुए, राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव श्री देवेन्द्र चरण मिश्र।

हमें पूरी आशा है कि केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालय एवं विभाग तथा सरकारी उपक्रम इसमें हमारी सक्रिय रूप से सहायता करेंगे।

इस सम्मेलन में पहली बार देश के विभिन्न नगर राज भाषा कार्यान्वयन समितियों के अध्यक्ष और सदस्य सचिव आदि आये हैं। हिन्दी शिक्षण योजना के सर्वकार्यकारी अधिकारी भी देश के विभिन्न नगरों से आकर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। यहां में बता देना चाहूंगा कि देश के विभिन्न स्थानों में नियुक्त इन अधिकारियों से हिन्दी के राजभाषा के रूप में प्रगति में पिछले एक साल में विशेष रूप से सहयोग मिला है। इस सम्मेलन की उपलब्धियां इन अधिकारियों के व्यापक अनुभव के कारण अवश्य उपयोगी सिद्ध होगी।

अत्यधिक व्यस्त होते हुए भी माननीय गृह मंत्री जी तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री जी यहां आये हैं इससे हम सभी को हिन्दी के राजभाषा के रूप में कार्यान्वयन के काम में विशेष रूप से प्रेरणा मिलेगी। मैं आप लोगों का और अधिक समय न लेकर सचिव महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे आप लोगों के सम्मुख अपने विचार रखें।"

राजभाषा विभाग के सचिव श्री राजकुमार शास्त्री ने मंत्री महोदय और सम्मेलन में आमंत्रित प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए कहा--

"मैंने कुछ ही समय पूर्व राजभाषा विभाग के सचिव और भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार का पदभार ग्रहण किया है। आज मुझे मंत्री महोदयों, केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों के अधिकारीगण, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्षों तथा हिन्दी शिक्षण योजना के सर्वकार्यभारी अधिकारियों का यहां स्वागत करते हुए हर्ष और गौरव हो रहा है। मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों में हिन्दी का जितना भी प्रयोग हुआ है, वह आपके प्रयासों का परिणाम है। मैं इसके लिये आप सबको धन्यवाद देता हूं और अनुरोध करता हूं कि आपका सहयोग राष्ट्रीय महत्व के इस कार्य को करने में आगे भी मिलता रहेगा।

केन्द्रीय हिन्दी समिति के निर्णयानुसार हिन्दी का सर्वाधिक प्रयोग करने वाले मंत्रालयों/विभागों को हर वर्ष एक शील्ड तथा कई अन्य पुरस्कार दिये जाते हैं। यह योजना वर्ष 1979–80 से लागू की गई थी। सितम्बर, 1983 में हमने तीसरा शील्ड वितरण समारोह मनाया था, जिसमें 25 मंत्रालयों/विभागों ने भाग लिया था। इसके सम्बन्ध में यह बताना आवश्यक है कि इस समारोह में विजयी मंत्रालयों/विभागों के तीनों ही संयुक्त सचिव अहिन्दी भाषा भाषी थे। आज हम उसी क्रम में चौथा शील्ड समारोह मनाने जा रहे हैं। इसमें भी पुरस्कृत दो संयुक्त सचिव अहिन्दी भाषा भाषी हैं। हर वर्ष की भांति 1982–83 की इस चौथी शील्ड वितरण समारोह में राजभाषा विभाग हिन्दी का सर्वाधिक प्रयोग करने वाले मंत्रालय/विभाग को शील्ड और पदक, तथा उनके सम्बधित अधिकारियों/कर्मचारियों को नकद राशि द्वारा पुरस्कृत कर रहा है, जिन्होंने बड़े स्वाभिमान से अनेक कठिनाइयों के होते हुए भी भारत के संविधान एवं राजभाषा अधिनियम, 1963 के प्रावधानों को नियमानुसार कार्यान्वित किया है। मुझे पता चला है कि इस प्रकार के समारोह में मंत्रालयों/विभागों में राजभाषा के काम को बढ़ाने में प्रोत्साहन मिला है, उनमें हिन्दी में काम करने की स्पर्धा जगी है, हिन्दी प्रयोग का अनुकूल वातावरण बना है। मैं कामना करता हूं जिस सद् उद्देश्य को लेकर हम यहां एकत्र हुए हैं, वह पूरी तरह से सफल हो।

30 मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त आंकड़ों के मूल्यांकन के आधार पर निम्न क्रम से शील्ड आदि पुरस्कार देने का निर्णय राजभाषा विभाग द्वारा लिया गया है :—

1. प्रथम पुरस्कार	शील्ड	खान विभाग
2. द्वितीय पुरस्कार	ट्राफी	पूर्ति विभाग
3. तृतीय पुरस्कार	ट्राफी	विधायी विभाग

उपर्युक्त तीन पुरस्कारों के अतिरिक्त 5 प्रोत्साहन पुरस्कार देने का निर्णय लिया गया है। प्रोत्साहन के रूप में निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों को एक एक छोटी ट्राफी देने का निर्णय लिया गया है :—

1. इलैक्ट्रानिकी विभाग
2. गृह मंत्रालय
3. समाज कल्याण मंत्रालय
4. पुनर्वास विभाग
5. रक्षा मंत्रालय

राजभाषा विभाग ने यह भी निर्णय लिया है कि प्रथम तीन स्थानों पर आने वाले मंत्रालयों/विभागों के तीन अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने अपने मंत्रालय/विभाग में हिन्दी में सर्वाधिक कार्य करने के लिये प्रोत्साहन के रूप में पदक एवं राशि भी प्रदान की जाए।

केन्द्रीय हिन्दी समिति राजभाषा विभाग की नीति निर्णायक समिति है। प्रधान मंत्री जी इसकी अध्यक्षा हैं। इनके द्वारा दिये गये नीति सम्बन्धी निदेशों को मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों की राजभाषा कार्यान्वित समितियां क्रियान्वित करती हैं। भारत के प्रमुख बड़े बड़े नगरों में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां कार्यालयों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के कार्य की समीक्षा करती हैं। इस प्रकार नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का नगर स्तर पर राजभाषा के प्रचार, प्रसार और प्रयोग का उत्तरदायित्व इतना बढ़ जाता है कि इस विशाल कार्य को पूरा करते समय कुछ समस्यायें आती हैं। इसी प्रकार हिन्दी शिक्षण योजना के सर्वकार्यभारी अधिकारी, जो हिन्दी, हिन्दी टंकण और हिन्दी आशुलिपि के प्रशिक्षण कार्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, को भी कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। शायद इसी वजह से राजभाषा हिन्दी का प्रगामी प्रयोग उतना नहीं हो रहा है, जितनी अपेक्षा की जाती है और राजभाषा विभाग से जारी किये गये वार्षिक कार्यक्रम और उसमें निहित लक्ष्यों की पूर्ति नहीं हो पा रही है। यहां तक कि "क" क्षेत्रों को हिन्दी में पत्र भेजने का लक्ष्य भी आज तक मंत्रालय/विभाग नहीं प्राप्त कर सके।

राजभाषा विभाग कार्यान्वयन के लिये सदैव सद्भावना और अनुनय विनय की नीति का अनुसरण करता रहा है, लेकिन यह शोचनीय है कि केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में इसके बावजूद भी सांविधिक एवं अधिनियम में दी गई धाराओं का पूरी तरह अनुसरण नहीं हो रहा है। अब जबकि वार्षिक कार्यक्रम (1984–85) आपके हाथों में है, मेरा अनुरोध है कि कृपया इस विषय पर आप गंभीरता से सोचें और विचार-विमर्श द्वारा यह तय करें कि निर्धारित लक्ष्यों को किस प्रकार पूरा किया जा सकता है।

मैं इस अवसर पर उपस्थित सभी महानुभावों का पुनः हार्दिक स्वागत करता हुआ इस समारोह की सफलता की कामना करता हूं।"

इस अवसर पर माननीय गृहमंत्री श्री प्रकाश चन्द सेठी ने राजभाषा विभाग द्वारा हिन्दी के कार्यान्वयन के लिये भारत सरकार की नीति के अनुसार किये गये प्रयासों की सराहना करते हुए कहा—

"भारत सरकार की चौथी राजभाषा शील्ड (1982–83), अन्य पुरस्कार वितरण और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के अध्यक्षों तथा हिन्दी शिक्षण योजना के सर्वकार्यभारी अधिकारियों के इस समारोह में शामिल होकर मैं हार्दिक हर्ष का अनुभव कर रहा हूं। इस समारोह से भारत सरकार के केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों के 60 से अधिक नगरों में स्थित कार्यान्वयन समितियों में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग के संबंध में उपलब्धियों और समस्याओं पर परिचर्चा का सुयोग मिल रहा है। मुझे पूरी आशा और विश्वास है कि इस समारोह से हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में अपनाई गई नीति का स्पष्टीकरण होगा और ऐसे कदम उठाए जायेंगे, जिससे हिन्दी की राजभाषा के रूप में प्रगति हो।

राजभाषा सम्मेलन एवं शील्ड वितरण समारोह के अवसर पर आमन्त्रित अतिथियों को सम्बोधित करते हुए माननीय गृह मंत्री श्री प्रकाश चन्द सेठी। उनके बायीं ओर हैं सूचना प्रसारण मंत्री श्री हरि किशन लाल भगत तथा श्री देवेन्द्र चरण मिश्र संयुक्त सचिव (रा० भा०) और बायीं ओर हैं श्री राज कुमार शास्त्री, सचिव राजभाषा एवं भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार।

इस समय भारत वर्ष के 60 बड़े बड़े नगरों में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां कारगर हैं। केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति तथा मंत्रालय और विभागों की राजभाषा कार्यान्वयन समितियां राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबन्धों के अनुपालन में लगी हुई हैं। हिन्दी सलाहकार समितियों का भी सक्रिय योगदान 30 मंत्रालयों में मिल रहा है। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के हिन्दी के प्रशिक्षण के संबंध में विभाग द्वारा समय समय पर जो आदेश जारी किए गए हैं, उनकी समीक्षा भी इन समितियों के द्वारा की जाती है। अभाग्यवश इसके बावजूद भी हिन्दी की राजभाषा के रूप में उतनी प्रगति नहीं हुई, जितनी सांविधिक एवं विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में सरकार द्वारा अपेक्षा की जाती है। इसका कारण मुख्यतः केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों में वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार बनाए गए लक्ष्यों को पूरा करने में उदासीनता है। मंत्रालयों/विभागों में जो भी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी होता है, उससे यह आशा की जाती है कि वह इस कार्य की जिम्मेदारी को निभाएगा, क्योंकि उसके द्वारा दिया गया दिशा निर्देश उसके अपने मंत्रालय में नीति के कार्यान्वयन की दिशा में सफलता का द्योतक है। अभाग्यवश ऐसा नहीं हुआ है। इस दिशा में यह विचारना हम सब का कर्त्तव्य हो जाता है कि राजभाषा संबंधी आदेशों का किस प्रकार भली-भांति कार्यान्वयन हो सकता है। इस कार्य को पूरा करने के लिए हमारे मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों के कर्मचारी और अधिकारी, दोनों ही उत्तरदायी हैं। उसमें संदेह नहीं कि विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं पर प्रावधानों के पूर्णरूपेण कियान्वयन न होना एक चिन्ता का विषय है। ऐसी स्थिति में मैं यह अनुरोध करूंगा कि कर्त्तव्य-निष्ठ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नाते इस महत्वपूर्ण कार्य को ठीक प्रकार से समुचित ध्यान देकर करें। मुझे पूरी आशा है कि हिन्दी का राजभाषा के रूप में प्रचार और प्रसार अपेक्षित मात्रा में तभी हो सकेगा। जो कार्य करता है, उसके सामने कठिनाइयां आती हैं, और थोड़ी परेशानियां भी हो सकती हैं। लेकिन यदि हम सबके सहयोग से आगे बढ़ेंगे तो हमें पूरा विश्वास है कि हम सब लड़खड़ायेंगे नहीं और मंजिल पर पहुंचने में सफल होंगे।

राजभाषा के कार्यान्वयन के लिए हमारी नीति अनुनय-विनय की है, सद्भावना सहयोग की है। देश की 70 प्रतिशत से अधिक जनता के लिए भाषा के रूप में कार्य कर रही हिन्दी भाषा का राजभाषा के रूप में कार्यान्वयन अपेक्षित मात्रा में न हो पाने के कारण पिछले वार्षिक कार्यक्रम को 1984-85 में भी दुहराया जा रहा है। चूंकि निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, हमारा यह कर्त्तव्य हो जाता है कि इस राष्ट्रीय महत्व के काम में लगे हुए सभी अधिकारी और कर्मचारी इसका ज्ञान हासिल करें और अन्य नियमों और कानूनों की भांति राजभाषा अधिनियम और कानूनों का भी उसी निष्ठा से पालन करें, तभी राजभाषा की बढ़ोतरी से जनता को सुविधा होगी और हमारी राष्ट्रीयता को बल मिलेगा। धारा 10(4) में अधिसूचित कार्यालयों में धारा 8(4) के अनुपालन में केवल हिन्दी में कार्य करना आवश्यक है। यदि आपको कोई कठिनाई है तो राजभाषा विभाग से सम्पर्क करें। जहां यह सांविधानिक आवश्यकता है, वहां संसद द्वारा पारित अधिनियम का सटीक कार्यान्वयन एक महत्वपूर्ण कर्त्तव्य है, जिसमें सक्रिय योगदान देने के लिए केन्द्रीय सरकार के आप सभी कर्मचारियों/अधिकारियों को मैं आज आमंत्रित करता हूं।"

सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री हरि किशन लाल भगत ने अपने इस विचार पर बल देते हुए कि "अंग्रेजी में काम करने की कुछ आदत बन गयी है, इसलिए हिन्दी जानने वाले भी हिन्दी में काम नहीं करते" कहा—

"मैं सबसे पहले उन लोगों को, जिनको पुरस्कार बाद में दिये जायेंगे, बधाई देना चाहता हूं। किसी भी भाषा का तभी प्रचार हो सकता है, जब उसका इस्तेमाल विभिन्न क्षेत्रों में किया जाये। वास्तव में भारत सरकार यह चाहती है कि भारत की सभी भाषायें फूलें-फलें। देश की एकता-स्तर में हिन्दी भाषा उपयोगी है।

स्वाधीनता के बाद भारत सरकार ने हिन्दी को बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाये हैं जैसे कि प्रशासनिक शब्दावली का निर्माण एवं प्रकाशन, मैनुअलों का अनुवाद तथा भारत सरकार की देख-रेख में किया जा रहा साहित्य का अनुवाद। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि यदि भाषा का प्रयोग न किया जाये तो उसका विकास रुक जाता

है। हिन्दी के प्रयोग का अधिक महत्व है। दफ्तरों के कामकाज में इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। परन्तु सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हिन्दी में जो काम-काज नहीं कर सकते उन्हें असुविधा न हो। हिन्दी का प्रयोग अधिकाधिक किया जाना चाहिए।

मेरा विचार है कि अंग्रेजी में काम करने की कुछ आदत बन गयी है इसलिये हिन्दी जानने वाले भी हिन्दी में काम नहीं करते। वैसे मैंने कुछ जगह देखा है कि अंग्रेजी में ही भाषण किये जाते हैं, जब कि सब लोग हिन्दी बोल सकते हैं। सरकारी काम-काज में प्रयोग की जाने वाली भाषा सरल होनी चाहिए। भाषा जनता की बोलचाल की होनी चाहिए। कठिन भाषा से उसकी शक्ति कम हो जाती है।

मुझे याद है कि जब मैं आवास और निर्माण मंत्रालय में गया तो वहां दफ्तर के लोगों ने मुझे एक भाषण अंग्रेजी में लिखकर दिया। मैंने उस पर नोट लिख दिया —कृपया इसका हिन्दी में अनुवाद किया जाए। भारत सरकार के दफ्तरों के लिए राजभाषा विभाग की शील्ड योजना सराहनीय है। मुझे पूरा विश्वास है कि इससे हिन्दी में काम करने को प्रोत्साहन मिलेगा।

कुछ थोडा-सा मैं अपने मंत्रालय के बारे में कहना चाहूंगा। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि मेरे मंत्रालय में भी जो प्रगति होनी चाहिए, नहीं हो रही है परन्तु मेरा मंत्रालय हिन्दी में अधिकाधिक काम करने का प्रयास कर रहा है। कई जगह मैंने देखा कि हिन्दी में कार्य करने में देरी होती है। हम कोशिश में हैं कि इस कठिनाई को दूर किया जाये।

हमारे गृह मंत्री जी इसमें बहुत दिलचस्पी लेते हैं, यद्यपि सब लोग अच्छा काम करते हैं। दूसरे नगरों में हिन्दी में अच्छा काम करने से हिन्दी का प्रयोग बढ़ता है। अंग्रेजी को जरूर छोड़ा जा सकता है। जिस तरह का हमारा देश है, उसे ध्यान में रखते हुए लोगों को थोड़ा अंग्रेजी को कम करना पड़ेगा। हमारी कोशिश है कि रेडियो, टेलीविजन के जरिये हिन्दी के प्रयोग से हिन्दी को आगे बढ़ायें परन्तु आकाशवाणी और दूरदर्शन पर अंग्रेजी की उपेक्षा नहीं की जा सकती। हमारी जो दूसरी भाषायें हैं, वह काफी आगे बढ़ रही हैं। हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं के बीच कोई टकराव नहीं है।

मुझे खुशी है कि राजभाषा विभाग अच्छा काम करता है और पुरस्कार देता है। मैं बधाई देता हूं। अन्य विभाग भी हिन्दी का अधिक काम करके इस तरह के पुरस्कार लोगों को दें।"

माननीय मंत्री जी से पुरस्कार ग्रहण करते हुए :—

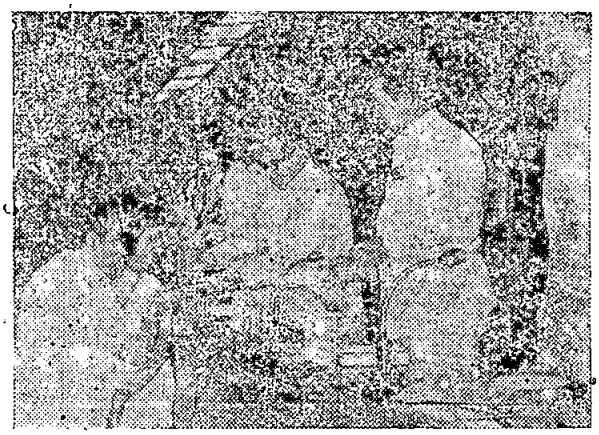

श्री हर्षवर्धन गोस्वामी, संयुक्त सचिव (प्रथम), गृह मंत्रालय।

श्री एस० घोष, संयुक्त सचिव, इलेक्ट्रानिकी विभाग,।

सम्मेलन का प्रारम्भ पुरस्कार वितरण से हुआ। भारत सरकार के 30 मंत्रालयों/विभागों में से तीन ऐसे विभागों को चुना गया था जिनमें पिछले वर्ष राजभाषा के कार्यान्वयन में सबसे अधिक प्रगति की, उन्हें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार दिए गए। इसके अतिरिक्त 5 मंत्रालयों को प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया। शील्ड के साथ ही प्रथम तीन मंत्रालयों के तीन अधिकारियों को हिन्दी में काम करने और राजभाषा के रूप में प्रयोग बढ़ाने के लिए नकद पुरस्कार भी दिए गए—

प्रथम पुरस्कार राजभाषा शील्ड — खान विभाग

(1) नकद पुरस्कार विजेता श्री रु० 500/—
शारदा प्रसन्न सिंह, संयुक्त
सचिव।

राजभाषा सम्मेलन एवं शील्ड वितरण समारोह के अवसर पर माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री हरि किशन लाल भगत से पुरस्कार ग्रहण करते हुए :—

श्री पी० एस० हरिहरन, संयुक्त सचिव, (पूर्ति विभाग)।

माननीय मंत्री जी से पुरस्कार ग्रहण करते हुए :—

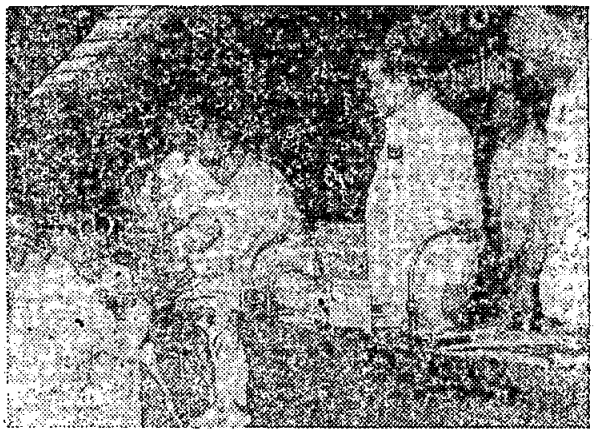

श्री एन० आर० सुब्रह्मण्यन, संयुक्त सचिव, विधायी विभाग।

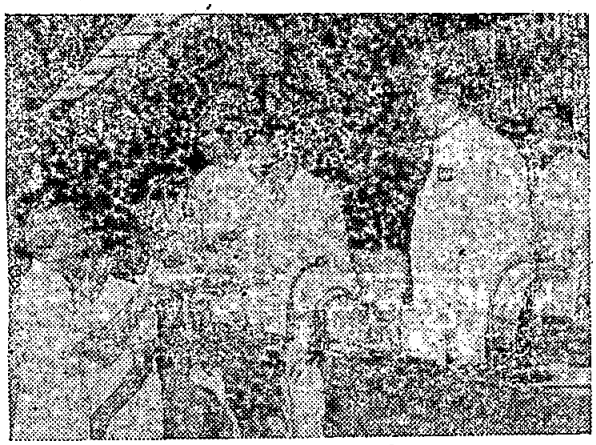

श्री सी० आर० महाजन, अवर सचिव, (पूर्ति विभाग)।

श्री राम किशन, बिक्री सहायक, विधायी विभाग।

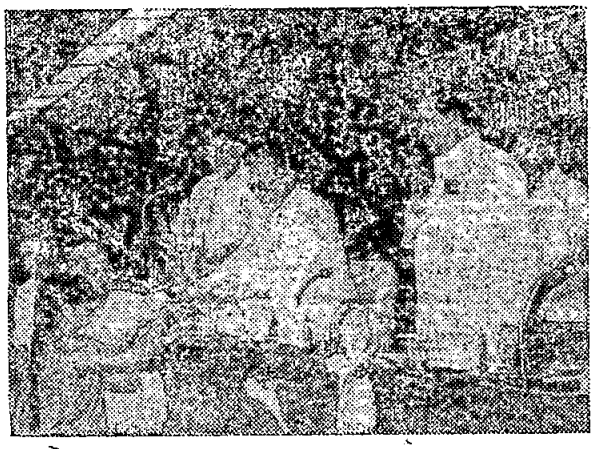

श्रीमती सुषमा शर्मा, अवर श्रेणी लिपिक, (पूर्ति विभाग)।

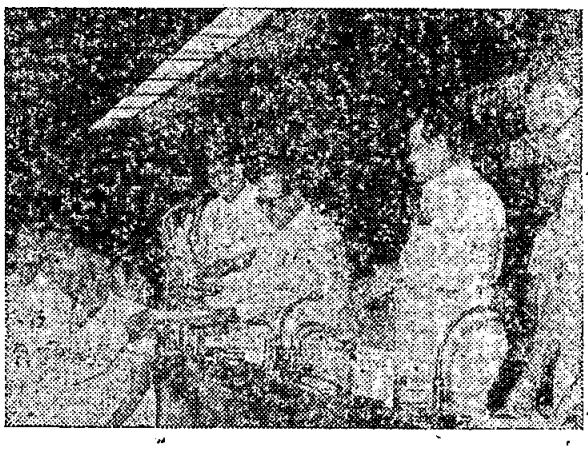

श्री ए० एन० तनवर, उच्च श्रेणी लिपिक, विधायी विभाग।

(2) नकद पुरस्कार विजेता श्री रु० 300/—
डी०के० आचार्य, निदेशक ।

(3) नकद पुरस्कार विजेता श्री रु० 200/—
श्री राम शर्मा, अनुभाग अधिकारी ।

द्वितीयपुरस्कार ट्राफी—पूर्ति विभाग

(1) नकद पुरस्कार विजेता श्री रु० 400/—
पी०एस० हरिहरन, संयुक्त सचिव ।

(2) नकद पुरस्कार विजेता श्री रु० 300/—
सी० आर० महाजन, अवर सचिव ।

(3) नकद पुरस्कार विजेता श्रीमती रु० 200/—
सुषमा शर्मा, अवर श्रेणी लिपिक ।

तृतीय पुरस्कार ट्राफी—विधायी विभाग

(1) नकद पुरस्कार विजेता श्री रु० 400/—
एन०आर० सुब्रहमण्यन, संयुक्त सचिव ।

(2) नकद पुरस्कार विजेता श्री राम रु० 300/—
किशन, बिक्री सहायक ।

(3) नकद पुरस्कार विजेता श्री रु० 200/—
ए०एन० तनवर, उच्च श्रेणी लिपिक ।

प्रोत्साहन पुरस्कार—पदक

(1) गृह मंत्रालय
(2) इलैक्ट्रानिकी विभाग
(3) समाज कल्याण मंत्रालय
(4) पुनर्वास विभाग
(5) रक्षा मंत्रालय

मंत्रालयों एवं विभागों के अतिरिक्त हमारे देश के 60 प्रमुख नगरों में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां बनाई गई हैं जो हिन्दी के राजभाषा के रूप में प्रगति के लिये निरन्तर प्रयास कर रही हैं । इस वर्ष भारत सरकार ने यह निर्णय लिया हैं कि सब से अच्छा कार्य का सम्पादन जिस समिति द्वारा हुआ है उससे संबंधित अधिकारियों को प्रोत्साहन स्वरूप कुछ पुरस्कार दिया जाए :—

श्रेष्ठतम निष्पादन ट्राफी	इलाहाबाद नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति ।
(1) नकद पुरस्कार	अध्यक्ष, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, इलाहाबाद । श्री सी० डी० बासु, आयकर आयुक्त, रु० 1000/—
(2) नकद पुरस्कार	सदस्य सचिव, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, इलाहाबाद । श्री हरि ओम श्रीवास्तव, रु० 700/—
(3) नकद पुरस्कार	कुमारी आरती श्रीवास्तव, आयकर अधिकारी, इलाहाबाद, रु० 500/—

श्री सी० डी० बासु, अध्यक्ष, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, एवं आयकर आयुक्त, इलाहाबाद, पुरस्कार ग्रहण करते हुए ।

कुमारी आरती श्रीवास्तव, आयकर अधिकारी, इलाहाबाद, पुरस्कार ग्रहण करते हुए ।

अपराह्न में सम्मेलन के द्वितीय सत्र में राजभाषा के कार्यान्वयन के विभिन्न पक्षों पर विचार विनिमय हुआ ।

6. पूर्ति विभाग में हिन्दी की प्रगति

सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग की दृष्टि से पूर्ति विभाग अग्रणी रहा है। भारत सरकार की राजभाषा सम्बन्धी नीति के अनुसरण में तथा राजभाषा विभाग द्वारा जारी की गई हिदायतों के अनुपालन में इस विभाग में हिन्दी के प्रयोग में सराहनीय प्रगति हुई है।

1. राजभाषा शील्ड

पिछले दो वर्षों (अर्थात 1980–81 और 1981–82) में हर वर्ष भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों की तुलना में सरकारी कामकाज में हिन्दी के सर्वाधिक सराहनीय प्रयोग के लिए, प्रथम स्थान प्राप्त करने पर राजभाषा विभाग द्वारा इस विभाग को राजभाषा शील्ड प्रदान की गई। विभाग के संयुक्त सचिव, उप निदेशक (हिन्दी) तथा वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक को भी राजभाषा पदक प्रदान किये गए। वर्ष 1979–80 में हिन्दी का पर्याप्त प्रयोग करने के लिए पुरस्कार के रूप में ट्राफी प्रदान की गई थी। इस वर्ष फिर से, इसे 1982–83 के लिए द्वितीय पुरस्कार के रूप में ट्राफी प्रदान की गई है।

2. हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन

पूर्ति विभाग तथा इसके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के कर्मचारियों को हिन्दी में नोटिंग-ड्राफ्टिंग का प्रशिक्षण देने के लिए और उसका अभ्यास कराने के लिए गत कई वर्षों से हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। पूर्ति विभाग (सचिवालय), पूर्ति और निपटान महानिदेशालय तथा मुख्य लेखा नियंत्रक के कार्यालय में हिन्दी कार्यशालाओं के अबतक दस सत्र पूरे हो चुके हैं। उनमें लगभग 408 कर्मचारी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। उनमें से कई कर्मचारी अपने सरकारी कामकाज में अपनी इच्छा से हिन्दी का यथासंभव प्रयोग कर रहे हैं।

3. राजभाषा कार्यान्वयन समितियां

पूर्ति विभाग के मुख्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। पूर्ति और निपटान महानिदेशालय, मुख्य लेखा नियंत्रक का कार्यालय तथा राष्ट्रीय परीक्षण शाला के मुख्यालयों में तथा उनके क्षेत्रीय कार्यालयों में भी राजभाषा कार्यान्वयन समितियां कार्यरत हैं।

4. हिन्द सलाहकार समिति

गत पांच वर्षों से पूर्ति विभाग की हिन्दी सलाहकार समिति की बैठकें माननीय पूर्ति मंत्री की अध्यक्षता में नियमित रूप से हो रही हैं।

5. निरीक्षण दल का गठन

हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक में लिये गए निर्णय के अनुसार पूर्ति विभाग के विभिन्न कार्यालयों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग में हुई प्रगति का निरीक्षण करने के लिए एक निरीक्षण दल का गठन किया गया है, जिसमें एक संसद सदस्य, एक साहित्यकार, विभाग के संयुक्त सचिव तथा उप निदेशक (हिन्दी) शामिल किए गए हैं। इस दल ने विभाग के कार्यालयों में प्रगति के निरीक्षण का कार्य प्रारम्भ कर दिया है।

6. शील्ड योजना

राजभाषा विभाग की शील्ड योजना के अनुसार ही, इस विभाग में भी शील्ड योजना चलाई गई है। पूर्ति विभाग के जिस भी कार्यालय में वर्ष भर में सरकारी कामकाज के लिए हिन्दी का सबसे अधिक प्रयोग होगा, उसी कार्यालय को यह शील्ड प्रदान की जाएगी और दूसरे स्थान पर आने वाले कार्यालय को ट्राफी दी जाएगी। आशा है इसके परिणाम हिन्दी के प्रसार के लिए लाभकारी होंगे।

7. नकद पुरस्कार योजना

इस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को सरकारी कामकाज हिन्दी में करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए नकद पुरस्कार योजना चलाई गई है। इस योजना के अन्तर्गत सरकारी कामकाज हिन्दी में करने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को नकद पुरस्कार दिये जायेंगे। यह योजना विभाग के सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में भी सफलतापूर्वक चलाई जा रही है।

8. ठेके सम्बन्धी कागजों को अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी में भी जारी करना

राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अनुसरण में, पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के 5 अनुभागों से सम्बन्धित ठेकों तथा करार सम्बन्धी कागजात को अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी में भी जारी किया जा रहा है। यह कार्य 5 अन्य अनुभागों में भी शुरू किया जा रहा है।

9. चैक हिन्दी में जारी किया जाना

विभाग के मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यालय द्वारा अधिकारियों को तो चैक हिन्दी में जारी किये ही जा रहे हैं, कुछ फर्मों को भी हिन्दी में चैक जारी किये जा रहे हैं।

10. अनुभागों में हिन्दी का प्रयोग

पूर्ति विभाग के मुख्यालय और उसके सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में अनेक कर्मचारी अपनी इच्छा से सरकारी कामकाज में हिन्दी का यथासंभव प्रयोग कर रहे है। राजभाषा विभाग द्वारा प्रकाशित 1984–85 के लिए वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्यों को पूरा करने का इस विभाग का पूरा प्रयास है।

11. पारिभाषिक शब्दावली का प्रकाशन

पूर्ति विभाग (मुख्यालय) और उसके अन्य सभी अधीनस्थ कार्यालयों के प्रयोग के लिए "सरकारी कामकाज शब्दावली" नाम की एक संक्षिप्त पारिभाषिक शब्दावली प्रकाशित की गई है। इसमें इस कार्यालय में प्रयुक्त होने वाले पारिभाषिक शब्दों तथा वाक्यांशों के हिन्दी रूप दिये गए हैं।

—डा० मदन लाल ओबराय
उपनिदेशक (पूर्ति) विभाग

विविधा :

1. आकाशवाणी, बम्बई में प्रथम हिन्दी कार्यशाला समापन समारोह

आकाशवाणी, बम्बई ने पहली बार हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया। इसका समापन समारोह दिनांक 20-1-1984 के अपराह्न में किया गया। समारोह के अध्यक्ष थे केन्द्र निदेशक श्री एस० कृष्णन तथा विशेष अतिथि थे पश्चिम क्षेत्र कार्यालय, बम्बई के उपमहानिदेशक श्री आर० एस० भोले।

कार्यशाला की सफलता इसी से मानी जा सकती है कि प्रशिक्षार्थी श्रीमती भुवड ने पहली बार हिन्दी में भाषण दिया। उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला में प्रशिक्षण के कारण उन्हें हिन्दी में काम करने का आत्म विश्वास पैदा हुआ है, जिसके कारण अब वे किसी भी प्रकार के काम को आसानी से कर सकते हैं। उनका सुझाव था कि कार्यशाला में प्रशिक्षण की अवधि एक घंटा के बजाय 3 घंटे की हो, जिससे प्रशिक्षार्थियों को अच्छी तरह से अभ्यास कराया जा सके।

इस अवसर पर श्रीमती मेघा तथा श्रीमती राजशती ने भी अपने विचार व्यक्त किये। सभी वक्ताओं का मत था कि इस प्रकार की कार्यशाला का लाभ बड़ा व्यावहारिक होता है और राजभाषा हिन्दी में कार्य करने के लिए आत्म-विश्वास बढ़ता है। इस प्रकार की कार्यशालाओं का आयोजन होता ही रहना चाहिए।

इस समारोह में कार्यशाला के प्रशिक्षित बम्बई केन्द्र के कर्मचारियों को श्री आर० एस० भोले द्वारा प्रमाण-पत्र वितरित किये गये। श्री भोले ने अपने भाषण में कहा कि बम्बई केन्द्र हमेशा हर कार्य में पहले नम्बर पर रहा है और इस केन्द्र में प्रथम हिन्दी कार्यशाला का आयोजन करके भारत के आकाशवाणी केन्द्रों में एक रिकार्ड स्थापित किया है। इस कार्य के लिए उन्होंने हिन्दी अधिकारी को हार्दिक बधाई दी।

कार्यशाला के व्याख्याता श्री अमर चतुर्वेदी का कहना था कि कार्यशाला की वजह से निश्चय ही यहां हिन्दी का वातावरण बना है, लेकिन इसके लिए कार्यालय के उच्च अधिकारियों द्वारा सरकारी कामकाज हिन्दी में करने की पहल होनी चाहिए, इसके फलस्वरूप अधीनस्थ कर्मचारियों को प्रेरणा मिले।

हिन्दी अधिकारी ने बताया कि कार्यशाला में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए लगभग 25 आवेदन प्राप्त हुए थे, और प्रशिक्षणार्थियों का चुनाव करने के लिए मूल्यांकन समिति गठित की गई थी और इस समिति ने प्राप्त आवेदनों में से उन 10 कर्मचारियों को चुना, जिनको फाइल वर्क एवं नोटिंग-ड्राफ्टिंग करनी पड़ती है। इस प्रकार प्रशासन अनुभाग, लेखा अनुभाग और पी० ई० ए० अनुभाग तथा शालेय अनुभाग से कर्मचारियों का चुनाव किया गया। कार्यशाला में विभिन्न प्रकार के सरकारी दस्तावेजों, जैसे हिन्दी में आवेदन लिखना, तार के मसौदे तैयार करना, विभिन्न कार्यालय आदेश, टिप्पण फाइल कार्य, इन सबका अभ्यास कराया गया। इसके साथ-साथ इस बात का भी ध्यान रखा गया कि कितनों की इसमें रुचि है, यह जानने के लिए समय-समय पर कार्यशाला में टैस्ट भी लिये गये। यह पाया गया कि ये कर्मचारी बेहद कान्फीडेन्स से उसमें काम करते हैं और यही कारण था कि इन सभी प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण-पत्र दिये गये। इस तरह कार्यशालाएं भविष्य में आयोजित किये जाने के बारे में फरवरी, 1984 में आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 'तिमाही बैठक' में एक विस्तृत योजना सदस्यों के विचार-विमर्श के बाद तैयार की जाएगी।

हिन्दी अधिकारी ने नई जानकारी देते हुए बताया है कि बम्बई केन्द्र ने दिनांक 8-12-83 को हिन्दी कार्यशाला के संदर्भ में आयोजित मूल्यांकन समिति की बैठक में यह प्रस्ताव पेश किया कि **ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हिन्दी का काम करने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहन देने हेतु उनकी पर्सनल फाइल तथा गोपनीय रिपोर्ट में इसकी एण्ट्री की जाये।**

हिन्दी कार्यशाला में आमंत्रित विशेषज्ञ विद्वानों की फीस निर्धारित करने के सम्बन्ध में आकाशवाणी महानिदेशालय, नई दिल्ली को स्मरणपत्र भेजा गया है।

इस समारोह में राजभाषा अधिकारी श्री आसकरण शर्मा स० कें० नि० श्री परमार, प्र० अ० श्री टोपीवाला, प्र० लि० श्री सावंत, श्री माणगावकर, श्री खाडिलकर, ड्यूटी आफीसर श्री पाटिल तथा कार्यक्रम नि० श्री म्हस्के, श्री निराला विस्तार अधिकारी श्री सनदी तथा केन्द्रीय विक्रय एकांश के श्री दुबे उपस्थित थे।

2. राष्ट्रीयकृत बैंक हिन्दी अधिकारी संगम

नई दिल्ली, दिनांक 22 फरवरी, 1984, स्थानीय प्रेक्षागृह में राष्ट्रीयकृत बैंक हिन्दी अधिकारी संगम द्वारा हिन्दी के प्रचार-प्रसार को दृष्टि में रखते हुए सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के निदेशक श्री राजमणि तिवारी ने की। उन्होंने अध्यक्ष पद से

भाषण करते हुए आशा व्यक्त की कि संगम का सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए हिन्दी के प्रचार-प्रसार में योगदान सराहनीय है। उन्होंने हर्ष व्यक्त किया कि बैंकों में हिन्दी का प्रयोग पिछले एक दशक से हो रहा है और इसमें उल्लेखनीय प्रगति हुई है। उन्होंने बताया कि आज बैंकों की भूमिका देश के आर्थिक विकास, जनता की सेवा और विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान में अत्यन्त महत्वपूर्ण हो गई है। जनता की सेवा जनता की भाषा में ही बेहतर की जा सकती है और यही संगम का लक्ष्य है, जो सराहनीय है।

मुख्य अतिथि के रूप में पधारे दैनिक हिन्दुस्तान के संपादक श्री विनोद मिश्र ने संगम के निर्दिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मंगल कामना की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि हिन्दी अधिकारियों का यह संगठन हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए सतत् प्रयत्नशील रहेगा।

कार्यक्रम का शुभारम्भ "संगम" के परिचय के साथ दिया गया। राष्ट्रीय कृत बैंक हिन्दी अधिकारी संगम राष्ट्रीयकृत बैंकों में कार्यरत हिन्दी अधिकारियों का एक ऐसा मंच है, जिसका गठन बैंकों में राजभाषा के प्रचार-प्रसार और राजभाषा के कार्यान्वयन में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने में सामूहिक प्रयास करने के उद्देश्य से किया गया है।

इस अवसर पर विभिन्न मंचों से संबद्ध कलाकारों एवं बैंक के कर्मचारियों द्वारा विभिन्न बैंकों के कार्यपालकों, विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों, सामान्य जन एवं गणमान्य जाने-माने अतिथियों एवं हिन्दी प्रेमियों के समक्ष सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए।

इन कार्यक्रमों में मुख्य आकर्षण रहे श्रीमती सुधा श्रीवास्तव की गजलें, महाराष्ट्र का लोक-नृत्य, सामूहिक नृत्य "ओडिसी" अन्य कलाकारों द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम की भी दर्शकों ने सराहना की। इन्हीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ समारोह का समापन किया गया।

3. स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया, आगरा में राजभाषा सप्ताह

दिनांक 28 मार्च, 1984--सरकारी कामकाज में रुचि उत्पन्न करने के लिए तथा प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया, आगरा ने अपने यहां 26, 27 एवं 28 मार्च, 84 को राजभाषा सप्ताह का आयोजन किया जिसका उद्घाटन नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सचिव व आयकर विभाग के हिन्दी अधिकारी श्री रामचन्द्र मिश्र द्वारा किया गया। इस सप्ताह का संचालन श्री बी० एन० कपूर, शाखा प्रबन्धक के निर्देशन में श्री पी० सी० सक्सेना प्रभारी अधिकारी हिन्दी द्वारा किया गया। इस सप्ताह के दौरान उत्साहवर्द्धक विभिन्न प्रतियोगिताएं हिन्दी नोटिंग ड्राफ्टिंग प्रतियोगिता, हिन्दी प्रस्ताव लेखन प्रतियोगिता, हिन्दी वाद-विवाद प्रतियोगिता और हिन्दी अन्त्याक्षरी प्रतियोगिता आदि आयोजित की गई। इन प्रतियोगिताओं में कारपोरेशन के विभिन्न कर्मचारियों ने सक्रियता से भाग लिया। प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रतियोगियों को आयकर विभाग के हिन्दी अधिकारी श्री रा० च० मिश्र द्वारा पुरस्कार वितरित किए गए।

समारोह के अवसर पर श्री कपूर ने कारपोरेशन में फरवरी, 84 से प्रारम्भ की गई हिन्दी सम्बन्धी विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं पर भी प्रकाश डाला जिनके अन्तर्गत हिन्दी में काम करने पर 250 रु० की प्रोत्साहन राशि, हिन्दी आशुलिपिक का कार्य करने वाले आशुलिपिकों को 50 रु० प्रतिमास की प्रोत्साहन राशि और हिन्दी टाईपिंग का कार्य करने के लिए अवर सहायकों को 30 रु० प्रतिमास की प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा सर्व श्रेष्ठ हिन्दी कार्यकर्ता को 500 रु० का विशेष-पुरस्कार 12 महीने की अवधि पूरी होने पर दिया जाएगा।

इस समारोह के समापन के अवसर पर श्री वि० रा० गोयल, हिन्दी शिक्षण योजना, आगरा, श्री उपेन्द्र नारायण सेवक पाण्डेय (केनरा बैंक), श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा (ओरियण्टल फायर इन्श्यूरेंश), डा० शिवशंकर शर्मा (सी० ओ० डी० आगरा एवं प्रतिनिधि नगर समन्वय समिति केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद्) डा० राम प्रकाश शर्मा (न्यू इण्डिया इन्श्यूरेंश कम्पनी) भी उपस्थित थे और उन्होंने अपने विभाग में हो रही हिन्दी प्रगति और केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् का संक्षिप्त परिचय दिया। सभी वक्ताओं का यही कथन था कि हिन्दी हम सब की भाषा है वह किसी क्षेत्र प्रदेश की भाषा नहीं और इसी कारण उसे राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा का दरजा दिया गया है। हम सबका यह दायित्व है कि उसे सरकारी कामकाज की भाषा बनाने में अपना योगदान प्रदान करें। हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग करना ही हमारा योगदान होगा। इस प्रकार के आयोजन कर्मचारियों व अधिकारियों में हिन्दी के प्रति रुचि उत्पन्न करेंगे।

पी० पी० सक्सेना, प्रभारी अधिकारी, हिन्दी

4. बैंक आफ इण्डिया में राजभाषा सेमीनार

बैंक ऑफ इंडिया के नागपुर स्थित आंचलिक कार्यालय के राजभाषा कक्ष द्वारा रविवार, दिनांक 4-3-84 को कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के लिए एक-एक दिवसीय हिन्दी सेमिनार का आयोजन किया गया था। इस सेमिनार के आयोजन का उद्देश्य वरिष्ठ अधिकारियों को भारत सरकार की राजभाषा नीति, संवैधानिक प्रावधानों, राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियमों आदि की विस्तृत जानकारी देना था। साथ ही हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के सम्बन्ध में विविध सांविधिक अपेक्षाओं तथा बैंक में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए उठाए जाने वाले विभिन्न कदमों की भी जानकारी देना था। इस सेमिनार का आयोजन नागपुर अंचल के राजभाषा कक्ष के प्रभारी अधिकारी श्री एस० पी० गर्ग "सुमन" द्वारा किया गया था।

इस सेमिनार में 12 वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। सेमिनार का उद्घाटन बैंक के नागपुर अंचल कार्यालय के आंचलिक प्रबन्धक श्री एस० एस० भांगी महोदय ने किया। अनुदेशकों में अंचल के राजभाषा अधिकारी श्री एस० पी० गर्ग "सुमन" के अतिरिक्त बैंक के मध्य प्रदेश अंचल के राजभाषा अधिकारी श्री डी० के० गोरख भी थे, साथ ही राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी, नागपुर के हिन्दी अधिकारी श्री राजकिशोर को अतिथि वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया था। इनके व्याख्यान का विषय था--"बैंक में हिन्दी के प्रयोग में प्रबन्धक-वर्ग की भूमिका"।

सेमिनार में सहभागियों ने बड़ी रुचि के साथ भाग लिया एवं उन्होंने सेमिनार को काफी उपयोगी, सार्थक एवं महत्वपूर्ण पाया।

5. जिंक स्मेल्टर, विशाखापत्तनम में राजभाषा सेमिनार

विशाखापट्टनम (आंध्र प्रदेश) स्थित जस्ता प्रद्रावक में इस द्वितीय वृहत राजभाषा सेमिनार का आयोजन खान विभाग के निर्देश पर उसके सरकारी उपक्रम, हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर ने 3–4 जनवरी, 1984 को किया जिसमें खान विभाग के अधीन 8 संगठनों में कार्यरत राजभाषा (हिंदी) अधिकारियों के अलावा तमिल, तेलुगु, मलयालम, बंगला आदि भाषा-भाषी अधिकारियों ने भी भाग लिया। राजभाषा सेमिनार का शुभारम्भ विख्यात तेलुगु विद्वान श्री वन्देमातरम् रामचन्द्र राव ने किया।

प्रसिद्ध स्वतन्त्रता सेनानी एवं अन्तर्राष्ट्रीय तेलुगु अध्ययन संस्था के अध्यक्ष श्री वंदेमातरम् रामचन्द्र राव ने कहा कि दक्षिण के प्रांतों में हिन्दी भाषा के प्रति आस्था बढ़ती जा रही है और यह कहना कि वहां की प्रजा हिन्दी के खिलाफ है, उचित नहीं है। तेलुगु संस्था के अध्यक्ष और राष्ट्र भाषा संघ के भूतपूर्व अध्यक्ष के नाते, व्यापक देशाटन के उपरांत उनके अनुभवों ने इस बात की पुष्टि की है।

श्री रामचन्द्र राव ने दुःख व्यक्त करते हुए कहा कि स्वतन्त्रता के पश्चात् देश में कोई भी भाषा व्यवहार में राजभाषा के स्तर तक नहीं पहुंच पायी है। करीबन सभी प्रांतों में सरकारी आदेश और अन्य काम आदि हिन्दी और प्रांतीय भाषा में न होकर सारा काम-काज अंग्रेजी में हो रहा है। श्री रामचन्द्र राव ने कहा कि हिन्दू, मौर्य, तथा मुगल आदि शासन काल में भी देशी भाषा को प्रमुखता मिली हुई थी। लेकिन आज हम अपने देश की भाषाओं को कहीं भी परिपूर्णत्व की स्थिति में नहीं देख पा रहे हैं और चारों ओर अंग्रेजी का बोलबाला देखने को मिल रहा है। श्री रामचन्द्र राव जी ने प्रतिनिधियों से कहा कि सत्य तो यह है कि भाषा प्रत्येक देश की संस्कृति तथा संप्रदायों की सामाजिकता का प्रतीक होती है। अपने मत की पुष्टि में उन्होंने श्रीमती महादेवी वर्मा का मत व्यक्त किया कि विदेशी भाषा की आड़ में हम अपने सिर को अधिक समय तक नहीं छिपा सकते।

श्री वन्देमातरम् जी ने कहा कि अहम बात यह है कि हमारी भाषाओं में जो आपसी एकता की कमी है, उसको दूर करने के उपाय किए जाएं। भाषा समारोहों की उतनी जरूरत नहीं है। उनका कहना था कि हिन्दी के साथ-साथ अन्य सभी भारतीय भाषाएं भी एक ही मातृमूर्ति हैं। तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलन की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे सम्मेलन हिन्दी के विकास में बाधक हैं। आज दुर्गति केवल हिन्दी की ही नहीं अपितु सभी भारतीय भाषाओं की दुर्गति हो रही है। तेलुगु को ही लीजिए। स्वयं आन्ध्र प्रदेश में ही तेलुगु भाषा को भी ग्रहण लग गया है। उन्होंने कहा कि जब हर एक प्रांत के उच्च अधिकारी प्रायः अंग्रेजी को ही बढ़ावा देते रहेंगे तो राष्ट्र में अन्य भाषाओं को प्रोत्साहन कैसे मिलेगा ? अंग्रेजी के कारण ही सभी भाषाएं आज उपेक्षित हैं इसके लिए हमारे सरकारी उच्चाधिकारी भी कम जिम्मेदार नहीं हैं। श्री रामचन्द्र राव ने कहा कि स्वतन्त्रता के पश्चात् विविध प्रांतों का एकीकरण भाषा के द्वारा नहीं, बल्कि सरदार पटेलजी के प्रयास के फलस्वरूप ही संभव हुआ था, जो आज प्रच्छन्न रूप में दिखायी देता है।

इस्पात और खान मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के संदस्य और सांसद श्री लाडली मोहन निगम ने मुख्य अतिथि के रूप में कहा कि समय की मांग है कि हिन्दी में अन्य भाषाओं के शब्दों को ग्रहण किया जाए। सभी प्रांतों के लोग हिन्दी जानते और समझते हैं, विशाखापट्टनम में आयोजित यह सम्मेलन इसका सबसे बड़ा प्रमाण है।

खान विभाग के वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी श्री जयवीर सिंह चौहान ने कहा कि भाषा "बहते नीर" के समान होती है और भारत भूमि पर प्रवहमान सभी भाषाओं के शब्दों का हिन्दी भाषा में सहज प्रयोग उसके रूप-सौष्ठव को चार चांद तो लगाएगा ही, साथ ही उसे सार्वभौमिकता का स्तर प्रदान करने में मदद मिलेगी। हमारा प्रयास इसी दिशा की ओर होना चाहिए।

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष श्री हरि विष्णु पालीवाल जी ने कहा कि हिन्दी प्रदेशों में हिन्दी भाषा के लिए प्रोत्साहन कार्यक्रम चलाना ठीक वैसा ही है जैसे कि "युनेस्को" संस्था के द्वारा कहलाना कि "मां का दूध ही सर्वश्रेष्ठ होता है।" उन्होंने रहस्योदघाटन किया कि आजादी मिलने तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासभाओं की कार्रवाई केवल हिन्दी में चलती थी और स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु समूचे देश को एकता के सूत्र में बांधने में हिन्दी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। लेकिन आजादी के बाद आज उसी हिन्दी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त करने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। व्यवहार में अभी भी अंग्रेजी को ही अग्रिम स्थान मिला हुआ है। अब समय आ गया है कि हिन्दी को अमल में लाने में जितनी भी बाधाएं हैं, उनको हटाने के पूरे प्रयास किए जाएं। उन्होंने यह भी बताया कि हिन्दुस्तान जिंक और उसकी सभी इकाइयों में हिन्दी और अंग्रेजी के साथ-साथ सभी प्रांतीय भाषाओं में भी यथा-आवश्यक विविध आदेश जारी किए जा रहे हैं।

समारोह के आरम्भ में अपने स्वागत भाषण में हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, विशाखापट्टनम के जिंक स्मेल्टर के महाप्रबन्धक श्री पी० पार्वतीशम ने इकाई में हिन्दी भाषा की अभिवृद्धि हेतु किए जा रहे कार्यों का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया। 4 जनवरी 1984 तक चलने वाले इस राजभाषा समारोह में प्रमुखतः खान विभाग के अधीन देश भर में फैले सभी संगठनों तथा विशाखापट्टनम स्थित केन्द्र सरकार के अन्य कार्यालयों के हिन्दी/अहिन्दी अधिकारियों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया।

(सामग्री : तेलुगु दैनिक अखबार "इनाडु" से साभार)।

जयवीर सिंह चौहान
वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी
खान विभाग

पुस्तक समीक्षा

"राजस्थान मंच" नामक साहित्यिक संस्था ने देश के मूर्धन्य विद्वान पंडित झाबरमल्ल शर्मा अभिनन्दन ग्रंथ प्रकाशित किया है। दस खंडों में विभाजित इस ग्रंथ में 36 लेखों के माध्यम से उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला गया है, जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :—

व्यक्तित्व

व्यक्तित्व खण्ड में चार लेख हैं और पांचवे में पण्डित जी को प्राप्त हुए महत्वपूर्ण पत्रों का संकलन है। पहले लेख में जीवन परिचय की प्रधानता है तो दूसरे में पण्डित जी के अवदान का मूल्यांकन। तीसरा लेख नहीं वस्तुतः पण्डित जी के साथ भेंट का टेप किया हुआ अभिलेख है। उससे पण्डित जी के जीवन के विविध पक्षों और उनके कार्यक्षेत्र के विविध आयामों का परिचय मिलता है। चौथे लेख में पण्डित जी की कृतियों का परिचय है। पांचवां लेख पण्डित झाबरमल्ल शर्मा को प्राप्त पत्रों का संकलन है। इससे उनके जीवन के विभिन्न आन्तरिक आयामों का परिचय मिलता है।

कृतित्व

जो लेखक सत्तर वर्षों से लेखनरत रहा हो और पत्रकारिता, इतिहास, भाषा, साहित्य, संस्कृति और दर्शन जैसे विविध क्षेत्रों में साधिकार लिखता रहा हो; गद्य ही नहीं पद्य लेखन में भी सिद्ध हस्त हो, उसके विशाल वाङ्मय में से सत्तर-बहत्तर पृष्ठों की प्रतिनिधि सामग्री का संकलन इस खण्ड में है। आरम्भ में चार लेख कहां तक पण्डित जी के पत्रकार का उद्घाटन कर पाए हैं यह तो वे वयोवृद्ध पाठक ही बता पाएंगे जो 'कलकत्ता समाचार' और 'हिन्दू संसार' के नियमित ग्राहक रहे, पर इन संकलित लेखों से एक संपादक के उत्कृष्ट चरित्र पर तो प्रकाश पड़ता ही है साथ ही, संपादक के रूप में पण्डित जी का एक स्पर्धायोग्य चित्र इनसे अवश्य उभरा है। पांचवां लेख तो खुदा और शैतान, राम और रावण की परम्परागत कथा का ही एक आधुनिक संस्करण है, स्वयं नायक की लेखनी से। पंडित जी के कृतित्व का दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इतिहास। इस क्षेत्र के दो लेख संकलित हैं जो शेखावाटी के इतिहास पर प्रभूत प्रकाश डालते हैं। ये दोनों ही लेख अब तक प्रकाशित नहीं हुए थे। इस दृष्टि से इनका विशेष महत्व है।

साहित्य

साहित्य खण्ड में भाषा, साहित्य और दर्शन से सम्बन्धित विविध विद्वानों के लेखों का संग्रह है। 'दर्शन' विषय का एक ही लेख इस खण्ड में शामिल किया गया है। लेख भी संस्कृत निबद्ध था और देववाणी की गरिमा को ध्यान में रखकर संस्कृत निबद्ध लेखों को पहले स्थान दिया गया तो दर्शन सम्बन्धी एकमात्र लेख को सबसे पहले रखा गया। दूसरे लेख राजस्थान में संस्कृत विद्या की परम्परा पर व्यापक प्रकाश डाला गया है। उसके बाद में तीन लेख संस्कृत वाङ्मय के तीन उद्भट आचार्यों की रचनाओं से सम्बन्धित हैं। देववाणीगत अन्तिम लेख कवि और काव्य की गरिमा से सम्बन्धित है। भाषा-साहित्य वाले खण्ड के हिन्दी विभाग का प्रथम लेख राजस्थानी भाषा के महारथी नरोत्तम स्वामी जी का है जिसमें राजस्थानी भाषा का सर्वांगपूर्ण परिचय समुपलब्ध है। दूसरे लेख से आधुनिक राजस्थानी साहित्य की पृष्ठभूमि पर व्यापक प्रकाश पड़ता है तो तीसरे से राजस्थान का भाट-चारण साहित्य के विशिष्ट काव्य शास्त्रीय पक्ष पर। चौथा लेख 'काव्य के स्वरूप' का सम्यक् उद्घाटन करता है और साहित्य की गरिमा के सभी आयामों का सम्पूर्ण विस्तार स्पष्ट करता है। उसके बाद के पांच लेख राजस्थान के पांच वरेण्य साहित्यकारों के उन पक्षों पर प्रकाश डालते हैं जो अब तक कदाचित उपेक्षित थे। इनमें प्रहादन देव सम्बन्धी लेख इस पक्ष पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालता है कि राजस्थान में संस्कृत काव्य लेखन की कितनी समृद्ध परम्परा रही है। राजस्थान के कवियों के प्रेरणा स्रोत मुख्यतः इतिहास प्रसिद्ध वीर रहे हैं अतः डा० बोरा ने महाराणा प्रताप से प्रेरणा प्राप्त कवियों के वाङ्मय से परिचय करवाकर एक अब तक अछूते पक्ष का उद्घाटन किया है। 'पृथ्वीराजरासो' का राजस्थान के साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है अतः एक सारगर्भित लेख इस पर भी है।

इतिहास

इतिहास खण्ड में सर्वप्रथम राजस्थान के प्रमुख इतिहासविदों का परिचय है तो उसके बाद मुगल काल के तीन प्रमुख इतिहास पुरुषों—प्रताप, जयसिंह और दुर्गादास—से सम्बन्धित विद्वतापूर्ण लेख हैं जो तीनों ही के विषय में नई दृष्टि से प्रचुर प्रकाश डालते हैं। उस काल की सैन्य व्यवस्था का परिचायक लेख भी एक अभाव की पूर्ति है।

संस्कृति

पण्डित जी की भावना के अनुरूप संस्कृति के विविध पक्षों पर 'संस्कृति' खण्ड में प्रकाश डाला गया है। स्वर्गीय डा० वासुदेव शरण अग्रवाल का अब तक अप्रकाशित भारतीय जनपदों से सम्बन्धित लेख वस्तुतः इस विषय का सर्वांगपूर्ण उद्घाटन है। उसके बाद के तीन लेख पुराण और लोक धर्म से सम्बन्धित हैं। कृष्ण चरित्र के जैनागमी में प्राप्त संस्करण का परिचय नाहाटा जी की प्रबुद्ध लेखनी से हुआ है। 'देवनारायण' सम्बन्धी गरिमामय साहित्य को लिखित रूप से प्रकाश में लाने वाली लेखिका चूडावत जी ने लोक गायन और लोक नाट्य के इस आधार पर प्रकाश डाला

है। 'वि-देव' के लेखन ने पण्डित जी की लोक वीरों को प्रकाश में लाने की परम्परा को निभाते हुए तीन लोक वीरों का परिचय दिया है। राजस्थान की संस्कृति में 'ऊंट' का निस्संदेह बहुत महत्व है। इस विषय पर शोधपूर्ण लेख है। 'महाभारत' सर्वग्राही ग्रन्थ है, यह तो सर्वविदित है पर उस में स्त्री-धर्म से सम्बन्धित विचारधारा का समालोचनापूर्ण विवेचन श्रीमती तिवारी के लेख में है। उसके बाद राजस्थान की दो गरिमामय प्राचीन नगरियों के परिचय हैं। दूसरी नगरी चन्द्रावती योगियों की क्रीड़ा-स्थली रही है। इसीलिए उस स्थली के परिचय के ठीक बाद ही योगियों की उपास्या महाशक्ति का विद्वतापूर्ण विवेचन रखा गया है। ब्रज और राजस्थान संस्कृति की दृष्टि से कितने निकट और परस्पर सम्बद्ध हैं इसका उद्घाटन 'ब्रजराज' सम्बन्धी लेख में है। इसी ब्रज की एक अभिनय कला है 'रासलीला' जिसका सांस्कृतिक महत्व ब्रज में ही नहीं राजस्थान में भी है। डा० यामदग्नि का मूल लेख इस कला के इतिहास का ही सर्वांगपूर्ण विवेचन का केवल सार रूप में प्रस्तुतीकरण है।

कला

'कला' खण्ड में चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला और लोककला से सम्बन्धित पांडित्यपूर्ण लेखों का संग्रह है। कलाओं का यह क्रम अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़ता गया है। निस्संदेह राजस्थान में कलाओं को प्रभूत प्रश्रय मिला। पहले लेख में समग्र राजस्थान की चित्रकला का एकत्र मूल्यांकन है। बाद के दो लेखों में चित्रकला के क्षेत्र में क्रमशः जयपुर और बूंदी के योगदान का निरूपण है। चौथा लेख दिलवाड़ा के वैभवशाली मन्दिरों की मूर्तिकला और वास्तुशिल्प पर प्रकाश डालता है तो पांचवां वास्तुशिल्प के क्षेत्र में राजस्थान की देन का सही-सही मूल्यांकन करता है। छठा लेख लोक कला के विविध आयामों का उद्घाटन करता है।

पत्रकारिता

पण्डितजी के जीवन का अधिकांश भाग पत्रकारिता क्षेत्र में बीता। इस ग्रन्थ के पत्रकारिता खण्ड के माध्यम से सामान्यतः समग्र भारत की हिन्दी पत्रकारिता राजस्थान को पत्रकारिता के विविध आयामों पर प्रकाश डाला गया है। पहला लेख निःसंदेह अनुपात की सीमा का कुछ उल्लंघन कर गया है पर उस संक्षेप का पुनः संक्षेप संभव नहीं था। हिन्दी पत्रकारिता का पूरा इतिहास एक लेख में आ गया यह प्रसन्नता की बात है। हिन्दी पत्रकारिता का स्वतन्त्रता संग्राम में और साहित्य में भी योगदान है। उसका भी निरूपण आवश्यक था। दूसरा लेख स्वतन्त्रता संग्राम को समर्पित है। तीसरे और चौथे लेख का क्षेत्र राजस्थान तक सीमित है पर वे राजस्थान को पत्रकारिता और उसको हिन्दी साहित्य की देन पर पूरा प्रकाश डालते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में समाचार समितियों का भी बड़ा महत्व है। ऊपर के चारों लेख अन्यथा तो सर्वांगपूर्ण हैं पर उनमें समितियों का उल्लेख नहीं हो पाया था। उस कमी को पूरा किया है स्वयं खण्ड सम्पादक ने।

राजस्थान

आधुनिक राजस्थान की देश के जन-जीवन में गौरवमय भूमिका रही है। स्वतन्त्रता संग्राम, भाषा, साहित्य, वाणिज्य-उद्योग, कृषि-सिंचाई, आर्थिक विकास सभी दृष्टियों से राजस्थान का अवदान मूल्यवान रहा है। 'राजस्थान' खंड में इनका किंचित दिग्दर्शन मिलेगा। खेद है कि स्थानाभाव के कारण यह खंड सर्वांगपूर्ण नहीं बन पाया। यह खंड संतोषजनक तो तभी हो सकता था जब पूरे ग्रन्थ के आकार की सामग्री इस खण्ड में होती। पर राजस्थान के कुछ पक्षों के स्थालीपुलाक परिचय का प्रयत्न इस खण्ड में है। स्वतन्त्रता संग्राम, शासन में हिन्दी का स्थान, प्रदेश के आर्थिक एवं सामाजिक क्रांति, रेल व्यवस्था प्रशासनिक पुनर्गठन और अन्य गरिमामय पक्षों का उद्घाटन तो विविध लेखों में है ही पर राजस्थान में नहरों के महत्व संबंधी लेख में लेखक डा० कंवर सेन ने इस रहस्य का भी उद्घाटन किया है कि यदि वे स्वयं समय पर न चेते होते तो राजस्थान के संस्थागार गंगनहर क्षेत्र की पता नहीं क्या दशा हुई होती।

विविधा

'विविधा' खण्ड में ज्ञान-विज्ञान तथा विविध क्षेत्रों के लेखों का संकलन है। स्वामी विवेकानन्द राजस्थान के खेतड़ी स्थान में ही सन्यासी नरेन्द्र से 'स्वामी विवेकानन्द' बने थे और वहीं से उन्होंने सर्वधर्म सम्मेलन के लिए प्रस्थान किया था। पहला लेख उन्हीं से संबंधित है। दूसरा लेख राजभाषा हिन्दी की देश-विदेश में स्थिति पर प्रकाश डालता है। उसके बाद के तीन लेख शुद्ध विज्ञान के क्षेत्र के हैं। पहले में विद्वान लेखन ने विज्ञान के उस क्षेत्र पर प्रकाश डाला है जो अब तक उपेक्षित रहा है। दूसरे और तीसरे लेखों में आधुनिक राजस्थान में हुए विज्ञान के युगान्तरकारी करिश्मों का उल्लेख है। उसके बाद के लेख में वैज्ञानिक समाजवाद के आचार-पक्ष का बहुत ही विद्वतापूर्ण उद्घाटन है। उसके बाद के लेख में आयुर्वेद की गरिमा बताई गई। 'राजस्थान का पानी' भावात्मक निबन्ध है तो "टोडरमल सम्बन्धी लेख पुनः ऐतिहासिक महत्व का। इस खण्ड का आरम्भ हुआ था राजस्थान में 'विवेकानन्द' से तो समाप्ति हुई है 'राजस्थान में महर्षि दयानन्द' से, जिसके लेखक हैं आयोजन समिति के सभापति श्री त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी।

एक संदर्भ साहित्य के रूप में यह पुस्तक मंत्रालयों/विभागों/संस्थाओं को पुस्तकालयों/विद्वानों के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो सकती है। 600 पृष्ठ के इस ग्रन्थ का मूल्य 150/– रु० है, और इसके खरीदने का संपर्क सूत्र है—

श्रीमती कमलेश बंसल
प्रचार-प्रसार सचिव
'राजस्थान मंच'
3062, गली हनुमान मंदिर
दरियागंज, नई दिल्ली-110002

महत्वपूर्ण अधिसूचना

केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (समूह 'ग') नियम, 1983 गजट अधिसूचना

(भारत का राजपत्र भाग-(II) खंड-3 उपखंड-(I) के पृष्ठ सं० 2007–2023 से उद्धृत सार, दिनांक 24-9-1983

भारत सरकार, गृह मंत्रालय

(राजभाषा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 सितम्बर 1981

सा० का० नि० 842—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 318 के खण्ड (ख) के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जहां तक ये उन पदों से संबंधित है जिनको ये नियम लागू होते हैं, संबंधित तत्संबंधी विद्यमान नियमों को, उन बातों के सिवाय जिन्हें किया गया है या करने का लोप किया गया है, अधिक्रान्त करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षित नाम और प्रारम्भ (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (समूह "ग" पद) नियम, 1981 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन को तारोख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं : इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षितन हो :—

(क) "आयोग" से कर्मचारी चयन आयोग अभिप्रेत है,

(ख) "नियंत्रण प्राधिकारी" से भारत सरकार के गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग अभिप्रेत है,

(ग) "विभागीय अभ्यर्थी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो अवधि के आधार पर से अन्यथा नियुक्त किया गया है और जो :—

(i) इन नियमों के प्रारंभ को तारोख को अनुसूचो-1 में विनिर्दिष्ट या

(ii) सेवा के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् उसमें संवर्गीकृत और ऐसे संवर्गीकरण को तारोख को अनुसूचो-1 में सम्मिलित पद धारण करता हैं या किसी पद पर धारणाधिकार रखता है ।

(घ) "ड्यूटी पद" से कोई ऐसा पद अभिप्रेत है, जो चाहे स्थायी या अस्थायी और जो अनुसूचो-1 में सम्मिलित है,

(ङ) "सरकार" से भारत सरकार अभिप्रेत है,

(च) "श्रेणी" से सेवा की श्रेणी अभिप्रेत है,

(छ) "अनुसूची" से इन नियमों की अनुसूची अभिप्रेत है,

(ज) "सेवा" से केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (समूह "ग" पद) अभिप्रेत है ।

3. केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (समूह "ग" पद) का गठन और उनको संरचना :

(1) केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (समूह "ग" पद) नियम 6, 7 और 8 के अधोन इस सेवा में नियुक्त किए गए व्यक्तियों से मिलकर बनेगी ।

(2) इस सेवा में यथा निम्नलिखित वर्गीकृत दो श्रेणियां होंगो, अर्थात :—

श्रेणी	वर्गीकरण
(i) श्रेणी 4 (वरिष्ठ अनुवादक)	केन्द्रीय सिविल सेवा, समूह "ग"
(ii) श्रेणी 5 (कनिष्ठ अनुवादक)	

(3) सेवा की दोनों श्रेणियों के वेतनमान यथा निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :—

(i) श्रेणी 4 (वरिष्ठ अनुवादक)	550–20–650–25–800 रु०
(ii) श्रेणी 5 (कनिष्ठ अनुवादक)	425–15–500–द०रो०-15–560–20–700 रु०

परन्तु ऐसे अधिकारी को जो अवधि या तदर्थ या प्रतिनियुक्ति के आधार पर से अन्यथा किसी हैसियत में कोई पद धारण किए हुए था, सेवा की समुचित श्रेणी में नियुक्ति पर, इन नियमों के प्रारम्भ के ठीक पूर्व उसे लागू वेतनमान/प्रास्थिति की, यदि वह उसके अधिक अनुकूल हो तो, उसकी दूसरे पद पर नियुक्ति किए जाने तक वैयक्तिक रूप में लागू बने रहने की अनुज्ञा दी जाएगी ।

4. इस सेवा की प्राधिकृत स्थायी संख्या और अस्थायी संख्या : (1) इस सेवा की दोनों श्रेणियों में से प्रत्येक की प्राधिकृत स्थायी संख्या और अस्थायी संख्या, इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख को, अनुसूची-1 में यथादर्शित होगी ।

(2) इन नियमों के प्रारम्भ के पश्चात् दोनों श्रेणियों की प्राधिकृत स्थायी संख्या वह होगी, जो नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के परामर्श से, समय-समय पर अवधारित की जाए ।

(3) नियंत्रक प्राधिकारी दोनों श्रेणियों की संख्या में समय-समय पर अस्थायी परिवर्धन कर सकता है यदि वह ऐसा करना आवश्यक और उचित समझे ।

(4) नियंत्रक प्राधिकारी, अनुसूची-1 में सम्मिलित पदों से भिन्न किसी पद को सेवा में सम्मिलित कर सकता है या उक्त अनुसूची में सम्मिलित किसी पद को सेवा से अपवर्जित कर सकता है यदि वह ऐसा करना आवश्यक और उचित समझे ।

(5) नियंत्रक प्राधिकारी, किसी ऐसे अधिकारी को, जिसका पद उप नियम (4) के अधीन इस सेवा में सम्मिलित किया गया है सेवा के समुचित ग्रेड में, अस्थायी या अधिष्ठायी हैसियत में उसी के अनुसार जैसे वह उस पद को इस सेवा में सम्मिलित किए जाने के समय धारण किए हुए था, नियुक्त कर सकता है तथा श्रेणी में उसकी वरिष्ठता नियम 12 के अधीन नियत कर सकता है ।

5. सेवा के सदस्य : (1) निम्नलिखित व्यक्ति सेवा के सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(क) इन नियमों के प्रारम्भ पर नियम 6 के अधीन सेवा में नियुक्त किए गए व्यक्ति ऐसे प्रारम्भ की तारीख से,

(ख) इन नियमों के प्रारम्भ के पश्चात् ड्यूटी-पदों पर नियुक्त किए गए व्यक्ति उस तारीख से, जिससे वे इस प्रकार नियुक्त किए गए हैं ।

(2) उप नियम (1) के खंड (क) के अधीन नियुक्त किया गया व्यक्ति ऐसे प्रारम्भ पर, सेवा में उस श्रेणी का सदस्य समझा जाएगा जिसमें वह इस प्रकार नियुक्त किया गया है ।

(3) इन नियमों के प्रारम्भ के पश्चात् किसी भी श्रेणी में किसी ड्यूटी पद पर नियुक्त किया गया व्यक्ति, ऐसी नियुक्ति की तारीख से, सेवा में उस श्रेणी का सदस्य समझा जाएगा ।

6. सेवा का प्रारम्भिक गठन : (1) (i) श्रेणी 4 में नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, नियंत्रक प्राधिकारी एक चयन समिति का गठन करेगा जिसका अध्यक्ष भारत सरकार, राजभाषा विभाग का संयुक्त सचिव होगा और उसमें दो से अनधिक ऐसे प्रतिनिधि होंगे जो भारत सरकार के उप सचिव से नीचे की पंक्ति के न हों और राजभाषा विभाग द्वारा सदस्यों के रूप में नामित किए जाएं ।

(ii) चयन समिति सेवा की श्रेणी 4 में नियुक्ति के लिए ऐसे विभागीय अभ्यर्थियों की उपयुक्तता का अवधारण करेगी जो 550–900 रु० और 550–800 रु० के वेतनमानों में नियमित आधार पर पद धारण किए हुए हैं और ऐसे अधिकारियों की, जो सेवा के प्रारम्भिक गठन के समय उसकी श्रेणी 4 में नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझे गए हों, नियमित सेवा की अवधि के अवरोही क्रम में क्रमांकित एक सूची तैयार करेगी । इन अधिकारियों के नीचे (iii) में उल्लिखित रीति से चुने गए अधिकारियों से वरिष्ठ रखा जाएगा ।

(iii) इसके प्रारम्भिक गठन के समय श्रेणी 4 में शेष रिक्तियों पर, यदि कोई हों, नियुक्ति करने के लिए, उपर्युक्त उपखंड (i) के अधीन गठित चयन समिति उन विभागीय अधिकारियों की उपयुक्तता अवधारित करेगी जो 550–900 रु० और 550–800 रु० के वेतनमान वाले पद धारण किए हुए हैं और जो उपर्युक्त खंड (ii) के अन्तर्गत नहीं आते हैं और अधिमानता के क्रम से उन अभ्यर्थियों की सूची तैयार करेगी, जो सेवा के प्रारम्भिक गठन के समय इसकी श्रेणी 4 में नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझे गए हों किन्तु ऐसे अधिकारियों को खंड (ii) के अधीन चुने गए अधिकारियों से एक साथ कनिष्ठ रखा जाएगा ।

(2) (i) श्रेणी 5 में नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, नियंत्रक प्राधिकारी एक चयन समिति का गठन करेगा जिसका अध्यक्ष भारत सरकार, राजभाषा विभाग का संयुक्त सचिव होगा और उसमें दो से अनधिक ऐसे प्रतिनिधि होंगे, जो भारत सरकार के उप सचिव से नीचे की पंक्ति के न हों और राजभाषा विभाग द्वारा सदस्यों के रूप में नामित किए जाएं ।

(ii) चयन समिति सेवा की श्रेणी 5 में नियुक्ति के लिए ऐसे विभागीय अभ्यर्थियों की उपयुक्ता अवधारित करेगी, जो 425–800 रु०, 425–700 रु० और 425–640 रु० के वेतनमान में नियमित आधार पर पद धारण किए हुए हैं और साथ ही जो 550–900 रु० और 550–800 रु० के वेतनमान में नियमित आधार पर पद धारण किए हुए हैं और जिन्हें चयन समिति ने प्रारम्भिक गठन के समय सेवा की श्रेणी 4 में नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं समझा है । समिति ऐसे अधिकारियों की, जो प्रारम्भिक गठन के समय सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझे जाएं, उनकी नियमित सेवा की अवधि के अवरोही क्रम में, एक सूची तैयार करेगी और इन अधिकारियों को, नीचे खंड (iii) में विनिर्दिष्ट रीति से चुने गए अधिकारियों से वरिष्ठ रखा जाएगा ।

(iii) प्रारम्भिक गठन के समय श्रेणी 5 में शेष रिक्तियों पर, यदि कोई हों, नियुक्ति करने के लिए, उपर्युक्त उपखंड (i) के अधीन गठित चयन समिति उन विभागीय अभ्यर्थियों की उपयुक्ता अवधारित करेगी जो 425–800 रु०, 425–700 रु० और 425–640 रु० के वेतनमान वाले पद धारण किए हुए हैं और जो उपर्युक्त खंड (ii) के अन्तर्गत नहीं आते हैं और साथ ही जो नियमित आधार पर से अन्यथा 550–900 रु० और 550–800

रु० के वेतनमान वाले पद धारण किए हुए हैं और जो चयन समिति द्वारा श्रेणी 4 में नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं समझे गए हैं। समिति, अधिमानता के क्रम से, उन अभ्यर्थियों की सूची भी तैयार करेगी जो प्रारम्भिक गठन के समय श्रेणी 5 में नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझे जाएं। किन्तु ऐसे अधिकारियों को उपखंड (ii) के अधीन चुने गए अधिकारियों से एक साथ कनिष्ठ रखा जाएगा।

(3) चयन समिति की सिफारिशों में यह सिफारिश भी सम्मिलित होगी कि यदि किसी व्यक्ति को किसी श्रेणी में नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझा जाता है और उस श्रेणी में पर्याप्त संख्या में रिक्तियां उपलब्ध नहीं हैं तो उसे किसी निम्नतर श्रेणी में नियुक्त किया जा सकेगा।

(4) नियम 8 में किसी बात के होते हुए भी ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें पर्याप्त संख्या में रिक्तियां न होने के कारण उपनियम (3) के अनुसार समिति द्वारा सिफारिश की गई श्रेणी से निम्नतर श्रेणी में नियुक्त किया गया है, उस श्रेणी में जिनके लिए उनकी सिफारिश की गई थी, ज्योंही रिक्तियां उपलब्ध होती हैं, प्रोन्नत कर दिया जाएगा।

(5) उपर्युक्त उपनियम (1) या उपनियम (2) में निर्दिष्ट कोई ऐसा विभागीय अभ्यर्थी, जो सेवा की किसी भी श्रेणी में चयन हो जाने पर, सेवा में समाहर्त किए जाने की चाह नहीं करता है वह उस पद को, जो वह चयन से ठीक पूर्व धारण किए हुए था, उसी प्रकार धारण किए रह सकता है मानो उसका चयन ही नहीं हुआ है और इस प्रयोजन के लिए उस पद को सेवा से तब तक अपवर्जित समझा जाएगा जब तक कि वह उस पद को धारण किए रहता है।

(6) ऐसे विभागीय अभ्यर्थी, जिन्हें सेवा में उसके प्रारंभिक गठन के समय समाहर्त नहीं किया गया है, वे पद धारण किए रहेंगे जिन पर उनको नियमित रूप से नियुक्त किया गया था और इस प्रयोजन के लिए इन पदों को सेवा से तब तक अपवर्जित समझा जाएगा जब तक कि वे उन्हें धारण किए रहते हैं।

(7) नियम 8 में किसी बात के होते हुए भी; उपनियम (6) में निर्दिष्ट विभागीय अभ्यर्थियों पर नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा, अनुरक्षण के क्रम पर सेवा में नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है और सेवा की दोनों श्रेणियों में नियुक्ति के लिए ऐसे अभ्यर्थियों की उपयुक्तता चयन समिति द्वारा अवधारित की जाएगी जिसका गठन, नियंत्रक प्राधिकारी करेगा और जिसमें एक अध्यक्ष होगा जो भारत सरकार, राजभाषा विभाग का संयुक्त सचिव होगा और उपनियम (1) के खण्ड (i) में उल्लिखित दो सदस्य होंगे।

(8) चयन समिति के अध्यक्ष से अन्यथा किसी सदस्य की अनुपस्थिति चयन समिति की कार्यवाहियों को अवधिमान्य नहीं बनाएगी।

(9) (i) नियम 8 में किसी बात के होते हुए भी, सेवा की श्रेणी 4 और श्रेणी 5 में ऐसी रिक्तियां, जो सेवा के प्रारम्भिक गठन के समय या तो इस कारण उत्पन्न होती हैं कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा या केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा या केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा से लिए गए नियमित रूप में नियुक्त विभागीय अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं पाए जाते हैं, अथवा इस कारण कि ऐसे अधिकारियों ने केन्द्रीय सचिवालय सेवा या केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा या केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में अपने मूल पदों पर वापस जाने की इच्छा व्यक्त की है, नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा इन सेवाओं से अन्य उपयुक्त अधिकारियों की इस सेवा में नियुक्ति करके भरी जाएगी।

(ii) ऐसी रिक्तियां, जिनके लिए केन्द्रीय सचिवालय सेवा या केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा या केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के उपयुक्त अधिकारी उपलब्ध नहीं होते हैं, नियम 8 के उपबन्धों के अनुसार भरी जाएगी।

(10) प्रारम्भिक गठन के समय दोनों श्रेणियों की प्राधिकृत नियमित संख्या में से जितने पद विभागीय अभ्यर्थियों की नियुक्ति द्वारा नहीं भरे जाते हैं, वे नियम 8 के उपबन्धों के अनुसार भरे जायेंगे।

7. कतिपय विभागीय अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध : (1) नियम 8 में किसी बात के होते हुए भी, नियंत्रक प्राधिकारी एक चयन समिति का गठन करेगा, जिसमें एक अध्यक्ष होगा, जो भारत सरकार, राजभाषा विभाग का संयुक्त सचिव होगा और नियम 6 के उपनियम (1) के खण्ड (i) में उल्लिखित दो सदस्य होंगे और यह समिति नियम 2 के खण्ड (ग) (ii) के अन्तर्गत आने वाले विभागीय अभ्यर्थियों की उपयुक्तता का, सेवा की दोनों श्रेणियों में नियुक्ति के लिए, अवधारण करेगी।

(2) (i) उपनियम (1) में निर्दिष्ट ऐसा विभागीय अभ्यर्थी जो सेवा की किसी भी श्रेणी में नियुक्ति के लिए नहीं चुना जाता है, वही पद धारण करता रहेगा जो इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख को वह धारण कर रहा था और नियंत्रक प्राधिकारी, प्रारम्भिक गठन के बाद एक वर्ष की समाप्ति पर, सेवा में नियुक्ति के लिए उस पर पुनर्विचार करेगा।

(ii) सेवा की दोनों श्रेणियों में से किसी एक में नियुक्ति के लिए इन अभ्यर्थियों की उपयुक्तता उपनियम (1) में यथा उपबंधित पुनः अवधारित की जाएगी।

(iii) उक्त चयन समिति में अध्यक्ष से अन्यथा किसी सदस्य की अनुपस्थिति चयन समिति की कार्यवाहियों को अवधिमान्य नहीं बनाएगी।

(3) उपनियम (1) में निर्दिष्ट कोई भी ऐसा विभागीय अभ्यर्थी जो किसी भी श्रेणी में चयन हो जाने पर, सेवा में सम्मिलित किए जाने की वांछा नहीं करता है, वही पद जो वह चयन से ठीक पूर्व धारण किए था उसी प्रकार धारण किए रह सकता है, मानो उसका चयन ही नहीं हुआ है और इस प्रयोजन के लिए उस पद को सेवा से तब तक अपवर्जित समझा जाएगा जब तक कि वह उसे धारण किए रहता है।

8. सेवा का भावी अनुरक्षण : विभागीय अभ्यर्थियों की नियुक्ति द्वारा या अन्यथा सेवा के प्रारम्भिक गठन हो जाने के पश्चात् रिक्तियां इसके पश्चात् उपबन्धित रीति से भरी जाएंगी :—

(क) श्रेणी—5

(1) इस श्रेणी की रिक्तियां, आयोग द्वारा विनिश्चित की गई रीति में, आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएंगी।

(2) नियुक्ति के लिए शैक्षिक अर्हताएं और आयु-सीमा वह होंगी, जो अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट हैं।

(ख) श्रेणी—4

(1) इस श्रेणी की 75 प्रतिशत रिक्तियां नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा सेवा की श्रेणी 5 के ऐसे सदस्यों में से विभागीय प्रोन्नति द्वारा भरी जाएंगी जिन्होंने उस श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है।

(2) प्रोन्नतियां वरिष्ठता के क्रम में की जाएगी किन्तु अयोग्य व्यक्ति को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(3) इस श्रेणी की 25 प्रतिशत रिक्तियां, आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की गई रीति में, आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएंगी।

(4) इस श्रेणी में नियुक्ति के लिए शैक्षिक अर्हताएं और आयुसीमा वह होगी जो अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट हैं।

परन्तु यदि कोई कनिष्ठ व्यक्ति पात्र हो और श्रेणी-4 में प्रोन्नति के आधार पर भरी जाने वाली रिक्ति पर नियुक्ति के लिए उस पर विचार किया जा रहा हो तो उससे वरिष्ठ सभी व्यक्तियों पर विचार किया जाएगा चाहे उन्होंने उस श्रेणी में विहित न्यूनतम सेवा न की हो।

9. अनुरक्षण के प्रक्रम पर विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन : श्रेणी 4 में प्रोन्नति द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों पर नियुक्ति विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिश पर की जाएगी। इस समिति में नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा नामित किए जाने वाले भारत सरकार के तीन उपसचिव होंगे तथा उनमें से एक, जो नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, अध्यक्ष होगा।

10. परिवीक्षा :

(1) किसी भी श्रेणी में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन होंगे।

परन्तु नियंत्रक प्राधिकारी, समय समय पर सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसरण में, परिवीक्षा की अवधि बढ़ा सकता है।

परन्तु यह भी कि उन मामलों में जहां परिवीक्षा की अवधि बढ़ाए जाने की प्रस्थापना की जाती है, वहां नियंत्रक प्राधिकारी प्रारम्भिक या बढ़ायी गई परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति के बारह सप्ताह के भीतर सम्बद्ध अधिकारी को अपने ऐसा करने के आशय की लिखित सूचना देगा।

(2) परिवीक्षा की अवधि पूर्ण हो होने पर, व्यक्तियों की, यदि उन्हें स्थायी नियुक्ति के योग्य समझा जाता है तो, स्थायी पदों में अधिष्ठायी रिक्तियां उपलब्ध होने पर उनकी नियुक्ति पर पुष्टि कर दी जाएगी।

(3) यदि यथास्थिति उपनियम (1) में निर्दिष्ट परिवीक्षा की अवधि या बढ़ाई गई किसी अवधि की समाप्ति पर नियंत्रक प्राधिकारी की यह राय हो कि कोई अभ्यर्थी स्थायी नियुक्ति के योग्य नहीं है या यदि, परिवीक्षा की या बढ़ाई गई ऐसी अवधि के दौरान उसका समाधान हो जाता है कि परिवीक्षा की या बढ़ाई गई ऐसी अवधि की समाप्ति पर वह स्थायी नियुक्ति के योग्य नहीं होगा तो वह उसे सेवामुक्त कर सकेगा या उसे उसके अधिष्ठायी पद पर वापस भेज सकेगा या जैसा उचित समझे उसे आदेश पारित कर सकेगा।

(4) परिवीक्षा की अवधि के दौरान, नियंत्रक प्राधिकारी अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा कर सकता है कि वे प्रशिक्षण या शिक्षण का ऐसा पाठ्यक्रम पूरा करें और ऐसी परीक्षाएं या परीक्षण उत्तीर्ण करें, जो वह परिवीक्षा के समाधानप्रद रूप में पूरा किए जाने की शर्त के रूप में उचित समझे।

11. सेवा में नियुक्ति : (1) सेवा में या सेवा के काडर के पदों पर की जाने वाली सभी नियुक्तियां नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी।

(2) सेवा में सभी अधिष्ठायी नियुक्तियां समुचित श्रेणी में की जाएंगी, न कि उस श्रेणी के किसी विनिर्दिष्ट ड्यूटी पद पर।

12. वरिष्ठता : (1) प्रारम्भिक गठन के समय श्रेणी 4 और श्रेणी 5 में नियुक्त किए गए अधिकारियों की वरिष्ठता उस क्रम में अवधारित की जाएगी जिसमें उनका नियम 6 में निर्दिष्ट चयन समिति द्वारा नियुक्ति के लिए चयन किया गया है। वे उन सब से एक साथ वरिष्ठ होंगे, जो अनुरक्षण के प्रक्रम पर सम्बन्धित श्रेणी में नियुक्त किए गए थे।

(2) उन अधिकारियों की वरिष्ठता, जो अनुरक्षण के क्रम पर सेवा की दोनों श्रेणियों में से किसी भी एक श्रेणी में नियुक्त किए जाते है, समय-समय पर जारी किए गए सरकार के उन आदेशों के अनुसार विनियमित की जाएगी, जो साधारणतया केन्द्रीय सेवाओं पर लागू होते है ।

(3) नियम 6 के उपनियम (7) या नियम 7 के उप-नियम (2) के अधीन दो श्रेणियों में से किसी भी श्रेणी में नियुक्त विभागीय अभ्यर्थी की वरिष्ठता नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा, उसे उस कनिष्ठतम अधिकारी से नीचे रखकर जो, उस श्रेणी में उक्त विभागीय अभ्यर्थी के चयन की तारीख को उस श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्त किया गया था, अवधारित की जाएगी ।

(4) नियम 7 के अधीन किसी श्रेणी में नियुक्ति के लिए चयन हो जाने पर नियम 2 के खण्ड (ग) (ii) में निर्दिष्ट विभागीय अभ्यर्थी को समुचित श्रेणी में, संवर्गीकृत पद पर निरन्तर नियमित सेवाकाल की लम्बाई के निर्देश से सम्बद्ध श्रेणी की वरिष्ठता सूची में पुष्टीकरण की तारीख पर ध्यान दिए बिना एक स्थान दे दिया जाएगा ।

(5) जहां एक ही समय पर, अनुसूची-1 में उसी श्रेणी में एक से अधिक पद सम्मिलित किए गए हैं तथा किसी भी श्रेणी में नियुक्त एक से अधिक विभागीय अभ्यर्थियों की वरिष्ठता को अवधारित किया जाना अपेक्षित है वहां वह क्रम जिसमें नियुक्ति के लिए उनकी सिफारिश की गई है, सुसंगत श्रेणी में उनकी वरिष्ठता का क्रम होगा ।

(6) ऐसे मामलों में जो उप-नियम (1) से (5) के अन्तर्गत नहीं आते हैं, वरिष्ठता का अवधारण नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के परामर्श से किया जाएगा ।

13. भारत के किसी भी भाग में या भारत से बाहर सेवा करने का दायित्व : (1) इस सेवा में नियुक्त किए गए अधिकारी भारत में या भारत से बाहर कहीं भी सेवा करने के दायित्वाधीन होंगे ।

(2) अधिकारी यदि प्रतिनियुक्ति किए जाने पर, भारत के किसी भी अन्य मंत्रालय या विभाग अथवा सरकार के किन्हीं निगमों और औद्योगिक उपक्रमों में सेवा करने के दायित्वाधीन होंगे ।

14. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों आदि के लिए आरक्षण : इन नियमों में किया गया कोई भी प्रावधान ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है ।

15. वेतन का विनियमन : दोनों श्रेणियों के अधिकारियों के वेतन और वेतन-वृद्धियों को, तत्समय प्रवृत्त वेतन सम्बन्धी मूल नियमों या अन्य संगत नियमों के अनुसार विनियमित किया जाएगा ।

16. सेवा की अन्य शर्तें : सेवा के सदस्यों की सेवा-शर्तें उन विषयों की बाबत जिनके लिए नियमों में कोई उपबन्ध नहीं किया गया है यथा आवश्यक परिवर्तन सहित और सरकार द्वारा जारी किए गए विशेष आदेशों के अधीन रहते हुए वही होंगी जो सरकार के तत्स्थानी प्रास्थिति वाले सिविलियन अधिकारियों को लागू होती हैं ।

17. निरर्हताएं : वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है

उक्त सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

18. नियम शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी ।

19. निर्वाचन : यदि इन नियमों के निर्वचन के सम्बन्ध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है, तो उसका विनिश्चय सरकार द्वारा किया जाएगा ।

अनुसूची–1

(नियम 2 और 4 देखिये)

क्रम सं०	मंत्रालय/विभाग/सम्बद्ध कार्यालय	श्रेणी 4 (वरिष्ठ अनुवादक) (550–800 रु०)			श्रेणी 5 (कनिष्ठ अनुवादक) (425–700 रु०)		
		पदनाम और वेतनमान	पदों की संख्या		पदनाम और वेतनमान	पदों की संख्या	
			स्थाई	अस्थाई		स्थाई	अस्थाई
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	कृषि मंत्रालय:						
	(i) कृषि और सहकारिता विभाग	वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक (550–800 रु०)	1	2	कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक (425–700 रु०)	6	3
					हिन्दी सहायक (425–800 रु०)	1	—
	(ii) अर्थ और सांख्यिकी निदेशालय, नई दिल्ली	—	—	—	कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक (425–700 रु०)	—	1
	(iii) खाद्य विभाग	वरिष्ठ अनुवादक (550–800 रु०)	2	—	कनिष्ठ अनुवादक (425–700 रु०)	2	—
	(iv) चीनी निदेशालय	—	—	—	हिन्दी अनुवादक (425–700 रु०)	1	—
2.	नागरिक पूर्ति मंत्रालय :	वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक (550–900 रु०)	1	—	कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक (425–700 रु०)	—	3
3.	वाणिज्य मंत्रालय :						
	(i) वाणिज्य तथा वस्त्र विभाग	वरिष्ठ हिन्दी अनुवेषक (550–900 रु०)	2	—	कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक (425–700 रु०)	9	—
	(ii) मुख्य आयात निर्यात नियंत्रक का कार्यालय	वरिष्ठ अनुवादक (550–800 रु०)	2	1	कनिष्ठ अनुवादक (425–700 रु०)	4	—
	(iii) अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड	—	—	—	हिन्दी अनुवादक (425–700 रु०)	—	1
4.	संचार मंत्रालय :						
	(i) मुख्य मंत्रालय	—	—	—	कनिष्ठ अनुवादक (425–700 रु०)	1	—
	(ii) डाक तार महानिदेशालय	अनुसन्धान सहायक (हिन्दी) (550–800 रु०)	1	—	अनुवादक, श्रेणी II (425–640 रु०)	—	15
		अनुवादक, श्रेणी I (550–800 रु०)	2	—			
5.	रक्षा मंत्रालय :	अनुवादक, श्रेणी I (550–800 रु०)	4	—	अनुवादक, श्रेणी II (425–700 रु०)	8	—
6.	शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय :						
	(i) शिक्षा विभाग	वरिष्ठ अनुवादक (550–900 रु०)	—	3	हिन्दी सहायक (425–800 रु०)	1	—
					कनिष्ठ अनुवादक (425–700 रु०)	7	5

1	2	3	4	5	6	7	8
	(ii) संस्कृति विभाग	—	—	—	कनिष्ठ अनुवादक (425–700 रु०)	—	1
	(iii) भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार	—	—	—	कनिष्ठ अनुवादक (425–700 रु०)	—	1
	(iv) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण	वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक (550–900 रु०)	—	2	कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक (425–700 रु०)	1	—
7.	ऊर्जा मंत्रालय :						
	(i) विद्युत विभाग	अनुवादक, श्रेणी I (550–900 रु.)	1	—	अनुवादक, श्रेणी II (425–700 रु०)	1	2
	(ii) केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण	अनुवादक, श्रेणी I (550–800 रु०)	—	1	अनुवादक, श्रेणी II (425–700 रु०)	3	—
	(iii) कोयला विभाग	वरिष्ठ अनुवादक (550–800 रु०)	1	—	—	—	—
8.	वित्त मंत्रालय :						
	(i) आर्थिक कार्य विभाग	वरिष्ठ अनुवादक (550–800 रु०)	8	1	कनिष्ठ अनुवादक (425–700 रु०)	5	2
	(ii) आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग)	अनुवादक, श्रेणी I (550–900 रु०)	1	—	अनुवादक, श्रेणी II (425–700 रु०)	2	—
	(iii) व्यय विभाग	वरिष्ठ अनुवादक (550–800 रु०)	1	4	कनिष्ठ अनुवादक (425–700 रु०)	2	2
	(iv) व्यय विभाग (रक्षा प्रभाग)	—	—	—	कनिष्ठ अनुवादक (425–700 रु०)	—	2
	(v) सरकारी उद्यम कार्यालय	वरिष्ठ अनुवादक (550–800 रु०)	1	—	कनिष्ठ अनुवादक (425–700 रु०)	—	1
	(vi) राजस्व विभाग	वरिष्ठ अनुवादक (550–800 रु०)	11	2	कनिष्ठ अनुवादक (425–700 रु०)	4	2
	(vii) प्रवर्तन निदेशालय	वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक (550–800 रु०)	—	1		—	—
9.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय :	वरिष्ठ अनुवादक (550–800 रु०)	4	1	कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक (425–700 रु०)	8	7
10.	गृह मंत्रालय :						
	(i) मुख्य मंत्रालय	अनुवादक, श्रेणी I (550–800 रु०)	3	6	अनुवादक, श्रेणी II (425–700 रु०)	8	—
	(ii) कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग (प्रशासनिक सुधार पक्ष)	वरिष्ठ अनुवादक (550–800 रु०)	1	—	कनिष्ठ अनुवादक (425–700 रु०)	1	—
	(iii) कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग (कार्मिक पक्ष)	वरिठ अनुवादक (550–800 रु०)	1	2	कनिष्ठ अनुवादक (425–700 रु०)	4	—

1	2	3	4	5	6	7	8
	(iv) राजभाषा विभाग	—/०	—	—	अन्वेषक (425–700 रु०)	—	1
					तकनीकी सहायक (425–700 रु०)	—	3
	(v) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो	वरिष्ठ अनुवादक (550–800 रु०)	—	1	कनिष्ठ अनुवादक (425–700 रु०)	1	—
	(vi) भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय	अनुवादक, श्रेणी I (550–800 रु०)	—	1	अनुवादक, श्रेणी II (425–700 रु०)	—	4
		अनुसन्धान सहायक (550–800 रु०)	—	2	—	—	—
	(vii) आसूचना ब्यूरो	वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक (550–800 रु०)	—	1	हिन्दी अनुवादक (425–700 रु०)	—	3
	(viii) कर्मचारी चयन आयोग	वरिष्ठ अनुवादक, (550–800 रु०)	—	1	कनिष्ठ अनुवादक (425–700 रु०)	1	—
	(ix) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस महानिदेशालय		—	—	हिन्दी अनुवादक, श्रेणी II (425–700 रु०)	1	—
	(x) सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबन्ध संस्थान	—	—	—	कनिष्ठ अनुवादक (425–700 रु०)	—	1
	(xi) केन्द्रीय सतर्कता आयोग	—	—	—	अनुवादक (425–700 रु०)	1	—
	(xij) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल महानिदेशालय	—	—	—	कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक (425–700 रु०)	1	2
	(xiii) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आयुक्त का कार्यालय	—	—	—	हिन्दी अनुवादक (425–700 रु०)	1	—
	(xiv) भाषायी अल्पसंख्यक के आयुक्त का कार्यालय, इलाहाबाद	वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक (500–800 रु०)	1	—	—	—	—
	(xv) सीमा सुरक्षा दल महानिदेशालय	वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक (550–800 रु०)	—	1	कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक (425–700 रु०)	2	3
11.	उद्योग मंत्रालय :						
	(i) औद्योगिक विकास विभाग	वरिष्ठ हिन्दी अन्वेषक (550–900 रु०)	1	1	कनिष्ठ हिन्दी अन्वेषक (425–700 रु०)	2	2
	(ii) तकनीकी विकास महानिदेशालय	—	—	—	कनिष्ठ, हिन्दी अनुवादक (425–700 रु०)	—	1
	(iii) विकास आयुक्त लघु उद्योग का कार्यालय	अनुवादक (550–900 रु०)	4	1	कनिष्ठ अनुवादक (425–700 रु०)	—	1
	(iv) भारी उद्योग विभाग	वरिष्ठ हिन्दी अन्वेषक (550–900 रु०)	1	—	कनिष्ठ हिन्दी अन्वेषक (425–700 रु०)	1	—
					कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक (रु० 425–700)	1	—

1	2	3	4	5	6	7	8
	(v) आर्थिक सलाहकार कार्यालय	—	—	—	कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक (425–700 रु०)	—	1
12.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय :						
	(i) मुख्य मंत्रालय	वरिष्ठ अनुवादक (550–800 रु०)	—	1	हिन्दी सहायक (425–800 रु०)	1	—
					कनिष्ठ अनुवादक (425–700 रु०)	1	1
	(ii) आकाशवाणी महानिदेशालय	वरिष्ठ अनुवादक (550–800 रु०)	—	1	अनुवादक (425–700 रु०)	2	1
	(iii) दूरदर्शन महानिदेशालय	—	—	—	अनुवादक (425–700 रु०)	1	—
	(iv) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय	वरिष्ठ अनुवादक (550–900 रु०)	—	1	हिन्दी सहायक (425–800 रु०)	1	—
					हिन्दी अनुवादक (425–700 रु०)	—	4
	(v) प्रकाशन विभाग	वरिष्ठ अनुवादक (550–800 रु०)	1	—	कनिष्ठ अनुवादक (425–700 रु०)	2	—
							1
	(vi) प्रेस सूचना ब्यूरो	—	—	—	कनिष्ठ अनुवादक (425–700 रु०)	1	1
	(vii) भारत के समाचार पत्र का कार्यालय	—	—	—	अनुवादक (425–700 रु०)	1	1
	(viii) फिल्म महोत्सव निदेशालय	—	—	—	कनिष्ठ अनुवादक (425–700 रु०)	—	1
13.	श्रम मंत्रालय :						
	(i) मुख्य मंत्रालय	वरिष्ठ अनुवादक (550–800 रु०)	1	—	कनिष्ठ अनुवादक (425–700 रु०)	1	2
	(ii) नियोजन और प्रशिक्षण महा-निदेशालय	—	—	—	कनिष्ठ अनुवादक (425–700 रु०)	4	1
	(iii) मुख्य श्रम आयुक्त का कार्यालय	—	—	—	कनिष्ठ अनुवादक (425–700 रु०)	—	1
	(iv) श्रम ब्यूरो, शिमला	वरिष्ठ अनुवादक (550–800 रु०)	—	1	कनिष्ठ अनुवादक (425–700 रु०)	—	2
	(v) फैक्ट्री सलाह सेवा तथा श्रम संस्थान, महानिदेशालय, बम्बई	—	—	—	कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक (425–700 रु०)	—	1
14.	सिंचाई मंत्रालय :						
	(i) मुख्य मंत्रालय	अनुवादक, श्रेणी I (550–800 रु०)	1	1	अनुवादक, श्रेणी II (425–700 रु०)	2	—
	(ii) केन्द्रीय जल आयोग	अनुवादक, श्रेणी I (550–800 रु०)	2	1	अनुवादक, श्रेणी II (425–700 रु०)	3	1

1	2	3	4	5	6	7	8
	(ii) अन्तरिक्ष उपयोजन केन्द्र, अहमदाबाद	—	—	—	हिन्दी अनुवादक (425–700 रु०)	—	1
	(iii) एस० एच० ए० आर० केन्द्र, श्रीहरिकोटा	—	—	—	हिन्दी अनुवादक (425–700 रु०)	—	1
	(iv) आई एस आर ओमेटेलाइट केन्द्र, बैंगलौर	—	—	—	हिन्दी अनुवादक (425–700 रु०)	—	1
31.	मंत्रीमंडल सचिवालय	अनुवादक श्रेणी 1 (550–800 रु०)	1	—	अनुवादक श्रेणी (427–500 रु०)	2	—
32.	प्रधानमंत्री का कार्यालय	अनुवादक (550–800 रु०)	1	1	—	—	—
33.	निर्वाचन आयोग	हिन्दी अनुवादक (550–800 रु०)	3	—	कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक (425–700 रु०)	3	1
34.	संघ लोक सेवा आयोग	अनुसन्धान सहायक (हिन्दी) (550–900 रु०)	7	—	तकनीकी सहायक (हिन्दी) (425–700 रु०)	3	—

अनुसूची—2

(नियम-8 देखिए)

सेवा की श्रेणी 5 और श्रेणी 4 में सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हताएं और आयु सीमा निम्नलिखित रूप में होगी, अर्थात् :—

(क) शैक्षिक अर्हताएं

(i) श्रेणी 5 के लिए :—

उपाधि स्तर पर मुख्य विषय के रूप में अंग्रेजी/हिन्दी सहित हिन्दी/अंग्रेजी में किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर की उपाधि ।

या

उपाधि स्तर पर मुख्य विषयों के रूप में अंग्रेजी/हिन्दी सहित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर की उपाधि ।

या

हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम से किसी भी विषय में किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर की उपाधि और उपाधि स्तर पर अंग्रेजी/हिन्दी मुख्य विषय रहा हो ।

या

हिन्दी/अंग्रेजी में अथवा हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम से किसी अन्य विषय में मास्टर की उपाधि स्तर पर मुख्य विषय के रूप में अंग्रेजी/हिन्दी रही हो या वह परीक्षा का माध्यम रही हो ।

या

मुख्य विषयों के रूप में हिन्दी और अंग्रेजी सहित स्नातक की उपाधि या उपाधि स्तर पर दोनों में से कोई एक परीक्षा का माध्यम रही हो और दूसरी मुख्य विषय में रूप में रही हो तथा हिन्दी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद में मान्यताप्राप्त डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम किया हो या केन्द्रीय/राज्य सरकार के कार्यालयों में जिसके अन्तर्गत भारत सरकार के उपक्रम भी हैं, हिन्दी से अंग्रेजी या अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद कार्य का दो वर्ष का अनुभव हो ।

(ii) श्रेणी 4 के लिए :—

उपर्युक्त (i) में यथा विनिर्दिष्ट मास्टर की उपाधि तथा हिन्दी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद में मान्यताप्राप्त डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम या केन्द्रीय/राज्य सरकार के कार्यालयों में जिनके अन्तर्गत भारत सरकार के उपक्रम भी हैं, हिन्दी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कार्य का दो वर्ष का अनुभव ।

(ख) आयु सीमा :

श्रेणी 5 के लिए 28 वर्ष से अनधिक और श्रेणी 4 के लिए 30 वर्ष से अनधिक (केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है) ।

टिप्पण :—आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख निम्नलिखित होगी :—

(i) उस वर्ष की जनवरी का प्रथम दिन जिसमें परीक्षा ली जाती है, यदि परीक्षा वर्ष के पूर्वार्द्ध में ली जाती है और (ii) यदि परीक्षा वर्ष के उत्तरार्द्ध में ली जाती है तो उस वर्ष के अगस्त का प्रथम दिन जिसमें परीक्षा ली जाती है ।

[संख्या 1/13019/11/76–रा० भा० (स)]

ह०/ एच० वी० गोस्वामी, संयुक्त सचिव ।

□□□

नई प्रोत्साहन योजना

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

नई दिल्ली-3, दिनांक 25 मई 1984

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सरकारी कामकाज में मूल हिन्दी टिप्पण/आलेखन के लिए प्रोत्साहन योजना।

गृह मंत्रालय के 5 अक्तूबर, 1975 के कार्यालय ज्ञापन सं० 11015/8/74-रा० भा० (क-2) के द्वारा हिन्दी भाषी क्षेत्रों और महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब (चंडीगढ़ व शासित प्रदेश सहित) राज्यों में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में टिप्पण और आलेखन में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए एक नकद पुरस्कार योजना लागू की गई थी। इस योजना के चलन के पुनरीक्षण से पता चला है कि यह अपेक्षित सीमा तक सफल नहीं रही है। इस विभाग ने इसके कारणों का भी विस्तार से अध्ययन किया है और अब यह महसूस किया जा रहा है कि इस योजना को अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसको उदार बनाने की आवश्यकता है। विभिन्न हिन्दी सलाहकार समितियों, केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों में भी समय-समय पर इसी प्रकार के विचार व्यक्त किए जाते रहे हैं। इन सभी विचारों पर ध्यान देने और वर्तमान योजना के व्यावहारिक प्रचलन पर विचार करने के बाद सरकारी कामकाज में मूल हिन्दी टिप्पण/आलेखन के लिए एक संशोधित प्रोत्साहन योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। योजना का विवरण नीचे दिया जा रहा है :—

(1) योजना का क्षेत्र :—

केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय अपने अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए स्वतंत्र रूप से इस योजना को लागू कर सकते हैं।

(2) पात्रता :—

(क) सभी श्रेणियों के वे अधिकारी/कर्मचारी इस योजना में भाग ले सकते हैं जिनसे सरकारी कामकाज में मूल टिप्पण/आलेखन की अपेक्षा की जाती है।

(ख) आशुलिपिक/टाइपिस्ट, जो सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने संबंधी किसी अन्य योजना के अन्तर्गत आते हैं, इस योजना में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।

(ग) हिन्दी अधिकारी और हिन्दी अनुवादक जो सामान्यतः अपना काम हिंदी में करते हैं, वे इस योजना में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।

(3) पुरस्कार :—

भाग लेने वाले कर्मचारियों को प्रतिवर्ष उनके द्वारा हिन्दी में किए गए काम के आधार पर निम्नलिखित नकद पुरस्कार दिये जा सकते हैं :—

(क) केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक मंत्रालय/विभाग/संबद्ध कार्यालय के लिये स्वतंत्र रूप से :—

पहला पुरस्कार	(2 पुरस्कार) : प्रत्येक रु० 500/-
दूसरा पुरस्कार	(3 पुरस्कार) : प्रत्येक रु० 300/-
तृतीय पुरस्कार	(5 पुरस्कार) : प्रत्येक रु० 150/-

(ख) केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग के प्रत्येक अधीनस्थ कार्यालय के लिए स्वतंत्र रूप से : —

पहला पुरस्कार	(2 पुरस्कार) : प्रत्येक रु० 400/-
दूसरा पुरस्कार	(3 पुरस्कार) : प्रत्येक रु० 200/-
तृतीय पुरस्कार	(5 पुरस्कार) : प्रत्येक रु० 150/-

(4) पुरस्कारदेने के लिए मापदण्ड :—

(क) मूल्यांकन करने के लिए कुल 100 अंक रखे जाएंगे। इनमें से 70 अंक हिन्दी में किए गए काम की मात्रा के लिए रखे जाएंगे और 30 अंक हिन्दी में टिप्पण और आलेखन की योग्यता के लिए होंगे।

(ख) जो व्यक्ति एक वर्ष में पचास हजार शब्द हिन्दी में लिखेगा वह पुरस्कारों के लिये प्रतियोगिता में भाग लेने का पात्र होगा। नीचे उल्लिखित मूल्यांकन समिति द्वारा दिये गये अंकों के आधार पर क्रम में उनके स्थान के अनुसार प्रथम दस व्यक्तियों को पुरस्कार दिए जायेंगे।

(ग) जिन प्रतियोगियों की मातृभाषा तमिल, तेलुगु, कन्नड, मलयालम, बंगाली, उड़िया या असमिया हो उन्हें 20 प्रतिशत तक अतिरिक्त अंकों का लाभ दिया जाएगा। ऐसे कर्मचारी को दिये जाने

वाले वास्तविक अंकों के लाभ का निर्धारण मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा। ऐसा करते समय समिति उन अधिकारियों/कर्मचारियों के काम के स्तर को भी ध्यान में रखेगी जो अन्यथा उसके क्रम में ऊपर है।

(घ) प्रतियोगी प्रतिदिन संलग्न प्रपत्र में अपने हिन्दी में लिखे गये शब्दों का लेखा जोखा रखेंगे। प्रत्येक सप्ताह के लेखे-जोखे पर अगले उच्च अधिकारी द्वारा सत्यापन करने के बाद प्रतिहस्ताक्षर किए जाएंगे। यदि अनुभाग का अधिकारी स्वयं लेखा-जोखा रखता है तो कर्मचारी को लेखा-जोखा रखना आवश्यक नहीं होगा।

(ङ) एक वर्ष के अंत में प्रत्येक प्रतियोगी हिन्दी में किए गए अपने काम का लेखा-जोखा प्रतिहस्ताक्षर करने वाले अधिकारी के माध्यम से मूल्यांकन समिति को प्रस्तुत करेगा। यदि प्रतिहस्ताक्षर करने वाला अधिकारी या विभाग प्रमुख स्वयं पूर्णतया निगरानी रखता है और लेखा-जोखा रखता है तो इसकी आवश्यकता नहीं होगी और उसे ब्योरा देना होगा।

(5) **मूल्यांकन समिति का गठन :—**

मंत्रालयों/विभागों में हिन्दी के प्रभारी संयुक्त सचिव, संगठन और पद्धति के प्रभारी अवर सचिव और वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी/हिन्दी अधिकारी इस समिति के सदस्य हो सकते हैं। सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में विभाग कार्यालय के अध्यक्ष, हिन्दी अधिकारी और एक अन्य राजपत्रित अधिकारी या राजभाषा अधिकारी इसके सदस्य हो सकते हैं। तथापि विभिन्न संबंधित कार्यालयों में अधिकारियों की उपलब्धता के अनुसार गठन में परिवर्तन किया जा सकता है।

1. यह संशोधित योजना दिसम्बर, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष से लागू की जाएगी और पुरस्कार जीतने वाले कर्मचारियों को प्रतिवर्ष 26 जनवरी, गणतन्त्र दिवस पर पुरस्कार दिए जाएंगे। पुरस्कार जीतने के बारे में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के सेवा विवरणों में भी समुचित उल्लेख कर दिया जाएगा। पुरस्कार प्राप्त करने वालों की एक सूची कृपया इस विभाग को भी पृष्ठांकित कर दी जाए।

2. इस योजना के चलन पर होने वाले खर्चे का वहन प्रत्येक मंत्रालय/विभाग/कार्यालय द्वारा अपने बजट प्रावधान से किया जाएगा। विभाग/कार्यालय का अध्यक्ष मूल्यांकन समिति की सिफारिशों पर इस परिपत्र के अधिकार से पुरस्कार स्वीकृत कर सकता है। इस योजना को वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के यू० ओ० सं० एच० 17/ई० III/84, दिनांक 9 मई तथा 22 मई 1984 द्वारा अनुमोदन दिया गया है।

3. कृषि, इस्पात और खान, रक्षा, रेलवे, डाक-तार संचार मंत्रालयों इत्यादि समेत सभी मंत्रालयों से अनुरोध है कि वे अपने विभागों और संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में इस योजना का विस्तृत प्रचार करें। योजना के प्रयोजन के लिए प्रत्येक अलग भौगोलिक स्थिति वाले कार्यालय को स्वतंत्र एकक माना जाएगा। उदाहरणार्थ असम क्षेत्र में स्थित आयकर आयुक्त के अधीन सहायक आयकर आयुक्त आदि का कोई कार्यालय अथवा रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक के अधीन क्षेत्रीय अधीक्षक आदि के कार्यालय इस योजना के चलन के लिए एक स्वतंत्र एकक माना जाएगा। रक्षा मंत्रालय या डाक-तार विभाग के अधीनस्थ तथा संबद्ध कार्यालयों आदि के बारे में भी ऐसी ही स्थिति होगी।

ह०
देवेन्द्र चरण मिश्र
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

प्रपत्र

श्री/श्रीमती/कुमारी————————की———— के सप्ताह में हिन्दी टिप्पण/आलेखन के काम की साप्ताहिक विवरणी।

विवरणी

क्र० सं०	तिथि	कुल निपटाई गई फाइलों की संख्या	हिन्दी में लिखे गए टिप्पण और आलेखन की मात्रा	शब्दों की संख्या	उच्च अधिकारी के हस्ताक्षर (सप्ताह में एक बार)
1	2	3	4	5	6

अंतरिक्ष में गुंजरित हिन्दी के स्वर

प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिनांक 5 अप्रैल, 1984 को स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा से बातचीत करते हुए कहा :—

सारे राष्ट्र का ध्यान आपकी तरफ है और हम सब, आपको वधाई देते हैं। यह एक ऐतिहासिक कदम है। मेरी आशा है कि इससे हमारा देश अंतरिक्ष के प्रति जागरुक होगा और साथ ही हमारे युवकों को साहसिक कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी।

प्रश्न तो आपसे बहुत से पूछने हैं लेकिन थोड़े से पूछती हूं। जमीन पर तो आपकी ट्रेनिंग बहुत कठिन रही और क वैसा ही वातावरण बनाया गया जैसा कि अंतरिक्ष में होता है। अब आप वास्तव में अंतरिक्ष में हैं, तो क्या वैसी ही हालत है या कुछ अलग लग रहा है।

स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा :—पहले तो भारत का नागरिक होने के नाते मैं आपको धन्यवाद देता हूं और मेरे मेम्बर्स भी मेरे साथ आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी वधाई के लिए। जैसे आपने कहा हमारी ट्रेनिंग काफी मुश्किल थी मगर अभी हमें आके पता लग रहा है कि ये जो ट्रेनिंग हमें मिली ये ट्रेनिंग जरूरी थी क्योंकि अब हमारा डाक मैन्यूवर हुआ है बिना किसी तकलीफ के तो हमें ऐसा लगा कि जैसे कि हम रिगुलेटर में ही बैठे हुए हैं। तो ये हमें सब बताया है कि जो ट्रेनिंग हुई है उसकी जरूरत थी। उसकी वजह से ही बगैर किसी तकलीफ के सक्सेसफुल डाकिंग कर पाये हैं।

प्रधानमंत्री : ऊपर से भारत कैसे दीखता है ?

राकेश शर्मा : वो मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूं कि "सारे जहां से अच्छा"।

प्रधानमंत्री : आप क्या महसूस कर रहे हैं ? तबीयत अच्छी है ? आपको हमको या अपने परिवार को कुछ खास कहना है।

राकेश शर्मा : बड़ी मेहरबानी है। कहना चाहता हूं कि तबीयत बिल्कुल अच्छी है, जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं हम। इनफैक्ट अब ये हमारी डाकिंग इधर हुई, जहां कू मेम्बरस आलरेडी थे, किलीम, ब्लादिमिर, ओलेग। इन्होंने हमारे लिए खाना तैयार किया हुआ था टेबल पर बिछाए हुए कवर। फूल तैयार किये हुए थे प्लास्टिक के थे, वहां फ्रेश तो मिल नहीं सकते थे और गरम हमने खाना खाया। कोई प्राब्लम हमें यहां महसूस नहीं हो रही है। परटिकुलर प्राब्लम कोई नहीं है। हम बिल्कुल मजे में हैं, वैसे आप देख रहे हैं।

प्रधानमंत्री : आपके कार्य का बहुत बड़ा महत्व है। इससे, वाह्य अंतरिक्ष के रहस्य खुलेंगे, और हमारी धरती के पर्यावरण पर, उसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। जरूरत की अन्य सूचनाएं भी हमें मिलेंगी। हम चाहते हैं कि इस ज्ञान का प्रयोग, विश्व कल्याण और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए हो। विंग कमांडर रवीश मल्होत्रा ने भी कड़ी मेहनत की, उसकी भी हम प्रशंसा करते हैं। आपकी उड़ान, भारत और सोवियत संघ के बीच, मैत्री की एक सुन्दर मिसाल है। इस क्षेत्र में सोवियत संघ के उदारतापूर्ण सहयोग की, भारत सरकार सराहना करती है।

हमारे देश के लोगों की निगाहें, आपकी ओर लगी हैं और वे हमारी बातचीत भी सुन और देख रहे हैं। हमारे देशवासी, हमारी पार्लियामेंट और व्यक्तिगत रूप से मैं, आप और आपके सह-अंतरिक्ष यात्रियों कर्नल यूरी मात्यैशव और श्री गेन्नादी स्त्रेकालोव की सफलता और सुरक्षित वापसी की प्रार्थना करते हैं। आप सब को मेरी शुभकामनायें।

जय हिन्द।

इस ऐतिहासिक बातचीत का समापन भी प्रधान मंत्री ने हिन्दी में ही इस प्रकार किया :—

प्रधानमंत्री : आपको आगे भी हम देखते रहेंगे।

राकेश शर्मा : जी जरूर, मेरे ख्याल से रोज हमारी ट्रांसमिशन यहां से होती रहेगी, और हम आपको बताते रहेंगे कि कैसे हमारा काम यहां चल रहा है, नमस्ते।

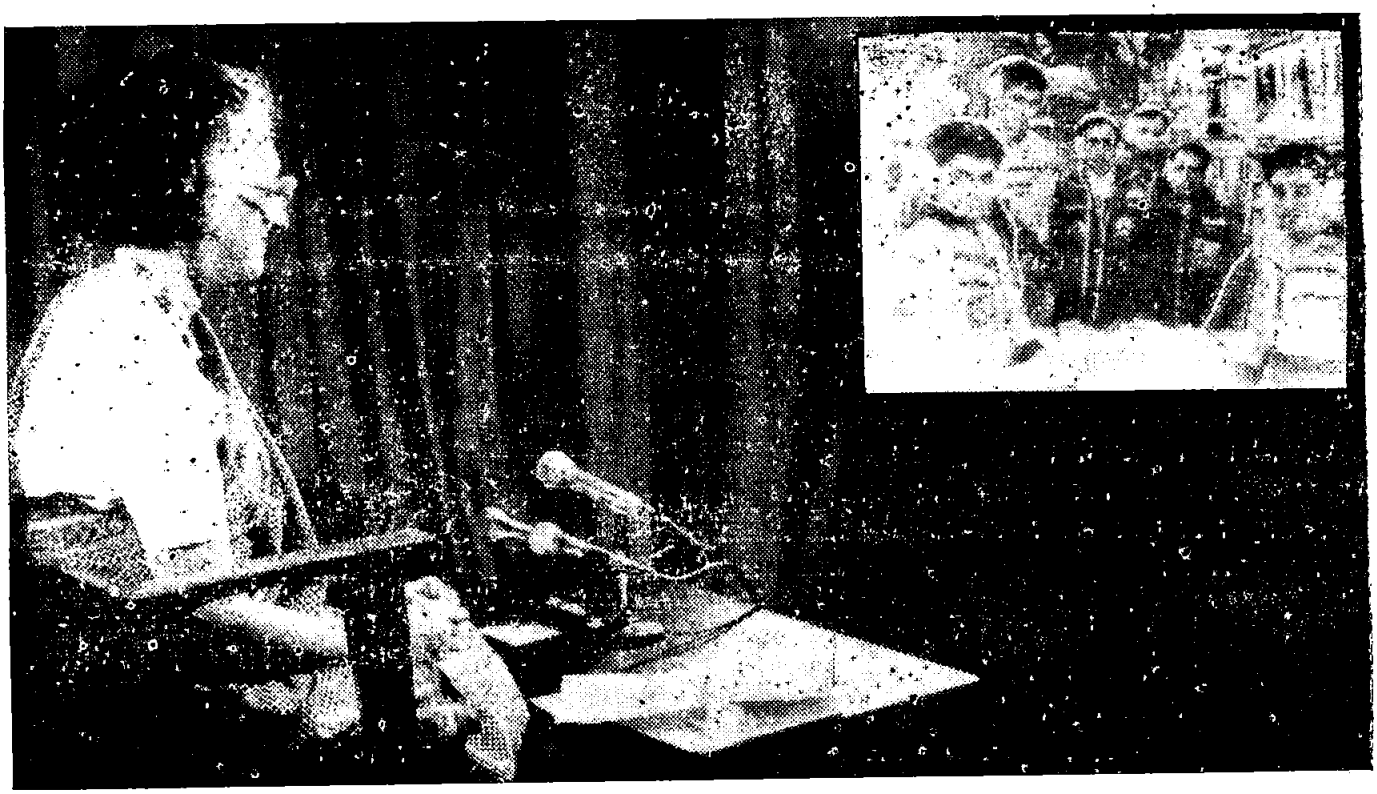

माननीया प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी प्रथम भारतीय अन्तरिक्ष यात्री श्री राकेश शर्मा से बातचीत करती हुई।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के लिए श्री जयपाल सिंह द्वारा, लोकनायक भवन खान मार्केट, नई दिल्ली से प्रकाशित तथा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित।